



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
नवंबर-दिसंबर, 2025 सत्र

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

महतारी सदन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को एजेसी बनाए जाने का प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 517) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी ग्राम पंचायतों में "महतारी सदन" निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई ? महतारी सदन की निर्माण लागत राशि कितनी थी ? उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण एजेसी किसे बनाया गया ? जानकारी प्रदान करें? (ख) ग्राम पंचायतों को अधिकतम कितनी लागत राशि सीमा के निर्माण कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेसी बनाए जाने का प्रावधान है ? क्या पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत "महतारी सदन" निर्माण की लागत राशि तय सीमा के अंदर है ? यदि हां, तो उसकी एजेसी ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं बनाई गई ? जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 202 ग्राम पंचायतों में तथा वित्तीय 2025-26 में 166 ग्राम पंचायतों में "महतारी सदन" निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। महतारी सदन की निर्माण लागत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 29.20 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रू. 30.00 लाख है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण एजेसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है। (ख) राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को राशि रू. 50.00 लाख की सीमा तक के लिए अधिकृत किया गया है। जी हाँ, पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत "महतारी सदन" निर्माण की लागत राशि तय सीमा के अंदर है। प्रशासकीय निर्णय से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कार्य एजेसी बनाया गया है।

कोण्डागांव जिले में मनरेगा के तहत कराये गये कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 585) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा सत्र जुलाई, 2025 में अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्रमांक 658), दिनांक 16.07.2025 में प्राप्त जानकारी अनुसार शौचालय निर्माण से संबंधित जांच में मुलमुला पंचायत के सरपंच एवं सचिव को दोषी ठहराकर उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो दिनांक 24.11.2025 तक उनके विरुद्ध कितनी राशि की वसूली की गई है एवं क्या उक्त राशि से पुनः उक्त पंचायत में शौचालय निर्माण

करवाया जाएगा ? **(ख)** क्या विगत 9 महीने में उक्त संबंधित (मुलमुला) पंचायत से शौचालय जांच संबंधित ककोई आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? आवेदन में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत की गई है एवं क्या वर्तमान में उक्त प्रकरण में कोई जांच चल रही है ? शिकायत समय अवधि में शौचालय निर्माण हेतु पंचायत द्वारा किसे वेंडर नियुक्त कर भुगतान किया गया था एवं वेंडर किस माध्यम से चयन किया गया था ? जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जी हॉ। तत्कालीन सरपंच से राशि रू. 5500/- एवं तत्कालीन सचिव से राशि रू. 5000/- की वसूली की गई है, शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राशि की वसूली के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी। **(ख)** जी हॉ। आवेदन में तत्कालीन सरपंच एवं उपसरपंच के विरुद्ध शिकायत की गई है। जी हॉ, जांच चल रही है। शिकायत समय अवधि में शौचालय निर्माण हेतु जनपद पंचायत कोण्डागांव द्वारा शौचालय निर्माण कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत मुलमुला को सामग्री राशि का भुगतान किया गया है। विभिन्न वेंडरों को **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र”** अनुसार भुगतान ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत मुलमुला द्वारा चयन कर किया गया है।

शासकीय विद्यालयों में वितरित सायकलों की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 81) श्री राजेश मूगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सायकल वितरण की प्रक्रिया क्या है ? विवरण दें ? **(ख)** विभाग में सायकल क्रय उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जांच किन-किन स्तरों पर किये जाने का प्रावधान है एवं गुणवत्ता में मानक अनुरूप सायकल न आने पर क्या कार्यवाही की जाती है ? पूर्ण विवरण दें ? **(ग)** क्या प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विगत दो माह पूर्व वितरित की गई सायकल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं की नियमित रूप से अध्ययनरत् नवप्रवेशी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की पात्र हितग्राही बालिकाओं को योजनांतर्गत निःशुल्क सायकल प्रदान किया जाता है। जिलों से प्राप्त मांग संख्या अनुसार सायकल क्रय की प्रक्रिया की जाती है। तपश्चात शाला स्तर पर बालिकाओं को सायकल वितरित की जाती है। **(ख)** सायकल क्रय उपरांत उसकी गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा, विकासखण्ड एवं शाला स्तर पर की जाती है। मानक अनुरूप सायकल न आने पर छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के अनुसार कार्यवाही का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ। वर्तमान में मानक अनुरूप सायकल वितरित की गयी है।

शासकीय हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल) के रिक्त पदों में भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

4. (*क्र. 577) श्री आशा राम नेताम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में राज्य के शासकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल) के कुल स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की संख्या क्या है ? **(ख)** शासकीय विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु ग्रंथपाल भर्ती प्रारंभ करने की सरकार की क्या कार्ययोजना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) वर्तमान में राज्य के शासकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 2263 तथा रिक्त पदों की कुल संख्या 1904 है। (ख) निरंक।

वन धन योजना से वनोपज खरीदी में व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 606) श्री जनक ध्रुव (श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य में वन धन योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन सा वनोपज कितनी मात्रा में खरीदा गया है तथा ऐसी खरीदी पर कितनी राशि व्यय की गई है ? लगातार गिरती खरीदी के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर इस हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : राज्य में वन धन योजना के नाम से लघु वनोपज क्रय हेतु कोई योजना संचालित नहीं है, परंतु राज्य शासन की ओर से छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर 38 प्रजातियों की और राज्य शासन द्वारा समर्थित मूल्य पर 29 प्रजातियों कुल 67 प्रजातियों की लघु वनोपज का क्रय किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पिछले 5 वर्षों में इन 67 प्रजातियों के वनोपज की कुल मात्रा 1158578.11 क्विंटल की खरीदी संग्राहकों से की गई है और खरीदी पर कुल राशि रूपये 53812.45 लाख का व्यय किया गया है। (विवरण संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है)। समर्थन मूल्य पर संग्रहित लघु वनोपज की मात्रा तत्समय प्रचलित इन लघु वनोपज के बाजार मूल्य पर भी निर्भर रहती है। संग्राहकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाए गए वनोपज को ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया जा सकता है। अतः क्रय की गई लघु वनोपज की मात्रा के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

तखतपुर वि.स. क्षेत्र अंतर्गत कानन पेंडारी के पास स्थित स्मृति वाटिका के विकास का प्रस्ताव

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

6. (*क्र. 501) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कानन पेंडारी के पास स्मृति वाटिका अवस्थित है ? यदि हां तो कब से और कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है और यहां पर वर्तमान में पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ? (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 03 वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में स्मृति वाटिका के रखरखाव, जीर्णोद्धार एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है और कौन-कौन से कार्य किए गए हैं ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका "क" के सर्वसुविधायुक्त विकास के लिए क्या विभाग के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित है ? यदि हां तो क्या-क्या और नहीं तो क्या इस पर विचार किया जाएगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कानन पेंडारी के पास स्मृति वाटिका स्थित है। स्मृति वाटिका वर्ष 2002 में कुल 23.00 हेक्टे. क्षेत्रफल में बनी है और यहां वर्तमान में पर्यटकों की सुविधा के लिए उद्यान, पार्किंग, शौचालय, पेय जल व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु चैनलिंग फेसिंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 03 वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में स्मृति वाटिका के रखरखाव, जीर्णोद्धार एवं पर्यटकों की सुविधाओं के लिए वर्षवार, कार्यवार, आबंटन की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ग) कंडिका "क" के सर्वसुविधायुक्त विकास के लिए वर्ष 2024-25 में बिलासपुर वनमंडल से 12 कार्यों के लिए राशि रू. 161.55 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था,

जिसमें से राज्य की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 06 कार्यो हेतु राशि रू. 73.80 लाख का आबंटन जारी किया गया था। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

रायगढ़ जिले के उद्योगों द्वारा फ्लाईएश की अवैध डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (*क्र. 125) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में से कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है ? फ्लाईएश डंप करने के क्या नियम हैं ? डंपयार्ड कहां-कहां हैं ? अवैध फ्लाईएश डंप के कितने मामले प्राप्त हुए हैं ? जानकारी देवे? रायगढ़ जिले के फ्लाईएश एवं कोयला परिवहन के कारण जहरीले पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्ययोजना है ? जानकारी देवे ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ जिले के अंतर्गत जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 की अवधि में अनुमति प्राप्त कर 12 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया गया / किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डार्क में राख का भराव किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राख का निचला क्षेत्रों/निष्क्रिय खदानों में भराव किया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से रायगढ़ जिला अंतर्गत अनुमति प्राप्त फ्लाई ऐश के भू-भराव/खदान भराव स्थल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक राख के अवैध डंपिंग के कुल 20 मामले मंडल के संज्ञान में प्राप्त हुए जिन पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

रायपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, कमल विहार से प्राप्त राजस्व

[आवास एवं पर्यावरण]

8. (*क्र. 603) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कमल विहार योजना अंतर्गत शासन को भूखंड विक्रय से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है एवं किन-किन मदों में व्यय किया गया ? पृथक-पृथक विवरण देवे ? **(ख)** कमल विहार योजना हेतु कितनी निजी एवं शासकीय भूखंड का अधिग्रहण किया गया है तथा अधिग्रहण के एवज में कितना भूखंड हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है ? खसरा नंबर, नाम सहित जानकारी देवे ? अभी तक कितने भू-स्वामियों को नियमानुसार भूखंड आबंटित नहीं किया जा सका है ? नाम सहित विवरण देवे ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजनांतर्गत भूखंड विक्रय से रायपुर विकास प्राधिकरण को लगभग राशि रू. 1012.00 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, जिसके व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:- (1) अधोसंरचना विकास कार्य - रू.

840.19 करोड़, (2) विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार - रू. 4.51 करोड़, (3) सलाहकार एवं प्रोफेशनल फीस - रू. 27.51 करोड़, (4) लीगल फीस - रू. 2.42 करोड़, (5) ऋण ब्याज का भुगतान - रू. 247.29 करोड़, (6) भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा - रू. 40.35 करोड़ कुल - रू. 1162.27 करोड़। राजस्व प्राप्ति के अतिरिक्त हुये व्यय लगभग राशि रू. 150.27 करोड़ प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के खाते में संधारित राशि से किये गये है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना हेतु निजी भूमि कुल रकबा लगभग 481.94 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि कुल रकबा 128.17 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है तथा अधिग्रहण के एवज में कुल रकबा लगभग 171.37 हेक्टेयर भूमि हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना है। खसरा नम्बर, नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। रायपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त अभ्यावेदन/प्रतिवेदन कुल 440 भूस्वामियों के प्रकरण अंतिम निराकरण हेतु शेष है। नाम सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य एवं स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (*क्र. 525) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या था तथा स्वीकृति कितनी प्रदान की गई ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें ? इसके लिए केन्द्रांश तथा राज्यांश राशि भी बताएं? **(ख)** उक्त अवधि में स्वीकृत आवासों में से कितने का निर्माण प्रारंभ हुआ ? पहली किस्त तथा अंतिम किस्त कितने हितग्राहियों को जारी की गई ? हितग्राही को अंतिम किस्त सहित कुल कितनी राशि जारी की गई ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** वर्ष 2023-24 से कितने आवास अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण हो गए हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत भारत सरकार से कुल 34,396 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्षवार एवं जिलावार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत केन्द्रांश व राज्यांश की राशि 60:40 के अनुपात में हितग्राहियों को प्रदाय की जाती है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। वर्ष 2025-26 की जानकारी **निरंक** है। हितग्राहियों को अंतिम किस्त सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कुल राशि रु 1,20,000/- एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत 2,00,000/- प्रति आवास सहायता अनुदान राशि जारी की गई है। **(ग)** वर्ष 2023-24 से अक्टूबर, 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 8,55,626 आवास एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत 15,237 पूर्ण हो गए हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

प्रदेश में हो रहे डिजिटल अरेस्ट तथा ऑनलाईन ठगी जैसे जघन्य अपराधों पर कृत कार्यवाही

[गृह]

10. (*क्र. 479) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में हो रहे डिजिटल अरेस्ट तथा ऑनलाईन ठगी जैसे जघन्य अपराधों के लिये शासन के द्वारा

क्या-क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ? (ख) क्या दूसरे प्रदेशों से अपराधी आकर छ.ग. में वारदात कर रहे हैं? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा किस प्रकार के ठोस कदम उठाये गये हैं ? (ग) प्रदेश में जनवरी, 2024 से नवम्बर, 2025 तक ऑनलाईन ठगी और डिजिटल अरेस्ट के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? कितने प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है ? जिलेवार जानकारी प्रदान की जावे ? साथ ही कितने लोगों को राशि वापस दिलाई गई है ? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब एवं स" अनुसार है। 217 लोगों को राशि वापस करायी गयी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

जिला महासमुंद के थाना बसना अंतर्गत चोरी, लूट व हत्या के दर्ज प्रकरण

[गृह]

11. (*क्र. 615) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला महासमुंद के थाना बसना अंतर्गत 1 जनवरी, 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक कुल कितने चोरी, लूट व हत्या के केस दर्ज किये गए हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार उक्त घटनाओं में सम्मिलित कितने आरोपियों को पकड़ा गया है व उनका चालान पेश कर उन्हें जेल दाखिल किया गया है ? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार कितने आरोपी अभी फरार हैं ? कारण सहित बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला-महासमुंद के थाना-बसना अंतर्गत चोरी के 38, लूट के 02 एवं हत्या के 07 प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये गये हैं। (ख) उक्त घटनाओं में दिनांक 08.12.2025 तक कुल 91 आरोपी चिन्हांकित किये गये है, जिनमें से 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया तथा 41 आरोपियों को अभियोग पत्र प्रस्तुति के दौरान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने हेतु कानूनी नोटिस दिया गया है। उक्त 91 आरोपियों में से 86 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र (चालान) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। (ग) कोई आरोपी फरार नहीं है।

स्कूलों में ली जा रही गौ विज्ञान परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क

[स्कूल शिक्षा]

12. (*क्र. 8) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या प्रदेश में संचालित विद्यालयों में गौ विज्ञान परीक्षा ली जा रही है ? यदि हां तो बच्चों से फीस के रूप में कितनी राशि वसूली जा रही है ? (ख) बच्चों को पुरस्कार के लिए सभी जिलों और प्रदेश को मिलाकर कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी, हाँ। कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक प्रति छात्र 50 रू. एवं कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक प्रति छात्र 70 रू. शुल्क आयोजन समिति द्वारा निर्धारित है। (ख) बच्चों को पुरस्कार के लिए सभी जिले स्तर पर प्रथम पुरस्कार राशि रूपये 3100/- द्वितीय पुरस्कार राशि रूपये 2100/- एवं तृतीय पुरस्कार राशि रूपये 1100/- एवं पंचगव्य उत्पाद किट दिया जा रहा है। पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक दोनों श्रेणी में यह पुरस्कार पृथक-पृथक प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राशि रूपये 51000/- द्वितीय पुरस्कार राशि रूपये 31000/- एवं तृतीय पुरस्कार राशि रूपये 11000/- एवं पंचगव्य उत्पाद किट दिया जा रहा है। पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक दोनों श्रेणी में यह पुरस्कार पृथक-पृथक

प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार बच्चों को पुरस्कार के लिए सभी जिला एवं प्रदेश को मिलाकर कुल राशि रूपये 6,01,800/- रूपये शुल्क आयोजन समिति द्वारा प्रावधानित है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को गौ विज्ञान ग्रंथ एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर के ग्रंथ की कीमत 100/- रूपये एवं उच्चतर माध्यमिक के ग्रंथ की कीमत 150/- रूपये है, जो परीक्षा में सहभागी सभी बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

13. (*क्र. 493) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? नवम्बर, 2025 स्थिति में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? शिक्षक /सहायक शिक्षक/व्याख्याता के पृथक-पृथक विषयवार, जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** रिक्त पदों पर कब तक भर्ती किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ? कब तक भर्ती कर ली जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। **(ख)** समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

प्राइवेट संस्था तथा एनजीओ के माध्यम से शासकीय स्कूलों में नियुक्तियां

[स्कूल शिक्षा]

14. (*क्र. 505) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2021 से दिनांक 24/11/2025 तक प्रदेश के शासकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक और अन्य शिक्षकों की प्राइवेट संस्था तथा एनजीओ के माध्यम से नियुक्तियां करने हेतु कोई आदेश/निर्देश या विज्ञापन जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति सहित सक्षम आधिकारी का नाम व पदनाम की जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में किस-किस प्राइवेट संस्था तथा एनजीओ के द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षक व अन्य शिक्षकों की प्रदेश के किन जिलों में, किन स्कूलों के लिये, किन-किन शिक्षकों/आवेदकों को उपलब्ध/नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति प्रदान की गई है ? स्कूलवार जानकारी दें? क्या इन उपलब्ध कराए गए शिक्षकों/ इनकी नियुक्ति के संबंध में शासन/विभाग अंतर्गत कोई जांच की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या एवं जांच की अद्यतन स्थिति क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी हां, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक की प्राइवेट संस्था के माध्यम से नियुक्तियां करने हेतु आदेश दिया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है एवं सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ख)** प्राइवेट संस्था द्वारा नियुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षक की जिलेवार, स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है। इनकी नियुक्ति के संबंध में पुलिस विभाग में एफ.आई.आर दर्ज कराने हेतु कार्यवाही की गई है। जांच प्रक्रियाधीन है।

संयंत्रों से निकलने वाले फ्लाइएश के निस्तारण का प्रावधान

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (*क्र. 521) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में कौन-कौन से संयंत्र संचालित हैं ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संयंत्रों द्वारा कितना-कितना फ्लाइएश उत्सर्जित किया जाता है ? प्रतिदिन एवं प्रतिवर्ष अनुसार विगत 02 वर्ष की जानकारी बताएं? **(ग)** संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लाइएश के निस्तारण का क्या प्रावधान है ? 01 जनवरी, 2025 से 24-11-2025 तक उत्सर्जित फ्लाइएश का निस्तारण कितना-कितना एवं किस-किस माध्यम से किया गया है एवं प्रत्येक संयंत्र के पास निस्तारण के लिए कितना फ्लाइएश शेष है ? **(घ)** नियम विरुद्ध फ्लाइएश डंप करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? किन-किन संयंत्रों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी प्रदान करें ? **(ङ)** क्या प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा के द्वारा चांपा के हनुमानधारा क्षेत्र में एवं ग्राम देवरहा में एक निजी व्यवसायी के निर्माणाधीन राईस मिल भूखंड पर अवैध रूप से फ्लाइ एश डंप किये जाने की स्थानीय निवासियों एवं किसानों के द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त 06 ताप विद्युत संयंत्र (कोल आधारित) तथा 04 बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित/संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 02 अनुसार है।(ख)जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 03, 04, 05 एवं 06 अनुसार है।(ग)** संयंत्रों द्वारा जनित फ्लाइ एश का अपवहन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार भू-भराव, सीमेंट निर्माण, ईट निर्माण, सड़क निर्माण, ब्लाक्स, एग्रीगेट निर्माण, आदि में किये जाने का प्रावधान है। 01 जनवरी, 2025 से 24/11/2025 तक उत्सर्जित फ्लाइ एश का निस्तारण एवं उपयोगिता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(घ)** प्रश्नांश 'क' के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नियम विरुद्ध फ्लाइ एश डंप करने की कुल 10 शिकायतें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत तथा संयंत्रों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।(ङ)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा के द्वारा चांपा के हनुमान धारा क्षेत्र में एवं ग्राम देवरहा में एक निजी व्यवसायी के निर्माणाधीन राईस मिल भूखंड पर अवैध रूप से फ्लाइ एश डंप किये जाने की शिकायत आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अपितु दिनांक 22/11/2025 को दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया तथा नवभारत में प्रकाशित लेख के माध्यम से पर्यटन स्थल हनुमान धारा में रात में राखड़ डालने संबंधी तथ्य मण्डल के संज्ञान में आया। उक्त के संबंध में प्राप्त शिकायत तथा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स के सरल क्रमांक 9 एवं 10 अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (*क्र. 72) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** किन-किन प्रकार के भूमि विक्रय/बटांकन/नामांतरण को अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में किन नियमों के तहत रखा जाता है ? कृपया बतावें ? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2025 के मध्य किन-किन हल्कों में, किन-किन खसरो को अवैध प्लॉटिंग घोषित कर, किन-किन दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? **(ग)** क्या अवैध प्लॉटिंग के नियमितीकरण की योजना है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग को नियमित किया गया ? हल्कावार तथा खसरावार जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) अलग-अलग अधिनियमों में अवैध प्लार्टिंग के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। जिसकी जानकारी संलग्न प्रपत्र -अ अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र -ब अनुसार है।(ग) जी, हाँ। नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के नियमितरण एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत अवैध कालोनियों के प्रबंधन का प्रावधान है। नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 2013 के नियम 15-क के तहत 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण किये जाने का प्रावधान है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लार्टिंग का नियमितकरण नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

धमतरी जिले में तालाब खनन हेतु स्वीकृत राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

17. (*क्र. 35) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वन विभाग अन्तर्गत धमतरी जिले में वर्ष 2023 से दिनांक 25.11.2025 तक कुल कितने तालाब खनन की स्वीकृति कितनी राशि की प्रदाय की गई ? इसमें किन-किन तालाबों में कार्य पूर्ण/अपूर्ण है तथा कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? (ख) उक्त के संबंध में कितनी शिकायतों की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है व कौन दोषी पाया गया तथा जांच किसके द्वारा की गई ? (ग) जिला धमतरी क्षेत्र अन्तर्गत राज्य कैम्पा मद अन्तर्गत वर्ष 2023 से 25.11.2025 तक कितनी राशि जारी की गई तथा उक्त राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया ? कार्यवार/वर्षवार जानकारी दें ? (घ) क्या जिले में पेड़ों की कटाई की शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने निराकृत किये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वन विभाग अंतर्गत धमतरी जिले में वर्ष 2023 से 25.11.2025 तक तालाब खनन कार्य की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि, तालाबों के खनन कार्य के पूर्ण/अपूर्ण होने की स्थिति की जानकारी तथा फर्म को की गयी भुगतान राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है।(ख) उक्त के संबंध में 01 शिकायत प्रकाश में आई थी। शिकायत की जांच कराये जाने पर शिकायत निराधार पाई गई। कोई दोषी नहीं पाया गया। शिकायत की जांच परिक्षेत्र अधिकारी रिसगांव के द्वारा की गई।(ग) जिला धमतरी क्षेत्र अन्तर्गत राज्य कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2023 से 25.11.2025 तक स्वीकृत कार्या के लिए जारी की गई राशि एवं उपयोग की गई राशि की कार्यवार, वर्षवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (घ) जी हां। धमतरी जिले में पेड़ों की कटाई के संबंध में कुल 06 शिकायतें प्रकाश में आईं, जिसमें से 03 शिकायतें निराकृत की गई हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

प्रदेश में पैक्स की संख्या एवं इनमें संवर्ग प्रबंधकों के रिक्त पद

[सहकारिता]

18. (*क्र. 532) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) की संख्या जिलावार बताएं? इनके लिए सहकारी अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार संवर्ग प्रबंधकों के स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकवार संख्या बताएं? (ख) उक्त संस्थाओं के संवर्ग प्रबंधक के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या संवर्ग प्रबंधक के रिक्त पदों को सहकारी अधिनियम तथा सेवा नियम के प्रावधानों के अनुसार भरे जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब-तक?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' में है। (ख) उक्त संस्थाओं के समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु अनुमत पदों पर भर्ती की चरणबद्ध कार्यवाही बैंक द्वारा की जा रही है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती के पदों पर भर्ती की अनुमति के अनुक्रम में वर्ष 2024 एवं 2025 में समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के सीधी भर्ती के कुल 250 पदों पर भर्ती की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में की गई है। (ग) समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु अनुमत पदों पर भर्ती की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से बैंक द्वारा की जा रही है। शेष पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

वनमंडल मरवाही में ग्रीन क्रेडिट योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

19. (*क्र. 570) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2025-26 में वनमण्डल मरवाही में ग्रीन क्रेडिट योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो इस योजना के तहत किन-किन स्थलों/परिक्षेत्र का चयन कर कितने क्षेत्रफल हेतु कौन-कौन सी सामग्री क्रय कर कितनी मात्रा में फर्मों के द्वारा आपूर्ति की गयी है ? प्राक्कलन के आधार पर कितनी मात्रा में सामग्री क्रय का प्रावधान था एवं आपूर्ति कितनी सामग्री की, की गयी है ? प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा, कब किया गया है ? स्थलवार, कार्यवार, सामग्रीवार, राशिवार, मूल्यांकन सत्यापन एवं फर्मों को किये गये भुगतान की जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : मरवाही वनमण्डल में ग्रीन क्रेडिट योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। किन्तु वर्ष 2025-26 के पूर्व स्वीकृत कार्यों हेतु वर्ष 2025-26 में स्थलवार, कार्यवार, सामग्रीवार, राशिवार, मूल्यांकन सत्यापन एवं फर्मों को किए गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-अ" एवं "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।

कवर्धा सदन निर्माण में नियमों का उल्लंघन

[जेल]

20. (*क्र. 621) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि "कवर्धा सदन" के निर्माण में जेल के कैदियों का उपयोग किया गया था ? (ख) यदि हाँ, तो इस निर्माण कार्य के लिए किस मद से और कितना बजट प्रावधान किया गया था ? क्या निर्माण कार्य में कैदियों का उपयोग राज्य जेल नियमावली और संबंधित श्रम कानूनों के अनुसार किया गया था ? (ग) यदि अनियमितताएं पाई गई हैं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई है या की जाएगी ? यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

जिला-दन्तेवाड़ा/बीजापुर/सुकमा में हुई पुलिस- नक्सली मुठभेड़

[गृह]

21. (*क्र. 66) श्री चैतराम अटामी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-दन्तेवाड़ा/बीजापुर/सुकमा में माह दिसम्बर, 2023 से माह अक्टूबर, 2025 तक पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई ? (ख) मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गये हैं तथा मृत नक्सलियों पर कितने का इनाम घोषित किया गया था ? कृपया जिलावार जानकारी बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला दन्तेवाड़ा/बीजापुर/सुकमा में प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 159 पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनायें हुई हैं।(ख) उक्त मुठभेड़ में कुल 298 नक्सली मारे गये हैं। मारे गये नक्सलियों पर घोषित इनाम राशि की जिलावार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. द्वारा दर्ज प्रकरणों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कृत कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. (*क्र. 557) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने अधिकारियों को ई.ओ. डब्ल्यू./ए.सी.बी. के द्वारा दर्ज अपराध के तहत पुर्वानुमोदन प्रदाय हेतु सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है ? प्रेषित पत्रों पर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. द्वारा दर्ज प्रकरण पर विवेचना हेतु पुर्वानुमोदन पर अभिमत प्रदान किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक प्रदान किया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 05 अधिकारियों को ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. द्वारा दर्ज अपराध के तहत पुर्वानुमोदन प्रदाय हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। इनमें 03 प्रकरण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को स्थानांतरण किया गया है। 02 अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. द्वारा दर्ज प्रकरण पर विवेचना हेतु पुर्वानुमोदन पर अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। इस हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड तीन/दो/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत पद

[स्कूल शिक्षा]

23. (*क्र. 590) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यालयों/संस्थाओं में कितने सहायक ग्रेड 03/02/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कर्मचारी संविदा पर कब से कार्यरत हैं ? जानकारी देवें ? (ग) क्या स्वीकृत पद के विरुद्ध 10 से अधिक वर्षों तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की कार्यवाही की जावेगी ? जानकारी देवें ? (घ) संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के संबंध में गठित की गई समिति के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालयों/ संस्थाओं में सहायक ग्रेड-2 के 3842 पद, सहायक ग्रेड-3 के 6713 पद एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 543 पद स्वीकृत है। (ख) स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल 131 कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, जो वर्ष 1995 से 2021 के

मध्य पृथक-पृथक समयावधि से कार्यरत है। (ग) ऐसी कोई भी कार्यवाही विभाग में प्रचलित नहीं है। (घ) जानकारी निरंक है।

डी.एल.एड. योग्यताधारी शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

24. (*क्र. 194) श्री रिकेश सेन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत बी.एड. योग्यताधारी कितने सहायक शिक्षकों को सेवा से हटाया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हटाए गए बी.एड. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों के बदले कितने डी.एल.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है ? कितने सहायक शिक्षक के पद आज दिनांक तक रिक्त हैं ? इन पदों पर नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत कुल 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सेवा से हटाया गया है। (ख) 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के बदले 1319 डी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। 1302 पद रिक्त है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

चित्रकोट वि.स. क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कराए गए कार्यों की जाँच

[स्कूल शिक्षा]

25. (*क्र. 23) श्री विनायक गोयल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड लोहण्डीगुडा में वर्ष 2019-20 से 2023-2024 तक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के निर्माण/मरम्मत कार्यों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? (ख) क्या जिन स्कूलों में कार्य नहीं हुआ है अथवा गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, उक्त का भी भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितना ? (ग) क्या शासकीय शालाओं में पूर्ण हो चुके/प्रगतिरत समस्त निर्माण/मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया ? यदि हाँ, तो कृपया ग्रामवार स्कूलों में कराये गये कार्यों की स्वीकृत राशि सहित जानकारी दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ है। अतः 2019-20 से 2021-22 तक की जानकारी निरंक है, शेष 2022-23 एवं 2023-24 की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राथमिक शाला		पूर्व माध्य शाला	
	संख्या	स्वीकृत राशि रू. लाख में	संख्या	स्वीकृत राशि रू. लाख में
2022-23	77	994.2	27	281.62
2023-24	61	111.9	24	56.01

(ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (क्र. 9) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र नवम्बर, 2025 की स्थिति तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो कौन-कौन से केन्द्र का कितना भुगतान शेष है, संग्राहकों के नाम सहित जानकारी देंगे ? (ख) संबंधित संग्राहकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? कृपया समय सीमा बताएं।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ । भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में नवंबर, 2025 की स्थिति में तेंदूपत्ता संग्राहक को उनके पारिश्रमिक का भुगतान पूर्ण हो चुका है । किसी भी केन्द्र (फड) का भुगतान शेष नहीं है ।(ख) तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है । अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

बिलासपुर जिले के अंतर्गत शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच

[स्कूल शिक्षा]

2. (क्र. 11) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर जिले में वर्ष, 2025 में सहायक शिक्षक संविदा के कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था? विषयवार जानकारी दें ? (ख) क्या विज्ञान विषय के पदों पर कामर्स विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? अगर हां, तो कितने शिक्षकों की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है? नियुक्त शिक्षकों के नाम क्या है? (स) वर्ष 2025 में सहायक शिक्षक संविदा भर्ती में अनिमियतता होने के संबंध में क्या क्या शिकायत प्राप्त हुई थी? क्या शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही एवं जांच की गई है? यदि हाँ, तो शिकायत की जांच में क्या पाया गया एवं उसका क्या निराकरण किया गया है? (द) सहायक शिक्षक संविदा भर्ती, 2025 के प्रभारी कौन कौन थे? अधिकारी का नाम एवं पदनाम क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) बिलासपुर जिले में वर्ष, 2025 में सहायक शिक्षक संविदा के 55 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, पदों के विवरण में विषयवार जानकारी का उल्लेख नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। छ.ग. राजपत्र, दिनांक 04 मई 2023 (असाधारण) अधिसूचना परिशिष्ट-" (एक) सहायक शिक्षक (न्यूनतम अर्हतायें) (1) हेतु उल्लेखित शर्तों के अनुसार सहायक शिक्षक के लिए विषय की बाध्यता होने संबंधित नियम का उल्लेख नहीं है। समस्त नियुक्तियां भर्ती नियम के अनुसार है। संविदा भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक अर्हताओं के अंतर्गत विज्ञान संकाय का उल्लेख हो गया है, जो टंकण त्रुटिवश हुआ है। इस त्रुटि को तत्कालीन चयन समिति के द्वारा शुद्धि पत्र जारी कर विलोपित किया जाना था, जो नहीं किया गया है। इस कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (स) जी हाँ, सहायक

शिक्षक संविदा भर्ती में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। जांच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (द) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स"** अनुसार है।

सीतानदी अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिये पेयजल, सुरक्षा एवं अन्य सुविधायें

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (क्र. 36) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा सीतानदी अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिये पेयजल की उपलब्धता, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के लिये योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ? **(ख)** यदि हां, तो 01 अप्रैल 2023 से 25.11.2025 तक सीतानदी अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिये उपरोक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के लिये किये गये कार्यों का कार्यवार, स्वीकृत राशिवार, भुगतान वार, एजेन्सी वार, व्यौरा दें? **(ग)** क्या प्रशांकित अवधि की स्थिति में कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा दें तथा अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** हाँ। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है । **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है ।

[**संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"**]

प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मौत एवं प्रदत्त मुआवजा

[परिवहन]

4. (क्र. 59) श्री अजय चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विगत 2 वर्ष में 15 नवंबर, 2025 की स्थिति में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुयी हैं? उनमें कितने लोग घायल, गंभीर घायल एवं मौतें हुई हैं? वर्षवार बतायें? **(ख)** सड़क दुर्घटना में विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है या कमी आयी है? यदि वृद्धि हुई है तो उसके कारण क्या है? इसके रोकथाम के लिये कौन-कौन से विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? क्या किसी विशेषज्ञ द्वारा रिसर्च कराया गया है ? यदि हां तो उसकी रिपोर्ट एवं सुझाव क्या-क्या हैं? सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या योजना एवं जागरूक करने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम कराये गये हैं? **(ग)** सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिये सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग या ईलाज के लिये क्या-क्या योजना बनायी गयी है तथा उस योजना की प्रक्रिया क्या है? अधिकतम व न्यूनतम कितनी राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसी की गयी है ? उक्त वर्षों में इसके लिये कितना बजट प्रावधानित है और कितने लोगों को, कितनी राशि प्रदाय की गयी है? वर्षवार बतायें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश में वर्ष 2023 से 15 नवम्बर 2025 की स्थिति में कुल 41829 दुर्घटना के प्रकरण में 35761 घायल/गंभीर घायल तथा 19066 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है।**(ख)** सड़क दुर्घटना में विगत 02 वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है किन्तु विगत वर्ष की तुलना में प्रपत्र "अ" अनुसार कमी आई है। परिवहन विभाग द्वारा विशेषज्ञ से रिसर्च नहीं कराया गया है। शेष प्रश्नों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।**(ग)** सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिये सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग या ईलाज के लिये योजना, प्रक्रिया एवं राशि प्रदाय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[**संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"**]

जंगल सफारी, अटल नगर नवा रायपुर के वन्यप्राणियों के लिये नियोनेटल केयर यूनिट की स्थापना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (क्र. 60) श्री अजय चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जंगल सफारी, अटल नगर नवा रायपुर अंतर्गत वन्यप्राणियों के लिये नियोनेटल केयर यूनिट की स्थापना कब की गयी? उसका उद्देश्य क्या है? उसकी क्षमता कितनी है एवं कौन-कौन से, कितने उपकरणों की आवश्यकता है व उसके उसके अनुरूप कौन-काने उपकरण लगाये गये? **(ख)** उक्त यूनिट की स्थापना में कितनी लागत आयी तथा किन-किन कार्यों एवं उपकरणों की खरीदी में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? **(ग)** प्रश्नांक "क" इसके अंतर्गत किन-किन शावकों के उपचार हेतु स्थापना की गयी है? इनकी देखभाल व यूनिट के संचालन हेतु कौन-कौन से विशेषज्ञ/डॉक्टर/अन्य स्टाफ की आवश्यकता है तथा उसके अनुरूप कितने कार्यरत हैं तथा 15.11.2025 तक कौन-कौन से कितने और कौन-कौन से शावकों का उपचार किया गया?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जंगल सफारी, अटल नगर, नवा रायपुर अंतर्गत नियोनेटल केयर यूनिट की स्थापना वर्ष 2025 में की गई है। इसकी स्थापना जंगल सफारी, अन्य जू में मौजूद वन्यप्राणी एवं रेसक्यू कर लाये गये वन्यप्राणियों तथा गंभीर रूप से घायल वन्यप्राणी शावकों के समुचित उपचार के लिए की गयी है। नियोनेटल केयर यूनिट की क्षमता 06 वन्यप्राणी शावकों के उपचार की है। नियोनेटल केयर यूनिट में आवश्यकता के अनुसार निम्न उपकरण लगाये गये हैं:- 1. Resuscitation Set 2. Open care system 3. Incubator 4. Infusion pump 5. Positive pressure ventilator 6. Positive pressure ventilator pediatric/neonatal 7. Oxygen hoods and 8. Photo therapy unit. **(ख)** नियोनेटल केयर यूनिट की स्थापना में राशि रूपये 197.344 लाख की लागत आयी है। उपकरण खरीदी में राशि रू. 19.20 लाख व्यय की गयी है। **(ग)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत शाकाहारी/मांसाहारी एवं भालू प्रजाति के वन्यप्राणियों के उपचार हेतु नियोनेटल केयर यूनिट की स्थापना की गई है। इनकी देखभाल व यूनिट के संचालन हेतु वन्यप्राणी पशु चिकित्सक-01, पैरावेट/कम्पाउण्डर-01, लैब टेक्नीशियन-01, अटेण्डेंट-01 एवं सफाईकर्मी- 01 की आवश्यकता है तथा उसके अनुरूप कार्यरत है। दिनांक 15.11.2025 तक तेन्दुआ-01, लोमड़ी-01, चीतल-02, नीलगाय-02, माऊस डीयर-01, बार्किंग डीयर-02, पैंगोलिन-01 एवं 01 भालू का उपचार किया गया है।

रायपुर में लागू वर्तमान मास्टर प्लान में अनियमितता पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 82) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई गंभीर शिकायतों की जांच हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** क्या विषय पर ध्यानाकर्षण मे चर्चा के दौरान अनियमितता की होना माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं, विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी, हाँ। रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी, हाँ। इस विषय पर ध्यानाकर्षण में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री द्वारा नवीन मास्टर प्लान में विसंगतियों का होना स्वीकार किया गया था। मास्टर प्लान मे विसंगतियों से संबंधित शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय विषय को लागू किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

7. (क्र. 92) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं ? एवं कुल कितने स्कूलों में कृषि संकाय विषय संचालित हो रहा है ? (ख) क्या विधार्थियों के हित में जिन-जिन स्कूलों में कृषि संकाय विषय संचालित नहीं हो रहा है । क्या उक्त स्कूलों में कृषि संकाय विषय सामान्य रूप से लागू किया जायेगा ? यदि हाँ तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।।(ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

दुर्ग जिला अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के आधार पर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थ किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 106) श्री ललित चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग जिला में कार्यरत कितने शिक्षकों द्वारा युक्तियुक्तकरण के आधार पर अन्यत्र पदस्थ किये जाने के विरूद्ध अध्यक्ष, संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, दुर्ग संभाग दुर्ग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है? कितने आवेदन मान्य, कितने अमान्य किये गये? कितने प्रकरण विचाराधीन/लंबित है? लंबित अभ्यावेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर विषय परिवर्तन कर अन्यत्र पदस्थ किये जाने के संबंध में कितने शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है? विषय परिवर्तन के आधार पर कितने शिक्षकों का आवेदन मान्य, कितने का अमान्य किया गया है? त्रुटिपूर्ण विषय गणना के आधार पर कितने शिक्षकों का पदस्थापना आदेश निरस्त किया गया है? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को अन्य विषय के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थ किये जाने का कोई विभागीय नियम है? यदि नहीं तो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को अन्य विषय के रिक्त पद के विरूद्ध जारी पदस्थापना आदेश निरस्त किया जावेगा ? (घ) क्या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले शाला प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई है? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) संभाग स्तरीय समिति दुर्ग के समक्ष कुल 123 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। प्राप्त अभ्यावेदन में से 08 मान्य एवं 114 अमान्य किया गया तथा 01 प्रकरण लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय छ.ग.बिलासपुर के निर्णय के उपरांत लंबित प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर विषय परिवर्तन कर अन्यत्र पदस्थ किये जाने के संबंध में 08 शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। विषय परिवर्तन के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा 01 शिक्षक का आवेदन मान्य तथा 07 शिक्षकों का आवेदन संभाग स्तरीय समिति द्वारा अमान्य किया गया है। त्रुटिपूर्ण विषय गणना के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना आदेश निरस्त किये जाने की संख्या निरंक है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लाइमस्टोन माइंस की स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 142) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोडाडीह में मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली लाइमस्टोन माइंस की जनसुनवाई के दौरान स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा खदान परियोजना का विरोध किया गया? विवरण दें। **(ख)** क्या अंग्रेजी में उपलब्ध ई.आई.ए. रिपोर्ट स्थानीय भाषा में अनुवाद न कर उपलब्ध करने तथा अखबारों में उचित प्रचार-प्रसार न होने की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई? यदि हां तो दर्जे शिकायतों का विवरण दें। **(ग)** क्या राज्य सरकार उक्त खदान परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के पुनः परीक्षण हेतु पुनर्समीक्षा किया जाना विचाराधीन है? कब तक ? **(घ)** उक्त परियोजना के कारण प्रभावित ग्रामों में अब तक कौन-कौन से सामाजिक दायित्व के कार्य किए गए हैं? कार्यवार व्यय विवरण सहित रिपोर्ट दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षणमंडल द्वारा मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोडाडीह में मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली लाइमस्टोन माइंस की जनसुनवाई दिनांक 07/06/2019 के दौरान 41 स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने विचार लिखित तथा मौखिक रूप से व्यक्त किये गए, इनमें से 09 व्यक्तियों के द्वारा खदान परियोजना का विरोध किया गया। विरोध के मुख्य बिन्दु यह थे कि, ईआईए रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों बनाई गई है, ईआईए रिपोर्ट में जल स्रोत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा खदान परियोजना के आने से क्षेत्र की जल आपूर्ति भी प्रभावित होगी। **(ख)** जी हाँ। जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई गई कि उपलब्ध ई.आई.ए. रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में है तथा हिन्दी अथवा छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं है, साथ ही यह भी शिकायत दर्ज कराई गई कि जनसुनवाई की सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में कराया गया, जिसे स्थानीय नागरिक नहीं पढ़ते हैं। **(ग)** खदान प्रबंधन को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31/01/2020 को लाइमस्टोन माइंस - 3.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की भूमि पर स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. (क्र. 157) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेजुंगेरा के जामड़ी पाटेश्वर धाम में दिसम्बर, 2023 से 25.11.2025 तक किन-किन मद में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? मदवार/कार्यवार तथा कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दें ? **(ख)** क्या स्वीकृत निर्माण कार्य वन विभाग के भूमि/जमीन में कराया गया है अथवा किया जा रहा है यदि हां तो, क्या कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वन विभाग से भूमि/जमीन का अनापत्ति प्रमाण (NOC) लिया गया है? यदि नहीं तो, क्यों तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

बिना अनुमति केमिकल कारखानो का संचालन

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 184) श्री देवेन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिला अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र क्षेत्र में कितने केमिकल कारखानें संचालित किए जा रहे हैं। संचालित कारखानों, उनके संचालनकर्ता के नाम, पता सहित जानकारी दे ? **(ख)** संचालित केमिकल कारखानों का आवास पर्यावरण विभाग द्वारा विगत 05 वर्ष में कब-कब एवं किन-किन नियमों एवं धाराओं के आधार पर अनुमति प्रदान की गयी है, जानकारी कारखाने का नाम, पता, अनुमति दिनांकवार जानकारी देवे? **(ग)** क्या एक ही स्थान में एक से अधिक कारखाने संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हुई है यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है? जानकारी दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** दुर्ग जिला अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त 27 केमिकल उद्योग/कारखाने संचालित हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** संचालित केमिकल उद्योगों/कारखानों को विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों (जनवरी 2021 से दिनांक 04/12/2025 तक) में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी सम्मति का उद्योगवार नाम, पता एवं सम्मति जारी दिनांक की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** जी, नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" \]](#)

दुर्ग जिले में लगातार हो रही हत्या की घटनायें

[गृह]

12. (क्र. 189) श्री देवेन्द्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिले में वर्ष 2024 से 25.11.2025 तक कितनी हत्या की घटनायें हुई हैं? विवरण देवे। **(ख)** दुर्ग जिले अंतर्गत किन-किन स्थानों में हत्या की घटना घटित हुई, जानकारी देवे? **(ग)** उक्त प्रकरणों में हत्याओं का क्या कारण सामने आ रहा है, कितने प्रकरणों में गिरफ्तारियां की गयी हैं एवं कितने फरार हैं, जानकारी दीजिए।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले में हत्या के कुल-111 प्रकरण दर्ज किये गये है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। प्रश्नांश अवधि में 104 प्रकरणों में गिरफ्तारियां की गई हैं तथा 01 प्रकरण में 01 आरोपी फरार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

शासकीय विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजनांतर्गत वितरित साइकिलें

[स्कूल शिक्षा]

13. (क्र. 195) श्री रिकेश सेन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य के शासकीय विद्यालयों में सरस्वती सायकल योजना के तहत वितरित की जाने वाली साइकिल खराब स्तर की होने की शिकायतें प्राप्त हुई है? **(ख)** यदि हां, तो क्या अच्छी साइकिल (गुणवत्ता युक्त) प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ।

ग्राम पंचायत जोगीपुर के हितग्राहियों के स्वीकृत आवास का हस्तांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. (क्र. 214) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बिलासपुर के कोटा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीपुर में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक में 25.11.2025 कुल कितने प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई है? कितने आवास पूर्ण प्रगतिरत एवं अप्रारंभ हैं? (ख) क्या ग्राम पंचायत जोगीपुर के हितग्राहियों के स्वीकृत आवास ग्राम पंचायत करका के आश्रित ग्राम जोगीपुर में हस्तांतरित हो गये हैं? अगर हाँ तो कुल कितने हितग्राही के आवास हस्तांतरित हुये हैं? स्वीकृत आवास योजना का वर्ष क्या है? (ग) ग्राम पंचायत जोगीपुर के हितग्राहियों के हस्तांतरित आवास के वापसी हेतु जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला बिलासपुर के कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत जोगीपुर में वर्ष 2022-23 से 2025-26 में दिनांक 25.11.2025 तक कुल 156 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें से 90 पूर्ण, 44 प्रगतिरत एवं 22 अप्रारंभ आवास है। (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ग) प्रश्न ही उदभूत नहीं होता।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन विद्यालयों हेतु नवीन भवनों की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 413) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन से विद्यालय भवन विहीन हैं? कृपया ग्रामवार जानकारी दें। भवन विहीन विद्यालयों की वर्ष 2023 से 25.11.2025 तक दर्ज संख्या की भी जानकारी दें। (ख) भवन विहीन विद्यालयों के लिए नवीन भवन को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन विद्यालय की जानकारी एवं भवन विहीन विद्यालयों की वर्ष 2023 से 25.11.2025 तक दर्ज संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	भवन विहीन विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		
			2023-24	2024-25	2025-26
1	थनौद	शास.पू.मा.शा. थनौद	85	75	84
2	नवापारा	शा.प्रा.शा. बढईपारा नवापारा	201	203	158

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण एवं संरक्षण संबंधी नियमों की अवहेलना

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (क्र. 419) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में उद्योगों के द्वारा वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट संबंधी क्या-क्या नियम प्रचलन में हैं? (ख) दिनांक 25.11.2025 तक धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा कितने-कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार किन-किन उद्योगों के विरुद्ध वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? (घ) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या उद्योगों के द्वारा एक बार वृक्षारोपण कर

दिये जाने के बाद रोपित वृक्षों के देखभाल एवं संरक्षण संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है, यदि हां तो क्या और किन उद्योगों के विरुद्ध?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी सम्मति में वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कुल क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग में वृक्षारोपण करने तथा क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (सिलतरा एवं रायपुर) में आने वाले नवीन/क्षमता विस्तार के उद्योगों को कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत भाग में वृक्षारोपण करने की शर्त निहित की जाती है। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण की पूर्ति हेतु उद्योग परिसर के बाहर वृक्षारोपण किया जाता है। (ख) विधानसभा धरसीवा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से स्पंज आयरन संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, इण्डक्शन फर्नेश, रोलिंग मिल आदि उद्योग संचालित हैं। उक्त वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा नियमानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। उद्योगों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित उद्योगों के विरुद्ध वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में विभाग को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

मंत्रियों को एक से अधिक शासकीय आवास का आवंटन

[गृह]

17. (क्र. 428) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार के कुछ सेवारत मंत्रियों को नियमों के विरुद्ध जाकर एक से अधिक शासकीय बंगले (आवास) आवंटित किए गए हैं अथवा मंत्रियों द्वारा एक से अधिक शासकीय बंगले का उपयोग में लिया जा रहा है ? (ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन नियमों या विशेष प्रावधानों के तहत दूसरा बंगला आवंटित किया गया है? (ग) मंत्रियों और अन्य पात्र व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के मौजूदा नियम/दिशा-निर्देश क्या हैं? (घ) इन अतिरिक्त आवासों के रखरखाव, सुरक्षा, बिजली और जल शुल्क सहित अन्य संबंधित खर्चों पर सरकार प्रति माह/वर्ष कितनी राशि व्यय कर रही है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। शेषांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "(क)" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) माननीय मंत्रियों के लिए "छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972" की धारा 5(1) के अंतर्गत किराया-मुक्त सुसज्जित शासकीय आवास आवंटन हेतु दिशा-निर्देश अनुसार तथा अन्य पात्र व्यक्तियों हेतु "छत्तीसगढ़ शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000" में निहित प्रावधान अंतर्गत आवंटित किया जाता है। (घ) प्रश्नांश "(क)" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के सरलीकरण बाबत

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. (क्र. 438) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राही के पास न्यूनतम 270 वर्ग फुट जमीन होना आवश्यक है? यदि हां, तो ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास इससे भी कम जमीन है, क्या इस योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए निर्धारित मात्रा से कम जमीन वाले गरीब परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक लाभ दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कॉरपेट क्षेत्र का आवास निर्माण किया जाना अनिवार्य है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर भवन अनुज्ञा हेतु जारी नियमों के अधीन 30 वर्ग मीटर कॉरपेट क्षेत्र के आवास के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि का आधिपत्य हितग्राही के पास होना अनिवार्य है। योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के उपरोक्त प्रावधान में संशोधन किये जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राही के पास न्यूनतम 270 वर्गफुट जमीन होने संबंध कोई अनिवार्यता नहीं है। शेष प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में उद्भूत नहीं होता।

शैक्षणिक जिला सक्ती में लिपिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति एवं पदांकन में गड़बड़ी की जांच

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 453) श्री बालेश्वर साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती द्वारा भृत्य से सहायक ग्रेड -03 और सहायक ग्रेड -03 से सहायक ग्रेड -02 के पदों पर कितने कर्मचारियों को पदोन्नति देकर बिना काऊंसलिंग के पदस्थापना दे दी गई है कृपया, पदवार संख्यात्मक जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार की गई पदोन्नति एवं पदस्थापना में गड़बड़ी को लेकर कब - कब शिकायत प्राप्त हुई हैं और इसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है कृपया, जानकारी दें? **(ग)** क्या राज्य शासन द्वारा भर्ती के अंतर्गत पदस्थापना के लिए काऊंसलिंग कराने का सामान्य निर्देश पहले से ही दे दिया गया है, कृपया, जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांक "क" ख" और "ग" के अनुसार क्या शासन प्रकरण की समय-सीमा में जांच कराकर काऊंसलिंग से पदस्थापना कराएगी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती द्वारा भृत्य से सहायक ग्रेड-03 से 28 एवं सहायक ग्रेड-03 से सहायक ग्रेड-02 में 33 कर्मचारियों को पदोन्नति देकर पदस्थापना दिया गया है। राज्य स्तर से लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति में काऊंसलिंग के लिए पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। **(ख)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आर. के. एम. कंपनी के द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (क्र. 455) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सच है कि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आर. के. एम. कंपनी द्वारा बिना अनुमति के खसरा नंबर 5759/10 पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राखड़ डंपिंग की कार्यवाही की जा रही है? कृपया जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अवैध डंपिंग एवं पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कृपया जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क" के अनुसार नियमों के उल्लंघन की समय-सीमा में जांच कर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम- जैजैपुर, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के स्थल खसरा नं. 5759/10 पर अवैध राखड़ डंप किये जाने संबंधित मामला, दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 10/11/2025 को प्रकाशित लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में आया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 12/11/2025 को उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त स्थल पर अवैध राखड़ अपवहन किया जाना पाया गया। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अवैध डंपिंग एवं पर्यावरण

नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 03/12/2025 को उद्योग पर राशि रूपये 20,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 12/11/2025 से डंप किये गए फ्लाई ऐश के उठाव के पुष्टि दिनांक तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्नांश 'ग' उपस्थित नहीं होता है।

श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में पलायन रोकने हेतु कृत कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. (क्र. 457) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023 से 25 नवंबर 2025 तक जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत स्थानीय श्रमिकों के अन्य राज्यों में पलायन करने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं? ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? श्रमिकों के पलायन की जानकारी किस माध्यम से एकत्र की जाती है तथा इसके मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? (ख) श्रमिकों के पलायन करने के क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिए शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जाती है? मनरेगा के अलावा छ.ग. शासन ने पलायन रोकने तथा उन्हें रोजगार देने के लिए कोई योजना बनाई हो तो अवगत करावें? (ग) क्या प्रदेश में स्थापित उद्योगों में केवल स्थानीय बेरोजगारों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने पर शासन विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं (ख) की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। (ग) प्रदेश में स्थापित उद्योगों में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रावधान किये गये हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों/श्रमिकों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

प्रदेश के स्कूलों/कॉलेजों में भवन की अनुपलब्धता

[स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 480) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय हैं, जिनके अपने स्वयं का भवन नहीं है या जो किराये में संचालित है? (ख) राजधानी रायपुर में ऐसे कितने स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय संचालित हैं, जो भवन-विहीन है, किराये के भवन में या फिर एक ही भवन में एक पाली में स्कूल एवं एक पाली में कॉलेज इस प्रकार संचालित हो रहे हैं, तथा क्यों कृपया जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	स्वयं का भवन नहीं है	किराये में संचालित
1	स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/ शासकीय कार्यालय	17925	9321

(ख) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	भवन-विहीन	किराये भवन में संचालित	एक ही भवन में एक पाली में स्कूल एवं एक पाली में कॉलेज संचालित
1	स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी/शासकीय कार्यालय	514	526	6

उपरोक्त संस्थाओं का स्वयं का भवन नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य संस्थाओं में सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है।

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा के कार्यों का लंबित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. (क्र. 485) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने स्वीकृत मनरेगा कार्य पूर्ण/अपूर्ण है कितने कार्यों का मजदूरी भुगतान लंबित है तथा कब तक भुगतान किया जावेगा? जानकारी प्रदान की जाए ? **(ख)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के कितने पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृति नहीं मिली है? कृपया वर्ष 2023 से 2025 तक स्वीकृत आवासों की संख्या, पूर्ण एवं अपूर्ण आवास, निर्माण में विलंब के कारण तथा निधि जारी करने की वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराई जाए ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1204 कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें से 666 पूर्ण एवं 538 अपूर्ण हैं तथा वर्ष 2024-25 में 916 कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें से 234 पूर्ण एवं 682 अपूर्ण हैं। सभी कार्यों में मजदूरी भुगतान पूर्ण कर लिया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के 486 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृति नहीं मिली है। वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक कुल 16,965 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से 9,696 पूर्ण एवं 7,269 अपूर्ण हैं। हितग्राहियों के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आवास का निर्माण कराया जा रहा है। आवासों की प्रगति के आधार पर निरंतर राशि जारी की जा रही है।

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. (क्र. 490) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने कार्य सामग्री एवं मजदूरी घटक में स्वीकृत किये गये थे तथा इन कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? **(ख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद पंचायत सारंगढ़ एवं बरमकेला में कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? ग्रामवार कार्यों की सूची उपलब्ध कराये? कृपया जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1088 कार्य सामग्री एवं मजदूरी घटक में स्वीकृत किये गए, जिसमें से 577 कार्य पूर्ण और 511 कार्य अपूर्ण हैं। **(ख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद पंचायत-सारंगढ़ में राशि रु. 7.92 करोड़ के 174 कार्य एवं जनपद पंचायत-बरमकेला में राशि रु. 4.92 करोड़ के 123 कार्य स्वीकृत किये गए हैं। ग्रामवार कार्यों की सूची "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (क्र. 491) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कितने और किस प्रकार के पौधे जनवरी, 2024 से दिनांक 24/11/2025

तक लगाये गये हैं ? उनमें से कितने प्रतिशत पौधे अभी तक जीवित हैं ? **(ख)** टूठ और जाली की कितनी जगहों पर व्यवस्था की गयी है तथा इन टूठ और जाली पर कितना खर्च किया गया है ? **(ग)** पेड़ों की अवैध कटाई कहाँ-कहाँ हुई है तथा कितने मामले अवैध कटाई के दर्ज किये गए हैं ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जनवरी, 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक 40 हजार 970 पौधों का रोपण किया गया है जिसमें सागौन, आंवला, अर्जुन, हर्रा, बहेड़ा, खम्हार, महुआ, जामुन, बेल, सीरस, काला सीरस, कोसम, करंज एवं नीम प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। उक्त रोपित पौधों में से 100 प्रतिशत पौधे जीवित है। **(ख)** किसी भी स्थल पर टूठ का उपयोग नहीं किया गया है। कुल 08 स्थल - खैरट, बेहराबहाल, बोरिद, भकुर्रा-अ, भकुर्रा-ब, सहसपानी-ब, सहसपानी-स एवं सहसपानी-द में आर.सी.सी. पोल एवं जाली का उपयोग किया गया है जिस पर कुल रू. 61 लाख 57 हजार 611 रू. खर्च किया गया है। **(ग)** अवैध कटाई की स्थलवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है** तथा प्रश्रांकित अवधि में अवैध कटाई के कुल 1229 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

पुरूंगा भूमिगत कोयला खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु शासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

26. (क्र. 495) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पुरूंगा भूमिगत कोयला खदान कब स्वीकृत हुई है ? कितनी हेक्टेयर वन भूमि इससे प्रभावित हो रही है ? शासन द्वारा प्रस्ताव कब प्रेषित किया गया है ? जानकारी दें ? **(ख)** क्या ग्रामीणजनों के विरोध के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के द्वारा पत्र दिनांक 08.07.2024 के द्वारा ग्राम कोकडार, समरसिंधा, पुरूंगा तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ स्थित कोल ब्लॉक "पुरूंगा" के कुल रकबा 869.025 हे. क्षेत्र पर खनिज कोयला का पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सह खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। इस खदान हेतु 621.331 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** पुरूंगा भूमिगत कोयला खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

जिला-मुंगेली अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की प्रावधानित राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. (क्र. 497) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला-मुंगेली अंतर्गत कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? कितने कार्य हेतु कुल कितनी राशि के कार्य किन-किन जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्रांक " क " अनुसार विधायक मुंगेली द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्षों में उक्त योजना में कुल कितनी राशि का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा गया ? कुल कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य शेष हैं जिनकी स्वीकृति दिया जाना अपेक्षित है ? समयावधि बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला मुंगेली अंतर्गत 389 कार्य हेतु कुल राशि रूपए 1378.46 लाख का अनुशांसा आदेश प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है। अनुशांसित कार्यों की विधानसभावार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब" अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार विधायक मुंगेली द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि रूपए 96.00 लाख का प्रस्ताव पंचायत संचालनालय को प्राप्त हुआ है। बजट उपलब्धता अनुसार कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। कार्यों की स्वीकृति हेतु समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

28. (क्र. 498) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2011 की सर्वे सूची अनुसार विगत दो वर्षों में कुल कितने आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई? प्रत्येक आवास के निर्माण में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? राज्यांश एवं केन्द्रांश के अनुपात में दी जाने वाली राशि की भी जानकारी दें ? उपरोक्त स्वीकृत आवासों में कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संबंध में कितने हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि दिनांक 24/11/2025 तक प्रदान की गई ? (ग) क्या 2011 की सर्वे सूची में ऐसे हितग्राही, जिनका नाम उक्त सूची में शामिल नहीं है, को पुनः शामिल किये जाने हेतु सर्वे किया गया? यदि हां, तो कितने हितग्राही भवनविहीन पाये गये एवं उन्हें आवास कब तक उपलब्ध कराया जावेगा ? जिलेवार समयावधि बतावें? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एक मांग आधारित योजना है, जिसमें सर्वे का प्रावधान नहीं है। अतः जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2011 की सर्वे सूची अनुसार विगत दो वर्षों में कुल 5,82,168 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक आवास में राशि रू. 1.20 लाख सहायता अनुदान तथा अभिसरण के तहत महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिवस का मजदूरी राशि एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हेतु राशि रू. 12,000/- हितग्राही को प्रदाय की जाती है। प्रत्येक आवास में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का अनुपात 60:40 है। उक्त स्वीकृत आवासों में से 3,81,886 आवास पूर्ण एवं 2,00,282 आवास अपूर्ण है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी:- प्रश्न उदभूत नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिनांक 24.11.2025 तक 5,57,080 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 4,67,801 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त एवं 2,65,878 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि प्रदान की गई है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी:- प्रश्न उदभूत नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:- जी हां। उक्त सर्वे में भवनविहीन हितग्राहियों का उल्लेख नहीं है, अपितु सर्वे में भूमिहीन हितग्राहियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। पात्र हितग्राहियों के आवासों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

यात्री बसों के संचालन हेतु जारी परमिट संबंधी

[परिवहन]

29. (क्र. 502) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में निजी यात्री बसों के संचालन हेतु परमिट देने के लिए एक ही स्थान से दो यात्री बसों के मध्य न्यूनतम कितना

समय अंतराल रहता है और इसके क्या नियम हैं ? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में एक ही स्थान एवं एक ही समय पर दो यात्री बसों को एक साथ परमिट जारी करने एवं क्रॉसिंग टाइम परमिट जारी करने के कारण वाहनों के बीच गति की प्रतियोगिता एवं आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है? **(ग)** कंडिका "क" के तहत विगत दो वर्षों में कुल जारी परमितों में कितने परमितों को क्रॉसिंग टाइम परमिट एवं सेम टाइम परमिट जारी किया गया है ? वर्षवार विवरण देवें? क्या क्रॉसिंग टाइम एवं सेम टाइम परमिट जारी करने का नियम है ? यदि विस्तृत विवरण देवें? **(घ)** बस दुर्घटना को रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रावधान हैं? विस्तृत विवरण देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** राज्य में निजी यात्री बसों के संचालन हेतु परमिट देने के लिए एक ही स्थान से दो यात्री बसों के मध्य न्यूनतम समय अंतराल निर्धारित नहीं है। निजी बसों के संचालन हेतु परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-71, 72 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70**(ख)** में दिये गये उपबंधों के तहत जारी किया जाता है। **(ख)** यह कहना सही नहीं है कि एक ही स्थान एवं एक ही समय पर यात्री बसों को परमिट जारी करने एवं क्रॉसिंग टाइम समान होने के कारण ही गति प्रतियोगिता एवं आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह कहना भी सही नहीं है कि उपरोक्त के कारण ही दुर्घटना की आशंका रहती है। **(ग)** कंडिका "क" के तहत विगत दो वर्षों में जारी कुल 707 परमितों में से वर्ष 2024 में 13 एवं वर्ष 2025 में 20 परमितों को क्रॉसिंग टाइम जारी किया गया है। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। मोटरयान अधिनियम 1988 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप ही परमिट जारी किया जाता है। यात्री वाहनों के लिए साधारण, एक्सप्रेस, डीलक्स एवं वातानुकूलित श्रेणी के अलग-अलग परमिट जारी किये जाते हैं। राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा 5 हजार से अधिक परमिट जारी किये गए हैं। अतः यह संभव है कि कुछ यात्री वाहनों में क्रॉसिंग समय में समानता हो। **(घ)** मोटरयान अधिनियम 1988 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में बस दुर्घटना को रोकने संबंधी प्रावधान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में अनियमिता की प्राप्त शिकायतें

[ग्रामोद्योग]

30. (क्र. 506) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को कृषि विकास एवं किसान कल्याण, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभागों से किन-किन सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश कब-कब प्राप्त हुए हैं? विभागवार एवं राशिवार जानकारी देवें? **(ख)** बोर्ड द्वारा प्रश्नांश 'क' अनुसार इन सामग्रियों की आपूर्ति किस प्रकार से कराई गई ? क्या- छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों? आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान कब-कब व कितना-कितना किसके द्वारा व किन-किन फर्मों/संस्था को किया गया है? तिथिवार, सामग्रीवार, आपूर्ति मात्रावार, दर एवं कुल राशिवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत किन-किन आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को किस आधार पर, कब से, कितनी अवधि के लिए एवं किन-किन सामग्री आपूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया है तथा इन फर्मों की उत्पादन क्षमता एवं इनका अपनी किन-किन मुख्य गतिविधियों से कितना वार्षिक टर्न ओवर (वार्षिक राजस्व/आय) है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** व **(ग)** अनुसार सामग्री आपूर्ति/फर्म/भुगतान के संबंध में प्रश्नांश **(क)** अवधि में क्या-क्या शिकायत, किस-किस के द्वारा, कब-कब की गई है तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति बोर्ड उत्पादित वस्त्रों एवं बोर्ड से पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से की गई है। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को बोर्ड अधिनियम के धारा 9 के बिन्दु 'क' के तहत संचालक मंडल द्वारा पारित निर्णय अनुसार निर्धारित पंजीयन दिशानिर्देश के आधार पर पंजीकृत किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को भुगतान के संबंध में शिकायत की जानकारी निरंक है।

युक्ति युक्त करण में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

31. (क्र. 509) श्री सुशांत शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2025 में विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के युक्ति युक्त करण हेतु शिक्षकों के अतिशेष घोषित करने के क्या मापदंड / नियम थे हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या निर्धारित करने हेतु विद्यालय की दर्जा संख्या को आधार बनाया गया था? यदि हाँ तो दर्जा संख्या की गणना हेतु यू डाइस में उल्लेखित दर्ज संख्या तथा मध्याह्न भोजन हेतु उल्लेखित दर्ज संख्या में किसे आधार माना गया? दोनों दर्ज संख्या में भिन्नता होने की स्थिति क्यों निर्मित हुई? इस हेतु कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्नांश "क" के युक्ति युक्त करण के अंतर्गत किये गये स्थानांतरण के विरुद्ध कितने प्रकरण लंबित हैं तथा उनका निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश "क" के युक्ति युक्त करण में शिक्षकों को निर्धारित मापदण्ड / नियमों के विपरीत अतिशेष घोषित कर अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी? यदि हाँ तो नियम विरुद्ध अतिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थापना करने हेतु कौन जिम्मेदार है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) शाला में सेटअप 2008 के अनुसार पद स्वीकृत किये गये हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, जो 01 अप्रैल 2010 से लागू है, के अनुसार की गई है। शिक्षकों की संख्या का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश "क" के युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत किये गये स्थानांतरण के विरुद्ध 125 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें 3 न्यायालयीन प्रकरण है। शेष प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। 01 प्रधान पाठक एवं 03 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

केंद्रीय जेल बिलासपुर हेतु भवन निर्माण की अनुमानित लागत

[जेल]

32. (क्र. 510) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या केंद्रीय जेल, बिलासपुर हेतु अतिरिक्त भवन एवं नवीन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां तो निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई? स्वीकृति के समय निर्माण की अनुमानित लागत कितनी थी? निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाना था? (ख) प्रश्नांश "क" के निर्माण हेतु कितनी भूमि कहां आबंटित की गई थी? खसरा रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) कार्य हेतु अब तक कितनी बार उक्त निविदा आमंत्रित की गई हैं? बार-बार निविदा आमंत्रित किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इस मामले की जांच हेतु कमेटी का

गठन किया गया है? यदि हाँ तो कौन-कौन सदस्य हैं? नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या प्रश्नांश "क" के निर्माण के विलंब के कारण पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन में बढ़ोतरी की गई है? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? इस हेतु कौन जिम्मेदार है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक-एफ-1-17/तीन-जेल/2018, दिनांक 23/07/2021 द्वारा राशि रू. 12650.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति की सहमति प्रदान की गयी। निविदा की अनुमानित लागत राशि 11670.27 लाख है, अनुबंध दिनांक से 36 माह में कार्य पूर्ण किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित निर्माण हेतु ग्राम-बैमा प0ह0न0-26 रा0नि0मं0 बिलासपुर खसरा नं.-964 एवं 1048 रकबा 50.00 एकड़ भूमि आबंटित की गयी है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

मस्तूरी वि.ख. अंतर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

[सहकारिता]

33. (क्र. 514) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 में मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी प्रक्रिया की पूरी जवाबदेही किस तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी पर थी? उनका नाम, पद, पदस्थापना अवधि तथा कार्यक्षेत्र क्या था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में पाए गए शॉर्टेज की जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा अपने उच्च अधिकारी को समय-समय पर दी गई थी या नहीं? यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की? **(ग)** क्या शासन उक्त अनियमितता की जांच हेतु किसी विभागीय जांच, हेतु विशिष्ट टीम गठित की है? यदि हाँ, तो उसकी प्रगति क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वर्ष 2023-24 में मस्तूरी विकासखण्ड अंतर्गत धान खरीदी प्रक्रिया के पर्यवेक्षण/निरीक्षण की जिम्मेदारी तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, श्रीमती गोधली वर्मा की थी। श्रीमती गोधली वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर दिनांक 21/02/2023 से मस्तूरी विकासखण्ड कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में पाए गए शॉर्टेज की जानकारी अपने उच्च अधिकारी को नहीं दी गई थी, अपितु अंतिम लेखा मिलान पश्चात वास्तविक शॉर्टेज के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही **प्रपत्र** में **संलग्न** है। **(ग)** उक्त अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में, अंतिम लेखा मिलान उपरांत धान में हुई शॉर्टेज के लिए संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के साथ-साथ समिति स्तर के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **प्रपत्र** में **संलग्न** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता

[स्कूल शिक्षा]

34. (क्र. 518) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि वर्तमान शिक्षा सत्र में प्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत (कक्षा 1-8 तक के) सभी विद्यार्थियों को, सभी विषयों की, पाठ्यपुस्तकें 25.11.2025 तक प्रदाय नहीं की गई हैं? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं एवं कब तक विद्यार्थियों को, सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें

प्रदाय कर दी जावेगी? विकासखण्डवार अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** नवम्बर, 2025 की स्थिति में कितने विकासखण्डों से पाठ्यपुस्तक की मांग प्राप्त हुई है? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी, नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** निरंक।

जिला जांजगीर-चांपा में चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही

[गृह]

35. (क्र. 522) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2018 से 2025 तक जिला जांजगीर-चांपा में कितने चिटफंड कंपनियों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? किन-किन कंपनियों के किन-किन व्यक्तियों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया? किन-किन पर कार्यवाही हुई तथा किन व्यक्तियों पर कार्यवाही लंबित हैं ? **(ख)** जिला जांजगीर-चांपा के कितने निवेशकों की राशि वापस मिली तथा कितने निवेशकों की शेष हैं? **(ग)** चिटफंड कंपनियों की तर्ज पर वर्तमान में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर जांजगीर-चांपा जिले में कितनी राशि के ठगी के कितने मामले सामने आए हैं? ठगी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है? **(घ)** चिटफंड/शेयर मार्केट/चेन मार्केटिंग/पोंजी स्कीम में निवेश को रोकने तथा जन जागरूकता के लिए पुलिस विभाग, जिला जांजगीर-चांपा के द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में जिला जांजगीर-चांपा में छः अनियमित वित्तीय (चिटफंड) कंपनियों के विरुद्ध छः प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। जिन कंपनियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा जिन व्यक्तियों पर कार्यवाही किया जाना शेष है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जिला जांजगीर-चांपा के 829 निवेशकों को कुल 51 लाख 38 हजार 150 रूपये वापस मिली है तथा 17 हजार 715 निवेशकों को राशि वितरित किया जाना शेष है। **(ग)** शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर जांजगीर-चांपा जिले में 08 करोड़ 49 हजार 951 रूपयें की ठगी के कुल 07 मामले सामने आये, जिनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन प्रकरणों में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष 05 आरोपियों की पतासाजी जारी है। 03 प्रकरणों में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा 01 प्रकरण में खात्मा चॉक किया गया है। विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(घ)** चिटफंड/शेयर मार्केट/चेन मार्केटिंग/पोंजी स्कीम से बचाव हेतु जांजगीर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों व कम्पनियों के संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है जिससे ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा साईबर वित्तीय अपराध में संलिप्त फर्जी सिम कार्ड विक्रेता (पीओएस) और म्यूल अकाउंट पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। जन-जागरूकता के लिये ऐसे प्रकरणों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को लगातार मैसेज भेजकर सचेत किया जा रहा है। सीटिजन फाईनेन्शियल फ्रॉड रिपोर्टिंग एवं मैनेजमेन्ट सिस्टम के हेल्प लाईन नंबर 1930 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों से बचने के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थानों, हाट-बाजारों एवं मेला-मड़ई में चलित थाना आयोजित कर पॉम्पलेट, बैनर, पोस्टर, वॉलपेन्टिंग इत्यादि माध्यमों से निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला जांजगीर-चांपा में अबतक 55 ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर 20 हजार से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 526) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2024 से 20 नवम्बर, 2025 तक सामान्य दर पर तथा रियायती दरों पर किसको-किसको, किन-किन प्रयोजनों हेतु, कितनी-कितनी भूमि, किन-किन दरों पर आबंटित की गयी? कितने आवेदन पत्र लंबित हैं तथा कितने अस्वीकृत किए गए हैं? आबंटन की शर्तें क्या-क्या है? **(ख)** गोल्फ कोर्स के लिए कब, कितनी भूमि, किस दर पर, किसको तथा किन शर्तों पर आबंटित की गयी थी? **(ग)** आबंटितियों में से कितने के द्वारा विकास तथा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं कितने के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है? **(घ)** क्या वर्तमान में आवास गृह निर्माण के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को भूमि का आबंटन नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो उसका कारण क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है। **(घ)** उपलब्धता के आधार पर आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर विद्यालय भवन

[स्कूल शिक्षा]

37. (क्र. 533) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने विद्यालय भवन जर्जर या मरम्मत योग्य हैं? कृपया विद्यालयवार बताएं? **(ख)** जिन विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं, वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है एवं कहां पर? बताएं? **(ग)** जर्जर विद्यालय भवनों के लिए नवीन भवन निर्माण या अतिरिक्त कक्ष निर्माण का क्या प्रावधान है एवं कब तक? बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम नं. 04 अनुसार है। **(ग)** बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत (PMGSY) योजना के तहत स्वीकृत सड़कें एवं पुल-पुलिया

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. (क्र. 537) श्री संदीप साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अप्रैल 2022 से 30 नवंबर, 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत कितनी सड़कें एवं पुल-पुलिया स्वीकृत की गई हैं? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में स्वीकृत सड़कों एवं पुल-पुलियों में से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है? **(ग)** क्या बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में PMGSY के तहत निर्मित कितनी सड़कों एवं पुल-पुलियों की गुणवत्ता खराब होने या निर्माण के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें मिली हैं? नाम सहित बताएं। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? क्या गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई जांच समिति बनाई गई है? **(ङ)** उक्त अवधि में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु आवंटित बजट और व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में अप्रैल 2022 से 30 नवम्बर, 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निरंक सड़कें एवं 04 पुल पुलिया (वृहद पुल) स्वीकृत की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत सभी पुल-पुलियों में से (वृहद पुल) सभी पूर्ण हो चुकी है। अतएव अपूर्ण होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में PMGSY के तहत निर्मित सड़कों एवं पुल-पुलियों की गुणवत्ता खराब होने या निर्माण के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें मिलने की जानकारी निरंक है। अतएव नाम बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त शिकायतें निरंक है। अतएव विभाग द्वारा कार्यवाही करने एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई जांच समिति बनाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) उक्त अवधि में निरंक सड़कें एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु आबंटित बजट और व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा व रायपुर के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी

[आवास एवं पर्यावरण]

39. (क्र. 538) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा व जिला रायपुर में ऐसी कितनी औद्योगिक इकाईयां हैं, जिन्हें गंभीर रूप से प्रदूषित (लाल श्रेणी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे कहाँ स्थित हैं? (ख) इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन की निगरानी के लिए विभाग द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? (ग) पिछले तीन वर्षों में, विभाग/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितनी औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया गया और उनमें से कितनी इकाईयों को निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते पाया गया? (घ) प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध क्या-क्या दंडात्मक कार्यवाही (जैसे बिजली/पानी कनेक्शन काटना, जुर्माना लगाना या निर्माण कार्य बंद करने का नोटिस) की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में कुल 13 उद्योग एवं जिला रायपुर में कुल 147 उद्योग लाल श्रेणी में वर्गीकृत है, उद्योगों का नाम एवं पता की जानकारी पुस्तकालय में रखें संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) इन औद्योगिक इकाईयों के द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन की निगरानी हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक 06 माह एवं लघु श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक 09 माह में निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिमनी में उत्सर्जन की मोनिटरिंग हेतु लाल श्रेणी के अंतर्गत स्पंज आयरन प्लांट, ताप विद्युत सयंत्र तथा सीमेंट प्लांट में सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सी.ई.एम.एस.) एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मोनिटरिंग हेतु सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) की स्थापना की गई है। (ग) दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.11.2025 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रश्नांश (क) के अंतर्गत लाल श्रेणी के जिला- बलोदाबाजार-भाटापारा एवं जिला रायपुर के सभी उद्योगों का निरीक्षण किया गया। उनमें से जिला- बलोदाबाजार-भाटापारा में कुल 07 उद्योगों तथा जिला रायपुर में कुल 53 उद्योगों में उल्लंघन होना पाया गया है। (घ) जी हाँ। की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखें संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा मालिक मकबूजा के प्राप्त प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

40. (क्र. 541) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2021 से 24.11.2025 तक मालिक मकबूजा के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी दें ? **(ख)** क्या छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मालिक मकबूजा के प्रकरणों पर उचित कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? किन-किन आवेदनों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तथा ऐसे प्रकरणों पर सक्षम अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, की जानकारी ग्रामवार, वनमण्डलवार दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2021 से 24/11/2025 तक मालिक मकबूजा के कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुये है। वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।** **(ख)** छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मालिक मकबूजा के उपरोक्तानुसार प्राप्त 35 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा (45 दिवस) के भीतर कृषक को भुगतान किया गया है, जबकि शेष 34 प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा से अधिक की अवधि में कृषक को भुगतान किया गया है । छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मालिक मकबूजा के प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही काष्ठ के डिपों में प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस में न होने पर आवेदक द्वारा आवेदन तथा अपील किए जाने के प्रावधान है । परन्तु इन सभी 34 प्रकरणों में कृषकों से शिकायत/अपील प्राप्त नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के दायित्व का निर्धारण नहीं हुआ है । तथापि राज्य शासन द्वारा इन प्रकरणों में भुगतान में हुई देरी को देखते हुए मालिक मकबूजा प्रकरणों में भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किए जाएंगे । हितग्राहियों के नाम, पता, भुगतान में लगा समय आदि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा राज्य को प्राप्त राशि का व्यय

[सहकारिता]

41. (क्र. 542) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2021 से 24.11.2025 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी-कितनी, राशि कब-कब प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि का व्यय जिला बलौदा बाजार- भाटापारा अंतर्गत किन-किन कार्यों एवं किन-किन सामग्रियों के क्रय पर और किन-किन स्थानों पर किया गया ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी राशिवार, भुगतानवार, कार्यवार, दिनांकवार, विकासखण्डवार, जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।

विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त नौकरी की शिकायतें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

42. (क्र. 546) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा आधार पर पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी (APO) पदों की जिलेवार वर्तमान संख्या कितनी है? **(ख)** क्या बस्तर, कांकेर एवं धमतरी जिले में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर सेवा प्राप्त करने संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की

जिलेवार संख्या तथा उनका संक्षिप्त विवरण क्या है? (ग) प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु क्या विभाग द्वारा किसी जांच समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? (घ) जांच के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी प्रशासनिक/विभागीय कार्रवाई की गई है? यदि नहीं की गई है, तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा आधार पर 21 जिलों क्रमशः बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागाँव, कोरबा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, नारायणपुर, रायपुर, राजनांदगाँव, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं सूरजपुर में एक-एक संविदा सहायक परियोजना अधिकारी पदस्थ हैं। (ख) जिला-बस्तर एवं कांकेर जिले में पदस्थ संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर सेवा प्राप्त करने संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं। जिला धमतरी में पदस्थ संविदा सहायक परियोजना अधिकारी के विरुद्ध फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कार्यरत होने संबंधी 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ग) जी हाँ। जाँच के निष्कर्ष अनुसार प्राप्त शिकायत का सत्यापन एवं दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी प्रकार का फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज नहीं पाया गया। (घ) जाँच के आधार पर शिकायत को नस्तीबद्ध किया गया है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था

[गृह]

43. (क्र. 548) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में रेत घाट पर पत्रकारों पर हमला तथा धमतरी जिले के रेत घाट क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हथियार से हमला की दोनों घटनाओं में पुलिस द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की वर्तमान स्थिति विवरण क्या है? (ख) आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कौन-कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं? (ग) प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी, नशाखोरी, अवैध रेत परिवहन तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु गृह विभाग द्वारा कौन-सी विशेष कार्ययोजनाएँ, अभियान, पेट्रोलिंग व्यवस्था या निगरानी तंत्र लागू किए गए हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) दिनांक 09.06.2025 को जिला गरियाबंद के राजिम क्षेत्र में रेत घाट पर पत्रकारों पर हमले की घटना के संबंध में थाना राजिम में अपराध क्रमांक 174/25 धारा 296, 115(2), 351 (3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना क्रम में धारा 191(2), 190, भारतीय न्याय संहिता, 2023 जोड़ी गई। घटना में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना पूर्णोपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विधि से संघर्षरत एक बालक के विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र माननीय किशोर न्यायालय गरियाबंद में भी प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.06.2025 को जिला-धमतरी के लीलर रेत खदान में जानलेवा हमला की घटना के संबंध में थाना अर्जुनी में अपराध क्रमांक 88/25 धारा 296, 351(3), 109, 190, 191(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना क्रम में धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं 3(2)(अ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जोड़ी गई। घटना में संलिप्त पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गई। प्रकरण में विवेचना पूर्णोपरान्त उक्त सभी छः आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। (ख) उक्त दोनों प्रकरणों में कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है,

तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गई है। (ग) प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी, नशाखोरी, अवैध रेत परिवहन तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधियों पर सत्त कार्यवाही करने के लिये सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक व जिला बदर की निरंतर कार्यवाही की जा रही है। आदतन अपराधियों को चिन्हांकित कर हिस्ट्रीशीट खोली जाकर उन पर सत्त निगरानी रखी जा रही है। अपराधों के रोकथाम हेतु अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जिला पुलिस समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान कर अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन कार्यवाहियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। चाकूबाजी जैसे अपराधों के रोकथाम हेतु अवैध हथियारों के उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। नशे में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), 1985 एवं स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (पिट एनडीपीएस एक्ट), 1988 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास व कॉउन्सिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित मानस हेल्प लाइन नम्बर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। अवैध रेत परिवहन को रोकने हेतु खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर लगातार चेकिंग व कार्यवाही की जा रही है। अन्य अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षकीय स्टाफ को उनके पद से पृथक करना

[स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 549) श्री दीपेश साह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विगत एक वर्ष में जिला प्रशासन/शासन द्वारा कि आदेश के तहत बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकीय स्टाफ को उनके पद/सेवा से पृथक किया गया है? पृथक किए गए शिक्षकीय स्टाफ की संख्या, पृथक किए जाने के कारण, क्या है? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में उपरोक्त शिक्षकीय स्टाफ का वेतन क्या है? में किस मद से आहरित किया जाता था?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ, विगत एक वर्ष में जिला प्रशासन / शासन द्वारा अपने आदेश के तहत बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकीय स्टाफ को उनके पद/सेवा से पृथक किया गया है। पृथक किए गए शिक्षकीय स्टाफ की संख्या 11 है। कर्मचारियों के परफारमेन्स (गोपनीय प्रतिवेदन) के आधार पर पद/सेवा से पृथक किया गया, यह सतत् प्रक्रिया है। (ख) शिक्षकीय स्टाफ (प्री-प्रायमरी शिक्षिका) का वेतन 20000/- प्रतिमाह एवं 12866/- प्रतिमाह है। जिला खनिज न्यास निधि व अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त मद से आहरित किया जाता था।

बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षकीय स्टाफ को वेतन भुगतान में विलंब

[स्कूल शिक्षा]

45. (क्र. 550) श्री दीपेश साह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बेमेतरा अंतर्गत स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में कार्यरत संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को विगत दो वर्षों से नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किन-किन महीनों में वेतन भुगतान क्यों नहीं हुआ अथवा विलंब हुआ? विवरण प्रदान करें (ख) वेतन भुगतान में देरी अथवा अनियमितता के लिए कौन-सा अधिकारी/कार्यालय उत्तरदायी है? (ग) क्या शासन द्वारा संविदा पदों पर कार्यरत

अधिकारी/कर्मचारियों को समय-सीमा के भीतर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कोई नियम, दिशा-निर्देश अथवा मापदंड निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) निरंक। (ग) जी हाँ, निर्देश की प्रति संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं हेतु भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

46. (क्र. 553) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित किन-किन शासकीय शालाओं में हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन नहीं है ? विकासखण्डवार शालाओं के नाम सहित जानकारी देवें ? यदि नहीं है तो उन शालाओं में भवन निर्माण कब तक कर लिया जावेगा? (ख) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 24.11.2025 तक कितने प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं कितने हाई स्कूलों में जर्जर भवन, अहाता विहीन, या नवीन शौचालय की आवश्यकता है ? जनवरी, 2025 से दिनांक 24.11.2025 तक कितनों का निर्माण किया गया है? शेष कार्य हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। भवन निर्माण के लिए निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी निम्नानुसार है:-

शाला का स्तर	जर्जर शाला भवन की संख्या	अहाता विहीन के स्थान पर अहाता निर्माण की आवश्यकता वाली शालाओं की संख्या	नवीन शौचालय की आवश्यकता वाली शालाओं की संख्या
प्राथमिक शाला	01	12	41
पूर्व माध्यमिक शाला	01	6	22
हाई स्कूल	01	4	3

जनवरी 2025 से दिनांक 24.11.2025 तक 02 पूर्व माध्यमिक शाला में नवीन शौचालय निर्माण स्वीकृत किया गया है। शेष कार्यों हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

अन्य विभागों में अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. (क्र. 558) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कितने अधिकारी अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों में अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत हैं ? क्या अन्य विभाग में उन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार प्रतिनियुक्ति है ? यदि नहीं तो उनकी नियुक्ति शासन के किस नियम/आधार के तहत की गई है ? क्या इन अधिकारियों की अन्य विभाग में नियुक्ति के लिये भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ? यदि हाँ, तो जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं में स्वीकृत पद

[स्कूल शिक्षा]

48. (क्र. 561) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में संचालित शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? पदवार, संभागवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रदेश में संचालित शालाओं में विषयवार शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या नवीन शिक्षक भर्ती में विषयवार रिक्त पदों में भर्ती की जाएगी? यदि हाँ तो 4 जुलाई, 2023, 11 जुलाई, 2023 को हुए भर्ती एवं पदोन्नति संबंधित राजपत्र में संशोधन किया गया था? जिसे पुनः संशोधित किया गया ? क्या वर्तमान में शिक्षक संवर्ग में जो नवीन भर्ती किया जाना प्रस्तावित है, उक्त भर्ती में वर्ष 2008 पदसंरचना को आधार मानकर भर्ती की जाएगी अथवा दर्ज संख्या के आधार पर की जाएगी जानकारी देवें ? **(ग)** प्रदेश के स्वीकृत पदों में विषयवार पदोन्नति हेतु कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या कुल स्वीकृत पदों के रिक्त पदों में भर्ती एवं पदोन्नति हेतु 50-50 प्रतिशत का नियम है? क्या पूर्व में की गई भर्ती व वर्तमान में की जाने वाली भर्ती के बाद विषयवार पदोन्नति हेतु कुल स्वीकृत पदों के रिक्त का 50 प्रतिशत पद विषयवार पदोन्नति हेतु आरक्षित है? यदि नहीं तो कुल कितने पद आरक्षित हैं? संभागवार जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :**(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। शिक्षक संवर्ग में भर्ती रिक्त पदों के अनुसार की जाएगी। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति हेतु 50-50 प्रतिशत का नियम है। जी हाँ केवल कृषि शिक्षक के पद को छोड़कर। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

पर्यावरण वानिकी से रानी रश्मि देवी, पिपरिया जलाशय छिंदारी में किये गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

49. (क्र. 563) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विधानसभा सत्र जुलाई, 2025 की दिनांक 14 जुलाई, 2025 के संख्या -6 (क्र. 7) में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में रानी रश्मि देवी जलाशय में ईकोटूरिज्म के तहत निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई है ? समस्त निर्माण कार्य विभाग स्तर पर किया गया है ? जानकारी दी गई ? यदि हां तो उक्त जलाशय में ईकोटूरिज्म के तहत क्या-क्या निर्माण कार्य, कब-कब किये गये हैं? निर्माण कार्य हेतु कौन-कौन सी मशीनों का प्रयोग किया गया है? प्रयोग किये गये मशीनों का क्रय विभाग द्वारा कब-कब किया गया ? **(ख)** निर्माण कार्य हेतु बनाये गये एस्टीमेट की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करावें? एस्टीमेट किस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया गया, का पदनाम, दिनांक सहित जानकारी देवें? **(ग)** कार्यो हेतु किए गए समस्त भुगतान का माध्यम दिनांकवार, राशिवार, भुगतानकर्ता के पदनाम सहित जानकारी देवें ? किस-किस एजेंसी का भुगतान कितना-कितना शेष है ? सामग्रीवार, राशिवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां। रानी रश्मि देवी जलाशय में ईकोटूरिज्म के तहत निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। समस्त निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर किया गया है। निर्माण कार्य एवं निर्माण तिथि का विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। निर्माण कार्य में किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया गया है अतः मशीन क्रय करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** निर्माण कार्य हेतु लागू एस्टीमेट की सत्यापित छायाप्रति संलग्न "प्रपत्र-ब" तथा "प्रपत्र-स" अनुसार है। एस्टीमेट तैयार करने वाले

प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम, दिनांक सहित **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग)** कार्यो हेतु किए गए समस्त भुगतान का माध्यम दिनांकवार, राशिवार, भुगतानकर्ता के पदनाम सहित **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-द" अनुसार है।** किसी भी एजेंसी का भुगतान शेष नहीं है, इसलिए सामग्रीवार, राशिवार जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"\]](#)

प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित सर्वे की गाईडलाईन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. (क्र. 565) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अब तक कुल कितनी बार सर्वे किया गया है ? क्या प्रत्येक बार सर्वे की नवीन गाईडलाईन जारी की गई हैं ? सर्वे की गाईडलाईन में क्या-क्या परिवर्तन किन-किन कारणों से किये गये हैं ? **(ख)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आवास योजना अंतर्गत विगत 02 वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं उनमें की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 15 नवम्बर 2024 से राज्य के समस्त नगरीय निकायों में रैपिड असेसमेंट सर्वे (संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण) निरंतर प्रगतिरत है। उपरोक्त रैपिड असेसमेंट सर्वे (संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण) हेतु राज्य शासन द्वारा पत्र क्र. 7540/7241/2024/18 दिनांक 13.11.2024 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये है। आज दिनांक तक रैपिड असेसमेंट सर्वे (संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण) हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अब तक कुल दो बार सर्वे किया गया है। जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आवास प्लस 2.0 सर्वे 2024 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार बहिर्वेशन प्रक्रिया में किये गये संशोधन का विवरण **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आवास योजना में विगत 02 वर्ष (वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25) में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2025-26 में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत मुढ़िया में 01 शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच में शिकायत निराधार पाया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"\]](#)

वन भूमि पर अवैध कटाई व अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

51. (क्र. 567) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डोंगरगढ़ उप वन मंडल बोरतालाब के ग्राम कोटनापानी एवं ग्राम पिटहर के समीप वन विभाग की भूमि पर क्या अतिक्रमण किया गया है ? अतिक्रमण की गई वन भूमि में वन विभाग के कितने पेड़ लगे हुए थे एवं कितने पेड़ अतिक्रमणकारियों द्वारा काट दिये गये ? पूर्ण जानकारी देवें ? क्या वन भूमि पर अतिक्रमण हटा दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक हटाया जायेगा ? **(ख)** क्या वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध प्लाटिंग किया गया है ? क्या अवैध प्लाटिंग की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? कितने मामले अवैध प्लाटिंग के दर्ज है ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? पूर्ण जानकारी देवें ? **(ग)** क्या राजनांदगाँव व खैरागढ़ के वनों में अवैध कटाई की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ तो वर्ष 2023 से दिनांक 24.11.2025 तक कितनी एवं

कौन-कौन सी प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटाई की गई है ? संख्यावार, प्रजातिवार एवं वर्षवार पूर्ण जानकारी दें ? क्या विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत उप वन मंडल डोंगरगढ़, वन परिक्षेत्र दक्षिण बोरतालाब के ग्राम कोटनापानी एवं ग्राम पिटहर के समीप उप परिक्षेत्र अण्डी, परिसर अण्डी अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 462 में लगभग 10 हेक्टेयर वनभूमि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको अतिक्रमण से मुक्त किया गया। उक्त वन क्षेत्र में 2361 पेड़ प्राकृतिक रूप से लगे हुए थे। अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से 296 नग वृक्षों की कटाई की गई थी, जिसमें अज्ञात वन अपराध प्रकरण दर्ज कर पी.ओ.आर. क्रं. 178/4441 दिनांक 31.05.2025 पंजीबद्ध किया गया एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है। वर्तमान में उक्त वन भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। (ख) वनभूमि पर अतिक्रमण कर अवैध प्लाटिंग नहीं किया गया है और अवैध प्लाटिंग की किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) हाँ। राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के वनों में अवैध कटाई की 08 शिकायतें प्राप्त हुई है। वर्ष 2023 से दिनांक 24/11/2025 तक इन शिकायतों की जांच में कुल 91 पेड़ों की अवैध कटाई पाई गई, जिनमें सागौन मिश्रित तथा अन्य प्रजाति के पेड़ सम्मिलित है। राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमंडल में उक्त शिकायतों के विरुद्ध प्रश्नाधीन अवधि में अवैध रूप से कटे वृक्षों की वर्षवार, प्रजातिवार एवं संख्यावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वनमंडल	वर्ष	कटे वृक्षों की संख्या	प्रजाति
1	2	3	4	5
1	खैरागढ़	2023	13	सागौन एवं अन्य
2	खैरागढ़	2023	13	सागौन एवं मिश्रित
3	खैरागढ़	2024	निरंक	निरंक
4	खैरागढ़	2024	65	सागौन एवं अन्य मिश्रित
5	राजनांदगांव	2025	निरंक	निरंक
6	राजनांदगांव	2025	निरंक	निरंक
7	राजनांदगांव	2025	निरंक	निरंक
8	राजनांदगांव	2025	निरंक	निरंक
योग			91	

राजनांदगांव जिले में ग्राम-भानपुरी से आलीवारा तक की सड़क मरम्मत

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

52. (क्र. 571) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में रेल्वे ओव्हर ब्रिज लेबल क्रॉसिंग नं. 468 के निर्माण से भारी वाहनों के द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन/आवागमन से ग्राम भानपुरी से आलीवारा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कलेक्टर, राजनांदगांव एवं ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा मरम्मत के संबंध में पत्राचार किया गया है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या उक्त सड़क की मरम्मत की जा रही है या कब तक कर ली जावेगी ? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हाँ, सड़क के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कलेक्टर, तथा ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण राजनांदगांव द्वारा रेल्वे विभाग को कई बार पत्राचार किया गया है। रेल्वे विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क में माह जुलाई 2025 में प्रारंभिक मरम्मत कार्य कराया गया है। चौथी रेल्वे

लाइन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् डामरीकरण सतह तक मरम्मत कराया जायेगा। मरम्मत कार्य कब तक कराया जायेगा यह अभी बताया जाना संभव नहीं है।

युक्तियुक्तकरण हेतु प्रदेश के शालाओं एवं शिक्षकों के सेटअप में परिवर्तन

[स्कूल शिक्षा]

53. (क्र. 573) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 328), दिनांक 14 जुलाई, 2025 के प्रश्नांश (ख) के जवाब में बताया गया है कि शालाओं एवं शिक्षकों के लिए वर्ष 2008 में निर्धारित सेटअप में परिवर्तन नहीं किया गया है तो यह बतावें कि वर्ष 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में कितने छात्र संख्या पर कितने-कितने शिक्षकों का प्रावधान था तथा क्या वर्तमान में वर्ष 2008 का ही सेटअप लागू है? (ख) दिनांक 30 अप्रैल, 2025 की स्थिति में प्रदेश में संचालित समस्त स्तर की शालाओं में समस्त वर्ग के शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त थे तथा दिनांक 20 नवम्बर, 2025 की स्थिति में इन शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है? इस अवधि में कुल कितने शिक्षकों की नई भर्ती की गई है या नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है? जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

54. (क्र. 574) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2025 में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किये गये युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही में प्रदेश के कुल कितने शिक्षक एवं कितनी शालायें प्रभावित हुई हैं? जिलेवार जानकारी देवें ? कितने प्रभावित शिक्षकों के द्वारा तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छ0ग0 में याचिकाएं दायर की गयी है? कितने प्रभावित शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात् नवीन पदांकित शालाओं में अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है? इनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, जानकारी देवें ? (ख) दिनांक 20 नवम्बर, 2025 की स्थिति में प्रदेश में शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या कितनी है? जिलेवार, शालाओं के स्तरवार जानकारी देवें ? (ग) शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध कुल कितने शिक्षकों की नई भर्ती किये जाने की योजना है? क्या इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है? यदि हाँ तो कितने पदों पर किस-किस स्तर के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा भर्ती प्रक्रिया की पूर्णता के लिए निर्धारित समयसीमा क्या है? जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। प्रभावित शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में 1756 याचिका दायर की गई। 487 शिक्षकों द्वारा युक्तियुक्तकरण पश्चात् नवीन पदांकित शालाओं में पदभार ग्रहण नहीं किया। कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गई है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है योजना का भाग नहीं है। भर्ती की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

राजनांदगांव जिले में वृक्षारोपण कार्य में व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

55. (क्र. 581) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत वन विभाग द्वारा विगत 03 सालों में कितने स्थानों में वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? उक्त वृक्षारोपण वर्तमान में किस स्थिति में हैं तथा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी तथा देख-रेख हेतु क्या प्रावधान/मापदण्ड है ? उक्त कार्य में कितना व्यय हुआ है ? वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पूर्व में भी वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति दी गई थी तथा वहाँ पुनः राशि की स्वीकृति की गई है ? वर्षवार, स्थलवार राशि स्वीकृतिवार जानकारी प्रदान करें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** राजनांदगांव जिलांतर्गत विगत 03 सालों में 26 स्थलों में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में उक्त वृक्षारोपण की स्थिति अच्छी है। वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है तथा वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य किया जाता है। उक्त वृक्षारोपण कार्य पर वर्षवार, परिक्षेत्रवार किए गए व्यय की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत जहां पूर्व में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति दी गई थी, उस स्थल पर पुनः राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः जानकारी प्रदान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में संचालित शालाओं में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

56. (क्र. 582) श्री भोलाराम साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या योजनाएं हैं ? **(ग)** प्रश्नांक "क" की शालाओं में नवम्बर, 2025 की स्थिति में कितनी संचालित शालाओं में भवन, बिजली, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध है तथा कितनी शालाएं भवन सुविधाविहीन एवं जर्जर स्थिति में हैं ? यदि भवन जर्जर एवं भवनविहीन हैं तो भवन निर्माण करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती / पदोन्नति से किया जाता है, जोसतत्प्रक्रिया है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। बजट उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

कोंडागांव जिला वन विभाग अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य के प्रस्ताव/आवेदन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

57. (क्र. 586) सुश्री लता उसेंडी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोंडागांव जिले अंतर्गत विगत 5 वर्षों में वन सुरक्षा समितियों को प्रति वर्ष कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गयी हैं एवं उक्त राशि को किन-किन कार्यों में खर्च करने का प्रावधान है? विगत 3 वर्षों में वन प्रबंधन समितियों को कितनी राशि प्रदान की गई एवं वर्तमान में वन प्रबंधन समितियों के खाते में कितनी राशि

उपलब्ध है तथा विगत तीन वर्षों में समितियों के पास उपलब्ध राशि से क्या-क्या कार्य करवाए गए हैं? समितिवार, वर्षवार, कार्यवार एवं भुगतानवार जानकारी देवें? (ग) वन प्रबंधन समिति के द्वारा कराए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है एवं क्या विगत 3 वर्षों में वन प्रबंधन समितियों के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है एवं उनपर क्या कोई कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें? (ड) कोंडागांव जिला अंतर्गत विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा कौन-कौन सी निर्माण सामग्री किन-किन फर्म द्वारा किस दर पर खरीदी गई ? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत केशकाल एवं कोण्डागांव वनमण्डल में विगत 5 वर्षों में समितियों को प्रदाय की गई राशि की जानकारी एवं उक्त राशि से प्रावधानित कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वनमण्डल	विगत 5 वर्ष में समिति को प्रदाय राशि (रू. में)		समितियों में को प्रदाय राशि में से निम्न कार्यों में खर्च करने का प्रावधान है
		वर्ष	राशि	
1	केशकाल	2020-21	3682624.00	समिति को लाभान्वित करने के लिये समिति को प्रदान की गई राशि एवं लाभांश राशि से आयमूलक कार्य, एंटी पाईट एक्टिविटी, वृक्षारोपण क्षेत्र तथा बिगड़े वन सुधार क्षेत्र में सुरक्षा तथा रख-रखाव का कार्य एवं वनों को अग्नि एवं अवैध कटाई से सुरक्षा करना, लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि कार्य कराये जाने का प्रावधान है।
		2021-22	5425158.00	
		2022-23	2388690.00	
		2023-24	निरंक	
		2024-25	निरंक	
योग :-		11496472.00		
2	कोंडागांव	2020-21	654601.00	
		2021-22	7199390.00	
		2022-23	1311368.00	
		2023-24	127421000.00	
		2024-25	38121300.00	
योग :-		174707659.00		
कुल योग :-		186204131.00		

विगत तीन वर्षों में केशकाल वनमण्डल में केवल वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 2388690/- समितियों को प्रदाय किया गया है तथा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में राशि प्रदायित नहीं किया गया है। कोण्डागांव वनमण्डल अन्तर्गत विगत तीन वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कुल राशि रूपये 166853668/- समितियों को प्रदायित किया गया है। वर्तमान में केशकाल वनमण्डल के अन्तर्गत राशि रूपये 35771196/- एवं कोण्डागांव वनमण्डल में राशि रूपये 178021206/- समितियों के खाते में उपलब्ध है। विगत तीन वर्षों में केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत राशि रूपये 12599301/- तथा कोण्डागांव वनमण्डल के अन्तर्गत राशि रूपये 43498887/- व्यय किया गया है जिसका विवरण पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) वन प्रबंधन समितियों के द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा किया जाता है। विगत 3 वर्षों में वन प्रबंधन समितियों के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड) कोण्डागांव जिले अंतर्गत केशकाल/ कोण्डागांव वनमण्डल में विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा खरीदी की गई निर्माण सामग्री, फर्म एवं दर की जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्र बस्तर में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों की मरम्मत में व्यय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. (क्र. 593) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र बस्तर में प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़को का स्वीकृत वर्ष, निर्माण वर्ष कहां से कहां एवं कि0मी0 का विवरण दें? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में विगत 03 वर्षों में किन-किन सड़कों की मरम्मत की गई? खर्च की गई राशि सहित बतावें ? (ग) इस समय कौन-कौन सी सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है व इस हेतु विभाग की कार्ययोजना एवं की जा रही कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" अनुसार है।

महासमुंद जिले में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. (क्र. 597) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 24/11/2025 तक जिला महासमुंद में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्वीकृत किये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश 'क' में स्वीकृत आवासों में से कितने आवासों को प्रथम किस्त जारी की गयी है ? कितने हितग्राही द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए? कितने प्रारंभ नहीं किए गए ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ग) स्वीकृत आवासों में से कितने हितग्राहियों को द्वितीय किस्त जारी की गई है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क), (ख) एवं (ग) की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

60. (क्र. 600) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत ग्रामों में कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय) तथा कौन-कौन सी सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम.एम.जी.एस.वाय) के अंतर्गत आती हैं? पृथक-पृथक नामवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार इनमें से कौन-कौन सी सड़कें खराब एवं जर्जर अवस्था में हैं तथा किन सड़कों की मरम्मत यथाशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता है? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार वर्ष 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक इनमें से कितनी और कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत/संधारण/नवीनीकरण एवं रखरखाव के लिये कब-कब और कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई? सड़क एवं कार्यवार विवरण प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार कोई भी सड़क खराब एवं जर्जर अवस्था में नहीं है, अपितु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 06 तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की 05 सड़कों में मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है। जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) प्रश्नांक "क" अनुसार वर्ष 2024 से दिनांक 24.11.2025 तक

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 04 सड़कों एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 05 सड़कों में मरम्मत (पैच रिपेयर) हेतु कब-कब और कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है की सड़क एवं कार्यवार विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उद्योगों में प्रदूषण मानकों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

61. (क्र. 604) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 31.10.2025 तक पर्यावरण विभाग द्वारा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन फैक्ट्रियों में प्रदूषण मानकों की जांच की गई ? प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? फैक्ट्रीवार की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? **(ख)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृहद/मध्यम श्रेणी एवं लघु श्रेणी के कितने उद्योग स्थापित/ संचालित है? नामवार, पता एवं संचालनकर्ता सहित जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित उद्योगों में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.10.2025 तक की अवधि में की गई जाँच एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृहद/मध्यम श्रेणी एवं लघु श्रेणी के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त कुल 655 उद्योग है। उद्योग का नाम, पता एवं संचालनकर्ता की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब अनुसार** है।

छ.ग. पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को राजस्व एवं वन अभिलेख उपलब्ध कराना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

62. (क्र. 607) श्री जनक ध्रुव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम सभाओं को छत्तीसगढ़ पेसा नियम के नियम 35(1) के तहत पटवारी एवं बीट गार्ड द्वारा गांव की सीमा के भीतर के समस्त राजस्व और वन अभिलेख-नक्शा, खसरा, बी-1 आदि की अद्यतन प्रति, जो कि विभाग को वित्तीय वर्ष शुरू होने के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करवाया जाना था, उपलब्ध करवा दिया गया है? यदि हाँ तो उसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : छ.ग. पेसा नियम 2022 के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के 591 ग्राम सभाओं को छत्तीसगढ़ पेसा नियम के नियम 35(1) के तहत बीट गार्ड द्वारा गांव की सीमा के भीतर वन अभिलेख की अद्यतन प्रति उपलब्ध कराई गई है किन्तु राजस्व अभिलेख की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण ग्राम सभा को उपलब्ध नहीं करायी गई है। शेष जिलों की जानकारी **निरंक** है।

सूरजपुर जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

63. (क्र. 609) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सूरजपुर जिले में कितने प्राइवेट स्कूल कहां-कहां पर संचालित हैं और कहां-कहां? वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में शासन के द्वारा किन-किन स्कूलों को कितनी सहयोग राशि प्रदान की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है, प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में वन विभाग के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

64. (क्र. 613) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कौन-कौन से कार्य किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि के किस-किस स्थान में हुए हैं ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) उपरोक्त कार्यों का भुगतान किस-किस फर्म/एजेंसी को कब-कब एवं कितना-कितना किया गया ? क्या किसी फर्म/लेबर का भुगतान शेष है ? यदि है, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक किए गए कार्यों की मदवार, व्यय राशि की स्थलवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र" अनुसार है।(ख) उपरोक्त कार्यों के अंतर्गत फर्म/एजेंसी को किए गए भुगतान का दिनांकवार, राशिवार विवरण पुस्तकालय रखे "प्रपत्र" अनुसार है । फर्म/लेबर को भुगतान शेष होने का कारण जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।

जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत स्कूलों को प्राप्त एवं व्यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

65. (क्र. 614) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 23 नवम्बर, 2025 तक स्कूल शिक्षा विभाग से किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कृपया शिक्षा विकासखंडवार स्कूलों में खर्च की गई राशि की जानकारी वर्षवार एवं मदवार दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार जर्जर स्कूल भवन व भवनविहीन, प्रयोगशालाविहीन, शौचालयविहीन तथा बाउंड्रीवालविहीन स्कूलों की जानकारी विकासखंडवार पृथक-पृथक दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) जानकारी प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

बिलाईगढ़ एवं पवनी में सहकारिता बैंक के संचालन में देरी से किसानों की समस्याओं का निराकरण
[सहकारिता]

66. (क्र. 618) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या बिलाईगढ़ एवं पवनी में नई सहकारी बैंक स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो स्वीकृति के बाद भी अब तक इन बैंकों का संचालन प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं ? (ख) विभाग द्वारा इन बैंकों को शीघ्र संचालित करने के लिए अब तक कौन-सी ठोस कार्यवाही की गई है ? बैंक संचालन प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलाईगढ़ एवं पवनी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा खोलने की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई है। बैंक में कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृत शाखाओं का प्रारंभ नहीं हो पाने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को शाखा खोलने की निर्धारित समय-सीमा में 01 वर्ष की वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शाखाओं का निर्धारित समय-सीमा में प्रारंभ नहीं हो पाने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा दिनांक 26.11.2024 एवं 11.04.2025 को शाखा खोलने की निर्धारित समय-सीमा में 01 वर्ष की वृद्धि करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को अनुरोध किया गया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अतः बैंक संचालन प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताना वर्तमान में संभव नहीं है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****जेम पोर्टल से सामाग्री की खरीदी**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (क्र. 12) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2023 से 25, नवम्बर, 2025 तक बिलासपुर एवं जीपीएम जिले में जेम पोर्टल से क्या क्या सामाग्री की खरीदी किस दर में खरीदी की गई ? सामाग्री का नाम, मात्रा, राशि एवं एजेसी का विकासखंडवार विवरण क्या है? **(ब)** खरीदी प्रभारी अधिकारी कौन थे? अधिकारी का नाम एवं पदनाम क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जनवरी, 2023 से 25 नवम्बर, 2025 तक बिलासपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में जेम पोर्टल से खरीदी गई सामग्री, खरीदी दर, सामग्री का नाम, मात्रा, राशि एवं एजेसी का विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।**(ख)** खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना से स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (क्र. 37) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना शीर्ष अन्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 25.11.2025 तक पंचायत राज संचालनालय द्वारा कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु 25.11.2025 तक कितनी राशि प्रदाय की गई है? कार्यवार प्रदाय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** स्वीकृत कार्यों की शेष राशि कब तक प्रदाय की जायेगी तथा स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या सभी कार्य प्रारंभ हो गये है? नहीं तो क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 25.11.2025 तक पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये गये कार्य **निरंक** है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय स्कूल भवनों की भौतिक जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 38) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है? संचालित स्कूलों में कितने स्कूल भवन अतिजर्जर एवं मरम्मत योग्य हैं, सूची सहित जानकारी दें? **(ख)** क्या सभी स्कूल शासकीय भवन में संचालित किये जा रहे हैं यदि नहीं तो कितने या निजी व अन्य मकान में संचालित किये जा रहे जानकारी प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 312 प्राथमिक, 149 माध्यमिक, 22 हाई एवं 38 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जी नहीं। 06 शालाएं निजी भवन में संचालित किये जा रहे है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

ऑनलाईन ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं

[गृह]

4. (क्र. 61) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से 2025 तक ऑनलाईन ठगी तथा डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनायें घटित हुई है तथा उसके अंतर्गत कितनी राशि की ठगी की गयी? (ख) उक्त प्रकरणों में कितने ठग गिरोह के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा कितनी राशि इनसे वसूली गयी तथा ठग-गिरोहों द्वारा उपयोग किये कितने बैंक खाता को बंद कराया गया या प्रचलन में हैं? ऐसे कितने बैंक खाते है जिनके विरुद्ध शिकायत दर्ज होने के बाद भी एक से अधिक बार पुनः ठगी की गयी है? (ग) प्रश्नांक "ख" वसूली की गयी राशि में से कितनी-कितनी राशि, किन-किन नियम शर्तों के आधार पर, कब-कब पीड़ितों को वापस की गयी तथा शासन स्तर पर कितनी राशि शेष बची है? (घ) उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिये शासन स्तर पर क्या कार्ययोजना बनायी गयी है और उसके क्रियान्वयन के लिये अब तक क्या-क्या व्यवस्था की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में ऑनलाईन ठगी के 3119 प्रकरण तथा डिजिटल अरेस्ट के 31 प्रकरण दर्ज हुए है तथा 306.43 करोड़ रूपये की राशि ठगी गई है। (ख) 135 गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा 54,20,532/- रूपये की राशि जप्ती/होल्ड की गई तथा ठग गिरोहों द्वारा उपयोग किये गये 1097 बैंक खातों को बंद कराया गया है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जप्त/होल्ड राशि में से 10.39 करोड़ रूपये की राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ितों को वापस करायी गयी है तथा 62.31 करोड़ रूपये की राशि वापसी हेतु प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

डायल 112 आपातकालीन सेवा अंतर्गत संचालित वाहनों की स्थिति एवं निविदा

[गृह]

5. (क्र. 62) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डायल 112 आपातकालीन सेवा हेतु कितने वाहनों की आवश्यकता है? तथा आवश्यकता के अनुरूप विभाग अंतर्गत कितने वाहन उपलब्ध हैं उसकी खरीदी कब-कब की गयी थी एवं उनमें से कौन-कौन से वाहनों का उपयोग किया जा रहा है? (ख) उक्त वाहनो के संचालन हेतु कब-कब, किन-किन नियम-शर्तों पर निविदा जारी की गयी? कितनी बार किन-किन कारणों से निविदा रद्द की गयी? किन-किन कंपनियो ने भाग लिया? जारी निविदा के अनुसार अलग-अलग बतायें? क्या प्रश्नावधि में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां तो किस कंपनी का चयन किया गया और नहीं तो किन कारणों से रोकी गयी है और कब तक कर ली जायेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) डायल-112 योजना (द्वितीय चरण) का राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार 400 वाहन खरीदे गये है। 1. आवश्यकता के अनुरूप उक्त योजनांतर्गत 400 वाहन उपलब्ध है। 2. उक्त वाहनों का क्रय सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2025 तक विभिन्न तिथियों में की गयी है। 3. उक्त सभी वाहनों का उपयोग डायल-112 योजना (द्वितीय चरण) का राज्य के सभी

जिलों में क्रियान्वयन के साथ होगा।(ख) डॉयल-112 योजना (द्वितीय चरण) का राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु तीन (03) बार निविदा जारी की गयी थी। 1. प्रथम बार आईटी स्कोप व फ्लीट स्कोप के संचालन हेतु निविदा दिनांक 12.06.2023 को अपलोड /प्रकाशित किया गया। नियम व शर्तें जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (अ) उक्त आमंत्रित निविदा में कुल तीन कंपनियों क्रमशः M/s TCIL (Lead Bidder) & M/s Samman Foundation (Consortium Member), M/s ZHL (Sole Bidder) एवं M/s VTL (Sole Bidder) ने भाग लिया था। (ब) Pre-Qualification चक्र में पर्याप्त पात्रता के अभाव में निविदा निरस्त किया गया। 2. दूसरी बार आईटी स्कोप व फ्लीट स्कोप के संचालन हेतु निविदा दिनांक 14.03.2024 को Upload किया गया। नियम व शर्तें जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब** अनुसार है। (अ) उक्त आमंत्रित निविदा में कुल 05 कंपनियों ने क्रमशः M/s BVG, M/s CMS, M/s TCIL, M/s VTL एवं M/s ZHL ने भाग लिया था। (ब) उक्त निविदा को शासन के निर्देश के क्रम में निरस्त किया गया। 3. तीसरी बार निविदा फ्लीट स्कोप ऑपरेशन हेतु दिनांक 03.10.2025 को प्रकाशित किया गया था। नियम व शर्तें जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स** अनुसार है। (अ) आमंत्रित निविदा में कुल 02 कंपनियों ने क्रमशः M/s EMRI Green Health Service एवं M/s Deneb And Pollux Pvt. Ltd. ने भाग लिया था। (ब) चयनित बिडर की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल में लगी वाहनों का किराया भुगतान

[गृह]

6. (क्र. 67) श्री चैतराम अटामी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या दन्तेवाड़ा जिला में जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के तहत वाहन आबंटित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या-क्या उक्त वाहनों का बजट नहीं होने के कारण किराया भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो लंबत वाहन किराया का भुगतान कब तक किया जावेगा ? कृपया बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

दन्तेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट में सम्मिलित कार्य

[वित्त]

7. (क्र. 68) श्री चैतराम अटामी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में दन्तेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या-क्या कार्य सम्मिलित किये गये हैं ? **(ख)** कृपया विभागवार जानकारी बतावें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** एवं **(ख)** वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नवीन मद अन्तर्गत दन्तेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिये सम्मिलित किये गये कार्यों की विभागवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

प्रदेश के जर्जर शाला भवनों को तोड़ने की अनुमति

[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 75) श्री राजेश मूणत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि प्रदेश के ऐसे जर्जर शाला भवन, जिनकी मूल्यांकन राशि रुपये 5 लाख से अधिक है, उनकी अनुमति कलेक्टरों की अनुशंसा उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाती है? यदि हाँ, तो दिनांक

25.11.2025 की स्थिति में ऐसे कितने प्रकरण अनुमति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में विचारधीन हैं, इनकी अनुमति कब तक दे दी जायेगी? **(ख)** क्या राज्य शासन द्वारा कलेक्टरों को रुपये 50 लाख के मूल्यांकित जर्जर शाला भवनों को तोड़ने की अनुमति देने अधिकार दिया जाना प्रस्तावित/ विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी हां। दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में 01 प्रकरण कलेक्टर, रायपुर के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

एन.जी.टी. के आदेशानुसार नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार हेतु तैयार कार्य योजना

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 83) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि दिनांक 17 जुलाई 2025 के तारांकित प्रश्न क्रं. 12(क्रं. 129) में यह बताया गया था कि खारून नदी के पास स्थित 75 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु राशि रुपये 81.88 करोड़ रुपये व्यय किया गया है तथा उक्त एस.टी.पी. पूर्ण रूप से क्रियाशील है? हां तो कृपया बतावें कि कैलेंडर वर्ष 2024 तथा कैलेंडर वर्ष 2025 में किस-किस अधिकारी तथा कर्मचारी गणों ने किस-किस तिथि को इसकी जांच की तथा इसे क्रियाशील पाया? विवरण दें। **(ख)** क्या इसके फ्लड जोन में वृक्षारोपण कार्य, भू-जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, एवं न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखे जाने का कार्य किया गया है? यहां से अतिक्रमण हटाये जाने एवं नदियों के पास स्थित उद्योगों के परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु कार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यों का विवरण दें। **(ग)** क्या ऊपर उल्लेखित कार्यों की मानीटरिंग हेतु राज्य स्तरीय रिवर रिजुवेनेशन कमेटी(आर.सी.सी.) द्वारा कोई मानीटरिंग की जा रही है? यदि हां, तो उसकी जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जी हाँ, यह सत्य है कि दिनांक 17 जुलाई 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 12 (क्रमांक 129) में यह बताया गया था कि खारून नदी के पास स्थित 75 एम.एल.डी. क्षमता के घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) हेतु राशि रूपए 81.88 करोड़ व्यय किया गया है तथा उक्त एस.टी.पी. पूर्ण रूप से क्रियाशील है। कैलेंडर वर्ष 2024 तथा कैलेंडर वर्ष 2025 में नवम्बर तक एस.टी.पी. के संचालन के संबंध में की गई जांच की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)**जी हाँ, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा खारून नदी के किनारे अब तक 22.012 हेक्टेयर रकबा में 23,913 नग पौधारोपण किया गया है। साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा खारून नदी एवं उसके सहायक नालों में भू-जल संरक्षण की दृष्टि से 7332 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार खारून नदी में काठाडीह एनीकट के 100 मीटर अपस्ट्रीम से बिरगांव तक पेयजल के लिये जल प्रदाय किया जाता है। इस लम्बाई में खारून नदी में ई-फ्लो बना रहता है। उद्योगों से परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने हेतु उद्योगों का सतत निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाता है तथा निस्सारण की स्थिति पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2024 से नवम्बर 2025 तक निस्सारण की स्थिति पाए जाने के कारण 11 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के अंतर्गत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 7 उद्योगों पर कुल रुपये 8,29,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। **(ग)** जी हाँ, राज्य स्तरीय

रिवर रिजुवेनेशन कमेटी (आर.आर.सी.) द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2025 में दिनांक 23/04/2025 एवं 06/08/2025 को समीक्षा की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस" \]](#)

गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन

[सहकारिता]

10. (क्र. 84) श्री राजेश मूगत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 14.07.2025 के परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 80) में यह बताया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी द्वारा गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की संशोधित आदर्श उपविधि (बायलॉज) का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि हां तो इसे लागू करने में अब क्या प्रक्रिया शेष है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हाँ। गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी की संशोधित आदर्श उपविधियाँ (बायलॉज) लागू कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत आदेश प्रसारित किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नवीन उन्नयित विद्यालयों में भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

11. (क्र. 107) श्री ललित चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन उन्नयन किए गए विद्यालय संचालित हैं ? स्कूलों का उन्नयन कब किया गया ? क्या उन सभी उन्नयन विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है ? यदि हां, तो कितनों में ? यदि नहीं, तो कब तक प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार कितने शासकीय स्कूलों में शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ? इन मूलभूत सुविधाओं को तक उपलब्ध कराया जाएगा ? कितने शासकीय स्कूलों में कंप्यूटर लैब या स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? कितने स्कूलों में खेल के मैदान या खेल उपकरण उपलब्ध नहीं हैं ? जानकारी दें। (ग) प्रश्नांक "ख" अनुसार कितने स्कूल मरम्मत योग्य हैं ? शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, और इन रिक्तियों के विरुद्ध कब तक भर्ती की जायेगी ? जानकारी दें। पिछले तीन वर्षों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए क्या-क्या योजनाएँ चल रही हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) चाही गयी जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम नं. 03 एवं 04 अनुसार है। जी नहीं। भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शासकीय स्कूलों में कम्प्यूटर लैब या स्मार्ट क्लासरूम की जानकारी प्रपत्र के कॉलम नं. 05 एवं 06 अनुसार है। जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) चाही गयी जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम नं. 07 एवं 08 अनुसार है। शिक्षक भर्ती की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पिछले 03 वर्षों में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क सरस्वती सायकल, मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति योजना आदि संचालित की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 108) श्री ललित चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या पिछले दो वर्षों में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र (नपानि रिसाली सहित) के शासकीय विद्यालयों (प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा हायर सेकेंडरी) में चोरी की कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? स्कूलवार वर्षवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार इन चोरी की घटनाओं से सरकारी धन अथवा विद्यालयीन संपत्ति को कुल कितना वित्तीय नुकसान हुआ? कुल कितनी शिकायतों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई तथा कितनी शिकायतें लंबित हैं? स्कूलवार, वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या राज्य शासन ने विद्यालयों में हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कोई स्थायी निगरानी समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो समिति के सदस्यों की जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्या शासन निकट भविष्य में ऐसी कोई समिति गठित कर सभी विद्यालयों की नियमित निगरानी तथा चोरी की घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 02,03 एवं 04 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 05,06,07 एवं 08 अनुसार है। (ग) जी नहीं। निगरानी समिति गठन की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

रायगढ़ जिला अंतर्गत हाथी विचरण की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

13. (क्र. 126) श्री उमेश पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़ जिलांतर्गत वर्ष 2025-26 में 25.11.2025 की स्थिति में किन-किन वनमण्डलों में कब-कब और कितने-कितने हाथियों का दल विचरण किया है? यह भी बतावें कि हाथियों द्वारा कितने एकड़ फसल को रौंदा गया है। रेंजवार जानकारी दें। (ख) क्या नुकसान हुए फसल का मुआवजा विभाग द्वारा प्रदान किया जा चुका है ? यदि हां तो कितना मुआवजा प्रदाय किया गया है रेंजवार जानकारी दें। यदि नहीं तो कब तक मुआवजा प्रदाय कर दिया जाएगा? (ग) यह भी बताएं कि हाथियों के झुण्ड से फसल की हानि ना हो, इसके लिए क्या-क्या उपाय किये गए हैं? क्या किये गये उपाय पर्याप्त है ? भविष्य में फसल हानि की स्थिति ना आए इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी, हाँ, रायगढ़ जिला अंतर्गत प्रश्नावधि में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल में हाथियों का विचरण हुआ है। हाथियों द्वारा रायगढ़ वनमण्डल में 126.479 एकड़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल में 670.590 एकड़ कुल 797.069 एकड़ में फसल की क्षति की गई है। हाथियों के विचरण एवं फसल क्षति की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में हाथी विचरण के दौरान पहुंचाये गये फसल क्षति का मुआवजा भुगतान रायगढ़ वनमण्डल दर्ज प्रकरण संख्या 333 में रूपये 1121898/- एवं धरमजयगढ़ वनमंडल दर्ज प्रकरण संख्या 742 में रूपये 6035309/- तथा कुल दर्ज 1075 प्रकरणों में कुल राशि रूपये 7157207/- का मुआवजा भुगतान किया गया है। रायगढ़ वनमंडल में 63 प्रकरणों में रूपये 29530/- मुआवजा भुगतान हेतु लंबित है, जिसका शीघ्र भुगतान होने की संभावना है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) हाथियों के दल (झुण्ड) से फसल की क्षति न्यूनतम हो, इसके लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार उपाय किये जा रहे हैं :-1. लेमरू हाथी रिजर्व में हाथी रहवास क्षेत्र विकास परियोजना अंतर्गत धरमजयगढ़ वनमण्डल में 248.03 लाख आबंटित किये गये हैं ताकि हाथियों

को वन क्षेत्र में ही भोजन पानी उपलब्ध हो सकें। 2. वनमंडल स्तर पर हाथी मित्र दल का गठन किया गया है जिनके द्वारा विभागीय मैदानी अमलों के साथ हाथियों की ट्रेकिंग कर जंगल की ओर किया जा सकें। 3. ग्रामीणों को हाथी विचरण की पूर्ण जानकारी देने हेतु आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के आगमन एवं संभावित विचरण का प्रसारण "हमर हाथी हमर गोठ" प्रतिदिन शाम 5.00 बजे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है। 4. हाथियों की ट्रेकिंग हेतु गज संकेत ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसमें पंचायतों को पंजीकृत किया गया है। हाथी की उपस्थिति होने पर मोबाईल फोन पर सचेत रहने सूचित किया जाता है। 5. रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल तथा कोरबा, कटघोरा, सरगुजा वनमण्डलों को मिलाकर 1995.48 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व का गठन किया गया है। किए जा रहें उपाय प्रभावी है। इनमें विभाग द्वारा समय-समय पर नये उपाय जोड़े जाते हैं तथा जारी उपायों को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम तथा सुगम बनाया जाता है।

स्कूल शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल द्वारा फर्नीचर खरिदी

[स्कूल शिक्षा]

14. (क्र. 127) श्री उमेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर सप्लाई डेस्क एवं बेंच क्वांटिटी 1,19,400 संख्या सप्लाई हेतु जेम पोर्टल पर कब बिड निकाली गयी ? उक्त बिड में कितने फर्मों ने हिस्सा लिया? बिड प्राप्त करने की शर्तें क्या थी ? किस आधार पर किस सप्लायर को बिड मिली, की जानकारी दें। **(ख)** क्या उक्त फर्नीचर सप्लाई की बिड में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर सप्लाई डेस्क एवं बेंच सप्लाई हेतु जेम पोर्टल पर दिनांक 04.07.2025 को बिड निकाली गयी। उक्त बिड में 18 फर्मों ने हिस्सा लिया। शर्तों की प्रति **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जेम से प्राप्त निविदा के एल-1 (न्यूनतम दर) के आधार पर गणपति इन्टरप्राइजेस, रायपुर (छ.ग.) को बिड मिली। **(ख)** जी हां। बिड में प्रक्रियात्मक कमी होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत का परीक्षण उपरांत शिकायत निराधार पाया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. (क्र. 159) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम पंचायत भवन जर्जर/अति जर्जर स्थिति में हैं? विगत 3 वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के किन-किन ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए विगत 2 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? शेष पंचायत भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की स्वीकृति हेतु क्या कार्य योजना है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 05 ग्राम पंचायत भवन जर्जर/अति जर्जर स्थिति में है। विगत 3 वर्षों में ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग से राशि

स्वीकृति की जानकारी **निरंक** है। पंचायत भवनों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

जेलों में सोलर पैनल से विद्युत आपूर्ति

[जेल]

16. (क्र. 201) श्री रिकेश सेन : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य की जेलों में बिजली बिल को कम करने के लिए जेलों में सोलर पैनल लगाकर विद्युत आपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हां, तो कब तक सोलर पैनल लगा दिया जाएगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य की जेलों में 13वें वित्त आयोग योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सोलर पैनल स्थापित है। **(ख)** वर्तमान में जेलों में नवीन सोलर पैनल स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

प्रदेश में तेंदुपता संग्रहकों को बोनस का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

17. (क्र. 215) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश में तेंदुपता संग्रहकों को बोनस का भुगतान किया जा रहा है? अगर हाँ, तो माह-जनवरी, 2023 से 25.11.2025 तक किस दर से, कुल कितने तेंदुपता संग्रहको को, कुल कितनी राशि का बोनस भुगतान किया गया है? जिलेवार किये गये बोनस भुगतान का विवरण क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हाँ, प्रदेश में तेंदुपता संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी 2023 से 25.11.2025 तक तेंदुपता सीजन वर्ष 2021 के कुल 8,97,561 संग्रहकों को राशि रूपये 159.91 करोड़ एवं सीजन 2022 के कुल 9,03,780 संग्रहकों को राशि रूपये 281.90 करोड़ का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया गया है। जिलेवार एवं सीजनवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" एवं "प्रपत्र-ब" अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

माटीकला बोर्ड द्वारा कुंभकारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण

[ग्रामोद्योग]

18. (क्र. 220) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि माटीकला बोर्ड के द्वारा कुंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया जाता है? हां तो, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने पंजीकृत कुम्हार हैं? **(ख)** कंडिका "क" के तहत विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत विगत 2023-24 एवं 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक चाक हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, वर्षवार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "ख" के आवेदन में से कितने हितग्राही पात्र एवं अपात्र हैं, जिनमें से कितने पात्र हितग्राहियों को वितरण किया गया है एवं कितने लंबित हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी हां। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 213 कुम्भकार छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में पंजीकृत है। **(ख)** वर्ष 2023-24 में निरंक तथा वर्ष 2024-25 में कुल 116 आवेदन प्राप्त हुए है। **(ग)** प्राप्त आवेदनों में कुल 116 कुम्भकारों में से 72 पात्र एवं 44 अपात्र है। पात्र 72

कुम्भकारों में से बोर्ड द्वारा चाक उपलब्धता एवं पंजीयन वरीयता के आधार पर चयनित कुल 25 कुम्भकारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष 47 पात्र कुम्भकारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरण हेतु स्वीकृति लंबित है।

प्रदेश मे स्थापित चारकोल निर्माण यूनिट की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 311) श्री ओंकार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में वर्तमान में कितनी चारकोल निर्माण इकाइयां संचालित हैं? जिला वार सूची नाम पता सहित उत्पादन क्षमता तथा लाइसेंस पंजीकरण विवरण की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** चारकोल निर्माण इकाइयां को अनुमति प्रदान करते समय कौन-कौन से पर्यावरणीय एवं तकनीकी प्रमाण पत्र अनिवार्य किए गए हैं? **(ग)** क्या विभाग द्वारा चारकोल उत्पादन इकाइयों के चिमनी उत्सर्जन स्तर, उष्मीय दक्षता, एवं ऊर्जा उपव्यय नियंत्रण के परीक्षण हेतु कोई तकनीकी निरीक्षण दल गठित किया गया है? यदि हां तो उसकी रिपोर्ट दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** राज्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्राप्त 18 चारकोल निर्माण इकाइयां संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** चारकोल निर्माण इकाइयां को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति जारी करने के पूर्व उद्योग से जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्रस्ताव एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्रस्ताव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का प्रस्ताव, वृक्षारोपण का प्रस्ताव, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति, साईट प्लान एवं ले-आउट की प्रति, उद्योग की लागत की सत्यापन हेतु सी.ए. सर्टिफिकेट, भूमिगत जल उपयोग करने पर सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से भू-जल उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्थल की भूमि सम्बन्धी दस्तावेज की जानकारी, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। **(ग)** जी नहीं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई तकनीकी निरीक्षण दल गठित नहीं किया गया है। अल्प प्रदूषणकारी होने के कारण चारकोल इकाइयों को हरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है एवं वर्ष में एक बार निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजनांतर्गत स्वीकृत सड़क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. (क्र. 353) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 से 30 नवम्बर 2025 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कौन-कौन से सड़क कहाँ-से कहाँ तक चिन्हांकित तथा किन-किन सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु उक्त अवधि में कितनी-कितनी लागत की राशि कब-कब स्वीकृति दी गई है ? वर्षवार, विकासखण्ड सड़कवार पृथक-पृथक जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के स्वीकृत सड़कों की भौतिक स्थिति क्या है ? पूर्ण/अपूर्ण /अप्रारंभ की जानकारी वर्षवार, विकासखण्ड सड़कवार कार्य पूर्णतः तिथिवार पृथक-पृथक दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। [संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़ अंतर्गत संचालित उद्योग

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 400) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगांव व खैरागढ़ अंतर्गत कितने छोटे-बड़े उद्योग संचालित हैं, जिनको पर्यावरण से एन.ओ.सी. दिया गया है और ऐसे कितने उद्योग संचालित हैं, जिनकी एन.ओ.सी. की अनुमति तिथि समाप्त हो चुकी है और इस पर क्या कार्यवाही हुई, जानकारी दें। **(ख)** क्या उद्योग नीति के तहत सभी उद्योगों की जांच व निरीक्षण किया जाता है? यदि हां तो वर्ष 2024-25 से 25-11-2025 तक किये गये निरीक्षण के दौरान क्या-क्या अनिमितता पाई गई? इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही और किनके द्वारा कार्यवाही की गई जानकारी दें। **(ग)** क्या उद्योगिक अधिनियम के तहत उद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किए जाने पर ग्रामों में भू-अर्जन कर उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों द्वारा प्रश्नांकित अवधि में आपत्ति या शिकायत दर्ज करायी गयी है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने उद्योग संचालित हैं जो कि ग्राम पंचायत के निकट स्थापित हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त जिला राजनांदगांव अंतर्गत कुल 32 वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों में से संचालित उद्योगों की संख्या 31 है, इनमें से 23 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण जारी किया जा चुका है, शेष 08 उद्योगों का जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण प्रकरण विचाराधीन है एवं लघु श्रेणी के 576 उद्योगों में से संचालित उद्योगों की संख्या 313 है, इन उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण जारी किया जा चुका है तथा शेष 263 उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण वैधता समाप्त हो गई है, उक्त में से 249 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया तथा शेष 14 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण प्रकरण विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत वृहद/मध्यम श्रेणी के 02 उद्योग हैं, ये उद्योग संचालित हैं तथा इन्हे सम्मति नवीनीकरण जारी किया जा चुका है एवं लघु श्रेणी के कुल 67 उद्योगों में से 43 उद्योग संचालित हैं, इन्हे सम्मति नवीनीकरण जारी किया जा चुका है तथा शेष 24 उद्योगों की जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की वैधता समाप्त हो जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** जी, हाँ। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, औद्योगिक नीति के तहत पात्र श्रेणी के उद्योगों को अनुदान स्वीकृति के पूर्व जांच व निरीक्षण किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव के अधिकारियों द्वारा कुल 97 उद्योगों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 04 उद्योगों में अनियमितता/कमी पाई गई। कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। इसी प्रकार कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 16 उद्योगों की जांच व निरीक्षण किया गया है। इनमें किसी उद्योग में अनियमितता नहीं पाई गई। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव एवं कार्यालय कलेक्टर खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक अधिनियम के तहत ऐसे क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किए गए हैं, उन ग्रामों में भू-अर्जन कर उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित है उनमें भू-अर्जन संबंधी आपत्ति या शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नांकित अवधि में पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित ग्रीन केटेगरी 100 मीटर, आरेंज केटेगरी 200 मीटर, अनुसार जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई के ग्राम पंचायत के निकट उद्योग स्थापित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हाथियों से होने वाला नुकसान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (क्र. 426) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हाथियों के हमले से प्रति वर्ष मानव मृत्यु होने के मुख्य कारण क्या हैं? (ख) मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी योजना लागू की गई हैं, इसका क्या परिणाम हैं? (ग) हाथियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का आंकड़ा क्या है, और प्रभावित किसानों को किस प्रकार का और कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष हाथी के हमले से मानव मृत्यु की घटना नहीं हुई है। अपितु वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनहानि की 02 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक व्यक्ति की नशे की हालत में हाथी से सामना होने के कारण घटित हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई भी जनहानि की घटना घटित नहीं हुई है। (ख) मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा निम्नानुसार तीन योजनाएं संचालित की जा रही है :-1. हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास 2. प्रोजेक्ट एलीफेंट योजना एवं 3. लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना का विकास इन योजनाओं के तहत मानव-हाथी द्वंद्व की घटना को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनहानि की वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 एवं 2024-25 में केवल 01 घटना घटित हुई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनहानि की कोई घटना घटित नहीं हुई है। इसी प्रकार फसल क्षति के वित्तीय वर्ष 2023-24 में 47 प्रकरण दर्ज हुए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 एवं 2025-26 में 05 प्रकरण प्रकाश में आए हैं। (ग) हाथी द्वारा फसल क्षति किये जाने पर शासन के प्रावधान अनुसार रूपये 9,000/- प्रति एकड़ अधिकतम की दर से क्षति का आंकलन कर मुआवजा भुगतान किया जाता है। हाथियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का आंकड़ा और मुआवजा वितरण की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" \]](#)

कृषि विपणन वर्ष 2024-25 में धान संग्रहण में कमी

[सहकारिता]

23. (क्र. 429) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृषि विपणन वर्ष 2024-25 में धान संग्रहण प्रक्रिया के दौरान राज्य की कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (सोसायटियों) में, आडिट या भौतिक सत्यापन के उपरांत, कुल कितने क्विंटल धान की कमी पाई गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) में पाई गई धान की कमी के कारण हुई वित्तीय हानि की राशि कितनी है, और इस हानि की वसूली के लिए संबंधित दोषियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विपणन वर्ष 2024-25 में धान संग्रहण प्रक्रिया के दौरान राज्य में कुल 2739 धान उपार्जन केन्द्रों में से 2723 धान उपार्जन केन्द्रों का अंतिम लेखा मिलान हो गया है, जिसमें 6,23,130 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। शेष 16 उपार्जन केन्द्रों का लेखा मिलान प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश 'क' में पाई गई धान की कमी की राशि रू. 143.40 करोड़ है। उक्त राशि की कटौती समितियों को देय कमीशन की राशि से विपणन संघ द्वारा किया गया है। धान शार्टेज हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना अंतर्गत क्रय सामग्री

[स्कूल शिक्षा]

24. (क्र. 452) श्री देवेन्द्र यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छ0ग0 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना अंतर्गत सामग्री खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है? यदि हां, तो कब और किसके माध्यम से, जानकरी दीजिए। **(ख)** उक्त प्रश्नानुसार कौन से दिनांक को निविदा खोली गई और निविदा क्रय समिति में कौन-कौन हैं, नाम, पता सहित जानकारी दीजिए। **(ग)** क्या निविदा क्रय समिति को संपूर्ण राशि का भुगतान पूर्व अनुबंध के आधार पर किया गया है या जीएसटी 2.0 के आधार पर किया गया है? राशिवार स्पष्ट जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी हाँ। दिनांक 04.08.2025 को जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। **(ख)** दिनांक 29.08.2025 को तकनीकी निविदा खोली गई। क्रय समिति में (1) श्री आर.एल.मसिया, वित्त नियंत्रक, (अध्यक्ष), लोक शिक्षण छ0ग0 (2) श्री आशुतोष चावरे, उप संचालक, (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0 (3) श्री अशोक नारायण बंजारा, उप संचालक (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0 (4) जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर (सदस्य) (5) श्री पोषण लाल वर्मा, सहायक संचालक, (सदस्य) लोक शिक्षण छ0ग0 (6) श्री हरीशचन्द्र दिलावर, सहायक संचालक, (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0 (7) श्री महेश कुमार नायक, सहायक संचालक, (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0 (8) श्री जे.पी. साव, सहायक ग्रेड-02, (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0 (9) श्री अभिषेक शर्मा, सहायक ग्रेड-03, (सदस्य), लोक शिक्षण छ0ग0। **(ग)** इसमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में साक्षरता दर एवं शालात्यागी विद्यार्थी

[स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 481) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के शैक्षणिक वर्ष 2022-2025 तक की स्थिति में वर्षवार महिला/पुरुष पृथक-पृथक साक्षरता दर की जानकारी ब्लॉकवार, ग्राम पंचायत वार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2025 तक की स्थिति में कितने विद्यार्थी दर्ज हुए एवं कितने विद्यार्थी शालात्यागी हुए? प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के बालक/बालिका की पृथक-पृथक वर्षवार, ब्लॉकवार जानकारी प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** वर्ष 2022-2025 में साक्षरता का सर्वे न होने के कारण जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में दर्ज विभिन्न अपराधिक प्रकरण

[गृह]

26. (क्र. 482) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत थाना सीतापुर, थाना कमलेश्वरपुर, थाना बतौली, चौकी केरजू पुलिस थाना/चौकियों में जनवरी 2022 से नवंबर 2025 तक की स्थिति में कितने चोरी/डकैती/बलात्कार/हत्या/गुमशुदगी/अपहरण/मानव तस्करी/तस्करी/सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए हैं? बिंदुवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत जंगली हाथियों द्वारा क्षति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

27. (क्र. 484) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्ष 2021-2025 तक जंगली हाथियों द्वारा फसल, मानव, मकान व अन्य की क्षति के कितने प्रकरण सामने आये? इन प्रकरणों में की गई क्षतिपूर्ति की जानकारी ब्लॉकवार, ग्राम पंचायत वार प्रदान करें। (ख) इन वर्षों में क्षतिपूर्ति हेतु कितनी राशि जारी की गई? राशि की सुरक्षा, योजना, राहत कार्य की उपयोगिता सहित समस्त जानकारी ब्लॉकवार प्रदान करें। (ग) हाथियों से बचाव, सुरक्षा हेतु विभाग के पास क्या योजना है? जानकारी दें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में प्रश्नावधि में जंगली हाथियों द्वारा फसल, मानव, मकान व अन्य क्षति के निम्न प्रकरण दर्ज किये गये हैं:-

वर्ष	प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि (रूपये में)
2021	821	2,31,58,958
2022	470	1,32,69,216
2023	349	49,22,054
2024	431	76,26,807
2025	230	7,61,6064
योग-	2301	5,65,93,099

ब्लॉकवार एवं ग्राम पंचायतवार विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नावधि में क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि जारी किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	जारी मुआवजा राशि (रूपये में)
2021	2,31,58,958
2022	1,32,69,216
2023	49,22,054
2024	76,26,807
2025	76,16,064
योग :-	5,65,93,099

क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का उपयोग किसी अन्य योजना अथवा कार्य में नहीं किया गया है। विकासखण्ड वार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) हाथियों से बचाव एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा तीन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो निम्नानुसार हैं:- 1. हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास 2. प्रोजेक्ट एलीफेंट योजना 3. लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना का विकास उक्त योजनाओं के अंतर्गत हाथियों से बचाव एवं सुरक्षा हेतु निम्नानुसार उपाय किये जा रहे हैं :- 1. हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु गज संकेत ऐप का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायतों को पंजीकृत किया गया है। ग्राम से 05 कि.मी. के रेंज में हाथी की उपस्थिति होने पर ग्रामिणों के मोबाईल फोन पर सचेत रहने हेतु सूचित किया जाता है। 2. वन अमला एवं हाथी मित्र दल के द्वारा हाथियों की सुरक्षा हेतु निरंतर गश्त किया जाता है। 3. हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु वनमंडल स्तर पर Elephant monitoring Group बनाया गया है। जिससे कि हाथियों की मॉनीटरिंग, उनका लोकेशन, रूट तथा हाथी संबंधी गतिविधियों को ग्रुप में साझा किया जाता है। 4. सरगुजा वनमंडल में हाथी मित्र दल का गठन किया गया है। जिनके द्वारा वनमंडल के समस्त वन क्षेत्रों में हाथियों की मॉनिटरिंग कर उनकी सुरक्षा का कार्य किया जाता है। 5. हाथी विचरण होने पर वन क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों में सुबह-शाम

मुनादी कराया जाता है जिससे ग्रामीणों को जंगल में हाथी होने की सूचना दी जाती है ताकि जंगल की ओर ना जाय। 6. ग्रामीणों को हाथी विचरण की पूर्ण जानकारी देने हेतु आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के आगमन एवं संभावित विचरण का प्रसारण "हमर हाथी हमर गोठ" प्रतिदिन शाम 5.00 बजे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है। 7. रिहायसी ईलाके में हाथी आने पर गजराज वाहन से गस्त कर वन विभाग के कर्मचारियों एवं हाथी मित्र दल द्वारा हाथी को जंगल की ओर दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हाथियों के समस्या के निदान हेतु विषय विशेषज्ञों के द्वारा हाथी दलों के व्यवहार का अध्ययन कर समाधान कारक उपाय जैसे-चलित हाथी विकर्षण बैरिकेड, बिलकिंग लाइट, हाई बीम टार्च इत्यादि के द्वारा विचरणरत हाथियों को रिहायसी ईलाके से दूर किये जाते हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत जर्जर शाला भवनों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[स्कूल शिक्षा]

28. (क्र. 487) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर शाला भवनों तथा मरम्मत /पुनर्निर्माण के कितने प्रकरण लंबित हैं ? स्वीकृत राशि तथा पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी देवें ? (ख) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकीय पदों की कुल संख्या कितनी है ? इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ? (ग) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है? जिन विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ स्थापना हेतु विभाग की प्रस्तावित योजना एवं समय-सीमा की जानकारी प्रदान की जाए ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर शाला भवनों तथा मरम्मत/पुनर्निर्माण का 01 प्रकरण लंबित है। कुल 630 जर्जर विद्यालय भवन के मरम्मत हेतु कुल राशि रू. 3876.81 लाख स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 349 कार्य पूर्ण एवं 281 कार्य अपूर्ण है। (ख) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 2008 के सेटअप के अनुसार स्वीकृत शिक्षकीय पदों की कुल संख्या 3055 है, जिनमें से वर्तमान में 840 पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरे जाने का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के 74 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, 35 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब, 74 विद्यालयों में प्रोजेक्टर, 61 विद्यालयों में ई-कंटेंट तथा 68 विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। शेष विद्यालयों में स्थापना की समय-सीमा संबंधी जानकारी बताया जाना संभव नहीं है।

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग द्वारा पौधा रोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

29. (क्र. 488) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-2025 के बीच किए गए पौधरोपण अभियान के अंतर्गत कुल कितने पौधे रोपे गए और वर्तमान में इनका जीवित प्रतिशत कितना है? जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम इस क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं? (ख) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में वनोपज आधारित आजीविका (लघु वनोपज – जैसे तेंदूपत्ता, चार, महुआ, चरौता, हर्रा, बेहड़ा) के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ लागू हैं ? पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत कितने ग्रामीण एवं वनाश्रित परिवार लाभान्वित हुए और उन्हें कुल कितना आर्थिक लाभ प्रदान किया

गया ? आजीविका बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा नई पहल या मूल्यवर्धन इकाइयाँ स्थापित करने की क्या योजना है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-2025 के बीच किए गए पौधा रोपण अभियान के अंतर्गत कुल 79 हजार 723 पौधों का रोपण किया गया एवं वर्तमान में 92 प्रतिशत पौधे जीवित अवस्था में है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है एवं विभिन्न योजना अंतर्गत पौधा तैयारी कर ग्रामीणों को पौधा रोपण हेतु निःशुल्क वितरण किया जाता है। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रकार आम जनता में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे वनों के आवरण में वृद्धि हो सके। (ख) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में वनोपज आधारित आजीविका के लिए लघु वनोपज जैसे - तेन्दूपत्ता, चार, महुआ, चरौटा, हर्रा, बहेड़ा आदि वनोपजों की खरीदी राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत 87122 ग्रामीण एवं वनाश्रित परिवार लाभान्वित हुए तथा उन्हें राशि रू. 5500.815 लाख का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। **विस्तृत विवरण प्रपत्र-अ में दर्शित है।** आजीविका बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा नई पहल या मूल्यवर्धन इकाइयों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र के बिन्दु क्रमांक 2 में दर्शित है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

विकासखंड बरमकेला के सहजपाली पंचायत में 15 वें वित्त की राशि के दुरुपयोग पर कृत कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

30. (क्र. 489) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम पंचायत सहजपाली, विकासखंड बरमकेला के सरपंच, सचिव द्वारा सत्र 2020-21 से सत्र 2024-25 तक कितनी राशि अपने परिवार के नाम पर 15 वें वित्त की राशि का आहरण किया गया ? क्या शिकायत होने के बाद जाँच प्रतिवेदन पर सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी थी ? यदि हाँ तो सीईओ जनपद बरमकेला और sdम सारंगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? सरपंच को किस नियम के तहत दोषमुक्त किया गया ? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बरमकेला और अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़ द्वारा प्रकरण पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सरपंच को धारा 40 के अंतर्गत बर्खास्त किया जायेगा ? (ग) यदि हाँ, तो बर्खास्त सरपंच को कितने वर्षों तक पुनः सरपंच बनने पर रोक होती है? कृपया जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) ग्राम पंचायत सहजपाली विकासखंड बरमकेला द्वारा सत्र 2020-21 से सत्र 2024-25 तक 182887/- (शब्दों में एक लाख ब्यासी हजार आठ सौ सत्यासी रूपये) सरपंच पति को भुगतान किया गया। उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सरपंच पर कार्यालय ज.प. बरमकेला द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (ग) अन्तर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के न्यायालय में सुनवाई में अनावेदक के जवाब के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा पुनः जाँच हेतु निर्देशित किया गया। सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला द्वारा गठित नवीन जाँच दल द्वारा जांच में कोरोना काल होने तथा पंचायत पदाधिकारी के निकट रिश्तेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं पंचायत को क्षति पहुंचाने का तथ्य नहीं पाये जाने के कारण सुनवाई पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (रा.) न्यायालय सारंगढ़ द्वारा सरपंच के विरुद्ध दर्ज प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के जवाब अनुसार कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती है। (ग) प्रश्नांश (क) के जवाब अनुसार जानकारी **निरंक** है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में विभिन्न अपराधों की घटनाओं पर कार्यवाही

[गृह]

31. (क्र. 492) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में जनवरी, 2024 से 24/11/2024 तक कितने हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हुई हैं तथा इन अपराधों पर क्या कार्यवाही की गयी ? **(ख)** जिला से कितने बालिग और नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट जनवरी, 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक दर्ज है तथा कितनी बालिकाओं को बरामद किया गया है ? कितने अभी भी गुमशुदा हैं तथा इनकी बरामदगी के लिए अभी तक क्या प्रयास किये गये हैं ? **(ग)** जिला में चोरी, डकैती की घटनाएं जनवरी, 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक कितनी हुई हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

जिला रायगढ़ अंतर्गत खाद की आपूर्ति

[सहकारिता]

32. (क्र. 494) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को वर्ष 2025 में कितना-कितना खाद का आबंटन प्राप्त हुआ है ? कितने किसानों को कितने-कितने खाद की आपूर्ति की गयी है? समितिवार जानकारी देवें ? **(ख)** खाद वितरण में गड़बड़ी, अनियमितताओं खाद की कमी होने के कितने मामले सामने आये हैं ? किन अधिकारियों द्वारा जाँच की गयी है ? क्या कार्यवाही की जाएगी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जानकारी प्रपत्र में संलग्न है। **(ख)** रायगढ़ जिला अंतर्गत, खाद वितरण में गड़बड़ी, अनियमितताओं खाद की कमी होने की शिकायतें संज्ञान में नहीं है अपितु खाद की कमी के संबंध में जिले के दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए है। जिन समितियों में मांग प्राप्त हुई थी वहां आपूर्तिकर्ता कंपनियों के रेक लगते ही मांग अनुरूप उर्वरकों का भंडारण कराया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

जिला रायगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. (क्र. 496) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत किए गए हैं ? कितने निर्माण कार्य अप्रारंभ हैं ? कितने पूर्ण हैं ? अपूर्ण हैं? कितने नवीन प्रस्तावित हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास निर्माण की राशि का भुगतान किया जा चुका है ? कितना शेष है ? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा):**(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ करना

[सहकारिता]

34. (क्र. 499) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के ग्राम पंडरभट्टा विकासखण्ड मुंगेली एवं ग्राम भठगांव विकासखण्ड पथरिया में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ किये जाने हेतु कब- कब पत्राचार किया गया था? स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विधायक की अनुशंसा पर दिनांक 24/11/2025 तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ किये जाने हेतु विभाग द्वारा कृत कार्यवाही एवं खोलने हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? समयावधि बतावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के ग्राम पंडरभट्टा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा संचालित है। ग्राम भठगांव विकासखंड पथरिया में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ किये जाने हेतु माननीय विधायक, मुंगेली का पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्स बैंक मुख्यालय रायपुर से दिनांक 15.02.2025 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर को प्रेषित किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने से नवीन शाखा खोले जाने हेतु बैंक वर्तमान में अपात्र होने के कारण भठगांव शाखा का प्रस्ताव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित नहीं किया जा सका है। (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर पर लगाये गये अर्थदण्ड के कारण बैंक नवीन शाखा खोलने हेतु वर्तमान में अपात्र हो गया है। मापदण्डों के पालन के उपरांत ही बैंक नवीन शाखा का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करने के लिये पात्र होगा।

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में विद्यालयों की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 500) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में कुल कितने हायर सेकेंड्री, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला संचालित हैं ? इनमें कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि भवनविहीन, जर्जर एवं तोड़ने लायक हैं ? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र कुल कितने भवन/ अतिरिक्त भवन एवं नये भवन की स्वीकृति कब-कब कहां-कहां, प्रदान की गई? जानकारी दें ? (ग) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में कुल कितने हायर सेकेंड्री, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला में कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? जिनके विरुद्ध कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं ? रिक्तता की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ? समयावधि बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी निम्नानुसार है:-

शाला का स्तर	संचालित शालाएं	भवन विहीन शालाएं	जर्जर (तोड़ने लायक) शालाएं
प्राथमिक	275	0	63
पूर्व माध्यमिक	106	0	08
हाईस्कूल	27	03	0
हायर सेकेण्डरी	29	15	0
योग:-	437	18	71

(ख) जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	शाला का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
2024-25	शा.उ.मा.वि. दाबो	05 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.उ.मा.वि. बांकी	05 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.उ.मा.वि. डांडगांव	02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.उ.मा.वि. लौदा	04 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.पूर्व माध्यमिक शाला छटन	01 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.प्राथमिक शाला लालपुर	01 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2024-25	शा.प्राथमिक शाला भथरीपारा	01 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
2025-26	शा.पूर्व माध्यमिक शाला पुरान	01 नवीन शाला भवन निर्माण

(ग) जानकारी निम्नानुसार है:-

शाला का स्तर	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
प्राथमिक	1259	779	480
पूर्व माध्यमिक	625	534	91
हाईस्कूल	179	115	64
हायर सेकेण्डरी	403	332	71
योग:-	2466	1760	706

निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय शालाओं में अहाता निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 503) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अहाता निर्माण हुआ है और कहां-कहां पर नहीं हुआ है ? विद्यालयवार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत जिन-जिन स्कूलों में अहाता निर्माण नहीं हुआ है वहां अहाता निर्माण कब तक किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सकरी नगर में पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय का संचालन

[गृह]

37. (क्र. 504) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सकरी नगर में सेकेंड बटालियन (CAF) का केंद्र स्थित है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" के अंतर्गत पूर्व में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता था? (ग) क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" के अंतर्गत वर्तमान में पुलिस

बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र (विद्यालय) बंद हो गया है ? क्या विभाग द्वारा सकरी बटालियन में पुनः पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ करने की कार्ययोजना हैं ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हाँ (ख) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2री बटालियन सकरी, बिलासपुर नियमित बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक होने से अस्थायी तौर पर पूर्व में समय-समय पर बुनियादी प्रशिक्षण कराया गया है। (ग) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2री बटालियन सकरी, बिलासपुर नियमित बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक होने पर अस्थायी तौर पर 2री बटालियन सकरी, बिलासपुर में पुनः बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जा सकता है।

बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. (क्र. 507) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुंगेली जिले के पथरिया व बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लगभग 5 वर्षों व अधिक समयावधि पूर्व निर्मित समस्त सड़कों में किन-किन सड़कों में मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है तथा किन-किन सड़कों में मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है? सड़कवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत किन-किन सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई और दिनांक 24/11/2025 की स्थिति में किन-किन सड़कों का कार्य प्रारंभ हो गया एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? शेष सड़कों के लिए उक्त कार्यों हेतु कितनी-कितनी बजट राशि की आवश्यकता है तथा बजट राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? सड़कवार, राशिवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स" अनुसार है।

वन वृत्तों में सामग्री खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

39. (क्र. 508) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन विभाग अंतर्गत विगत 3 वर्षों में बिलासपुर, रायपुर एवं कांकेर वृत्त अंतर्गत किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध सामग्री खरीदी व अन्य कार्यों में अनियमितता के संबंध में कब, क्या, किसके द्वारा व किनको शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही/जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में वन विभाग के विभिन्न मण्डल एवं अन्य कार्यालयों के अंतर्गत स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों (सीधी भर्ती, पदोन्नित व अन्य) की जानकारी देवें? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वन विभाग अंतर्गत विगत 3 वर्षों में बिलासपुर, रायपुर एवं कांकेर वृत्त अंतर्गत सामग्री खरीदी व अन्य कार्यों में अनियमितता के संबंध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कुल 235 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसका विवरण पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में वन विभाग के विभिन्न मण्डल एवं अन्य कार्यालयों के अंतर्गत स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों (सीधी

भर्ती, पदोन्नति व अन्य) की जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।

बिलासपुर जिले में निर्मित मिनी स्टेडियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

40. (क्र. 511) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर जिले में कितने मिनी स्टेडियम का निर्माण कहाँ-कहाँ कराया गया है ? विकासखण्डवार, निर्माण-वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के मिनी स्टेडियम का निर्माण किस योजना के तहत किया जाता है ? प्रति स्टेडियम निर्माण की लागत कितनी है ? क्या उक्त स्टेडियमों के रख-रखाव हेतु भी राशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रति स्टेडियम खर्च की जाती है ? यदि खर्च प्रावधानित नहीं है तो स्टेडियम के रखरखाव हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार मिनी स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा मनरेगा के अभिसरण से किया जाता है। उक्त मिनी स्टेडियम के रख-रखाव हेतु राशि प्रदान नहीं की जाती है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

अमृत सरोवर योजना अंतर्गत बिलासपुर जिले में तालाब निर्माण/नवीनीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. (क्र. 512) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर जिला अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत नवीन तालाब निर्माण एवं पुराने तालाब का नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण है? कितने अपूर्ण हैं और कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कार्य की लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या अमृत सरोवर योजना अंतर्गत स्वीकृत तालाबों को एक मानक मार्गदर्शिका के तहत विकसित किया जाता है? यदि हाँ तो क्या प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों को मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विरुद्ध कराया गया? कार्यों को कब तक प्रावधानों के अनुरूप सुधार कर लिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों को मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं कराया गया है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

बिलासपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग भर्ती में भ्रष्टाचार

[सहकारिता]

42. (क्र. 513) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह तथ्य सही है कि बिलासपुर जिले की सहकारी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग भर्ती के दौरान चयनित एजेंसियों द्वारा मनमानी नियुक्तियाँ की गई तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? (ख) बिलासपुर जिले में कुल कितने धान खरीदी केंद्र हैं और उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्वीकृत संख्या कितनी है? इनमें वास्तविक नियुक्ति कितने केंद्रों में की गई तथा कितने केंद्र बिना ऑपरेटर के कार्य कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग भर्ती से नियुक्त ऑपरेटरों की सूची समितिवार उपलब्ध करावें? (ग) क्या बिलासपुर

जिले में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र एवं गैर-योग्य व्यक्तियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त पर कार्रवाई की गई है यदि, हाँ तो क्या ? (घ) नियुक्ति प्रक्रिया में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी? क्या इन अधिकारियों ने नियुक्ति प्रक्रिया का सत्यापन किया? यदि नहीं तो किन कारणों से?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) यह तथ्य सही नहीं है कि बिलासपुर जिले की सहकारी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग भर्ती के दौरान चयनित एजेंसियों द्वारा मनमानी नियुक्तियाँ की गई तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। (ख) बिलासपुर जिले में कुल 140 उपार्जन केन्द्र एवं सभी उपार्जन केन्द्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है। आउटसोर्सिंग भर्ती से डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति की प्रक्रिया निरस्त किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता। (ग) बिलासपुर जिले में आउटसोर्सिंग भर्ती से डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति की प्रक्रिया निरस्त किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता। (घ) बिलासपुर जिले में आउटसोर्सिंग भर्ती से डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति की प्रक्रिया निरस्त किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता।

बिलासपुर जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्वीकृत कार्यों हेतु राशि

[स्कूल शिक्षा]

43. (क्र. 516) श्री दिलीप लहरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में 25/11/2025 तक के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों, उन्नयन कार्यों, आधारभूत संरचना विकास, भवन निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, स्मार्ट क्लास/लैब स्थापना, फर्नीचर क्रय हेतु मदवार राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य एजेंसी/फर्म, मद का नाम की जानकारी विकासखंडवार दें? (ख) उपरोक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किए गए? कितने कार्य अपूर्ण/प्रगति पर हैं? वर्तमान में कितने कार्य प्रस्तावित हैं तथा उनकी स्वीकृति/प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। वर्तमान में प्रस्तावित कार्य निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट्स-2047 तैयार करने वाली एजेंसी से अनुबंध

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

44. (क्र. 520) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट्स-2047 किसके द्वारा तैयार किया गया? क्या इसे तैयार करने के लिए किसी निजी फर्म/अन्य एजेंसी से अनुबंध किया गया था? यदि हाँ तो एजेंसी का नाम, अनुबंधित राशि, भुगतान राशि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें? (ख) संबंधित एजेंसी को अनुबंधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट-2047 राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। जी नहीं, अपितु भारत सरकार की संस्था निक्सी (NICSI-National Informatics Centre Services Incorporated) को प्रोजेक्ट मोड में स्ट्रेटजी कंसल्टिंग हेतु कार्य दिया गया। भारत सरकार की संस्था NICSI द्वारा Category-D, Tier-1 के तहत अनुमोदित दर व शर्त पर NICSI

को राशि रूपये 9,92,04,606/- का भुगतान किया गया।(ख) भारत सरकार की संस्था NICS द्वारा अनुमोदित दर व शर्त पर NICS को कार्य दिया गया एवं इस हेतु वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त की गयी।

विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा के जर्जर/भवनविहीन, अहातायुक्त एवं अहाता विहीन स्कूल भवन
[स्कूल शिक्षा]

45. (क्र. 523) श्री ब्यास कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्कूल भवन जर्जर, भवनविहीन तथा अहाताविहीन हैं? स्कूलवार/विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के अहाताविहीन विद्यालयों में वर्तमान सत्र में अहाता निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हां तो कब तक अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (ग) क्या प्रश्नांश "क" के जर्जर एवं भवनविहीन स्कूलों के लिए वर्तमान सत्र में विभाग नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु विचार कर रहा है? यदि हां तो कब तक इसकी स्वीकृति दे दी जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल भवन जर्जर, भवन विहीन तथा अहाता विहीन शालाओं की स्कूलवार/विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" \]](#)

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदत्त ऋण हेतु पात्रता की शर्तें
[ग्रामोद्योग]

46. (क्र. 524) श्री ब्यास कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत कितने हितग्राहियों को वर्ष 2023 से 2025 तक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि के ऋण किन-किन कार्यों के लिए प्रदान किये गये? विकासखंडवार जानकारी देवें? हितग्राहियों को ऋण देने के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं? (ख) प्रश्नांश "क" के कितने हितग्राही आत्मनिर्भर बन चुके हैं? कितने हितग्राहियों को शासन के द्वारा कितनी अनुदान राशि दी गई है? कितने हितग्राहियों को अनुदान मिलना शेष है? (ग) प्रश्नांश "क" के ऐसे कितने हितग्राही हैं जो ऋण चुकाने में अक्षम रहे? ऐसे लोगों से लोन रिकवरी के क्या प्रावधान हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** एवं **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ख) सभी 68 हितग्राही आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कुल 68 हितग्राहियों को शासन के द्वारा 68.754 लाख अनुदान राशि दी गई है। किसी भी हितग्राहियों को अनुदान मिलना शेष नहीं है। (ग) प्रश्नांश "क" के कोई भी हितग्राही ऋण चुकाने में अक्षम नहीं है। ऐसे लोगों से लोन रिकवरी संबंधी कार्यवाही संबंधित बैंको द्वारा की जाती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर" \]](#)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के बोर्ड का निर्वाचन
[सहकारिता]

47. (क्र. 527) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के कितने में से कितने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा कितने में से कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी

संस्थाओं में क्रमशः छः माह से अधिक तथा बारह माह से अधिक कालावधि से निर्वाचित बोर्ड कार्यरत नहीं हैं और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हैं? **(ख)** उपरोक्त में से कितने और किन-किन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा समिति कार्यरत है? **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की बोर्ड का निर्वाचन नहीं कराने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? क्या इनके निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ किये जायेंगे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश के 06 में से 05 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में क्रमशः छः माह से अधिक तथा बारह माह से अधिक कालावधि से निर्वाचित बोर्ड कार्यरत नहीं है और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित है। **(ख)** उपरोक्त में से 04 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों दुर्गा, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर तथा 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा समिति कार्यरत है। **(ग)** छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के निर्वाचन के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को दायित्व सौंपा गया है। सहकारी सोसाइटियों से निर्वाचन हेतु विधिवत आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराया जाता है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के विशेष अंकेक्षण में पाई गई आर्थिक अनियमितताएं

[सहकारिता]

48. (क्र. 528) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं के संज्ञान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कितने प्रकरण, कितनी राशि की आर्थिक अनियमितताओं के 2024 तथा 2025 में आये हैं? क्या जिला सहकारी बैंक, रायपुर की शाखाओं में हुई आर्थिक अनियमितता/ गबन के लिए 2024 से अक्टूबर, 2025 की अवधि में विशेष अंकेक्षण कराया गया है? यदि हां तो इसमें किस-किस शाखा के, कौन-कौन व्यक्ति, कितनी-कितनी राशि के लिए, किस-किस अवधि के लिए दोषी पाए गए हैं एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के विशेष अंकेक्षण में बैंक की सभी शाखाओं के लिए विशेष तकनीकी टीम का गठन कर अनियमितता की पूरी राशि का आकलन कोर बैंकिंग/ सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा का परीक्षण कर करने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं कब तक पूरी कर ली जाएगी? यदि हां तो कितनी अतिरिक्त अनियमितता पाई गई है ? **(ग)** बैंक के तत्कालीन अंकेक्षकों, बैंक के प्रबंधनकर्ता अधिकारियों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाने के लिए किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई है तो क्यों एवं कब तक की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** , **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।

शासन के विभागवार व्यक्तिगत जमा खातों में उपलब्ध राशि

[वित्त]

49. (क्र. 529) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 31 मार्च, 2025 तक शासन के कितने व्यक्तिगत जमा खातों में कितनी राशि अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में है? विभागवार, व्यक्तिगत जमा खातों के सम्पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित राशि किन-किन सेवा मदों से डेबिट करके पी.डी. खातों में हस्तान्तरित की गई? पी.डी. खातों में

हस्तान्तरित राशि जमा रखने के नियम क्या हैं? (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार अव्ययित राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया? कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) 31 मार्च 2025 तक शासन के 340 व्यक्तिगत जमा खातों में राशि रूपये 1,43,545.27 लाख अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में है। विभागवार व्यक्तिगत जमा खाते के सम्पूर्ण विवरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित राशि विभिन्न सेवा मदों से डेबिट करके पी.डी. खातों में हस्तांतरित की गई है। जिसकी **जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार** है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 में विभागीय मदों की राशि व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करने का प्रावधान है। (ग) वित्त निर्देश 12/2013 एवं छ.ग. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 के अनुक्रम में उक्त व्यक्तिगत जमा खाता दिनांक 31.03.2025 को प्रचलन में होने के कारण समेकित निधि में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

प्रदेश में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

50. (क्र. 530) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नवंबर, 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितनी शिकायतों का निराकरण हो गया? कितनी शिकायतें निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं? कितनी शिकायतें निराकरण हेतु लंबित हैं? जिलेवार जानकारी बतावें? (ख) कितने शिकायतकर्ता विभागीय निर्णय से असहमत होकर न्यायालय चले गए? युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का मापदण्ड क्या था? क्या मापदण्डों का पारदर्शी तरीके से पालन किया गया? (ग) युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले कितने अधिकारी/कर्मचारी चिन्हित किए गए? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) 1756 शिक्षकों द्वारा विभागीय निर्णय से असहमत होकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिकाएं दायर की गई हैं। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है। जी हाँ। (ग) युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले 09 अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूर्ण आवास का मापदण्ड

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

51. (क्र. 531) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों के लिए निर्माण का मापदण्ड क्या है? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुसार वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ऐसे कितने आधे-अधूरे आवास हैं, जिन्हें पूर्ण मानकर हितग्राही को अंतिम किस्त का भुगतान किया गया है ? विकासखण्ड जानकारी दें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के तहत कितने दिन की मजदूरी भुगतान का प्रावधान है ? प्रश्नांश 'ख' अनुसार, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक आवासों में मनरेगा से कितने मानव दिवस सृजित हुए एवं कितने का शौचालय निर्माण किया गया है ? वर्षवार जानकारी दें ? (घ) जिलेवार ऐसे कितने प्रधानमंत्री आवास हैं, जिनमें 90 दिवस से कम मजदूरी भुगतान करते हुए एवं बिना मजदूरी भुगतान किए हुए आवास पूर्ण अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है ? समुचित जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन विभाग के वर्किंग प्लान अंतर्गत कूप कटिंग

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

52. (क्र. 535) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड के मुताबिक वर्ष 2025-26 एवं आगामी वर्ष के लिए किन-किन वन मंडलों में कितनी जगह (कंपार्टमेंट) में कूप कटाई नियोजित है ? **(ख)** प्रदेश की ग्राम सभाओं को अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) झ के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सौंपने के उपरांत, उक्त वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अपने वर्किंग - प्लान के मुताबिक कूप कटाई करने दिया जा रहा है ? **(ग)** कूप कटिंग पर जिन ग्राम सभाओं को आपत्ति है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? **(घ)** यदि कूप कटाई कर दी गई है, तो काष्ठ विक्रय से प्राप्त आय का कितना हिस्सा समुदाय के साथ साझा किया जा रहा है और यह राशि किसके खाते में जमा की जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड के मुताबिक वर्ष 2025-26 एवं आगामी वर्ष 2026-27 के लिए वनमंडलवार कंपार्टमेंट की संख्या जिनमें कूप कटाई नियोजित है, **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।** **(ख)** प्रदेश की ग्राम सभाओं को अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) झ के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सौंपने के उपरांत, उक्त वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अपने वर्किंग.प्लान के मुताबिक कूप कटाई की जा रही है। **(ग)** कूप कटिंग पर कोण्डागांव वनमण्डल में 02 ग्रामसभा, नारायणपुर वनमण्डल में 01 ग्रामसभा, सुकमा वनमण्डल में 06 ग्रामसभा एवं दन्तेवाड़ा वनमण्डल में 03 ग्रामसभा तथा वन विकास निगम के अंतर्गत परियोजना मण्डल पानाबरस के 01 ग्रामसभा, परियोजना मण्डल अंतागढ़ के 03 ग्रामसभा को आपत्ति है। समस्त ग्रामसभाओं में बैठक आयोजित कर कूप कटिंग से संबंधित कार्यों एवं उन कार्यों से होने वाले लाभ के संबंध में समझाईश दी जा रही है। **(घ)** वर्तमान में कूप कटाई प्रगति पर है। अतः जानकारी निरंक है। ज्ञात हो कि क्षेत्रीय वन मंडलों में काष्ठ कूप की कटाई से प्राप्त काष्ठ के समतुल्य मूल्य (आवश्यक विभागीय व्यय को घटाकर) 20% की राशि तथा बांस कूप की कटाई से प्राप्त बांस के समतुल्य मूल्य (आवश्यक विभागीय व्यय को घटाकर) के 100% की राशि कूप से संबंधित वन प्रबंधन समिति को प्रदान की जाती है। समिति चाहें तो राशि के स्थान पर काष्ठ या बांस भी प्राप्त कर सकती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

कैम्पा मद व ग्रीन इंडिया मिशन मद से वानिकी कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

53. (क्र. 536) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्य की गई कितनी वन भूमि पर वर्ष 2024 व 2025 में कैम्पा मद व ग्रीन इंडिया मिशन मद से वानिकी कार्य (वृक्षारोपण ,फेसिंग , नर्सरी फेंसिंग, टेंचिंग आदि) किया गया है ?कृपया वनमंडलवार जानकारी देवें ? **(ख)** कुल कितनी राशि व्यय की गई एवं उनमें से कितनी राशि मजदूरी भुगतान की गई ? **(ग)** क्या मजदूरी भुगतान का कार्य सीधे वन विभाग से किया गया है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्य की गई वन भूमि पर वर्ष 2024 व 2025 में कैम्पा मद अंतर्गत कटघोरा, कवर्धा एवं रायगढ़ वनमंडल में वानिकी कार्य (वृक्षारोपण, फेंसिंग, नर्सरी फेंसिंग, ट्रेचिंग आदि) कराया गया है एवं ग्रीन इंडिया मिशन मद से वर्ष 2024 एवं 2025 में बलौदाबाजार एवं बस्तर वनमंडल अंतर्गत वानिकी कार्य कराया गया है। **विस्तृत विवरण संलग्न "प्रपत्र " अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित वनमंडलों तथा समयावधि में कैम्पा मद एवं ग्रीन इंडिया मिशन योजना अंतर्गत कुल रू. 61519940/- की राशि व्यय की गई जिसमें से रू. 33420682/- की राशि का मजदूरी भुगतान किया गया है। (ग) मजदूरी का भुगतान सीधे वन विभाग द्वारा किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में पंजीकृत सहकारी समितियाँ

[सहकारिता]

54. (क्र. 540) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में कुल कितनी सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं और उनमें से कितनी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) द्वारा किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण की विकासखंडवार स्थिति क्या है? **(ग)** क्या विगत दो वर्षों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) अथवा किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** सहकारिता विभाग को केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण क्या है और क्या कोई राशि व्यपगत (lapsed) हुई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में 608 सहकारी समितियाँ पंजीकृत है, जिसमें से 492 सहकारी समितियाँ कार्यशील है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना (SRE) के तहत कार्यों के लिए व्यय राशि

[गृह]

55. (क्र. 544) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जनवरी, 2021 से 24.11.2025 तक जिला बलौदा बाजार-भाटापारा अंतर्गत सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना (SRE) के तहत कब-कब राशि का व्यय किन-किन कार्यों के लिए किया गया है ? वर्षवार, व्ययवार, भुगतानवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जिला बलौदाबाजार-भाटापारा भारत सरकार के एसआरई जिलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

जिला बेमेतरा अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों में देरी एवं समय-वृद्धि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. (क्र. 551) श्री दीपेश साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला-बेमेतरा अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विभाग अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य निर्धारित

समय-सीमा से विलंबित हुए? उनमें से कितने प्रकरणों में विभाग द्वारा समय-वृद्धि स्वीकृत की गई तथा इन प्रकरणों में कुल कितनी पेनाल्टी वसूल की गई? समय-वृद्धि स्वीकृत करने के प्रमुख कारण क्या थे? देरी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कृपया समय-वृद्धि किए गए कार्यों का नाम, कार्य लागत, पेनाल्टी राशि, ग्राम / पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, ठेकेदार का नाम का सहित विवरण दे।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है।

बेमेतरा जिले में ईट भट्टों के संचालन और पर्यावरणीय नियम के पालन की निति

[आवास एवं पर्यावरण]

57. (क्र. 552) श्री दीपेश साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में बेमेतरा जिले में कुल कितने ईट भट्टे पंजीकृत हैं और कितने अवैध रूप से संचालित हुए? इनके संचालन से जिले में होने वाले वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का निरीक्षण विभाग द्वारा कितनी बार किया गया? पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले भट्टों के खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की और भविष्य में नियमों का पालन तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विभाग की क्या योजना/नीति है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : पिछले पाँच वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक) की अवधि में बेमेतरा जिले में 07 ईट भट्टों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सम्मति जारी की गई है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। 01 ईट भट्टा मेसर्स श्री देवेन्द्र साह ब्रिक किल्न, ग्राम - डोकला, तहसील व जिला-बेमेतरा द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बगैर ईट भट्टे की स्थापना/संचालन किये जाने के कारण उक्त ईट भट्टे को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत इकाई को बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 01.12.2025 को निर्देश जारी किया गया है। ईट भट्टे मुख्यतः वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के होते हैं। यह जल प्रदूषणकारी प्रकृति के नहीं होते हैं एवं इनमें ध्वनि प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है। सम्मति प्राप्त ईट भट्टों का पिछले पाँच वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2025) की अवधि में वायु प्रदूषण (चिमनी उत्सर्जन) मापन कार्य/निरीक्षण किया गया, का विवरण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा भविष्य में भी इन ईट भट्टों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराने हेतु सतत निरीक्षण कर निगरानी रखी जाएगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मों द्वारा जमा किया गया कर

[वाणिज्यिक कर]

58. (क्र. 554) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जीएसटी विभाग में कुल कितने फर्म 31 अक्टूबर, 2025 तक पंजीकृत हैं? कुल पंजीकृत में से कितने फर्म कंपोजिशन का लाभ ले रहे हैं? उनके द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में कुल कितना टैक्स जमा किया गया है? शेष पंजीकृत फर्मों में से कितने फर्मों द्वारा आई.टी.सी. समायोजन पश्चात नकद टैक्स जमा की जाती है? कितने फर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले पाँच वर्षों में नकद में कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जीएसटी विभाग में कुल 1,99,796 फर्म 31 अक्टूबर, 2025 तक पंजीयत है। कुल पंजीकृत में से 31,627 फर्म कंपोजिशन का लाभ ले रहे हैं। उनके द्वारा वर्ष 2022-23 में 23.20 करोड़, 2023-24 में 25.62 करोड़ और 2024-25 में 31.84 करोड़ टैक्स जमा किया गया है। शेष पंजीकृत फर्मों में से वर्ष 2022-23 में 1,20,949 फर्म, 2023-24 में 1,31,073 फर्म और 2024-25 में 1,47,058 फर्मों द्वारा आई.टी.सी. समायोजन पश्चात नकद टैक्स जमा किया गया है। 2,115 फर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले पांच वर्षों में नकद में कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है।

पंचायतों के आंतरिक लेखा परीक्षा में जीएसटी जमा नहीं करने की अनियमितता सुधार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. (क्र. 555) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों के आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2024-25 में हजारों करोड़ का जीएसटी जमा नहीं करने की अनियमितताएँ पाई गई थी ? यदि हाँ तो अनियमितता का सुधार कर कितनी धनराशि जीएसटी खाते में जमा कराई गई है ? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का आंतरिक लेखा परीक्षा किया जाता है। वर्ष 2024-25 का अंकेक्षण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वर्तमान तक जीएसटी जमा नहीं करने संबंधी शिकायत/अनियमितता नहीं पाई गई।

ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[ग्रामोद्योग]

60. (क्र. 556) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-बालोद अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग द्वारा चलाई जाने वाली कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2023-24 और 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ? विधानसभावार जानकारी दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जिला बालोद अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित समग्र हाथकरघा विकास योजना, हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजना, रिवाल्विंग फण्ड योजना, बाजार अध्ययन एवं हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी, कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा केन्द्र प्रायोजित सिल्क समग्र-2, राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत उद्योगों की स्थापना की जाती है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों की विधानसभावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

शिक्षकों की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

61. (क्र. 559) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** माह सितंबर-अक्टूबर, 2025 में विज्ञापित लगभग 4,700-5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में किस चरण में है ? जानकारी दें ? **(ख)** बलरामपुर जिले व अन्य स्थानों पर मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों के बीमार होने की घटनाओं पर विभाग ने क्या जाँच करवाई है? क्या संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) या NGO

का अनुबंध रद्द किया गया है? (ग) राज्य के ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों (बस्तर व सरगुजा संभाग) के कितने स्कूल वर्तमान में शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हैं? इनकी जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जी हां। जी हां। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

शासकीय विद्यालयों में पुस्तकों के वितरण में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

62. (क्र. 560) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सभी शासकीय विद्यालयों में गत शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की संख्या की मांग के अनुरूप समय पर पुस्तकों का वितरण किया गया ? यदि नहीं तो किन विद्यालयों में पुस्तकों के वितरण में देरी, कमी अथवा गलत पुस्तकों की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? पुस्तकों की मांग एवं आपूर्ति की जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी पाए गए हैं? दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? (ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी, हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। पुस्तकों की मांग एवं आपूर्ति की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) निरंक। (ग) पुस्तकों में शीर्षकवार नंबरिंग की गयी है। हर पुस्तक का एक यूनिंक नंबर है, जिसका रिकार्ड छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम में संधारित किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर" \]](#)

सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति

[सहकारिता]

63. (क्र. 562) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी तीनों जिलों की कुल कितनी सहकारी समितियों में अशासकीय व्यक्तियों की प्राधिकृत अधिकारी पद पर नियुक्ति की गई है? उक्त नियुक्तियों में क्या पात्रता का परीक्षण किया गया है? पात्रता परीक्षण किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया ? (ख) परीक्षण में अपात्र कितने लोगों को पद से कौन-कौन सी समितियों में से किस नियम के तहत हटाया गया जानकारी देवें ? (ग) क्या नियुक्ति प्राप्त सभी अशासकीय प्राधिकृत अधिकारी पात्रता की सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं जो सहकारिता अधिनियम में संशोधन उपरांत उक्त पद को धारित करने की पात्रता रखने की शर्तें रखी गई हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी तीनों जिलों की कुल 129 सहकारी समितियों में अशासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। जी हां, उक्त नियुक्तियों में पात्रता का परीक्षण किया गया है। पात्रता का परीक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43 (ख) के प्रावधान अंतर्गत गठित छानबीन समिति के द्वारा किया गया। (ख) परीक्षण में अपात्र पाये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, अतः समितियों से हटाये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अन्तर्गत शासकीय शालाओ के विभिन्न मद में प्राप्त एवं व्यय राशि
[स्कूल शिक्षा]

64. (क्र. 564) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अन्तर्गत शासकीय शालाओं के विभिन्न मद क्रीड़ा निधि,आकस्मिक निधि, विज्ञान निधि,भूगोल निधि,रेडक्रास निधि, पी.बी.एफ. मद, परीक्षा मद, स्कूल ग्रांड मद, सेल्फ डिफेंस मद, इको क्लब मद, एन.एस. एस. मद, आई.सी.टी. मद, एन.सी.सी.मद,एस. एम.डी. सी.मद, स्काउड मद में 2024 से दिनांक 24.11.2025 तक कौन-कौन सी मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि का उपयोग किन कार्यों एवं किन सामग्रियों के क्रय में उपयोग किया गया है ? क्रय किये गए समस्त भुगतानों की जानकारी विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर" \]](#)

राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट युक्त वाहनों की संख्या
[परिवहन]

65. (क्र. 566) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में कुल कितने दोपहिया एवं चारपहिया वाहन है जिनमें एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट लगा चुके हैं एवं ऐसे कितने वाहन शेष हैं और क्यों ? शेष वाहनों पर कब तक एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट लगाने का लक्ष्य है ? (ख) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में विभिन्न मालवाहक वाहनों में ओवरलोड की जांच के लिए कितनी जांच चौकियों की स्थापना की गई एवं कितने उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है ? ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली ओवरलोड गाड़ियों को रोकने के लिये उड़नदस्ता दल के द्वारा इन गाड़ियों को पकड़े जाने पर चालान कर राशि वसूली की जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां तो 3 विगत वर्षों में कितनी राशि वसूल की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) मालवाहक वाहन के ओवरलोड के लिए पकड़े जाने पर अर्थदण्ड वसूली के क्या-क्या नियम हैं एवं विभाग को विगत 03 वर्षों में ओवरलोड के कितने प्रकरणों से कितनी राशि चालान पर वसूली से प्राप्त हुई है ? विकासखण्डवार व वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में कुल 4,55,114 पंजीकृत दोपहिया एवं चार पहिया वाहन हैं। जिसमें से 2,82,411 वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लग चुका है। 1,72,703 वाहनों पर एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लगाना शेष है। एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लगाने हेतु वाहन स्वामी द्वारा मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं कराने तथा तकनीकी कारणों से लंबित है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। (ख) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में विभिन्न मालवाहक वाहनों में ओवरलोड की जांच के लिए 03 जांच चौकियाँ एवं 02 उड़नदस्ता दल गठित है। जी हाँ। विगत 03 वर्षों में 441 ओवरलोड वाहनों से रू. 1,58,65,800/- राशि वसूल की गई। विस्तृत जानकारी संलग्न पत्र "अ" अनुसार है। (ग) मालवाहक वाहन के ओवरलोड के लिए पकड़े जाने पर अर्थदण्ड वसूली के मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। विभाग को विगत 03 वर्षों में 442 ओवरलोड के प्रकरणों से 1,59,01,800/- राशि चालान पर वसूली से प्राप्त हुई है। विकासखण्डवार जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है, वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी" \]](#)

डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भवन निर्माण

[सहकारिता]

66. (क्र. 568) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भवन डोंगरगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु राशि कब-कब स्वीकृत की गयी ? (ख) क्या पूर्व विधानसभा प्रश्न के उत्तर में भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया था ? यदि हां तो अभी तक अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है ? जानकारी देवें ? (ग) वर्तमान में बैंक भवन कहाँ संचालित किया जा रहा है ? (घ) शासकीय बैंक भवन कब तक बनकर तैयार हो पायेगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की शाखा डोंगरगढ़ के भवन निर्माण हेतु बैंक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 24.08.2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी। (ख) जी हां। आबंटित भूमि पर अतिक्रमणधारियों को अतिक्रमण हटाए जाने हेतु नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ द्वारा नोटिस जारी किया गया है। (ग) वर्तमान में बैंक शाखा किराए पर सिविल लाईन वार्ड नं. 24, डोंगरगढ़ में संचालित है। (घ) शाखा भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ।

वनमंडल मरवाही पेण्डारोड अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु चैनलिक की खरीदी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

67. (क्र. 569) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या रोपण वर्ष 2025-26 में वनमण्डल मरवाही पेण्डारोड अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु चैनलिक की खरीदी की गयी है? यदि हां तो किस योजना के तहत किन-किन फर्मों से कितनी मात्रा में चैनलिक की खरीदी कब और किस दर पर की गयी है? प्रदाय किये गये चैनलिक के संबंध में क्या कोई जांच करायी गयी है ? जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी एवं जांच में क्या पाया गया ? जांच में दोषी अधिकारियों एवं फर्मों पर क्या कार्यवाही की गयी है? कितनी फर्मों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है? परिक्षेत्रवार, कार्यवार, राशिवार, सामग्रीवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हां। मरवाही वनमंडल पेण्डारोड अंतर्गत रोपण वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण कार्य के तहत फेंसिंग कार्य में उपयोग हेतु चैनलिक खरीदी की गई है। फर्म का नाम जिनसे चैनलिक खरीदी की गई है, योजना का नाम जिसके लिए चैनलिक खरीदी की गई, मात्रा एवं दर की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है** । जी हां, प्रदाय किए गए चैनलिक के संबंध में जांच कराई गई है। जांच अधिकारी का नाम तथा जांच रिपोर्ट की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है** । जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है, दोषी पाए गए फर्मों पर की गई कार्यवाही एवं ब्लैकलिस्टेड किए गए फर्मों का परिक्षेत्रवार, कार्यवार, राशिवार, सामग्रीवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है** ।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क की मरम्मत हेतु कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. (क्र. 572) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राजनांदगांव जिले के ग्राम आलीवारा से पेटेश्री सड़क रिनिवल कार्य एवं ग्राम मुड़पार से जामरी पुलिया निर्माण के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. ग्रामीण सड़क अभिकरण, पीएमजेएसवाय से पत्राचार किया गया है ? यदि हां तो उक्त निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है एवं स्वीकृति कब तक प्रदान कर कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हॉ। राजनांदगांव जिले के ग्राम आलीवारा से पेटेश्री सड़क रिनीवल कार्य हेतु मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना द्वारा वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में राशि प्रावधान हेतु पत्राचार किया है। स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

प्रदेश में घटित नक्सली वारदातों में मृतकों की संख्या

[गृह]

69. (क्र. 575) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 20 नवम्बर, 2025 तक की अवधि में प्रदेश में कहीं-कहीं, कब-कब नक्सली वारदात घटित हुई हैं तथा इनमें कितने आम जनों की मृत्यु हुई है? इस अवधि में नक्सलियों तथा पुलिस बल के मध्य कितनी मुठभेड़ हुई हैं एवं इनमें कितने नक्सली मारे गए व पुलिस के कितने जवान शहीद हुए और कितने घायल हुए हैं? जानकारी देवें ? (ख) कण्डिका 'क' की अवधि में प्रदेश के थानों में हत्या, दुष्कर्म, चोरी, लूट, रंगदारी, मारपीट तथा आर्म्स एक्ट के तहत कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? दर्ज किये गये कितने प्रकरणों में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा कितने प्रकरणों पर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है? जिलेवार जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक प्रदेश में घटित नक्सली वारदात की स्थान एवं दिनांकवार जानकारी **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ”** अनुसार है। इन घटनाओं में 156 आम जनों की मृत्यु हुई है। उक्त अवधि में नक्सलियों तथा पुलिस बल के मध्य कुल 310 मुठभेड़ हुई है जिसमें 505 नक्सली मारे गए एवं पुलिस बल के 31 जवान शहीद तथा 148 जवान घायल हुए हैं। (ख) प्रश्नांश अवधि में प्रदेश के थानों में हत्या, दुष्कर्म, चोरी, लूट, रंगदारी, मारपीट तथा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किये गये प्रकरण, प्रकरणों में गिरफ्तारी, गिरफ्तार आरोपी की संख्या तथा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत चालान की जानकारी **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब”** अनुसार है।

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति का आधार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. (क्र. 576) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 20 नवम्बर, 2025 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत कुल कितनी लागत के, कितने कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत किस आधार पर कार्यों को योजना में सम्मिलित किया जाता है? कण्डिका 'क' में स्वीकृत किये गये कार्यों के चयन के आधार एवं प्रक्रिया की जानकारी देवें ? स्वीकृत कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित/माँग की गई कितने कार्य सम्मिलित हैं ? जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 20 नवम्बर, 2025 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुल राशि रु. 11,379.82 लाख के 4425 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से विकासखंड बालोद में राशि रु. 4389.90 लाख के 1418 कार्य एवं विकासखंड गुरूर में राशि रु. 6989.91 लाख के 3007 कार्य स्वीकृत किये गए हैं। (ख) कण्डिका 'क' के अनुसार स्वीकृत कार्यों का चयन श्रमिकों की मांग के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जी.पी.डी.पी. में प्रस्तावित एवं ग्रामसभा में अनुमोदित कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित मापदंडों तथा

शासन की प्राथमिकता के अनुक्रम में किया जाता है। कार्यों की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर नहीं, अपितु ग्रामसभा/ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गए जिला वार्षिक कार्ययोजना तथा आवश्यकता अनुरूप कार्य की मांग के आधार पर एवं तकनीकी स्वीकृति उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अनुशंसित कार्य भी शामिल हो सकते हैं।

कांकेर जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पद

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

71. (क्र. 579) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संकाय सदस्य, मास्टर ट्रेनर के कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें ? **(ख)** जनपद पंचायत के प्रशिक्षण केन्द्रों में जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच को प्रशिक्षण किनके द्वारा दिया जाता है ? **(ग)** क्या वर्तमान में जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच का प्रशिक्षण प्राइवेट एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जनपद पंचायत के प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्राम पंचायत के पंचों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों द्वारा दिया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी, एन.जी.ओ. के रिसोर्स पर्सन, लाईन विभागों के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। **(ग)** जी हाँ। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के पंचों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

कांकेर में भालुओं एवं तेंदुओं के हमलों से प्रभावितों को मुआवजा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

72. (क्र. 580) श्री आशा राम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** निर्वाचन क्षेत्र कांकेर में पिछले 2 वर्षों में भालुओं एवं तेंदुओं द्वारा हमले की कितनी घटनाएँ दर्ज की गई हैं? **(ख)** इन घटनाओं में कितने लोगों को चोटें आईं और कितनों की मृत्यु हुई? **(ग)** प्रभावित परिवारों को अब तक क्या मुआवजा एवं सहायता प्रदान की गई है? **(घ)** ऐसे हमलों को रोकने तथा भालुओं एवं तेंदुओं को आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? **(ङ)** क्या सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु कोई विशेष योजना, जागरूकता अभियान या रेस्क्यू टीम तैनात करने जैसी व्यवस्था कर रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** निर्वाचन क्षेत्र कांकेर में पिछले 2 वर्षों में भालुओं एवं तेंदुआ द्वारा हमले की 32 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। **(ख)** उक्त घटनाओं में 26 लोगों को चोटें आई हैं एवं 06 लोगों की मृत्यु हुई है। **(ग)** पिछले 2 वर्षों में अब तक जनहानि के 06 प्रकरण एवं जनघायल के 26 प्रकरणों में राशि रु. 43,28,073/- की मुआवजा राशि का प्रदाय प्रभावित परिवारों/घायल व्यक्ति को किया गया है। **(घ)** विभाग द्वारा वनक्षेत्रों से ग्रामों की ओर वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने हेतु वनकर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों का नियमित गश्त किया जाता है एवं ट्रैप कैमरा लगाकर भी वन्यजीव के आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है। मुनादी कर लोगो को वनों में न जाने की जानकारी दी जाती है। बैनर, पोस्टर फिल्मों के माध्यम से मानव-वन्यप्राणी द्वंद को कम करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है। **(ङ)** विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वन प्रबंधन समिति एवं वन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय-समय पर बैठक लिया

जाता है। पॉम्पलेट तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। शासन के निर्देशानुसार वन्यप्राणी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वन्यप्राणी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

73. (क्र. 583) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है एवं वर्तमान में ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों की कुल संख्या कितनी है ? वर्तमान में कितने पंचायत सचिव कार्यरत हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में कितने पंचायत सचिवों की नियुक्तियों की गई है ? यदि नियुक्तियों नहीं की गई है तो पंचायतों का संचालन किस व्यवस्था के तहत संपन्न हो रहा है ? (ग) पंचायत सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ? कौन अधिकारी/कर्मचारी इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में पंचायत सचिवों की नियुक्तियों नहीं की गई है। जिन पंचायतों में सचिव के पद रिक्त है वहां अन्य ग्राम पंचायत सचिव को अतिरिक्त प्रभार दिया जाकर, पंचायतों का संचालन किया जा रहा है। (ग) पंचायत सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन समीपस्थ ग्राम पंचायत के सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की जनपद पंचायतों को प्राप्त एवं व्यय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

74. (क्र. 584) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023-24 से 24.11.2025 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले अंतर्गत जनपद पंचायतों को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि कितने कार्यों में व्यय की गयी है ? जानकारी वर्षवार, जनपदवार दें ? (ख) कंडिका "क" के कितने निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्य अथवा अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी वर्षवार, जनपदवार दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

बस्तर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त एवं व्यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

75. (क्र. 587) सुश्री लता उसेंडी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं उन्हें कितने कार्यों में खर्च किया गया ? जिलेवार, मदवार, फर्मवार जानकारी देवें ? (ख) बस्तर संभाग में विगत 03 वर्षों में प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शाला नवीन भवन निर्माण हेतु विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं प्राप्त आवेदनों के अनुसार कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है ? जिलेवार,

स्वीकृतीवार जानकारी देवें ? (ग) बस्तर संभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में शाला उन्नयन (जिसमें प्रथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से हाईस्कूल, हाईस्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल) हेतु विभाग को कितने आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं एवं उक्त हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें ? (घ) बस्तर संभाग अंतर्गत स्कूल जतन योजना अंतर्गत विगत 03 सालों में कितनी राशि का कितने कार्यों हेतु आबंटन प्राप्त हुआ है ? जिलेवार, वर्षवार, आबंटनवार जानकारी देवें ? क्या उक्त योजना में निर्माण से संबंधित क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'द' अनुसार है। जी हाँ, जिला कांकेर में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जिला स्तर पर जाँच समिति गठित कर जाँच की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी" \]](#)

जिला नारायणपुर अंतर्गत पदस्थ भृत्य की संदेहास्पद मृत्यु की जांच

[गृह]

76. (क्र. 588) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 2256), दिनांक 18/03/2025 में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हेतु आश्वस्त किया गया था? दिनांक 24.11.2025 तक उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, विसरा रिपोर्ट एवं उक्त प्रकरण में कौन-कौन व्यक्ति संलिप्त पाए गए तथा दोषियों पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : यह कहना सही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री जी द्वारा पूर्व विधानसभा सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के तारांकित प्रश्न संख्या 07 (2256) की परिचर्चा दौरान स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य, तत्कालीन कार्यरत सहायक आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, जिला नारायणपुर के मृत्यु की जांच पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर बस्तर कांकेर ने अपने अधीनस्थ उप पुलिस अधीक्षक, जिला रिजर्व गार्ड से मर्ग जांच की समीक्षा करवायी। समीक्षा में विसरा रिपोर्ट में रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया एवं हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण संभवतः फेफड़ों का रोग होना लेख किया गया। तदोपरांत सभी उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों की समीक्षा के पश्चात् संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाये जाने से दिनांक 07 जुलाई 2025 को मर्ग डायरी नस्तीबद्ध की गयी।

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आबंटन के विरुद्ध क्रय

[स्कूल शिक्षा]

77. (क्र. 591) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अप्रैल, 2022 से दिनांक 24/11/25 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटन में क्या-क्या सामग्री किस-किस फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई? वर्षवार मदवार जानकारी देवें? (ख) क्रय की गई सामग्री को किस-किस संस्था में कितनी-कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया है? क्या

क्रय की गई सामग्री में छ.ग.भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये जिला स्तरीय क्रय समिति से सत्यापन कराया गया है? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार है। जी हाँ, क्रय की गयी सामग्री छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) का पालन करते हुए जिला स्तरीय क्रय समिति से सत्यापन कराया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत वन विभाग में प्राप्त आबंटन एवं स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

78. (क्र. 592) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला - मानपुर , क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2023 से 24/11/25 तक वन विभाग में किन-किन मद में कितने-कितने आबंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार, मदवार, परिक्षेत्र वार, जानकारी देवें? (ख) प्रश्न "क" अनुसार प्राप्त आबंटन से कितनी - कितनी लागत के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? वर्षवार, मदवार, कार्यवार परिक्षेत्र वार, जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर, क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2023 से 24/11/25 तक प्राप्त आबंटन की वर्षवार, मदवार, परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है । (ख)विवरण पुस्तकालय रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।

छ0ग0 में धान खरीदी व उठाव की अद्यतन स्थिति

[सहकारिता]

79. (क्र. 595) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2024-25 में धान खरीदी व धान उठाव की जिलेवार अद्यतन स्थिति बतावें ? (ख) प्रदेश में कुल पंजीकृत किसानों के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों की अद्यतन स्थिति जिलेवार बतावें? (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में इस चालू वर्ष में दिनांक 24 नवम्बर, 2025 की स्थिति में छ.ग. शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध पंजीकृत किसानों से कितने किंटल धान की खरीदी कर ली गयी है ? जिलेवार जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रश्नांश 'क' की जानकारी प्रपत्र में संलग्न है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी प्रपत्र में संलग्न है। (ग) प्रश्नांश 'ग' की जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

जिला बस्तर में अत्यंत ही जर्जर शाला भवनों व शौचालयों हेतु नवीन भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

80. (क्र. 596) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर में कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन एवं शौचालय अत्यंत ही जर्जर स्थिति में हैं ? (ख) इन शालाओं का कार्यसंचालन इस समय कहां किया जा रहा है ? (ग) इन शालाओं हेतु नवीन भवन निर्माण हेतु क्या कोई विभागीय कार्ययोजना प्रस्तावित अथवा विचाराधीन है ? इन शालाओं हेतु नवीन भवन का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ? कृपया बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कालम क्रमांक 05 के अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

पुलिस वेतन भत्ता कमेटी की रिपोर्ट

[गृह]

81. (क्र. 599) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या पुलिस वेतन भत्ता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है ? यदि हां तो कमेटी ने क्या - क्या सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है ? कमेटी की रिपोर्ट सहित पूर्ण जानकारी दें? (ख) गृह विभाग द्वारा पुलिस वेतन भत्ता कमेटी की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां तो कब तक लागू कर दी जाएगी और नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हां । जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं । शेषांश का उपस्थित नहीं होता ।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

वाहनों के ई-चालान से प्राप्त राजस्व

[गृह]

82. (क्र. 601) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में 1 अप्रैल, 2025 से दिनांक 24/11/25 तक विभाग को वाहनों के ई-चालान से कुल कितनी राशि का राजस्व प्राप्त हुआ है?जिलेवार विवरण प्रदान करें? (ख) ई-चालान जमा नहीं किये जाने पर वाहनों को राजसात किये जाने का क्या प्रावधान है? (ग)क्या ई-चालान जमा नहीं करने वाले या बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त किये जाने तथा कानूनी कार्यवाही संबंधी किसी प्रकार का नियम है? यदि हां तो क्या?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-19 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम-1989, नियम-21 में बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त किये जाने तथा कानूनी कार्यवाही संबंधी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 से 201 के अंतर्गत अधिकतम दण्ड (जुर्माना/कारावास) प्रावधानित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी"]

रायपुर जिले में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण

[गृह]

83. (क्र. 602) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2025 से 24/11/25 दिनांक तक रायपुर जिले के धरसीवा एवं तिल्दा विकासखण्ड के थानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरण किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किये गये? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार इन प्रकरणों में कितनी-कितनी मात्रा में शराब जब्त की गई तथा किन-किन प्रतिबंधात्मक एवं कानूनी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया?विवरण प्रदान करें? (ग)प्रश्नांक क अनुसार ऐसे

कितने प्रकरण हैं जिनमें किसी एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक बार इन प्रकरणों में कार्यवाही की गई है ? नाम एवं गांववार जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर स्कूल भवनों की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

84. (क्र. 605) श्री मोतीलाल साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवन जर्जर हैं या कक्ष की कमी है ? नाम सहित जानकारी दें? (ख) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने विद्यालयों का राज्य शासन स्तर पर उन्नयन प्रस्तावित है? नाम सहित विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य वन भूमि के व्यपवर्तन पर ग्राम सभा को देय मुआवजा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

85. (क्र. 608) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार भूमि का व्यापवर्तन (diversion) किए जाने पर ग्राम सभा को मुआवजा दिए जाने के लिए वन विभाग के पास क्या प्रावधान है? जानकारी दें? क्या उक्त अनुसार कार्यवाही किए जाने पर ग्राम सभा को मुआवजा दिया जा रहा है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : सामुदायिक वन संसाधन अधिकार भूमि के व्यपवर्तन (diversion) किए जाने पर ग्राम सभा को वन विभाग द्वारा मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में व्यय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

86. (क्र. 611) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2025-26 दिनांक 24/11/25 तक विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों व योजनाओं के प्रचार प्रसार में कितनी राशि खर्च की गई है? (ख) खर्च की गई राशि किस मद से की गई? (वर्षवार विवरण) (ग) कितनी राशि सीधे विभाग द्वारा खर्च की गई और कितनी राशि छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से व्यय की गई? (घ) किन एजेंसियों को कितने का भुगतान हुआ? (वर्षवार विवरण)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं (ख) की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) एवं (घ) की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है।

प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने के प्रावधान

[स्कूल शिक्षा]

87. (क्र. 612) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** प्रदेश में प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल शुरू करने के क्या प्रावधान हैं ? **(ख)** विधान सभा क्षेत्र भरतपुर - सोनहत में नियमानुसार कितने प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल होने चाहिए ? उनके अनुपात में कितने स्कूल हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जानकारी तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	विधानसभा का नाम	शाला का स्तर	नियमानुसार शालाओं की संख्या	अनुपात में शालाओं की संख्या
1	भरतपुर-सोनहत	शास. प्राथमिक	481	476
2		शास. पूर्व माध्यमिक	212	210
3		शास. हाईस्कूल	37	33
4		शास. हायर सेकेण्डरी	45	36

[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे"]

वन विभाग के सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

88. (क्र. 616) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद अंतर्गत वनांचलों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो कि वन भूमि क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जहाँ आबादी निवास करती है, क्या ऐसे वन क्षेत्रों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों में जैसे सड़क, खेल मैदान, आवासीय कॉलोनी, शमशान, अस्पताल आदि बनवाने के लिए राजस्व मद में दर्ज किये जाने अथवा स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु सरकार कोई योजना है ? यदि हां, तो जानकारी प्रदान करें ? यदि नहीं, तो ऐसी वन भूमि में निर्माण कार्यों के लिए सरकार की योजना क्या है ? बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : महासमुंद अंतर्गत वनांचलों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो कि वन भूमि क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जहाँ आबादी निवास करती है, ऐसे वन क्षेत्रों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों में जैसे सड़क, खेल मैदान, आवासीय कालोनी, शमशान, अस्पताल आदि बनवाने के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों के तहत अनुमति की आवश्यकता होती है। आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य कराते हैं।

शालाओं में निःशुल्क पुस्तक वितरण

[स्कूल शिक्षा]

89. (क्र. 619) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 10 तक दी जाने वाली निःशुल्क पुस्तकों का वितरण क्या निर्धारित समयावधि में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **(ख)** क्या प्रदेश के सभी स्कूलों में मांग अनुसार पुस्तकें प्रदान कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों के किन-किन स्कूलों में पुस्तक अप्राप्त है, जिलेवार

ब्यौरा प्रदान करें ? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रारंभ होने के 2-3 माह पश्चात भी विद्यार्थियों को पुस्तक प्रदान नहीं की जा सकी, इस हेतु दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी, हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी, हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) निरंक।

प्रदेश के आवासविहीन परिवारों को आवास प्रदाय हेतु संचालित योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

90. (क्र. 620) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में जिनके पास आवास नहीं हैं, उन्हें आवास प्राप्त हो सके इसके लिये कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है, जानकारी दें ? (ख) आवासहीन परिवारों को आवास किस आधार पर उपलब्ध किया जा रहा है ? गरीब तथा मध्यम परिवारों को आवास आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रति परिवार/प्रति आवास कितनी राशि का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ? (ग) वर्ष 2022-23 से नवम्बर, 2025 की स्थिति में आवासहीन परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी संख्या में आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ? क्या लक्ष्य पूरा किया गया है, यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में जिनके पास आवास नहीं हैं, उन्हें आवास प्राप्त हो सके इसके लिये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा (1) राज्य प्रवर्तित अटल विहार योजना (2) राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री आवास योजना सह प्रधानमंत्री आवास योजना नवा रायपुर (3) सामान्य आवास योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा (1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन) (3) मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 योजनाएं संचालित है। (ख) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित आवास योजनाओं में निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु स्ववित्तीय आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें कमजोर आय वर्ग हेतु वार्षिक आय सीमा रु. 3 लाख से कम, एवं निम्न आय वर्ग हेतु वार्षिक आय सीमा रु. 3 लाख से रु. 6.00 लाख तक निर्धारित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी)-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं वर्ष 2018 की आवास प्लस सूची, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत प्रदेश के 18 जिलों में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सर्वेक्षित एवं पात्र पाये गये परिवारों को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2023 के पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 हेतु भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप आवास का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अनुदान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत संचालित आवास योजनाओं में वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं है। विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भवनों की मांग अनुसार भवनों का निर्माण स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रश्नावधि में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2023 उपरांत 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 38,806 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष हितग्राहियों को पूर्व में लाभान्वित होने तथा अपात्र पाये जाने के कारण आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक मांग आधारित योजना है, जिसमें वर्षवार लक्ष्य का प्रावधान नहीं है, अपितु वर्ष 2022-23 से नवम्बर, 2025 तक निकायों से

प्राप्त मांग अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में 33812 आवास तथा द्वितीय चरण (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0) में 24188 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे" \]](#)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पेसा समन्वयक एवं मोबलाइज़र पद की पूर्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

91. (क्र. 623) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य पेसा समन्वयक, जिला पेसा समन्वयक और पेसा मोबलाइज़र के जो पद स्वीकृत है, उनको भरने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) अब तक भर्ती नहीं होने का क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? इनकी भर्ती कब तक कर ली जाएगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत राज्य समन्वयक पेसा के 01 पद स्वीकृत हैं तथा जिला समन्वयक पेसा एवं पेसा मोबलाइज़र के पद स्वीकृत नहीं है। राज्य समन्वयक पेसा के 01 पद के पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। (ख) राज्य समन्वयक पेसा के 01 पद की पूर्ति हेतु न्यूनतम अर्हता की शर्त में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव नहीं मिलने के कारण, उक्त पद के विज्ञापन को निरस्त किया गया है और इसके लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय किया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त पद की पूर्ति करने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

92. (क्र. 625) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) वर्ष 2022-2023 से 30 नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कितनी सड़कें कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई ? स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई एवं सड़कों के मध्य में निर्मित किये जाने वाले पुल-पुलिया की संख्या सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी एवं कहां-कहां पर नवीन सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया ? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'ख' के स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने किन कारणों से अपूर्ण है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के निर्माण व संधारण हेतु क्या नियम निर्धारित है ? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में नवीन सड़कों की स्वीकृति निरंक है। अतएव वर्षवार विकासखंडवार की जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है। अतएव उन सड़कों के पूर्ण एवं अपूर्ण की वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु नियम भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशन मेनुअल के आधार पर निर्धारित है। उक्त ऑपरेशन मेनुअल बुकलेट के रूप में वेब-साइट pmsgsy.dord.gov.in, pmsgygov.dord.gov.in में उपलब्ध है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरानबे" \]](#)

समग्र विकास, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

93. (क्र. 626) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विभाग द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में समग्र विकास, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ योजना, हेतु कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा प्रावधानित राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' की योजनाओं हेतु जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कार्य, कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? वर्षवार, योजनावार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'ख' के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने किन कारणों से अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" की योजनाओं हेतु जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में नवीनीकरण के 04 एवं पैच रिपेयर के 07 तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ के 08 कार्य स्वीकृत किए गये हैं। कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृति किये गये की वर्षवार, योजनावार, जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "ख" के स्वीकृत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत नवीनीकरण के 04 एवं पैच रिपेयर के 07 कार्य पूर्ण तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ के 08 कार्य किन कारणों से अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण कार्यों की संभावित कार्य पूर्णता तिथि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरानबे"]

जिला जांजगीर-चांपा के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत जाटा में सरपंच पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. (क्र. 627) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या जनपद पंचायत बलौदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाटा में निर्वाचित सरपंच (अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग) के आकस्मिक निधन से सरपंच का पद रिक्त है?जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार रिक्त सरपंच पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पंच की नियुक्ति की गई है ? यदि हां तो किस नियम और प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति की गई है, कृपया, जानकारी दें ? (ग) क्या शासन प्रश्नांक "क" ख" के आधार पर प्रकरण की जांच कराकर आरक्षित वर्ग के ही पंचायत पदाधिकारी को सरपंच पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हाँ, जिला-जांजगीर-चांपा के जनपद पंचायत बलौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत जाटा में निर्वाचित सरपंच (अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग) के आकस्मिक निधन पर सरपंच का पद रिक्त है। (ख) जी हाँ, ग्राम पंचायत जाटा के नव निर्वाचित सरपंच की मृत्यु होने के फलस्वरूप दिनांक 17.03.2025 को स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन किया गया। जिसमें नियमानुसार अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से महिला पंच श्रीमती राजेश्वरी बलराम मरकाम को निर्विरोध स्थानापन्न सरपंच निर्वाचित किया गया था। दिनांक 20.06.2025 को सचिव ग्राम पंचायत जाटा द्वारा श्रीमती राजेश्वरी बलराम स्थानापन्न सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं लिये जाने की सूचना दी गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार दिनांक 14.07.2025 को स्थानापन्न सरपंच निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक आहूत किया गया। उक्त बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला पंच श्रीमती रूकमणी बाई गोड़ द्वारा कार्यवाही के दौरान स्थानापन्न सरपंच के निर्वाचन में शामिल नहीं होने संबंधी आवेदन देकर असमर्थता व्यक्त किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत जाटा में अनुसूचित जनजाति महिला प्रवर्ग से उपरोक्त 02 पंचों के अलावा अनुसूचित जनजाति

प्रवर्ग से महिला पंच नहीं होने के कारण पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा-38 (1) **(ख)** अनुसार अन्य प्रवर्ग की महिला को स्थानापन्न सरपंच के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्थानापन्न सरपंच निर्वाचित किया गया है। **(ग)** रिक्त सरपंच पद पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 13(2) के अनुसार नई निर्वाचन की कार्यवाही छः माह के भीतर प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है।

रायगढ़, धर्मजयगढ़ में वन भूमि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

95. (क्र. 628) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन मण्डल रायगढ़, धर्मजयगढ़ के पास कुल वन भूमि कितनी है ? पंचायतवार/ग्राम वार व परिक्षेत्रानुसार विवरण देंगे? **(ख)** वन भूमि पर अवैध तरीके से उद्योगों द्वारा कब्जा किये जाने का कोई प्रकरण है ? यदि हां तो किनके द्वारा व कब से ? विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार वनभूमियों का सीमांकन कराया गया है? यदि हां तो विवरण दें नहीं क्यों नहीं कराया गया ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वनमण्डल रायगढ़ में 81164.367 हेक्टेयर तथा वनमण्डल धर्मजयगढ़ में 108087.779 हेक्टेयर कुल 189252.146 हेक्टेयर वन भूमि है। वन विभाग के शासकीय रिकार्ड्स में पंचायतवार/ ग्रामवार वनभूमि की जानकारी संधारित नहीं की जाती है । परिक्षेत्रानुसार **विवरण संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है ।****(ख)** वन भूमि पर अवैध तरीके से उद्योगों द्वारा कब्जा किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है **(ग)** प्रश्नांश "ख" के संबंध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पंचानबे"]

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 606) की जानकारी

प्रपत्र

विगत 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25) के लघु वनोपज संग्रहण की जानकारी								
क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	(MSP/S P)	संग्रहित मात्रा (किंटल में)	संग्रहण मूल्य (राशि रु. लाख में)		संग्राहक संख्या
						देय राशि	भुगतान राशि	
1	मालकांगनी	मालकांगनी बीज (सूखा)		MSP	5.16	0.3325	0.3325	49.00
2	बायबडिंग	बायबडिंग		MSP	0.00	0.0000	0.0000	0.00
3	कालमेघ	कालमेघ / भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	7458.58	260.4809	260.4809	6931.00
		कालमेघ / भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	1486.53	51.5849	51.5849	709.00
4	आंवला	आंवला (बीज रहित सूखा)		MSP	20.29	1.0568	1.0568	665.00
5	रंगीनी लाख	रंगीनी लाख / छिली लाख (सूखा)		MSP	706.27	156.7178	156.7178	1125.00
6	रीठा	रीठा फल (सूखा)		MSP	0.70	0.0098	0.0098	1.00
7	वन जीरा	वन जीरा बीज		MSP	31.09	2.1749	2.1749	178.00
8	सतावर	सतावर जड़ (सूखा)		MSP	15.08	1.8023	1.8023	95.00
9	चरौटा	चरौटा बीज	ग्रेड-1	MSP	1801.09	25.9116	25.9116	4658.00
		चरौटा बीज	ग्रेड-2	MSP	48.24	0.7133	0.7133	83.00
10	शहद	शहद		MSP	1651.72	362.4612	362.4612	2160.00
11	नागरमोथा	नागरमोथा (सूखा)		MSP	1764.99	51.9719	51.9719	2114.00
12	माहुल	माहुल पत्ता		MSP	2812.80	42.4880	42.4880	3182.00
13	हर्रा	हर्रा साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	19605.45	2362.4510	2362.4510	17031.00
		हर्रा साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	3170.60	43.5347	43.5347	2594.00
14		हर्रा कचरिया		MSP	8634.40	173.5544	173.5544	7011.50
15	बहेड़ा	बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	46147.17	782.2311	782.2311	39726.00
		बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	14200.55	233.0971	233.0971	7577.00
16		बहेड़ा कचरिया		MSP	2293.87	2107.0841	2107.0841	3884.00
17	गिलोय	गिलोय (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	13893.37	555.2489	555.2489	16119.00
		गिलोय (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	344.49	12.7688	12.7688	785.00
18	कुसुमी लाख	कुसुमी लाख/छिली लाख (सूखा)		MSP	24.77	7.9305	7.9305	141.00
19	वन तुलसी	वन तुलसी बीज		MSP	136.00	2.1773	2.1773	377.00
20	भेलवा	भेलवा		MSP	3279.89	36.0600	36.0600	6648.00
21	शिकाकाई	शिकाकाई फल्ली (सूखा)		MSP	3.42	0.1710	0.1710	24.00
22	इमली	इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-1	MSP	167360.70	5828.7183	5828.7183	124879.00
		इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-2	MSP	88309.07	2214.9521	2214.9521	73563.25
23		इमली फूल (बीज रहित)		MSP	20018.18	1338.9941	1338.9941	14463.00
24		इमली बीज		MSP	8313.71	228.9158	228.9158	20477.25
25	महुआ	महुआ फूल (सूखा)		MSP	41673.23	1343.0068	1343.0068	66103.20
26		महुआ बीज		MSP	685.60	19.9481	19.9481	786.00
27	झाड़	झाड़ फूल (घास)		MSP	2905.61	124.4376	124.4376	5925.00
28	कोच	कोच बीज		MSP	0.75	0.0580	0.0580	8.00
29	धवई फूल	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	2606.06	91.6605	91.6605	5692.00
		धवई फूल (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	887.40	31.5019	31.5019	1301.00
30	चिरौंजी	चिरौंजी गुठली	ग्रेड-1	MSP	2646.71	461.4579	461.4579	5172.30
		चिरौंजी गुठली	ग्रेड-2	MSP	1294.30	209.3666	209.3666	1459.00
		चिरौंजी गुठली	ग्रेड-3	MSP	74.41	8.5600	8.5600	37.00
31	करंज	करंज बीज		MSP	198.84	4.3513	4.3513	235.00

BR

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	(MSP/S P)	संग्रहित मात्रा (किलो में)	संग्रहण मूल्य (राशि रु. लाख में)		संग्राहक संख्या
						देय राशि	भुगतान राशि	
32	बेल	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	920.86	26.8334	26.8334	1468.00
		बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	1125.95	32.5792	32.5792	744.00
33	कुल्फू	कुल्फू गौद		MSP	5.09	0.6075	0.6075	13.00
34	काजू	काजू गुठली	ग्रेड-1	MSP	1927.54	180.7963	180.7963	6644.75
		काजू गुठली	ग्रेड-2	MSP	1106.77	97.7394	97.7394	25265.90
35	साल	सालबीज	ग्रेड-1	MSP	323310.01	6449.6293	6449.6293	134309.00
		सालबीज	ग्रेड-2	MSP	213021.83	3864.3491	3864.3491	140884.74
36	कुसुम	कुसुम बीज	ग्रेड-1	MSP	11.80	0.2479	0.2479	31.00
		कुसुम बीज	ग्रेड-2	MSP	0.92	0.0190	0.0190	13.00
37	नीम	नीम बीज (सूखा)		MSP	209.41	5.6517	5.6517	577.00
38	जामुन	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-1	MSP	324.53	11.2777	11.2777	594.00
		जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-2	MSP	628.14	22.1932	22.1932	467.00
39	मालकांगनी	मालकांगनी फल कच्चा (लाल रंग)		SP	5.01	0.0852	0.0852	8.00
40	कालमेघ	कालमेघ / भूईनीम (कच्चा)		SP	340.51	5.7264	5.7264	324.00
41	आंवला	आंवला फल (कच्चा)		SP	532.79	14.5908	14.5908	599.48
42	रंगीनी लाख	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-1	SP	19.68	3.9356	3.9356	30.00
		रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-2	SP	16.38	3.8500	3.8500	13.00
43	हर्रा	हर्रा कच्चा		SP	0.45	0.0027	0.0027	3.00
44		हर्रा बाल		SP	7.68	0.2304	0.2304	22.00
45	बहेड़ा	बहेड़ा कच्चा		SP	52.60	0.26	0.26	60.10
46	गिलोय	गिलोय (कच्चा)		SP	130.51	0.82	0.82	108.00
47	कुसुमी लाख	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-1	SP	15.93	6.37	6.37	14.00
		कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-2	SP	3.38	1.23	1.23	1.00
48	महुआ	महुआ फल कच्चा (फूड ग्रेड)		SP	127.83	1.2783	1.2783	63
49	झाड़ू	झाड़ू कांटा (घास)		SP	210.12	3.31	3.31	39.00
50		झाड़ू छिंद (घास)		SP	164.67	1.15	1.15	110.00
51	बेल	बेल फल (कच्चा)		SP	334.34	3.34	3.34	81.00
52	जामुन	जामुन फल (कच्चा)		SP	1449.38	33.34	33.34	4737.00
53	रैली कोसा	रैली कोसा (साबुत) (दर नग हेतु)	ग्रेड-1	SP	3130270.00	728.61	728.61	8257.83
		रैली कोसा (साबुत) (दर नग हेतु)	ग्रेड-2	SP	183950.00	9.38	9.38	2877.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर नग हेतु)	ग्रेड-3	SP	63399.00	2.46	2.46	1219.00
54	रैली कोसा	रैली कोसा (पोली) (दर नग हेतु)	ग्रेड-1	SP	109353.00	4.83	4.83	349.67
		रैली कोसा (पोली) (दर नग हेतु)	ग्रेड-2	SP	51100.00	6.94	6.94	307.02
		रैली कोसा (पोली) (दर नग हेतु)	ग्रेड-3	SP	86397.00	6.55	6.55	339.89
55	सवई	सवई घास		SP	969.78	13.62	13.62	358.00
56	कोदो	कोदो		SP	114189.69	3564.04	3564.04	21778.20
57	कुटकी	कुटकी (काला)		SP	2231.87	69.25	69.25	2043.00
		कुटकी (भूरा)		SP	3836.39	145.92	145.92	1711.00
58	रागी	रागी		SP	11658.08	427.47	427.47	8366.65
59	पाताल कुम्हड़ा	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)		SP	2339.58	50.57	50.57	1109.00
60	सफेद मुसली	सफेद मुसली कंद (सूखा)		SP	47.17	29.53	29.53	252.00
61	तीखुर	तीखुर कंद (कच्चा)		SP	1570.03	36.56	36.56	2234.00
62	अश्वगंधा	अश्वगंधा जड़ (सूखा)		SP	2.09	0.73	0.73	9.00

5/12/25

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	(MSP/S P)	संग्रहित मात्रा (किंटल में)	संग्रहण मूल्य (राशि रु. लाख में)		संग्राहक संख्या
						देय राशि	भुगतान राशि	
63	कोरिया	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)		SP	675.30	101.24	101.24	651.00
64		कुटज छाल (सूखा)		SP	1320.58	15.84	15.84	1313.00
65	पलाश	पलाश फूल (सूखा)		SP	3066.86	443.77	443.77	6406.00
66	आम	अमचूर सफेद	ग्रेड-1	SP	356.85	45.93	45.93	7773.40
		अमचूर भूरा	ग्रेड-2	SP	332.67	18034.92	18034.92	752.00
67	इमली	इमली फल (छिलका सहित)	ग्रेड-1	SP	231.86	8.47	8.47	200.00
			ग्रेड-2	SP	3234.13	114.41	114.41	2533.00
योग					1158578.11	53812.4502	53812.4502	832032


 (रमेश कुमार जांगडे)
 उप महाप्रबंधक (उत्पा./मण्डा.)
 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर



परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 501) की जानकारी

प्रपत्र

स्मृति वाटिका के रखरखाव, जीर्णोद्धार एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए किए गए कार्यों का वर्षवार, कार्यवार, आबंटित राशि का विवरण

वर्ष	वाटिका में किए गए कार्य का नाम	आबंटित राशि (रु. में)		
		रखरखाव	जीर्णोद्धार	पर्यटकों की सुविधा हेतु
1	2	3	4	5
2023-24	-	0	0	0
2024-25	डेकोरेशन इन स्क्वेयर	0	500000	0
2024-25	साइनेज	0	0	250000
2024-25	चैनलिक फेंसिंग	6030000	0	0
2024-25	वाटरफॉल रिपेयरिंग	0	200000	0
2024-25	हेज प्लांट एलॉग रोड	0	200000	0
2024-25	डिजाईनर बेंचेस	0	0	200000
2025-26		0	0	0
	योग :-	6030000	900000	450000

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 125) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक की स्थिति में उद्योगों से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग भू-भराव में करने हेतु जारी अनुमति /अनापत्ति की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	भू-भराव/खदान भराव स्थल की जानकारी
1.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ग्राम-छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-खर्री बड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-174, 83, 362 कुल रकबा-0.899 हेक्टेयर
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-1880, 1881, 1879/2ख, 1879/2, कुल रकबा-0.429 हेक्टेयर
		ग्राम-कटंगपाली "अ", तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-254/1/ग/4 रकबा-0.022 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-253/4 रकबा-0.146 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-250/4/घ/1 रकबा-0.102 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-254/1/ग/1 रकबा-0.007 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-253/1 रकबा-0.049 हेक्टेयर
		ग्राम-रानीडीह, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-23 रकबा-0.405 हेक्टेयर
		ग्राम-छेलफोरा, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-207/2, 207/ एवं 209/2 रकबा क्रमशः-0.102, 0.202 एवं 0.150 हे. कुल रकबा-0.454 हेक्टेयर
		ग्राम-कुटेला, नगरपालिका निगम सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-129 एवं 134 रकबा क्रमशः-0.975 एवं 0.636 हे. कुल रकबा-1.611 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्रीबड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-233 एवं 234/2 रकबा क्रमशः-0.150 एवं 0.178 हे. कुल रकबा-0.328 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, बोन्दा, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-117/1, 117/4, 118/1, 118/4, 119/1, 119/4 रकबा क्रमशः-0.043, 0.043, 0.020, 0.020, 0.021, 0.058, 0.058 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-117/6, 117/7, 121/4, 121/6, 131/1, 131/2 रकबा क्रमशः-0.021, 0.021, 0.059, 0.022, 0.022, 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-117/3, 117/5, 118/3, 119/3 रकबा क्रमशः-0.043, 0.043, 0.020, 0.059 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-113/1, 115 रकबा क्रमशः-0.040, 0.150 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक-122/2 रकबा-0.191 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, तहसील-सरियाजिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 65/1 रकबा-0.155 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-65/2 रकबा-0.156 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्रीबड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 236/3 रकबा-0.089 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-239/6 रकबा-0.057 हेक्टेयर
		ग्राम-कुटेला (सारंगढ़), तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 6/1 रकबा-24.924 हेक्टेयर में से 3.0 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, तहसील-सरिया, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-143/2 रकबा-1.529 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्री बड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक-179/1, 180/1 कुल रकबा-0.2510 हेक्टेयर
		ग्राम-कटंगपाली "अ", तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक-175/7/क, 175/7/ख कुल रकबा-0.234 हेक्टेयर
		ग्राम-छेलफोरा, तहसील-सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्थित खसरा क्रमांक-207/2, 207/4, 209/2 कुल रकबा-0.454 हेक्टेयर
		ग्राम-खर्री बड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक-162/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 142, 143, कुल रकबा-0.864 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, तहसील-बरमकेला, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-114 रकबा-0.202 हेक्टेयर
		ग्राम-जोतपुर, तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक-121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 117/2, 118/2, 123/1, कुल रकबा-0.4330 हेक्टेयर
ग्राम-कुटेला, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-128/1 रकबा-0.486 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-137/1/ख, 137/1/ग, 137/1/घ रकबा क्रमशः-0.101, 0.148, 0.148 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-153/2 रकबा-0.129 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-153/5 रकबा-0.450 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-127 रकबा-0.332 हेक्टेयर, कुल रकबा-1.794 हेक्टेयर		

2.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुदेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-569/3/च/1 रकबा-0.706 हेक्टेयर ग्राम-नंदेली, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-15 रकबा-2.732 हेक्टेयर ग्राम-धमनी, तहसील-हसौद, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-144/3, 144/4, 144/6, 147/2, 143/1 कुल रकबा-0.782 हेक्टेयर ग्राम-कटंगपाली, तहसील-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-266/1 रकबा-0.154 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक- 267/1 रकबा-0.538 हेक्टेयर
3.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-कचंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-60/1, 887/1क रकबा-12.1406 हेक्टेयर ग्राम-डोड़की, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-403/1 रकबा-0.0160 हेक्टेयर ग्राम-अड़भार, तहसील-अड़भार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-876/2, 876/3 रकबा-0.3730, 0.2020 हेक्टेयर ग्राम-सिरियागढ़, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-357, 368/1, 368/3, 373/3, 673/1, 674/3 रकबा-0.857 हेक्टेयर ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-102, 124, 126, 139, 140, 164 रकबा-15 एकड़ ग्राम-सतगढ़, ग्राम पंचायत अमेराडीह, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-592, 594/3, 593, 586, 591 रकबा क्रमशः -0.142, 0.239, 0.202, 0.223, 0.105 हेक्टेयर ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-84/1, 86 रकबा-0.7 हेक्टेयर ग्राम-पतेरापाली कला, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-452, 453, 454, 506/1, 517/1, 517/2 रकबा-1.960 हेक्टेयर ग्राम-डूमरपारा, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-2340 रकबा-11.473 हेक्टेयर ग्राम-भोथिया, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-77/3, 60/5, रकबा क्रमशः-0.405, 1.011 ग्राम-दर्राभांठा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-425, 430, 431, 432, 426, 406 रकबा-0.643 हेक्टेयर ग्राम-मसनियाखुर्द, ग्राम पंचायत मसनियाकलॉ, तहसील व जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-53/5 रकबा-0.737 हेक्टेयर ग्राम-संजयग्राम, ग्राम पंचायत चोरिया, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1083/1 रकबा-0.1010 हेक्टेयर ग्राम-जेठा, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-440, 317, 339, 340, 344, 338, 333, 330, 329, 445 रकबा-4.6675 हेक्टेयर ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19 रकबा-14.45 हेक्टेयर ग्राम-घिंकरा, तहसील-हसौद, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1063/12, 1063/17 रकबा-0.101 हेक्टेयर ग्राम-नगरदा, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-40/6 रकबा-0.2020 हेक्टेयर ग्राम-धुरकोट, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-210/1/क/3, 210/1/क/5, 210/3 रकबा-0.547 हेक्टेयर ग्राम-पिसौद, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-2303/2, 2303/3, 2303/7 रकबा-0.206 हेक्टेयर ग्राम-पोड़ीखुर्द, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-208/2, 208/3 रकबा-0.121 हेक्टेयर ग्राम-छाल (बोकुरामुड़ा), तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-75 एवं 77/1 कुल रकबा-1.04 हेक्टेयर ग्राम-बोजिया, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-19/1/झ एवं 28/1/ख/1 कुल रकबा-1.477 हेक्टेयर ग्राम-पुछियापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-636 रकबा-1.157 हेक्टेयर
4.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-67/1, 68, 69 एवं 67/2 कुल रकबा-1.722 हेक्टेयर

5.	मेसर्स सिंगल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम-सिंगल इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-72, 75/1, 75/2, 71/1, 71/2 एवं 73 कुल रकबा-2.282 हेक्टेयर
6.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19 रकबा-14.45 हेक्टेयर ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलूगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-509, 514 एवं 515 रकबा क्रमशः-0.840, 1.190 एवं 0.930 हेक्टेयर ग्राम-दोरम, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-313/3 रकबा-0.809 हेक्टेयर
7.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तह-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-छैफोरा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-781/1, 781/2, 781/3, 784, 785, 786, 782, 783, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5 एवं 789/6 कुल रकबा-5.095 हेक्टेयर ग्राम-गिधौरी, जनपद पंचायत-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-512, 513, 6/18 कुल रकबा-4.8671 हेक्टेयर ग्राम-बम्हनीडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1625/7, 1627 कुल रकबा-0.30 हेक्टेयर ग्राम-सेमरा, तह-टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-खसरा नं. - 399, 400, 401/1, 401/5, 351, 352/4 रकबा-1.6730 हेक्टेयर ग्राम - बरपाली, तह-टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-77, 78, 79 रकबा-0.8300 हेक्टेयर ग्राम-अहमदपुर, तह-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-95/26, 95/27, 95/28, 95/34, 95/36 रकबा-1.281 हेक्टेयर ग्राम-दुलना, नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-399, 408, 409 रकबा-1.38 हेक्टेयर ग्राम-अहमदपुर, तह-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-93, 82/3, 87, 95/12, 95/13, 95/14, 90/1, 91/1 एवं 92/1 रकबा-1.856 हेक्टेयर ग्राम पंचायत-कोटियाडीह के आश्रित ग्राम-अमलीडीह, तह-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-313/5, 313/10, 313/19, 313/25 रकबा-0.891 हेक्टेयर
8.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-48, 54/2, 55/2 एवं 57/1 कुल रकबा-1.503 हेक्टेयर
9.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, खरसिया रोड पतरपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुदेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-259/1ग रकबा-0.300 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-261/2क रकबा-0.465, कुल रकबा 0.765 हेक्टेयर, ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1370/7, 1370/10, 1374 कुल रकबा-0.455 हेक्टेयर ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-84/1, 86 कुल रकबा-0.2950, 0.4050 हेक्टेयर ग्राम-डूमरपारा, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-2053/7, 2053/8 कुल रकबा-0.777 हेक्टेयर वार्ड नंबर-1, नयाबाराद्वार, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-118/3 रकबा-0.983 हेक्टेयर ग्राम-रिस्ता, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-321/2, 322, 362/9 रकबा-0.946 हेक्टेयर ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1117/1 रकबा-1.023 हेक्टेयर ग्राम-ठठारी, तहसील-जैजैपुर जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1219/2, 1655/1, 1655/2 रकबा-0.885 हेक्टेयर ग्राम-पचोरी, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-96/1, 95/2 रकबा-1.376 हेक्टेयर ग्राम-बिरगहनी (च), तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)के खसरा क्रमांक-171/7 रकबा-0.392 हेक्टेयर ग्राम-पिपरदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)के खसरा क्रमांक-494/5 रकबा-1.10 हेक्टेयर ग्राम-चारपारा, ग्राम पंचायत सोनाईडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-108 रकबा-0.786 हेक्टेयर ग्राम-पुछेली, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-627 रकबा-0.458 हेक्टेयर ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-259, 260,

		261, 262/1, 262/2 रकबा-0.6 हेक्टेयर ग्राम-पचोरी, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-824/5 रकबा-0.405 हेक्टेयर ग्राम-पुछेली, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-449/3 रकबा-0.194 हेक्टेयर ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19 रकबा-35.71 हेक्टेयर में से 04 हेक्टेयर ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-216/1, 216/2, 220, 221, 223 रकबा-1.144 हेक्टेयर ग्राम-दर्राभाठा, ग्राम पंचायत कुलीपोटा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-424, 425, 430, 431 रकबा-0.643 हेक्टेयर ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-228, 229 रकबा-0.417 हेक्टेयर ग्राम-सकरेली, तहसील-नया बाराद्वार, जिला-सक्ती (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-1311/5 रकबा-0.546 हेक्टेयर
10.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-113/1 रकबा-1.169 हेक्टेयर ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-96/1 एवं 96/2 कुल रकबा-3.218 हेक्टेयर
11.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-पूजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-56/2 रकबा-6.330 हेक्टेयर
12.	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-239/1 एवं 239/2/ख कुल रकबा-2.285 हेक्टेयर ग्राम-सम्बलपुरी, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-227/12 रकबा-2.428 हेक्टेयर


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक की स्थिति में राख के अवैध डंपिंग के मामले एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायत का माध्यम एवं दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायत में उल्लेखित उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 23.04.2025 एवं श्री दयाशंकर दर्शन, ग्राम-छोटे डूमरपाली, तहसील-खरसिया द्वारा दिनांक 29.04.2025 को की गई शिकायत	एनएच-49 ग्राम-चोढ़ा एवं बानिपाथर रेलवे ब्रिज के पास अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंपिंग करने वाले कंपनी के खिलाफ उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग)	24.04.2025	मंडल के पत्र दिनांक 24.04.2025 द्वारा उद्योग को अवैध अपवहन बंद करने एवं किये गये अपवहन पर तत्काल समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार कार्य नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, खरसिया, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को स्थगन आदेश दिनांक 08.05.2025 के परिपेक्ष्य में आवश्यक अग्र कार्यवाही हेतु आदेश जारी करने हेतु प्रेषित किया गया है, जो की विचाराधीन है। अतः वर्तमान में फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य अपूर्ण है।
2.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 05.05.2025	ग्राम बेन्दोझरिया, तहसील-खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित शासकीय भूमि पर बिना अनुमति लो-लाईग क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में		05.05.2025	मंडल के पत्र दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 49245/- रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 49245/- जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 13.06.2025	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपवहन किये जाने संबंधी शिकायत।		13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 36615/- रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 36615/- जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 18.06.2025	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपवहन किये जाने संबंधी		18.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 40,950.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की

		शिकायत।			राशि 40,950.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5.	दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिनांक 30.07.2025	ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के मुक्तिधाम क्षेत्र में फ्लाई ऐश का बिना अनुमति अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।		05.08.2025	मंडल के पत्र दिनांक 05.08.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 4,28,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,28,000.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	सुशासन तिहारी 2025 में प्राप्त शिकायत दिनांक 15.04.2025	फ्लाई ऐश को घर के बगल में गिराने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, तमनार, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.04.2025	निरीक्षण के दौरान अवैध डंपिंग नहीं पाया गया। स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7.	सुशासन तिहारी पोर्टल पर दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	गेरवानी पाली के बीच में अग्रोहा प्लांट के गेट के सामने में अग्रवा दुआरा शासकीय भूमि में राख डालकर उसमें गाड़ी रख जाता है इसकी उच्च अधिकारी द्वारा SDM व पर्यावरण अधिकारी से व शासकीय भूमि को मुक्त कराये व ईन दोषियों के ऊपर कार्यवाही के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तह व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.04.2025	उद्योग द्वारा स्थल पर फ्लाई ऐश अथवा राखड़ को संग्रहित एवं फेका जाना एवं प्रदूषण होना नहीं पाया गया है। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8.	श्री बिरेंद्र कुमार निशाद एवं श्री शिवचरण पटेल द्वारा दिनांक 29.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा के द्वारा दरमिडुआ अटल चौक तालाब को अवैध रूप से फ्लाई ऐश पाटने पर रोक लगा कर उचित कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़	26.06.2025	निरीक्षण के दौरान अवैध डंपिंग नहीं पाया गया। स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
9.	श्रीमती सुनिता देवी द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 14.11.2025	आवेदिका के भूमि के सामने श्रीमती हुसली देवी वर्मा पति श्री सुरेन्द्र वर्मा द्वारा अवैध रूप से बिना ग्राम पंचायत के अनुमति एवं शासन के अनुमति बगैर फ्लाई ऐश डंपिंग करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।		14.11.2025	मंडल के पत्र दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 63,870.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 63,870.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 10.09.2025	खरसिया चोढ़ा मार्ग में इण्डेन गैस के पास के मैदान पर फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 10.09.2025 द्वारा उद्योग पर 1,66,365.00 रूपये	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 1,66,365.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत

		जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।			पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11.	कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल में प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2025	ग्राम पंचायत सपनाई तहसील व जिला रायगढ़ में फ्लाई ऐश डस्ट बहकर जाने से फसलों एवं मिट्टी को नुकसान होने के संबंध में शिकायत के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	03.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग पर 90,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 90,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
12.	दैनिक सामाचार पत्र जनकर्म में प्रकाशित खबर दिनांक 12.09.2025	ग्राम झूमरघाट, जामपाली से कोसमघाट के मध्य वृहद मात्रा में फ्लाई ऐश का अपवहन रोड़ किनारे किये जाने के संबंध में।	मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़े गुमड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	13.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग पर 45,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 45,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13.	श्री दीपक चौहान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 02.09.2025	मेसर्स इण्ड सिनर्जी कंपनी के द्वारा कृषक की कृषि भूमि में फ्लाई ऐश डालकर खराब करने की शिकायत एवं उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, मोहापाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	19.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 01.12.2025 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 5,40,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुए अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा मिट्टी बिछाने का कार्य कर लिया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं की गयी है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
14.	श्रीमती पुजा साहू, ग्राम-हर्रीडीह, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 20.11.2025	सुनील इस्पात, ग्राम-चिराईपानी (ग्राम गेरवानी, जिला रायगढ़) द्वारा फ्लाई ऐश का अनाधिकृत निस्तारण जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त शिकायत।	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्राम पंचायत लाखा, जिला-रायगढ़	02.12.2025	जांच में उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश का निपटान परिसर के भीतर नियमानुसार किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

मण्डल द्वारा स्वयं के संज्ञान में जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक अवैध राखड़ डंपिंग के प्राप्त मामले एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

1	मंडल द्वारा स्वयं के संज्ञान में प्राप्त मामले	राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन एवं परिवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दरमिड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2		ग्राम-कांशीचुआ, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के किनारे फ्लाई ऐश का अपवहन किये जाने के संबंध में।		25.08.2025	मंडल के पत्र दिनांक 25.08.2024 द्वारा उद्योग पर 52,080.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 52,080.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

3	उद्योग परिसर के बहार फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग)	25.01.2025	मडल के पत्र दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से उद्योग पर 3,90,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 3,90,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4	मेसर्स गोयल इंडियन ऑयल के पीछे ग्राम गेरवानी में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन किया जाना पाया गया।	मेसर्स सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.02.2025	मडल के पत्र दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से उद्योग पर 3,60,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 3,60,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5	उद्योग के वे-ब्रिज के निकट फ्लाई ऐश का अनियंत्रित अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	11.04.2025	मडल के पत्र दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से उद्योग पर 90,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण वर्तमान में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
6	राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम कुसमुरा के सुमित ढाबा एवं फेमिली रेस्टोरंट के सामने फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग)	13.06.2025	मडल के पत्र दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर 40,230.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क. 525) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 तक लक्ष्य एवं स्वीकृत आवास तथा हितग्राहियों को प्रदाय किस्त की वर्षवार व जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26			
		लक्ष्य	स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या
1	बालोद	22743	18539	18003	8672	3674	3140	3054	0
2	बलौदाबाजार	48137	42648	41351	23998	27146	26431	25657	0
3	बलरामपुर	55285	50489	48821	16747	8710	8289	7143	0
4	बस्तर	31357	28721	27295	8224	24995	19528	18674	0
5	बेमेतरा	31368	24726	23454	11946	5235	4671	4556	0
6	बीजापुर	17687	11538	8900	311	3876	2863	2681	0
7	बिलासपुर	66469	59995	57565	27447	13342	10863	9772	0
8	दतवाड़ा	16082	12630	10729	780	1237	995	882	0
9	धमतरी	21937	20602	19995	12610	21139	20307	19355	0
10	दुर्ग	12788	10949	10572	6784	5182	4195	3993	0
11	गरियाबंद	42702	37236	34564	12010	10080	8562	7945	0
12	गैरला-पण्डा-मरवाही	29475	24825	22631	8046	5175	3656	3310	0
13	जांजगीर-चाम्पा	60880	51634	49290	24457	18617	15138	12903	0
14	जशपुर	52039	45014	41980	16857	6574	5708	5477	0
15	काकर	37932	30972	28758	6809	3792	3519	3310	0
16	कबीरधाम	42772	36953	35585	20796	15820	13744	13119	0
17	खैरागढ़-छुईखटा-गंडई	18108	16244	14839	5409	4805	4209	3810	0
18	कोण्डागांव	29107	25422	24510	5577	1669	1364	1321	0
19	कोरबा	54699	47847	45422	21663	5522	4925	4634	0

अनुभाग अधिवक्ता
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

Date :

क्र.	जिले का नाम	लक्ष्य	स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या
20	कोरिया	11495	9561	9077	2725	4701	3917	3759	0
21	महासमुंद	51955	47207	45885	17585	13976	12008	11520	0
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर	15314	13149	12075	3276	3015	2398	2019	0
23	मोहेला-मानपुर-अं.चौकी	17363	15588	14994	4615	1094	857	749	0
24	मुंगेली	33052	29029	27795	14295	17877	17252	16639	0
25	नारायणपुर	9680	5721	4790	146	114	91	84	0
26	रायगढ़	60629	53269	51256	27053	10335	9643	8989	0
27	रायपुर	39515	34666	33989	20654	6858	5370	4987	0
28	राजनांदगांव	34784	30757	30162	16832	11453	9683	9280	0
29	सक्ती	63591	54444	51433	25626	13341	10754	5841	0
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	34345	30292	29182	12517	10590	9767	8554	0
31	सुकमा	19496	14718	12927	4271	13107	10933	9901	0
32	सूरजपुर	35642	32093	30989	13148	2908	2687	2658	0
33	सरगुजा	36888	32147	30411	6719	4807	4115	3877	0
	योग	1155316	999625	949229	408605	300766	261582	240453	0




 अनुसूचित अधिकारी
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 अतीविक्रम भवन, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

1

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 तक स्वीकृत आवास तथा हितग्राहियों को प्रदाय किश्त की वर्षवार व जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किश्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किश्त जारी हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत आवास संख्या	प्रारंभ आवास एवं प्रथम किश्त जारी हितग्राहियों की संख्या	अंतिम किश्त जारी हितग्राहियों की संख्या
1	बलौदाबाजार	23	23	23	2	2	2
2	बलरामपुर	2944	2918	1975	403	399	92
3	बिलासपुर	785	782	322	174	173	1
4	धमतरी	1470	1462	949	11	9	0
5	गरियाबंद	2489	2479	1184	654	510	7
6	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	686	678	322	394	385	102
7	जशपुर	1442	1395	527	596	559	27
8	कांकेर	18	18	18	4	4	0
9	कबीरधाम	9350	8934	2576	275	253	0
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	858	853	480	0	0	0
11	कोण्डागांव	3	3	3	0	0	0
12	कोरबा	654	636	289	71	68	7
13	महासमुंद	676	676	488	2	2	0
14	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर	3639	3522	1139	19	2	0
15	मुंगेली	533	527	263	485	465	161
16	नारायणपुर	3	3	0	1822	1654	15
17	रायगढ़	115	115	102	58	58	36
18	सरगुजा	1603	1562	756	962	929	168
	कुल	27291	26586	11416	5932	5472	618

Page 1

परिशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 479) की जानकारी

प्रपत्र—“अ”

तारांकित प्रश्न क्रमांक — 479

राज्य में घटित हो रहे साइबर अपराध के प्रकरणों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में राज्य साइबर पुलिस थाना, साइबर क्राईम पेट्रोलिंग यूनिट, साइबर फॉरेंसिक लैब एवं साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 का 24x7 संचालन किया जा रहा है। साइबर अपराध शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 05 रेंज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में रेंज साइबर पुलिस थाना एवं समस्त जिलों में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा है। नवीन बजट सत्र 2024-25, 2025-26 में जिला रायगढ़, कोरबा, राजनांदगाँव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर एवं धमतरी में कुल 09 साइबर थाना एवं जिला राजनांदगाँव, रायगढ़, बस्तर एवं सरगुजा में प्रावधानित उप पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) कार्यालय खोला जाना प्रक्रियाधीन है। रेंज स्तर पर साइबर फॉरेंसिक क्षमता के विकास हेतु अत्याधुनिक नवीन हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर क्रय किया जा रहा है।

साइबर अपराध पर अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दक्ष किये जाने निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। भारत सरकार के अधीन संचालित Cyber Crime Prevention against Women and Children योजना के अंतर्गत कुल 2782 पुलिस अधिकारी /कर्मचारियों एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों जैसे CDAC, CAPT, CDTI, SVPNPA, NCFL आदि के माध्यम से लगातार प्रशिक्षण प्रदाय करते हुये 344 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित “Cyber Commando” कार्यक्रम के तहत राज्य से 01 राजपत्रित अधिकारी समेत कुल 06 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षेत्र में तैनात किया गया है।

राज्य के थानों में प्राप्त साइबर अपराध शिकायतों में कार्यवाही करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अब तक फर्जी सिम कार्ड विक्रेता (SIM POS) पर 103 प्रकरण में 159 लोगों एवं म्यूल खातों पर 253 में 863 लोगों के विरुद्ध कुल 1116 पर कार्यवाही की गई है। साइबर अपराध पर कार्यवाही करते हुये धोखाधड़ी में शामिल कुल 28946 मोबाइल नंबर एवं 10409 IMEI को अवरुद्ध कराया गया है। साइबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर 1930 के माध्यम से ऑनलाईन टगी के मामलों में कार्यवाही करते हुये अब तक कुल 82.5 करोड़ रुपये साइबर अपराधियों के हाथों में पहुँचने से पहले होल्ड कराया गया है।

साइबर अपराध की रोकथाम में जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बैंकों, साइबर वालेंटियर एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से जनजागरूकता कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। माह अक्टूबर 2024 में राज्यव्यापी “साइबर जनजागरूकता पखवाड़ा”, वर्ष 2025 में सघन जनजागरूकता अभियान 11 अगस्त से अभियान निरन्तर जारी है। इस दौरान 3034 गतिविधियों के माध्यम से लगभग 10 लाख जनता को साइबर जनजागरूकता संदेश का प्रचार-प्रसार एवं बचाव के उपाय साझा किये गये हैं।

दूसरे प्रदेशों से आकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में साइबर अपराध कर रहे अपराधियों पर राज्य पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। I4C के द्वारा संचालित विभिन्न पोर्टल जैसे समन्वय, प्रतिबिम्ब इत्यादि के माध्यम से ऐसे अपराधियों की डिजिटल ट्रैकिंग, डेटा विश्लेषण आदि से नेटवर्क की पहचान की जा रही है। अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क का खुलासा होने पर प्रदेश पुलिस, संबंधित राज्यों की पुलिस, I4C, बैंकिंग साइबर सुरक्षा इकाईयों की सहायता से कार्यवाही करती है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी, बैंक एकाउंट फ्रीज भी किया जाता है। पकड़े गये अपराधियों का समन्वय पोर्टल पर प्रोफाइलिंग एवं इंटरस्टेट लिंकेज स्थापित कर संबंधित राज्यों से जानकारी साझा की जाती है। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लॉज, पीजी, हॉस्टल, किरायेदार का सत्यापन संदिग्धता प्रोफाइलिंग चेक की जाती है। छ.ग. पुलिस द्वारा तकनीक अधारित समन्वित और कानून सम्मत कार्यवाही से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को प्रभावी रूप से नियंत्रित/कार्यवाही किया जा रहा है तथा साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-“ब”

ऑनलाईन ठगी की जानकारी (जनवरी 2024 से नवम्बर 2025 तक)

क्र.	इकाई	कुल दर्ज प्रकरण	चालान	खात्मा	खारिजी
1	रायपुर	164	17	18	0
2	धमतरी	5	2	0	0
3	महामुद	28	3	3	0
4	गरियाचंद	14	0	4	0
5	बलोदा बाजार	25	8	1	2
6	रेल रायपुर	0	0	0	0
7	राज्य साइवर पुलिस थाना	2	0	0	0
8	दुर्ग	34	10	5	0
9	राजनांदगाँव	39	9	2	0
10	कवीरधाम	15	7	2	0
11	वेमेतरा	17	3	1	0
12	वालोद	34	17	3	0
13	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	12	3	2	0
14	मोडला मानपुर	8	4	0	0
15	विलासपुर	159	22	23	1
16	कोरवा	7	0	0	0
17	रायगढ़	22	0	3	0
18	जा.चांपा	5	0	0	0
19	मुंगेली	2	1	0	0
20	गो.पे.म.	26	0	2	0
21	सक्ती	2	1	0	0
22	सारंगढ़	16	5	5	0
23	बस्तर	40	10	2	0
24	दत्तेवाड़ा	16	7	0	0
25	कांकेर	8	2	1	0
26	कोन्डागाँव	5	1	0	0
27	नारायणपुर	4	1	0	0
28	बीजापुर	7	0	0	0
29	सुकमा	1	0	0	0
30	सरगुजा	81	22	19	0
31	जशपुर	14	0	1	0
32	कोरिया	6	2	0	0
33	बलरामपुर	24	12	10	0
34	सूरजपुर	21	3	8	0
35	मनेन्द्रगढ़	13	4	0	0
36	रायपुर रेंज थाना	14	8	0	1
37	विलासपुर रेंज थाना	33	15	0	1
38	दुर्ग रेंज थाना	11	7	3	0
39	सरगुजा रेंज थाना	24	8	0	0
40	बस्तर रेंज थाना	4	2	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
संभ्रालय, रायपुर

(Handwritten Signature)

प्रपत्र-स

डिजिटल अरेस्ट की जानकारी (जनवरी 2024 से नवम्बर 2025 तक)

क्र.	इकाई	कुल दर्ज प्रकरण	चालान	खाता	खारिजी
1	रायपुर	9	5	0	0
2	धम्मनग	0	0	0	0
3	नवासमुंद	1	0	0	0
4	गरियादंड	0	0	0	0
5	बलोदा बाजार	1	1	0	0
6	रेल रायपुर	0	0	0	0
7	राज्य साइबर पुलिस थाना	0	0	0	0
8	दुर्ग	8	5	2	0
9	राजनांदगाँव	1	0	0	0
10	कवीरधाम	0	0	0	0
11	वेमेतरा	1	0	0	0
12	बालोद	0	0	0	0
13	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	0	0	0	0
14	मोहला मानपुर	0	0	0	0
15	विलासपुर	3	1	0	0
16	कोरवा	1	1	0	0
17	रायगढ़	0	0	0	0
18	जा.चांपा	2	0	0	0
19	मुंगेली	1	1	0	0
20	गो.पे.म.	0	0	0	0
21	सक्ती	0	0	0	0
22	सारंगढ़	0	0	0	0
23	बस्तर	2	0	0	0
24	दंतेवाड़ा	0	0	0	0
25	कांकेर	0	0	0	0
26	कोन्डागाँव	0	0	0	0
27	नारायणपुर	0	0	0	0
28	बीजापुर	0	0	0	0
29	सुकमा	0	0	0	0
30	सरगुजा	0	0	0	0
31	जशपुर	0	0	0	0
32	कोरिया	0	0	0	0
33	बलरामपुर	0	0	0	0
34	सूरजपुर	0	0	0	0
35	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	0
36	रायपुर रेंज थाना	0	0	0	0
37	विलासपुर रेंज थाना	1	0	0	0
38	दुर्ग रेंज थाना	0	0	0	0
39	सरगुजा रेंज थाना	0	0	0	0
40	बस्तर रेंज थाना	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

(Handwritten Signature)

परिशेष - छ

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 493) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नवम्बर 2025 की स्थिति में सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के पदों की जानकारी

स० क्र०	जिला का नाम	सहायक शिक्षक पद की जानकारी		शिक्षक पद की जानकारी	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	सरगुजा	2717	396	2310	110
2	कोरिया	1022	455	679	72
3	जशपुर	3329	810	2190	279
4	बलरामपुर-रामानुजगंज	3430	1251	2221	231
5	सूरजपुर	3362	275	2321	220
6	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	974	58	739	57
7	बिलासपुर	4755	1271	2429	255
8	रायगढ़	3531	1360	3617	725
9	कोरबा	1962	263	1884	156
10	जांजगीर-चाम्पा	2817	900	1922	353
11	मुंगेली	2349	1065	1257	213
12	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	635	31	733	151
13	सक्ती	1692	-56	1480	118
14	सारंगढ़-बिलाईगढ़	991	2	1460	264
15	रायपुर	4229	1258	2368	203
16	महासमुन्द	3501	1265	2324	537
17	धमतरी	1270	47	1821	360
18	गरियाबंद	2034	557	1971	818
19	बलौदाबाजार-भाटापारा	3739	977	2223	457
20	दुर्ग	2755	1397	1778	364
21	बालोद	2427	1038	1789	517
22	बेमेतरा	2889	1433	1795	522
23	राजनांदगांव	2551	867	1931	419
24	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	1321	675	823	224
25	कबीरघाम	1956	437	1740	353
26	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	1168	607	791	274
27	बस्तार	3186	1617	2757	327
28	कांकेर	3124	779	2424	248
29	दन्तेवाड़ा	838	121	983	253
30	कोडागांव	2412	916	2400	75
31	नारायणपुर	864	82	548	56
32	बीजापुर	1581	985	620	157
33	सुकमा	1697	918	858	150

उप संचालक

शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


 उपायुक्त
 शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

नवम्बर 2025 की स्थिति में व्याख्याताओं के पदों की विषयवार जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	हिन्दी		अंग्रेजी		संस्कृत		गणित		जीव विज्ञान		भौतिक		रसायन शास्त्र		इतिहास/ राजनीति शास्त्र		अर्थशास्त्र / भूगोल		वाणिज्य		कृषि संकाय	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	सरगुजा	176	7	194	7	114	3	181	10	176	0	78	4	77	0	76	4	69	1	111	9	6	6
2	कोरिया	47	7	56	8	40	11	46	7	44	1	46	10	41	4	42	9	38	13	55	5	2	1
3	जशपुर	241	48	259	16	164	26	234	34	229	19	130	31	122	29	145	24	149	20	139	19	28	26
4	बलारामपुर- रामानुजगंज	203	83	201	3	117	24	167	16	184	8	78	24	78	6	141	22	100	6	113	9	21	12
5	सूरजपुर	173	28	171	0	122	13	146	12	154	3	111	29	111	6	120	19	117	10	174	10	12	9
6	मनेन्द्रगढ़- शिरमिरी-भरतपुर	91	34	93	14	82	47	91	26	90	14	46	15	43	9	41	25	41	22	52	16	5	4
7	बिलासपुर	229	54	231	39	135	15	218	9	209	9	89	6	89	3	89	11	192	46	128	17	4	0
8	रायगढ़	261	51	289	36	224	54	274	32	260	21	154	45	163	23	167	59	257	71	244	53	8	6
9	कोरबा	201	29	203	11	134	6	189	5	183	3	94	5	94	2	91	9	173	30	163	2	6	5
10	जांजगीर-चाम्पा	182	40	205	1	157	42	187	10	184	4	108	2	70	16	84	3	98	40	167	10	4	1
11	मुंगेली	148	67	148	33	84	20	137	26	135	35	62	15	62	6	63	28	130	59	111	31	8	2
12	गोरिला-पेड़ा- मरवाही	91	23	94	2	59	22	83	11	78	0	38	12	38	8	56	16	72	23	50	0	0	0
13	सक्ती	171	53	174	19	136	41	156	27	154	32	91	35	98	11	93	53	130	67	106	29	6	5
14	सारंगढ़-बिलाईगढ़	145	67	152	17	109	41	134	14	131	12	75	22	75	12	71	33	118	44	100	12	8	4
15	रायपुर	214	58	226	17	194	35	199	-1	197	-3	137	15	133	15	159	58	154	41	216	0	6	2
16	महाराष्ट्र	250	66	258	33	188	61	223	51	193	66	137	61	136	44	166	78	148	68	190	40	2	0
17	धमतरी	177	31	186	17	167	36	173	0	164	16	107	31	107	23	162	38	105	35	186	33	22	5
18	गरियाबंद	153	52	155	15	131	28	155	24	148	18	78	14	78	14	77	35	78	29	129	27	2	0
19	बलौदाबाजार- भाटापारा	300	193	268	66	204	63	240	28	255	34	143	43	139	30	204	91	131	48	206	61	34	0

प्रपत्र-ब

नवम्बर 2025 की स्थिति में व्याख्याताओं के पदों की विषयवार जानकारी

सं.क्र.	जिला का नाम	हिन्दी		अंग्रेजी		संस्कृत		गणित		जीव विज्ञान		भौतिक		रसायन शास्त्र		इतिहास/ राजनीति शास्त्र		अर्थशास्त्र / भूगोल		वाणिज्य		कृषि संकाय	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20	दुर्ग	156	37	183	17	138	19	154	5	145	6	92	5	90	2	90	43	91	31	158	8	2	0
21	बालोद	223	66	257	35	180	43	202	24	195	18	138	26	135	20	177	74	144	36	228	39	6	2
22	बेमेतरा	186	74	213	53	165	65	193	39	187	48	105	45	104	42	153	85	151	85	186	44	9	3
23	राजनांदगांव	185	42	202	19	149	30	187	15	171	12	113	25	111	17	134	54	138	44	187	24	6	4
24	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	90	44	97	26	73	22	86	22	83	10	50	23	48	16	49	34	52	23	80	31	2	1
25	कबीरधाम	180	74	185	62	102	29	167	59	164	64	73	55	75	23	110	46	147	38	108	29	6	2
26	मोहला-मानपुर- अं.चौकी	92	6	97	2	85	6	98	4	88	7	53	7	52	5	83	14	86	22	76	15	21	14
27	बस्तर	225	26	225	26	212	15	83	23	199	34	112	37	111	13	181	23	115	13	155	43	13	12
28	कांकेर	287	28	289	14	235	61	265	18	256	20	139	34	283	152	203	16	198	18	254	60	21	8
29	दत्तोवाड़ा	65	24	66	13	50	19	60	15	59	14	28	12	28	1	56	15	62	23	18	4	6	4
30	कोडगांव	207	44	193	20	177	11	159	80	171	30	94	39	94	6	165	6	101	6	192	35	77	48
31	नारायणपुर	49	16	51	12	14	18	37	6	39	6	22	9	22	3	32	5	24	4	24	12	24	9
32	बीजापुर	65	36	65	13	49	25	65	29	65	14	31	19	31	5	65	30	31	14	44	8	12	8
33	सुकमा	49	27	56	10	36	22	54	25	51	14	17	11	17	9	61	27	25	14	28	8	4	4

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 521) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला-जांजगीर-चांपा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त ताप विद्युत संयंत्र तथा विगत 2 वर्षों में उत्सर्जित फ्लाई ऐश की जानकारी

क्र.	थर्मल पावर उद्योगों का नाम व पता	अप्रैल 2023 से मार्च 2024		अप्रैल 2024 से मार्च 2025	
		प्रतिवर्ष उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)	प्रतिदिन उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)	प्रतिवर्ष उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)	प्रतिदिन उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	580433	1832	628649	1905
2	मेसर्स अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2106384	6596	2247007	6809
3	मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	57181	173	83311	252
4	मेसर्स साईं लीलागर पावर लिमिटेड (अरसमेटा केप्टिव पावर कं. प्रा0 लि0.) गोंडाडीह, गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	0	0	0	0
5	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2455283	7418	2440339	7395
6	मेसर्स नूवोको विस्टास कापेरिशन लिमिटेड, अरसमेटा पावर प्लांट, ग्राम- अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	25128	94	37079	112
7	मेसर्स महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मड़वा, चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	9203	32	11904	36
8	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, एनएच-49, ग्राम-अमरताल, तहसील-अकलतरा जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	16498	54	19356	59
9	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	37410	118	40354	122
10	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाऊसिंग पावर (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-बनारी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	20615	55	15685	48

57-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अन्वय एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला-जांजगीर-चांपा में 01 जनवरी, 2025 से 24/11/2025 तक उत्सर्जित फ्लाई ऐश का निस्तारण एवं उपयोगिता की जानकारी

क्र.	थर्मल पॉवर उद्योगों का नाम व पता	उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)	सीमेंट प्लांट में प्रदाय (टन में)	ईट निर्माण (टन में)	भू-भराव (टन में)	खदान में भराव (टन में)	सड़क निर्माण (टन में)	अन्य (टन में)	कुल (टन में)	शेष फ्लाई ऐश की मात्रा (टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	517272	0.00	466052	1250	49970	0	0	517272	0
2.	मेसर्स अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1940715	244043	122956	1095648	0	514056	0.00	1976703	0
3.	मेसर्स छत्तीसगढ़ पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	69184	0	25548	43633	0	0	0	69181	0
4.	मेसर्स साईं लीलागर पॉवर लिमिटेड (अरसमेटा केपिव पॉवर कं. प्रा0 लि0,) गोंडाडीह, गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	51049	10555	0	42221	0	0	0	52776	0
5.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2483881	1075606	85989	291721	711644	6685	2232 रेडी मिक्स कान्क्रीट प्लांट को प्रदाय)	2173877	310004
6.	मेसर्स नूवोको विस्टास कांपरिशन लिमिटेड, अरसमेटा पॉवर प्लांट, ग्राम- अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)	25985	25985	0	0	0	0	0	25985	0
7.	मेसर्स महिन्द्रा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मड़वा, चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)	12601	0	12601	0	0	0	0	12601	0
8.	मेसर्स एम व्ही के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, एनएच-49, ग्राम-अमरताल, तहसील-अकलतरा जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	12833	0	12833	0	0	0	0	12833	0
9.	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	39397	0	29947	9449	0	0	0	39397	0
10.	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाऊसिंग पॉवर (प्रा) लिमिटेड, ग्राम-बनारी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	11811	0	11811	0	0	0	0	11811	0

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

जिला जांजगीर-चांपा के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नियम विरुद्ध फ्लाइ ईश डंप करने संबंधी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र	शिकायतकर्ता का नाम	ताप विद्युत संयंत्रों का नाम	शिकायत का बिन्दु	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	की गयी कार्यवाही	रिमार्क
1.	कलेक्टर, जन शिकायत शाखा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ऑनलाईन शिकायत क्रमांक 2060424001410 दिनांक 05/03/2024 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री कुशल प्रसाद पटेल, ग्राम कुरदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का प्राप्त शिकायत।	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, अमझर चांपा द्वारा नियमों को ताक में रखते हुये राखड़ डालने एवं पर्यावरण प्रदूषित किये जाने की शिकायत के संबंध में।	19/03/2024	26/03/2024	शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उद्योग मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के आस-पास राखड़ भराव स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उद्योग के आस-पास अवैध भंडारण किया जाना नहीं पाया गया। उपरोक्त शिकायत निराधार पायी गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
2.	वॉट्सअप के माध्यम से प्राप्त शिकायत, श्री संस्कार मित्तल,	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	ग्राम करमंदा के खदान में फ्लाइ ईश पाटे जाने के संबंध में।	-	23/09/2024	निरीक्षण के दौरान उपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा स्थल पर उद्योग को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से अतिरिक्त फ्लाइ ईश पाटने का कार्य नहीं किये जाने पर, कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया। मौके पर उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि एवं भूमि स्वामी को शेष फ्लाइ ईश को पाटने का कार्य तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। मौके पर पंचनामा तैयार कर उपस्थित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिये गये। मण्डल के पत्र क्रमांक 2162 दिनांक 26/09/2024 के माध्यम से उद्योग को उल्लेखित बिन्दुओं पर आवश्यक समाधानात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।	-
					13.10.2025	निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
3.	मिडिया चैनल खबरे सच तक में प्रकाशित समाचार दिनांक 14/02/2025 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री राजू साहू एवं विकास शर्मा।	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	हनुमानधारा में अवैध राखड़ डंपिंग प्रदूषण से वार्ड वासियों का जीना मुहाल।	14/02/2025	06/03/2025	शिकायत स्थल खसरा क्रमांक 134, 136 कुल रकबा-2.761 हेक्टेयर में 50,000 मी.टन भू भराव हेतु उद्योग को फ्लाइ ईश की अनुमति दिनांक 26/12/2024 को जारी किया गया है। निरीक्षण दौरान फ्लाइ ईश डंपिंग कार्य प्रगतिरत पाया गया तथा निरीक्षण दौरान डंपिंग स्थल में जल का पूरी तरह छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया। मण्डल के पत्र क्रमांक 4373 दिनांक 11/03/2025 के माध्यम डंपिंग स्थल में नियमानुसार फ्लाइ ईश का अपवहन करने हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 13/03/2025 के माध्यम से समाधानात्मक कार्यवाही कर लिये जाने की जानकारी दी गई।	-
					26.03.2025	निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-

4.	खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र क्रमांक 3333 दिनांक 11/12/2024 के माध्यम से संवाद, संपर्क-संवाद-समाधान का प्राप्त शिकायत पत्र।	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा एवं मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	आम जनता से जुड़ी हुई मांग, समस्या शिकायत। (ग्राम पंचायत उदयबंद में स्थित देवरहा में कुंज बिहारी अग्रवाल के चूना पत्थर को राखड़ों के माध्यम से पाटा जा रहा है खदान मालिक द्वारा न तो पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे आने जाने वाले को कष्ट हो रहा है एवं पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रहा है।)	19/12/2024	03/02/2025	उक्त स्थल में फ्लॉई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा एवं मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान फ्लॉई ऐश का भराव किया जाना पाया गया तथा फ्लॉई ऐश भराव स्थल एवं पहुंच मार्ग में जल का छिड़काव किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
5.	शिकायतकर्ता श्री देवेश यादव, ग्राम-नकटीडीह का प्राप्त शिकायत पत्र।	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-उभरा, जिला-सक्ती	चंद्रा ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवैध राखड़ डंप के संबंध में। (ग्राम नकटीडीह, विकासखण्ड बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत चांपा से बिरा मार्ग के किनारे ग्राम नकटीडीह में अवैध राखड़ डंप किया जा रहा है।)	20/12/2024	30/01/2025	उक्त स्थल में फ्लॉई ऐश का भराव करने हेतु इस कार्यालय का पत्र दिनांक 04/08/2022 के माध्यम से मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-उभरा, जिला-सक्ती को अनुमति जारी किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल में फ्लॉई ऐश का भराव उपरांत मिट्टी की परत बिछाये जाने का कार्य किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
6.	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, ग्राम व पोस्ट-बनारी (जांजगीर), वार्ड नं.13, ब्राम्हण मोहल्ला, जिला जांजगीर-चांपा का प्राप्त शिकायत पत्र दिनांक 14/05/2025.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	मड़वा पॉवर प्लांट द्वारा सफेद राखड़ गिराये जाने के कारण फसल नुकसान की शिकायत एवं नुकसानी दिलाने तथा ख.नं. 1955/6 में सुरक्षावाल (दीवाल) खड़ा करने बाबत।	16/05/2025	20/05/2025	उक्त स्थल में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4603 दिनांक 19/01/2024 के माध्यम से मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर- चांपा (छ.ग.) को 15,000 मीट्रिक टन फ्लॉई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान भूमि खसरा नंबर-1955/11, रकबा- 3.50 एकड़ में भराव किये गये फ्लॉई ऐश स्थल के समीप लगे शिकायतकर्ता के भूमि खसरा नंबर-1955/6 एवं 1955/10 में फ्लॉई ऐश की कुछ मात्रा बहकर एकत्रित पाया गया एवं भू-भराव उपरांत पर्याप्त मिट्टी की परत बिछाया जाना नहीं पाया गया। मण्डल के पत्र दिनांक 21/05/2025 से बहकर एकत्रित हुए फ्लॉई ऐश का उठाव करने, मजबूत बंड/वाल बनाये जाने एवं पर्याप्त मिट्टी की मोटी परत बिछाये जाने के संबंध में उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 23/05/2025 के माध्यम से खेत में राखड़ जाने से रोकने हेतु पत्थर की दीवार बनाने हेतु शिकायतकर्ता को सहमति दिये जाने की जानकारी दी गई।	मंडल के पत्र दिनांक 26.06.2025 द्वारा उद्योग पर निरीक्षण दिनांक 20.05.2025 से 18.06.2025 तक राशि रूपये 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल 2,90,000/- रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
					18.06.2025	निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
7.	श्री गगन जयपुरिया, ग्राम-बम्हनीडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र दिनांक 10/11/2025 के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	मेसर्स कोरबा पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पथाड़ी, पोस्ट-तिलकेजा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	राखड़ (फ्लॉई ऐश) के अनुचित एवं मनमाने ढंग से पाटे जाने के संबंध में शिकायत।	10/11/2025	10/11/2025	उक्त स्थल में मेसर्स कोरबा पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पथाड़ी, पोस्ट-तिलकेजा, जिला-कोरबा को मण्डल के पत्र क्रमांक 3019 दिनांक 28/10/2025 के माध्यम से 20,000 मीट्रिक टन फ्लॉई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पाया गया, पर्याप्त ऊंचाई का मेड़/बंड का	मंडल के पत्र दिनांक 24.11.2025 द्वारा उद्योग पर निरीक्षण दिनांक 10.11.2025 से 24.11.2025 तक राशि रूपये 10,000/- प्रतिदिन की दर

						निर्माण किया जाना नहीं पाया गया तथा स्थल पर फ्लाई ऐश अपवहन संबंधी जानकारी हेतु सूचना पटल लगाया जाना नहीं पाया गया। उक्त के संबंध में मण्डल के पत्र दिनांक 12/11/2025 के माध्यम से उद्योग को नोटिस जारी किया गया।	से कुल 1,40,000/- रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित की गई है।
8.	श्री अरविंद भेड़पाल एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम-पंचायत सोंठी, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र दिनांक 10/11/2025 के माध्यम से प्राप्त शिकायत।				24.11.2025	निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
9.	दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया, चांपा में दिनांक 22/11/2025 को प्रकाशित समाचार।	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	पर्यटन स्थल हनुमानधारा में रात में डाला जा रहा राखड़	22/11/2025	24/11/2025	ग्राम-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (हनुमानधारा) में स्थित भूमि खसरा नंबर- 134, 136, कुल रकबा-2.7610 हेक्टेयर में 2,05,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा- तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा को सशर्त अनुमति जारी किया गया है। प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में मण्डल के पत्र दिनांक 22/11/2025 के माध्यम से नियमानुसार फ्लाई ऐश का अपवहन किये जाने हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया एवं दिनांक 24/11/2025 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-
10.	दैनिक समाचार पत्र नवभारत में दिनांक 22/11/2025 को प्रकाशित समाचार।	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	रात के सत्राटे में अवैध राखड़ पटाई जारी, प्रशासन के चुप्पी पर उठे सवाल	22/11/2025	24/11/2025	ग्राम-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (हनुमानधारा) में स्थित भूमि खसरा नंबर- 134, 136, कुल रकबा-2.7610 हेक्टेयर में 2,05,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा- तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा को सशर्त अनुमति जारी किया गया है। प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में मण्डल के पत्र दिनांक 22/11/2025 के माध्यम से नियमानुसार फ्लाई ऐश का अपवहन किये जाने हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया एवं दिनांक 24/11/2025 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	-


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अन्वय एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 72) की जानकारी

प्रपत्र-अ

अधिनियमों एवं नियमों में अवैध प्लॉटिंग / कॉलोनाइजेशन / विकास से संबंधित प्रावधान

अधिनियम नियम का नाम	संबंधित धारा / नियम में प्रावधान
छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961	नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ग) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339 (ग) के तहत भूमि के भाग को टुकड़ों में काटकर बेचने को अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में रखा जाता है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 61-घ (2) के तहत "कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस निमित्त बनाये गए नियमों के विरुद्ध या विपरीत भू-खण्डों में विभाजित करता है, वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है।"


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2020 से नवम्बर 2025 के मध्य अवैध प्लार्टिंग के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है -

- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर से प्राप्त जानकारी -
निम्नलिखित प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर द्वारा अवैध कालोनाईजर को छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 एवं छ0ग0 पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा-61 "क" से "छ" के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा रोक लगाई गई है -
 1. ग्राम-निमोरा (नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र), नाम-श्री दलजीत सिंह चावला (एच.यू.एफ.) पिता कुलदीप सिंह चावला, ख.क्रं. 533, रकबा 0.1290 हे., ख.क्रं. 538/1 रकबा 0.1720 हे.
 2. ग्राम-गोरियाडीह (अभनपुर निवेश क्षेत्र), नाम-अब्दुल गफार, पिता अब्दुलवहाय मुसलमान, ख.क्रं. 137/1 रकबा 0.0600 हे., ख.क्रं. 137/2 रकबा 0.1100 हे., ख.क्रं. 139 रकबा 0.4000 हे., ख.क्रं. 140 रकबा 0.4000 हे., ख.क्रं. 141 रकबा 0.1700 हे., ख.क्रं. 147/1 रकबा 0.2200 हे., ख.क्रं. 147/2 रकबा 0.2200 हे., ख.क्रं. 147/3 रकबा 0.2100 हे., ख.क्रं. 262 रकबा 0.3900 हे., ख.क्रं. 846/1 रकबा 0.1700 हे., ख.क्रं. 846/3 रकबा 0.1700 हे.
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभनपुर से प्राप्त जानाकरी:-
निम्नलिखित प्रकरणों में अवैध प्लार्टिंग घोषित कर, दोषियों के विरूद्ध खसरा ब्लॉक करने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की गई है -
 1. ग्राम-उरला (अभनपुर निवेश क्षेत्र), ख.क्रं. 6/3, 6/4, 6/24, 6/25, 15/1, 6/1, 77/1, 77/12, 77/16, 77/26, 77/37, 876/10, 836/16, 703/2, 642/13, 89/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 50/2
 2. ग्राम-अभनपुर (अभनपुर निवेश क्षेत्र), ख.क्रं. 234/1, 235/1, 728/1, 1019/1, 1021/1, 1006/1, 1006/5, 496/1, 1100/12, 1100/15, 1060/1, 1060/2, 1103/4, 1103/5, 1103/32, 1103/63, 1103/34, 1130/1, 1130/10, 1130/2, 1130/3, 1130/4, 1130/9, 1130/6
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोबरा-नवापारा से प्राप्त जानाकरी:-
निम्नलिखित प्रकरणों में अवैध प्लार्टिंग घोषित कर, दोषियों के विरूद्ध खसरा ब्लॉक करने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की गई है-
 1. ग्राम-गोबरा-नवापारा (गोबरा-नवापारा निवेश क्षेत्र), ख.क्रं. 393/3, 373, 374, 558/1, 394/1, 369, 375/1, 543/1, 170/1, 15009, 139/1, 147/2, 353/4, 571/1, 170/2, 406/2, 15011, 593/1


 अवर सांचव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशिष्ट - नो
तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क. 35) की जानकारी

विषय- धमतरी जिले में तालाब खनन की स्वीकृति एवं प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही
प्रपत्र - "अ"

अ.क्र.	कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत राशि (रु.)	व्यय राशि (रु.)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	फर्म का नाम	फर्म को भुगतान की गई राशि (रु.)	फर्म को भुगतान हेतु शेष राशि (रु.)
1	ग्राम-गौदलानोला	1580000	1173179	पूर्ण	विपुल वेल्लिंग वर्क्स धमतरी	0	98118
2	ग्राम-बोडरा	1925000	1628974	पूर्ण	निरंक	0	0
3	ग्राम-बनियाडीह	999000	571779	अपूर्ण	निरंक	0	0
4	गोरसानाला	200000	0	अपूर्ण	निरंक	0	0
5	दिनकरपुर	400000	399868	पूर्ण	निरंक	0	0
6	कोहिनपारा	800000	0	अपूर्ण	निरंक	0	0
7	कक्ष क्रमांक आर.एफ. 198, खिड़कीटोला	700000	0	अपूर्ण	निरंक	0	0
8	कक्ष क्रमांक 354	800000	800000	पूर्ण	निरंक	0	0
9	कक्ष क्रमांक 256	600000	599944	पूर्ण	ललित जैन नगरी	86672	0
10	कक्ष क्रमांक 245	1200000	668316	अपूर्ण	निरंक	0	0

अ.क्र.	कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत राशि (रु.)	व्यय राशि (रु.)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण)	फर्म का नाम	फर्म को भुगतान की गई राशि (रु.)	फर्म को भुगतान हेतु शेष राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	बरोली बीट, 345	800000	544620	पूर्ण	वारसी ट्रेडर्स गरियाबंद	0	179577
12	कक्ष क्रमांक 204	700000	0	अपूर्ण	निरंक	0	0
13	कक्ष क्रमांक 150	120000	0	अपूर्ण	निरंक	0	0
कुल योग		10824000	6386680			86672	277695

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

विषय--धमतरी जिले में तालाब खनन की स्वीकृति एवं प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही
प्रपत्र --"ब"

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रू.)	उपयोग की गई राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण कार्य	101.170	95.867
2	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	प्रशिक्षण कार्य	3.500	2.747
3	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	देववनों का संरक्षण संवर्धन कार्य	15.000	6.552
4	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	वन आवसीय परिसर में मूलभूत सुविधा कार्य	24.780	22.882
5	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	अग्नि सुरक्षा कार्य	39.303	39.301
6	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	11.650	10.384
7	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	49.420	41.892
8	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	30.460	30.305

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
9	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	भू-जल संरक्षण विकास कार्य	539.115	498.557
10	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	धमतरी	स्ट्राईक फोर्स वाहनो के रखरखाव कार्य	24.000	22.233
11	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	संवैदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	3.636	3.625
12	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु अग्नि प्रहरी (फायर वॉचर)	33.128	33.108
13	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राईक फोर्स वाहन रखरखाव कार्य	3.000	2.889
14	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राईक फोर्स वाहन रखरखाव कार्य	3.000	2.326
15	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	भू-जल संरक्षण विकास कार्य	39.990	15.873
16	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	फलदार वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष	6.525	6.444
17	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेटना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.291	0.291
18	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेटना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.194	0.194
19	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेटना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.969	0.969

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
20	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.581	0.581
21	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.485
22	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.485
23	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.388	0.388
24	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.481
25	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.475
26	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.481
27	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.388	0.388
28	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.388	0.388
29	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.485	0.485
30	वर्ष 2023 01/01/2023 से 31/12/2023 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	लेन्टाना उन्मूलन तृतीय वर्ष कार्य	0.323	0.323
				934.105	841.396

गोग वर्ष 2023 (01/01/2023 से 31/12/2023)

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	32.730	30.841
2	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	अग्नि सुरक्षा कार्य	95.846	94.004
3	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	30.750	12.949
4	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	26.000	21.275
5	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	संवेदनशील वन क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	12.456	11.963
6	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	देववनों का संरक्षण संवर्धन कार्य	35.000	10.604
7	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	धमतरी	पुलिया निर्माण कार्य	52.960	22.601
8	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु अग्नि प्रहरी	33.128	33.108
9	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	3.636	3.625
10	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	4.665	3.584
11	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	4.665	3.588

H

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रू.)	उपयोग की गई राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6
12	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	2.625	0.483
13	वर्ष 2024 01/01/2024 से 31/12/2024 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	फलदार वृक्षारोपण कार्य तृतीय वर्ष	5.475	2.866
योग वर्ष 2024 (01/01/2024 से 31/12/2024)					
1	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	30.460	11.668
2	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत उपकरण क्रय	3.684	3.677
3	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	अग्नि संयंत्र (फायर ब्लोवर) क्रय	183.000	182.437
4	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	भू-जल संरक्षण कार्यों का रखरखाव	19.878	8.377
5	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	हाईटेक रोपणी का रखरखाव कार्य	3.000	2.761
6	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	132 / 33 के.व्ही.ट्रॉसमिशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण	34.590	25.032
7	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	आर.सी.सी. मुनारा निर्माण कार्य	12.830	6.407
8	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	स्ट्राईक फोर्स वाहनो का रखरखाव कार्य	33.329	11.415

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
9	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	संवेदनशील वन क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	12.780	4.092
10	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	अग्नि सुरक्षा कार्य	49.842	0.000
11	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	0.245	0.000
12	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	हाईटेक बेरियर का रखरखाव कार्य	4.000	0.000
13	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	भू-जल संरक्षण कार्यों का रखरखाव	75.250	0.000
14	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य	15.000	0.000
15	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत भू-जल संरक्षण कार्य	8.000	0.000
16	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत लेपटाना उन्मूलन कार्य	6.400	0.000
17	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत चारागाह विकास कार्य	12.000	0.000
18	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत फलदार वृक्षारोपण कार्य	12.000	0.000
19	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु सामग्री क्रय	7.824	0.000

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
20	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत हाथी मित्र दल, वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण, वन्यप्राणी मानव द्वंद को रोकने के लिये प्रचार प्रसार हेतु सामग्री क्रय	8.000	0.000
21	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत हाथी विचरण के पूर्व सूचना/चेतावनी प्रणाली की स्थापना	10.200	0.000
22	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण बी.एम.सी. का सशक्तिकरण, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता	4.000	0.000
23	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	धमतरी	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अंतर्गत वनो में वन्यप्राणी विचरण/रहवास क्षेत्र संबंधी जन जागरूकता, प्रचार प्रसार एवं सूचना पटल का निर्माण	6.000	0.000
24	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राइक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	2.335	0.526
25	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राइक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	2.335	0.786
26	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	स्ट्राइक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य	2.335	0.242
27	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	फलदार वृक्षारोपण कार्य , चतुर्थ वर्ष	2.625	0.371
28	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु अग्नि प्रहरी	34.932	0.000

अनु.क.	अवधि	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	उपयोग की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
29	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	संवेदनशील वन क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	3.322	1.477
30	वर्ष 2025 01/01/2025 से 25/11/2025 तक	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	हाईटेक बेरियर का रखरखाव कार्य	2.000	0.000
योग वर्ष 2025 (01/01/2025 से 30/11/2025)				602.20	259.27
कुल योग वर्ष 2023 से 2025 दिनांक 30/11/2025 तक				1876.24	1352.15

H
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - दस
तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 532) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

प्रदेश में क्रियाशील प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) की
जिलेवार संख्या

क्र.	जिला का नाम	क्रियाशील समितियों की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	126
2	गरियाबंद	67
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	129
4	महासमुंद	130
5	धमतरी	74
6	सारंगढ़-बिलाईगढ़	65
7	दुर्ग	87
8	बालोद	122
9	बेमेतरा	102
10	राजनांदगांव	74
11	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	19
12	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	39
13	कबीरधाम	90
14	जगदलपुर (बस्तर)	52
15	कोण्डागांव	47
16	कांकेर	70
17	नारायणपुर	9
18	दंतेवाड़ा	21
19	बीजापुर	32
20	सुकमा	27
21	बिलासपुर	114
22	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	13
23	जांजगीर चांपा	101
24	सक्ती	95

क्र.	जिला का नाम	क्रियाशील समितियों की संख्या
25	कोरबा	41
26	मुंगेली	66
27	सरगुजा	39
28	सुरजपुर	47
29	बलरामपुर	37
30	कोरिया	16
31	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	14
32	रायगढ़	69
33	जशपुर	24
योग		2058

टीप :- छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना 2025 अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में 515 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियां अधिसूचित की गई है, जिन्हें दिनांक 15.04.2026 से कार्यशील किए जाने की कार्ययोजना है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

सहकारी अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार संवर्ग प्रबंधकों के स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों की राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकवार संख्या


क्र.	बैंक का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर	550	99	451
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग	311	90	221
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव	222	31	191
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर	430	52	378
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर	153	20	133
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर	258	48	210
7	छ.ग.राज्य सहकारी बैंक रायपुर	134	15	119
योग :-		2058	355	1703

अवर-सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

543

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारे गये नक्सली एवं उन पर घोषित ईनाम की जानकारी
(01 दिसम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक)

जिला का नाम	मारे गये नक्सलियों की संख्या	कुल घोषित ईनाम राशि (लाख रु.)
दंतेवाड़ा	56	343
सुकमा	46	180
बीजापुर	196	698
कुल	298	1221


Dy. Supdt. of Police
(SIB) PHQ Raipur


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 23) की जानकारी

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की जानकारी

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (प्राप्त/अप्राप्त)
1	Lohandiguda	GADHIYA	22152400401 - GOVT. PS. MASAPARA GADHIYA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
2	Lohandiguda	GADHIYA	22152400404 - GOVT. P.S. MAHADEVPARA GADHIYA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
3	Lohandiguda	KOKADIGUDA	22152400406 - GOVT. UPS. KOKADIGUDA	पूर्ण	1.77	प्राप्त
4	Lohandiguda	LAKHAIBEDA	22152401801 - GOVT. PS. LAKHAIBEDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
5	Lohandiguda	CHANDANPUR	22152402203 - GOVT. PS. BOYS ASHRAM SHALA CHANDANPUR	पूर्ण	6.90	प्राप्त
6	Lohandiguda	KHARIYAGUDA	22152402405 - GOVT. PS. KHARIYAGUDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
7	Lohandiguda	LOHANDIGUDA	22152402409 - GOVT.GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOHANDIGUDA	पूर्ण	18.40	प्राप्त
8	Lohandiguda	CHOTEPARODA	22152402501 - GOVT. P.S. CHOTEPARODA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
9	Lohandiguda	BAHARGUDA	22152402601 - GOVT. PS. BAHARGUDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
10	Lohandiguda	DARAUR	22152402802 - GOVT PS MARIGUDA DARAUR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
11	Lohandiguda	KASTURPAL	22152402910 - GOVT.PS.ASHRAM SHALA KASTURPAL	पूर्ण	19.00	प्राप्त
12	Lohandiguda	BADRENGA	22152403802 - GOVT. P.S. PHULAPARA BADRENGA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
13	Lohandiguda	MARDUM	22152404503 - GOVT.P.S.BALAK ASHARM SHALA MARDUM	पूर्ण	20.00	प्राप्त
14	Lohandiguda	HATHIDRAHA	22152404505 - GOVT. P.S. HATHIDRAHA	पूर्ण	8.01	प्राप्त
15	Lohandiguda	MARENGA	22152404506 - GOVT. P.S. BARAMASIPARA MARENGA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
16	Lohandiguda	BADRENGA	22152404507 - GOVT. P.S. JADIGHATPARA BADRENGA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
17	Lohandiguda	TODNAR	22152404511 - GOVT.P.S. TODNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
18	Lohandiguda	CHITRAKOT	22152404705 - GOVT. PS. CHITRAKOT	पूर्ण	1.61	प्राप्त
19	Lohandiguda	KAREKOT	22152404902 - GOVT PS KAREKOT	पूर्ण	1.61	प्राप्त
20	Lohandiguda	TOYAR	22152405104 - GOVT. PS. SIRHAPARA TOYAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
21	Lohandiguda	SILAKIHODI	22152405202 - GOVT. PS. SILAKIHODI	पूर्ण	1.61	प्राप्त

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत /अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्यो का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (प्राप्त / अप्र प्त)
22	Lohandiguda	TUREMORKA	22152405301 - GOVT. P.S. TUREMORKA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
23	Lohandiguda	ERMUR	22152405403 - GOVT. P.S. DHUWAPARA ERMUR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
24	Lohandiguda	BADEPARODA	22152405502 - GOVT. PS. BADEPARODA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
25	Lohandiguda	BADEPARODA	22152405503 - GOVT. PS. MANJHIPARA BADEPARODA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
26	Lohandiguda	NEGANAR	22152405806 - GOVT. PS. BHOSAPARA NEGANAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
27	Lohandiguda	CHINDBAHAR	22152405810 - GOVT.PS. MASOPARA CHINDBAHAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
28	Lohandiguda	MANDAR	22152405814 - GOVT.PS. CHIKHALAPARA MANDAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
29	Lohandiguda	KAKNAR	22152405903 - GOVT. PS. ASHRAMSHALA KAKNAR	पूर्ण	18.50	प्राप्त
30	Lohandiguda	BELAR	22152406301 - GOVT. PS. BELAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
31	Lohandiguda	BELAR	22152406302 - GOVT. PS. PEDAPARA BELAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
32	Lohandiguda	THOTAPARA	22152406304 - GOVT. PS. THOTAPARA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
33	Lohandiguda	BELAR	22152406305 - GOVT. PS. MUYAPARA BELAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
34	Lohandiguda	MARIGUDA	22152406402 - GOVT. PS. MARIGUDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
35	Lohandiguda	GARDA	22152406703 - GOVT. PS. BALAK ASHRAM SHALA GARDA	पूर्ण	19.50	प्राप्त
36	Lohandiguda	MARIKODER	22152406802 - GOVT. P.S. GIRLS ASHRAM SHALA MARIKODER	पूर्ण	19.30	प्राप्त
37	Lohandiguda	MICHANAR	22152407406 - GOVT. PS. BALAK ASHRAM SHALA MICHANAR	पूर्ण	18.70	प्राप्त
38	Lohandiguda	LAMDAGUDA	22152407701 - GOVT. PS. LAMDAGUDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
39	Lohandiguda	CHANDELA	22152408003 - GOVT. PS. BALAK AASHRAM CHANDELA	पूर्ण	19.20	प्राप्त
40	Lohandiguda	CHANDELA	22152408004 - GOVT. PS. RAWATPARA CHANDELA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
41	Lohandiguda	ADWAL	22152408401 - GOVT. PS. ADWAL	पूर्ण	1.61	प्राप्त
42	Lohandiguda	ANJAR	22152408601 - GOVT. PS. TULSIPARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
43	Lohandiguda	ERMUR	22152408702 - GOVT. PS. MITOOPARA ERMUR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
44	Lohandiguda	MICHNAR	22152408801 - GOVT. PS. BONJAPARA MICHNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
45	Lohandiguda	KARKAGUDA	22152409002 - GOVT. ASHRAM SHALA KARKAGUDA	पूर्ण	18.70	प्राप्त
46	Lohandiguda	KOTHIYAGUDA	22152409101 - GOVT. P.S. KOTHIYAGUDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
47	Lohandiguda	BAGHPARA	22152409103 - GOVT. PS. NGJ. BAGHPARA	पूर्ण	1.61	प्राप्त

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत /अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्यों का गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन (प्राप्त/अप्र प्त)
48	Lohandiguda	MALGUJARPARA	22152409105 - GOVT. PS. . MALGUJARPARA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
49	Lohandiguda	ALNAR	22152409502 - GOVT. PS. RICHAPARA ALNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
50	Lohandiguda	ALNAR	22152409504 - GOVT P.S.PADAMI PARA ALNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
51	Lohandiguda	ALNAR	22152409506 - GOVT. PS. DHURWAPARA ALNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
52	Lohandiguda	ALNAR	22152409508 - GOVT. PS. KOSAPARA ALNAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
53	Lohandiguda	ALNAR	22152409515 - GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL ALNAR	पूर्ण	18.40	प्राप्त
54	Lohandiguda	BADEDHARAUR	22152409602 - GOVT. UPS. BADEDHARAUR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
55	Lohandiguda	KUTHAR	22152410103 - GOVT. UPS. KUTHAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
56	Lohandiguda	MICHNAR	22152412201 - GOVT. UPS. GANVARCHAPAR MICHNAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
57	Lohandiguda	CHHINDBAHAR	22152412204 - GOVT. UPS. CHHINDBAHAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
58	Lohandiguda	BHEJA	22152412401 - GOVT PS AS. BHEJA	पूर्ण	19.00	प्राप्त
59	Lohandiguda	BAGHANPAL	22152412702 - GOVT. U.P.S. BAGHANPAL	पूर्ण	1.77	प्राप्त
60	Lohandiguda	CHHINDGAON	22152419201 - GOVT. UPS. DURKIGUDA CHHINDGAON	पूर्ण	1.77	प्राप्त
61	Lohandiguda	SULENGA	22152404516 - GOVT.P.S.ASHRAMSHALA SULENGA	प्रगतिरत	43.80	प्राप्त
62	Lohandiguda	MICHNAR	22152407401 - GOVT. PS.MICHNAR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
63	Lohandiguda	MICHNAR	22152407405 - GOVT. UPS. MICHNAR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
64	Lohandiguda	MARIKODER	22152401002 - GOVT. UPS. MARIKODER	पूर्ण	1.77	प्राप्त
65	Lohandiguda	KARKAPAL	22152401702 - GOVT. UPS. KARKAPAL	पूर्ण	1.77	प्राप्त
66	Lohandiguda	LAKHAIBEDA	22152401802 - GOVT. UPS.. LAKHAIBEDA	पूर्ण	1.77	प्राप्त
67	Lohandiguda	BHEJA	22152401902 - GOVT. UPS. BHEJA	पूर्ण	1.77	प्राप्त
68	Lohandiguda	CHANDANPUR	22152402202 - GOVT. UPS. CHANDANPUR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
69	Lohandiguda	KODEBEDA	22152402402 - GOVT. UPS. KODEBEDA	पूर्ण	1.77	प्राप्त
70	Lohandiguda	DABPAL	22152402801 - GOVT. UPS. DABPAL	पूर्ण	1.77	प्राप्त
71	Lohandiguda	MATNAR	22152402906 - GOVT. UPS. MATNAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
72	Lohandiguda	KASTURPAL	22152402911 - GOVT. UPS. KASTURPAL	पूर्ण	1.77	प्राप्त
73	Lohandiguda	TARAGAON	22152405404 - GOVT. UPS. DHURWAPARA ERMUR TARAGAON	पूर्ण	1.77	प्राप्त

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (प्राप्त/अप्राप्त)
74	Lohandiguda	NEGANAR	22152405703 - GOVT.UPS. NEGANAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
75	Lohandiguda	CHINBAHAR	22152405812 - GOVT.UPS LITIPARA CHINBAHAR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
76	Lohandiguda	KAREKOTE	22152406107 - GOVT. UPS. KAREKOTE	पूर्ण	1.77	प्राप्त
77	Lohandiguda	GARDA	22152407601 - GOVT. UPS. GARDA	पूर्ण	1.77	प्राप्त
78	Lohandiguda	BARCHEPAL	22152408504 - GOVT.UPS. BARCHEPAL	पूर्ण	1.77	प्राप्त
79	Lohandiguda	LIMAUPADAR	22152401501 - GOVT. PS. LIMAUPADAR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
80	Lohandiguda	USARIBEDA	22152402404 - GOVT. GIRLS UPS. USARIBEDA	पूर्ण	15.30	प्राप्त
81	Lohandiguda	LOHANDIGUDA	22152402406 - GOVT.UPS LOHANDIGUDA (KGBV)	पूर्ण	15.30	प्राप्त
82	Lohandiguda	KUMHALI	22152403001 - GOVT .PS. KUMHALI	पूर्ण	17.20	प्राप्त
83	Lohandiguda	BADANJI	22152403002 - GOVT. PS. CHENDIPARA BADANJI	पूर्ण	15.30	प्राप्त
84	Lohandiguda	ANJAR	22152403601 - GOVT. PS. ANJAR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
85	Lohandiguda	KASTURPAL	22152404301 - GOVT. PS. KASTURPAL	पूर्ण	17.20	प्राप्त
86	Lohandiguda	CHITARKOTE	22152404701 - GOVT. UPS. PADARGUDA CHITARKOTE	पूर्ण	16.80	प्राप्त
87	Lohandiguda	ERMUR	22152405401 - GOVT. P.S. ERMUR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
88	Lohandiguda	PUDAMIPARA	22152405402 - GOVT.P.S. PUDAMIPARA	पूर्ण	15.30	प्राप्त
89	Lohandiguda	BADEGUMIYAPAL	22152405813 - GOVT.PS. AITUPARA BADEGUMIYAPAL	पूर्ण	15.30	प्राप्त
90	Lohandiguda	BADEGUMIYAPAL	22152405815 - GOVT.PS. TANGARUPARA BADEGUMIYAPAL	पूर्ण	15.30	प्राप्त
91	Lohandiguda	CHANDELA	22152408001 - GOVT. KANIST PS. TARAIRET CHANDELA	पूर्ण	17.20	प्राप्त
92	Lohandiguda	CHANDELA	22152408005 - GOVT. PS. NGJ. KHASPARA CHANDELA	पूर्ण	15.30	प्राप्त
93	Lohandiguda	NEGIRAS	22152409403 - GOVT. U.P.S. NEGIRAS	पूर्ण	15.30	प्राप्त
94	Lohandiguda	ANJAR	22152410601 - GOVT. PS. PATEL PARA ANJAR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
95	Lohandiguda	DHURAGAON	22152411002 - GOVT. PS. DHURAGAON	पूर्ण	15.30	प्राप्त
96	Lohandiguda	PARAPUR	22152411701 - GOVT. P.S. BANDHAMPARA PARAPUR	पूर्ण	15.30	प्राप्त
97	Lohandiguda	SULENGA	22152401401 - GOVT. P.S. KARKAPARA SULENGA	प्रगतिरत	15.30	प्राप्त
98	Lohandiguda	HARRAKODER	22152403402 - GOVT. GIRLS ASHRAM SHALA HARRAKODER	प्रगतिरत	15.30	प्राप्त
99	Lohandiguda	BELAR	22152409801 - GOVT. PS. DENGPARA BELAR	प्रगतिरत	17.20	प्राप्त

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत / अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (प्राप्त / अप्राप्त)
100	Lohandiguda	LOHANDIGUDA	22152411602 - GOVT. GIRLS PS. LOHANDIGUDA	पूर्ण	15.30	प्राप्त
101	Lohandiguda	LOHANDIGUDA	22152411604 - GOVT. PS. GIRLS ASHRAM SHALA LOHANDIGUDA	पूर्ण	15.30	प्राप्त
102	Lohandiguda	HRRAKODER	22152412302 - GOVT. PS. SARPANCH PARA HRRAKODER	प्रगतिरत	15.30	प्राप्त
103	Lohandiguda	BELAR	22152402102 - GOVT. UPS. GUDAMPARA BELAR	पूर्ण	1.78	प्राप्त
104	Lohandiguda	MATNAR	22152402901 - GOVT. PS. MATNAR	पूर्ण	1.97	प्राप्त
105	Lohandiguda	MATNAR	22152402902 - GOVT. PS. DOLEPARA MATNAR	पूर्ण	1.97	प्राप्त
106	Lohandiguda	MENDRI	22152402908 - GOVT. PS. MENDRI	पूर्ण	1.97	प्राप्त
107	Lohandiguda	KAREKOTE	22152404904 - GOVT. PS. KATABAS PARA KAREKOTE	पूर्ण	1.97	प्राप्त
108	Lohandiguda	BELAR	22152405501 - GOVT. UPS. PEDAPARA BELAR	पूर्ण	1.87	प्राप्त
109	Lohandiguda	KAKNAR	22152405901 - GOVT. PS. BAHARGUDA KAKNAR	पूर्ण	1.97	प्राप्त
110	Lohandiguda	KAKNAR	22152405902 - GOVT. PS. KOSAMGUDA KAKNAR	पूर्ण	1.97	प्राप्त
111	Lohandiguda	PARAPUR	22152406006 - GOVT. U.P.S. BANDAPARA PARAPUR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
112	Lohandiguda	PARAPUR	22152406007 - GOVT. UPS. BANDHAM PARA PARAPUR	पूर्ण	1.77	प्राप्त
113	Lohandiguda	TONGSIGUDA	22152406201 - GOVT. PS. TONGSIGUDA	पूर्ण	1.97	प्राप्त
114	Lohandiguda	BELAR	22152406303 - GOVT. UPS. BELAR	पूर्ण	1.79	प्राप्त
115	Lohandiguda	KOKADIGUDA	22152406401 - GOVT. PS. KOKADIGUDA	पूर्ण	1.95	प्राप्त
116	Lohandiguda	PARAPUR	22152406501 - GOVT PS KALA PARA PARAPUR	पूर्ण	0.99	प्राप्त
117	Lohandiguda	TAKRAGUDA	22152406901 - GOVT. PS. TAKRAGUDA	पूर्ण	0.97	प्राप्त
118	Lohandiguda	KOTHIYAGUDA	22152409102 - GOVT. UPS. KOTHIYAGUDA	पूर्ण	1.98	प्राप्त
119	Lohandiguda	PARAPUR	22152409301 - GOVT. P.S. GULAPARA PARAPUR	पूर्ण	0.96	प्राप्त
120	Lohandiguda	ANJAR	22152409512 - GOVT.PS.KUMAPARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
121	Lohandiguda	ANJAR	22152409513 - GOVT. PS. PAIKPARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
122	Lohandiguda	ANJAR	22152409514 - GOVT.PS.USHAPARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
123	Lohandiguda	BADEDHARAUR	22152409601 - GOVT. PS. BADEDHARAUR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
124	Lohandiguda	DHURAGAON	22152409702 - GOVT. UPS. NAVIN DHURAGAON	पूर्ण	1.98	प्राप्त
125	Lohandiguda	BELAR	22152409901 - GOVT. PS. GUDAMPARA BELAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त

क्र०	वि०ख०	ग्राम	शाला का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ)	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (प्राप्त/अप्राप्त)
126	Lohandiguda	KUTHAR	22152410102 - GOVT. PS. BANNIPARA KUTHAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
127	Lohandiguda	KUTHAR	22152410104 - GOVT. PS. RAUTPARA KUTHAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
128	Lohandiguda	NEGIRAS	22152410801 - GOVT. P.S. NEGIRAS	पूर्ण	1.61	प्राप्त
129	Lohandiguda	DHURAGAON	22152411001 - GOVT. PS. NAVIN DHURAGAON	पूर्ण	0.98	प्राप्त
130	Lohandiguda	EIWAR	22152411201 - GOVT.PS GANGOPARA EIWAR	पूर्ण	1.97	प्राप्त
131	Lohandiguda	KUMHALI	22152411501 - GOVT. PS. RAWATPARA KUMHALI	पूर्ण	1.61	प्राप्त
132	Lohandiguda	KODEBEDA	22152411603 - GOVT. PS. KODEBEDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
133	Lohandiguda	ANJAR	22152411605 - GOVT. PS. BAKADIPARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
134	Lohandiguda	BADEGUMIYAPAL	22152412001 - GOVT. PS. SUKDA PARA BADEGUMIYAPAL	पूर्ण	1.61	प्राप्त
135	Lohandiguda	CHINDBAHAR	22152412203 - GOVT. P.S. DULGAPARA CHINDBAHAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
136	Lohandiguda	CHINDBHAR	22152412205 - GOVT. PS. FAGANU PARA CHINDBHAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
137	Lohandiguda	BAGHANPAL	22152412701 - GOVT. P.S. MANJHIPARA BAGHANPAL	पूर्ण	1.61	प्राप्त
138	Lohandiguda	ANJAR	22152413001 - GOVT. PS. PAYKA PARA ANJAR	पूर्ण	1.61	प्राप्त
139	Lohandiguda	KUMHLI	22152413201 - GOVT PS. BHARMANPARA KUMHLI	पूर्ण	1.61	प्राप्त
140	Lohandiguda	JHITKAPARA	22152413501 - GOVT. PS.JHITKAPARA	पूर्ण	0.98	प्राप्त
141	Lohandiguda	JHITKA PARA	22152413502 - GOVT. UPS. JHITKA PARA	पूर्ण	1.30	प्राप्त
142	Lohandiguda	MARIKODER	22152413602 - GOVT. P.S. MARIPARA MARIKODER	पूर्ण	1.61	प्राप्त
143	Lohandiguda	MALEWAHI	22152414402 - GOVT. UPS MALEWAHI	पूर्ण	1.98	प्राप्त
144	Lohandiguda	GADHIYA	22152414701 - GOVT. PS. GADHIYA	पूर्ण	1.97	प्राप्त
145	Lohandiguda	INDIRABHATHI	22152415101 - GOVT. PS. INDIRABHATHI	पूर्ण	1.00	प्राप्त
146	Lohandiguda	GHUMARMUND	22152415301 - GOVT. PS. GHUMARMUND	पूर्ण	1.61	प्राप्त
147	Lohandiguda	GARDA	22152419401 - GOVT. PS. BODAPARA GARDA	पूर्ण	1.61	प्राप्त
148	Lohandiguda	HARAKODER	22152422901 - GOVT.PS DHANAJI PARA HARAKODER	पूर्ण	1.97	प्राप्त
149	Lohandiguda	EARPUND	22152422905 - GOVT. UPS. EARPUND	पूर्ण	1.98	प्राप्त

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
बनारस, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - तेरह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 36) की जानकारी

प्रपत्र - अ

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कराए गए कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)	कार्य एजेसी
1	2	3	4	5	6
2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31. 03.2024 तक)	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	तालाब गहरीकरण कार्य	800000	800000	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	वन्यप्राणी तालाब गहरीकरण कार्य	600000	599944	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	वन्यप्राणी तालाब निर्माण कार्य	1200000	668316	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	अस्थाई बॉटरहोल निर्माण	75000	73704	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	अस्थाई बॉटरहोल/झिरिया निर्माण	100000	99268	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	झिरिया निर्माण	75000	74202	
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	हाथियों के संरक्षण एवं संकथन हेतु सुरक्षा कार्य	418320	370948	
	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	चारगाह विकास द्वितीय वर्ष	66400	66400	
	6223-संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास	198000	191339	
	4342-सड़के तथा मकान निर्माण	एन्टी पोथिंग पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	1063000	649268	
	4342-सड़के तथा मकान निर्माण	पूर्व निर्मित अस्थाई वॉच टॉवर सह पेट्रोलिंग कैम्प में अतिरिक्त कार्य हेतु	150000	149952	
	4342-सड़के तथा मकान निर्माण	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	500000	332421	वन विभाग
	4349-वनमार्ग/पुल पुलिया सरम्मत कार्य	वनमार्ग सरम्मत कार्य	540698	540562	
	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अग्नि ब्रिदाव कार्य	अग्नि ब्रिदाव अंतर्गत अग्नि लाईन क्लॉई, जलाई एवं सफाई कार्य	940000	913830	
	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अन्य आकारिक व्यय	कोर्ट केश प्रकरण हेतु विविध व्यय	50000	49895	
	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अन्य आकारिक व्यय	विश्व बाघ दिवस 2023 के आयोजन हेतु विविध व्यय के भुगतान के लिए	15000	14985	
	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अन्य आकारिक व्यय	हाईटेक बैरियर पम्पेटी के सरम्मत कार्य हेतु	109610	109610	
2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अन्य आकारिक व्यय	सोलर पैनल/विद्युत लाईट लगाने हेतु	150000	146261		
कैम्पा मद	अग्नि सुरक्षा श्रमिक भुगतान 04 माह	3312800	3310840		
कैम्पा मद	अतिसंवेदनशील पेट्रोलिंग श्रमिक	3636000	362480		
कैम्पा मद	नरधा विकास कार्य	3999000	1587289		
		वित्तीय वर्ष 2023-24 योग	14726428	11111514	

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कराए गए कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	कार्य एजेंसी
2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	तालाब गहरीकरण/मरम्मत कार्य	800000	799713	वन विभाग
	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	तालाब में सोलरपंप स्थापना	500000	498888	
	5090-जैव विविधता संरक्षण	चारगाह विकास तृतीय वर्ष	50550	0	
	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र, अग्नि बचाव कार्य	वनमार्ग मरम्मत कार्य	675000	665200	
	कैम्पा मद	अग्नि बचाव अंतर्गत अग्नि लाईन कटाई, जलाई एवं सफाई कार्य	886250	843204	
	कैम्पा मद	अग्नि सुरक्षा श्रमिक भुगतान 04 माह	3404640	3345680	
2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 25.11.2025 तक)	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	अतिसंवेदनशील पेट्रोलिंग श्रमिक	373680	361680	वन विभाग
	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	विश्वीय वर्ष 2024-25 योग	6690120	6514365	
	4349-वनमार्ग/पुल पुलिया मरम्मत कार्य	तालाब गहरीकरण	700000	0	
	कैम्पा मद	तालाब निर्माण	1200000	0	
	कैम्पा मद	वनमार्ग मरम्मत कार्य	280000	0	
	कैम्पा मद	अग्नि सुरक्षा श्रमिक भुगतान 04 माह	3493200	0	
2025-26 योग		अतिसंवेदनशील पेट्रोलिंग श्रमिक	332228	147680	वन विभाग
		विश्वीय वर्ष 2025-26 योग	6005428	147680	

प्रधान मुख्य वन्यरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कराए गए कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	यदि कार्य अपूर्ण है, तो विवरण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	4342-सड़के तथा मकान निर्माण	एन्टी पीकिंग पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	1063000	649268	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च 2026 तक	
	4342-सड़के तथा मकान निर्माण	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	500000	332421	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च 2026 तक	वन विभाग
	कैम्पा मद	नरवा विकास कार्य	3999000	1587289	प्रगति पर	मार्च 2026 तक	
		वित्तीय वर्ष 2023-24 योग	5562000	2568978			
— निरंक —							
(वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	तालाब गहरीकरण	700000	0	अप्रारंभ	मार्च 2026 तक	
	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	तालाब निर्माण	1200000	0	अप्रारंभ	मार्च 2026 तक	
2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 25.11.2025 तक)	4349-वनमार्ग/पुल पुलिया मरम्मत कार्य	वनमार्ग मरम्मत कार्य	280000	0	अप्रारंभ	मार्च 2026 तक	वन विभाग
	कैम्पा मद	अग्नि सुरक्षा श्रमिक भुगतान 04 माह	3493200	0	अप्रारंभ	मार्च 2026 तक	
	कैम्पा मद	अतिसवेदनशील पेट्रोलिंग श्रमिक	332228	147680	प्रगति पर	—	
		वित्तीय वर्ष 2025-26 योग	6005428	147680			


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0

परिशेष - चौदह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 59) की जानकारी

प्रपत्र अ

क्र.	वर्ष	दुर्घटना प्रकरण संख्या	गंभीर घायल/घायलों की संख्या	मृतको की संख्या
1.	2023	13468	11723	6166
2.	2024	14857	12484	6945
3.	2025 (15 नवंबर तक)	13504	11554	5955
योग		41829	35761	19066

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

सड़क दुर्घटना में वृद्धि का कारण –

विगत वर्षों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में अक्टूबर 2025 की स्थिति में 90,56,532 पंजीकृत वाहनों हैं, जिसमें वर्षवार वृद्धि होना तथा सड़कों की स्थिति बेहतर होने से ओव्हर स्पीडिंग, लापरवाही पूर्वक वाहन चालन, शराब पीकर वाहन चालन, बिला हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन आदि है।

सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कदम –

सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा सड़कों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम / नियम में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर 84 ए.एन.पी.आर. कैमरा की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त ओव्हरलोड संचालित वाहनों पर रोकथाम हेतु 16 स्टेटिक वे-ब्रिज की स्थापना की गई है।

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (IDTR) वाहन चालकों के प्रशिक्षण हेतु माह दिसम्बर 2021 में प्रारंभ किया गया है। माह नवम्बर-2025 की स्थिति में 36,601 वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अप्रशिक्षित वाहन चालकों से होने वाली सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु उन्हें वाहन चालन प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की योजना अंतर्गत संभाग स्तर पर 01 क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (RDTC) तथा जिला स्तर पर 12 जिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (DTC) की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अनफिट वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा परिवहन विभाग अंतर्गत अनफिट वाहनों की जांच हेतु ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन (ATS) रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा में ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन का संचालन किया जा रहा है एवं जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, सूरजपुर, धमतरी, कांकेर, बालोद जिले में ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन निर्माण (एटीएस) प्रस्तावित है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार राज्य में अन्तर्विभागीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की स्थापना की गई है, जिसके निर्देशों/सुझावों के पालन में राज्य शासन के संबंधित विभागों के समन्वय से सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।


अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
संत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर


निरंतर

सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु योजना/कार्यक्रम :-

सड़क दुर्घटना रोकने हेतु दीर्घकालीन सुधारात्मक उपायों यथा फ्लाईओवर, अंडरपास/बाईपास आदि के प्रस्ताव तैयार किया जाकर यथाशीघ्र स्वीकृति एवं कार्यपूर्णता हेतु पहल के निर्देश है। सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु विभिन्न जिलों में वर्ष 2025 में स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनजागरूकता रैली, हैलमेट रैली, नुक्कड़ नाटक, व्यावसायिक वाहन एवं ऑटो चालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन, प्रदर्शनी स्थल में आम नागरिकों का भ्रमण, आम सड़क एवं हाट-बाजारों में जागरूकता अभियान, चौक-चौराहों में वाहन चालकों को समझाईश एवं दुर्घटना में मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को 25 हजार रूपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर 01 लाख रूपए से पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है, अन्य कार्यक्रमों के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2023 से 15 नवम्बर 2025 की स्थिति में 373 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं इनमें से 288 में सुधारात्मक उपाय संबंधित निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में अल्पकालीन सुधारात्मक उपाय यथाशीघ्र कराये जाने हेतु संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। वर्ष 2025 01 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि में 13,341 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें 27,22,299 व्यक्ति लाभान्वित हुए। परिवहन विभाग द्वारा माह जनवरी से दिसंबर 2024 तक 8,02,417 प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाही से 1,63,08,51,440/- रूपये तथा इसी प्रकार माह जनवरी, 2025 से नवम्बर 2025 तक 7,59,688 प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाही से 1,57,99,88,200/- रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया है।



अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
संचालक, महानदी भवन, नवा रायपुर



प्रपत्र - "स"

सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाएं -

हिट एंड रन केस

शासकीय चिकित्सालयों में सड़क दुर्घटना में घायलों के निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में निर्धारित सीमा में सड़क दुर्घटना में चोट सहित विभिन्न बीमारियों की जांच एवं निःशुल्क उपचार की सुविधा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन ने 25 फरवरी 2022 की एक अधिसूचना जारी करके सड़क दुर्घटना के हिट एण्ड रन प्रकरणों के पीड़ितों के मुआवजों के लिए एक नई योजना की अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि की 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। प्रकरण में प्रभावित/पात्र व्यक्ति, घटना का विवरण सहित अन्य सुसंगत जानकारी संकलित कर जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा जीआईसी नई दिल्ली को प्रकरण प्रेषित करने पर परीक्षणोपरांत संबंधित के बैंक खाता में निर्धारित राशि सीधे स्थानांतरित की जाती है। मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी है।

दुर्घटना सहायता

1. राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों तथा घायलों को सहायता दिये जाने के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/2006/1/5 रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी किया जाकर सड़क दुर्घटना में मृतक के वारिस को अधिकतम रु. 25000/- गंभीर रूप से घायल होने पर अधिकतम रु. 10000/- की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त सहायता राशि की स्वीकृति संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दी जाती है और इसके लिए प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति/पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-02, लेखा शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (800)-अन्य व्यय (1982)-दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता-13 आर्थिक सहायता के मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
2. शासकीय वाहनों से दुर्घटना होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या 36-2041-101-4280 -#15-डिक्री धन का भुगतान के अंतर्गत 1.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। जिसमें से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को राशि रुपये 2,62,910/- का आबंटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या 36-2041-101-4280-#15-डिक्री धन का भुगतान हेतु 1.50 करोड़ का बजट प्रावधान है। 04 व्यक्तियों को कुल रु. 2,62,910/- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कलेक्टर रायपुर के आदेश के पालन में भुगतान किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
राज्य, महानदी भवन, नवा रायपुर



कैश लेस स्कीम

वाहनों से दुर्घटना से दुर्घटना होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 162 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक का.आ.2489 (अ) दिनांक 04 जून 2025 द्वारा स्वर्णिम काल (Golden Hower) के दौरान "सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी उपचार स्कीम 2025" लाई गई है। इस स्कीम के तहत वाहन दुर्घटना से पीड़ित को तुरंत उपचार उपलब्ध कराना एवं उपचार के पहले पैसे की व्यवस्था न करनी पड़े इस उद्देश्य से अधिकतम रू. 1,50,000/- तक का ईलाज शासन द्वारा अधिकृत अस्पतालों में पूरी तरह कैशलेस होगा, जो अधिकतम 07 दिन तक हो सकेगा।



अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा राबपुर




परिशेष - पन्द्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 92) की जानकारी

प्रपत्र

स० क्र०	जिला का नाम	कुल हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या	कृषि संकाय विषय संचालित हायर सेकेण्डरी की संख्या
1	2	3	4
1	सरगुजा	75	13
2	कोरिया	35	4
3	जशपुर	84	27
4	बलरामपुर-रामानुजगंज	78	11
5	सूरजपुर	103	8
6	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	40	9
7	बिलासपुर	124	5
8	रायगढ़	87	5
9	कोरबा	95	4
10	जांजगीर-चाम्पा	94	2
11	मुंगेली	64	4
12	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	35	8
13	सक्ती	94	5
14	सारंगढ़-बिलाईगढ़	67	4
15	रायपुर	163	6
16	महासमुन्द	125	1
17	धमतरी	111	12
18	गरियाबंद	80	2
19	बलौदाबाजार-भाटापारा	134	15
20	दुर्ग	135	4
21	बालोद	132	5
22	बेमेतरा	101	5
23	राजनांदगांव	114	10
24	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	39	2
25	कबीरधाम	76	4
26	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	51	12
27	बस्तर	107	35
28	कांकेर	139	21
29	दन्तेवाड़ा	28	6
30	कोंडागांव	101	45
31	नारायणपुर	23	12
32	बीजापुर	30	6
33	सुकमा	19	9
	योग	2783	321


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर


उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - सोलह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 142) की जानकारी

प्रपत्र

खदान परियोजना से प्रभावित ग्रामों में मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड द्वारा सामाजिक दायित्व हेतु किये गये कार्यों का विवरण

क्रमांक	मद	सामाजिक दायित्व हेतु किये गये कार्य का विवरण	व्यय की गई राशि (दिनांक 31.03.2025 तक)
1.	स्वास्थ्य	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम-बिदियाडीह, लोहर्सी, बोहारडीह, भुरकुण्डा, सासा, सुलोनी, जलसो, कोसिर, जेवरा, भरारी, केवताडीह, सुकोलकारी में मोबाईल हेल्थ यूनिट, डॉक्टर तथा सपोर्ट स्टाफ के साथ। ग्राम- लोहर्सी में रक्तदान शिविर। ग्राम- बिदियाडीह, लोहर्सी, बोहारडीह, भुरकुण्डा में निःशुल्क नेत्र परीक्षण कैम्प। 	रुपये 87.80 लाख
2.	शिक्षा	<ol style="list-style-type: none"> उत्थान परियोजना के तहत ग्राम- भुरकुण्डा, बोहारडीह, लोहर्सी के विद्यालयों हेतु 5 शिक्षकों की नियुक्ति। ग्राम - भुरकुण्डा एवं लोहर्सी में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 1-1 शिक्षक की नियुक्ति। ग्राम-बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं लोहर्सी के विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में चित्रकला प्रशिक्षण। 	रुपये 52.38 लाख
3.	कौशल विकास	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम-पचपेड़ी में अडानी कौशल केंद्र की स्थापना। ग्राम- बिदियाडीह, लोहर्सी, बोहारडीह, भुरकुण्डा, गोडाडीह एवं चिल्हाटी में मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सहयोग। 	रुपये 159.79 लाख
4.	अधोसंरचना विकास	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम- भुरकुण्डा, बोहारडीह में सामुदायिक भवन की स्थापना पूर्ण। ग्राम-बिदियाडीह एवं लोहर्सी में सामुदायिक भवन की स्थापना प्रगतिरत। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच - भुरकुण्डा में पूर्ण तथा ग्राम बिदियाडीह में प्रगतिरत। ग्राम-बिदियाडीह में जल आपूर्ति हेतु 495 मीटर की पाइपलाइन। ग्राम- बोहारडीह में सामूहिक मंच का जीर्णोद्धार। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला लोहर्सी में सेफ्टी रेलिंग का निर्माण तथा शौचालय का नवीयन कार्य। ग्राम-बिदियाडीह में री-क्रीएशन हाल का निर्माण। 	रुपये 173.41 लाख

		<p>8. ग्राम- मल्हार नवोदय विद्यालय में प्रतीक्षालय कक्ष का निर्माण।</p> <p>9. ग्राम- भुरकुण्डा, बोहारडीह के शासकीय विद्यालय में पेय जल आपूर्ति एवं वाटर कूलर की व्यवस्था।</p> <p>10. ग्राम- बोहारडीह में सामुदायिक सभा मंच का निर्माण।</p> <p>11. ग्राम- लोहर्सी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन।</p> <p>12. ग्राम-बिदियाडीह, बोहारडीह, एवं गोडाडीह में क्रमशः 476 मीटर, 230 मीटर, 190 मीटर की पक्की सड़क का निर्माण।</p> <p>13. ग्राम- बोहारडीह में सिंचाई हेतु 2050 मीटर की पाइपलाइन।</p> <p>14. ग्राम-बिदियाडीह, लोहर्सी, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोडाडीह में सोलर एवं एलईडी लाइट की व्यवस्था।</p> <p>15. ग्राम-बिदियाडीह एवं भुरकुण्डा के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक शाला एवं पंचायत भवन में कुर्सी तथा टेबल की व्यवस्था।</p>	
5.	पर्यावरण संरक्षण	<p>1. 8000 नग वृक्षारोपण।</p> <p>2. ग्राम- बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं बिदियाडीह में तालाब गहरीकरण।</p>	रुपये 62.72 लाख
6.	अन्य	1. उपरोक्त कार्यों हेतु मैनेजमेंट सैलरी, इत्यादि।	रुपये 21.20 लाख
		कुल	रुपये 557.29 लाख


असिस्टेंट सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 157) की जानकारी

प्रपत्र

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेजुंगेरा के जामड़ी पाटेश्वर धाम में वन विभाग की भूमि पर स्वीकृत कार्य की जानकारी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 157 द्वारा माननीया श्रीमती अनिला मेड़िया, सदस्य विधानसभा

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	योजना/मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति		रिमार्क
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2024-25 (स्वीकृति दिनांक 06.03.2025)				ग्राम-बड़े जुंगेरा पाटेश्वर धाम में शेड निर्माण	-	अपूर्ण	-
2	डौण्डीलोहारा	2025-26 (स्वीकृति दिनांक 05.08.2025)	डौण्डीलोहारा	बड़ेजुंगेरा	मुख्यमंत्री घोषणा	सर्व सामुदायिक सीता रसोई भवन निर्माण कार्य बड़ा जुंगेरा विकासखण्ड डौण्डीलोहारा.	-	अपूर्ण	कार्य अप्रारंभ
3		2025-26		केरीजुंगेरा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्य मद)	केरीजुंगेरा-जामड़ी से पाटेश्वरधाम	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन


अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष - अट्टारह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 184) की जानकारी


प्रपत्र-अ

दुर्ग जिला अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त संचालित केमिकल उद्योगों/ कारखानों की जानकारी :-

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	संचालनकर्ता
1.	मेसर्स कलकत्ता टार प्रोडक्ट्स, प्लाट नं- 17,- भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री ईमाम हैदर, प्रोपराईटर
2.	मेसर्स श्री श्याम केमिकल्स, प्लाट नं. 12/आई एवं 13/डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री कमल कुमार सेन, प्रोपराईटर
3.	मेसर्स नगरी केमिकल्स एण्ड टार प्रोडक्ट, प्लाट नं. 3/ए, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री असगर एन कटनावला, पार्टनर
4.	मेसर्स जया हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., प्लाट नं.12/जे एवं 13, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री सिद्धार्थ सुरेका, डायरेक्टर
5.	मेसर्स इण्डियन पेट्रो कोल प्रोडक्ट्स, प्लाट नं. 23/सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री बी.एल. पोरवाल, प्रोपराईटर
6.	मेसर्स कुसुम केमिकल प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 73-74 हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री भीखमचंद जैन, डायरेक्टर
7.	मेसर्स स्वर्णा होमकेयर प्रोडक्ट्स, प्लाट नंबर-123/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्रीमती सुषमा पोरवाल, प्रोपराईटर
8.	मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी, प्लाट नंबर- 31-35, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री विशाल केजरीवाल, पार्टनर
9.	मेसर्स लायड टार प्रोडक्ट, प्लाट नंबर-7, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री ए.के. श्रीवास्तव, डायरेक्टर
10.	मेसर्स एम.पी.टार प्रोडक्ट्स, प्लाट नंबर- 69-70, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री पंकज कोठारी, प्रोपराईटर
11.	मेसर्स टेथीस केम प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 17/एन, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री गोविन्द कुमार मंडल, डायरेक्टर
12.	मेसर्स टेथीस हाईड्रो कार्बन प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 37, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री गोविन्द कुमार मंडल, डायरेक्टर
13.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ स्पेशलिटी प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 15/बी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री करमजीत सिंह बेदी, डायरेक्टर
14.	मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज, प्लाट नंबर- 12/एफ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री रविन्द्र पाल सिंह बेदी, प्रोपराईटर
15.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 12/एच, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री करमजीत सिंह बेदी, प्रोपराईटर
16.	मेसर्स श्याम केमिकल, प्लाट नंबर- 15/सी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री मनीष बुचासिया, प्रोपराईटर
17.	मेसर्स एस.आर. इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं.-91/ए, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री शमीम कुरैशी, प्रोपराईटर
18.	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 54/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री शमीम कुरैशी, प्रोपराईटर
19.	मेसर्स उत्कल हाईड्रो कार्बन्स, प्लाट नं. 16, 16/बी एण्ड 16/सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री पंकज पोरवाल, पार्टनर
20.	मेसर्स कोलकेम, प्लाट नं. 101, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री दानमल पोरवाल, प्रोपराईटर
21.	मेसर्स शंकर केमिकल्स एंड ट्रेडिंग कम्पनी, (पूर्व नाम मेसर्स हिन्दुस्तान केमिकल एंड एल्युमिनियम इण्डस्ट्रीज) प्लाट नं. 50, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री तपन कुमार दास, प्रोपराईटर
22.	मेसर्स जी.एन. इण्डस्ट्रीज, 50/डी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री अब्दुल अमीर ताजर, प्रोपराईटर
23.	मेसर्स जे.एस. आयल कंपनी, प्लाट नम्बर 123/एफ, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री संतोष कुमार पंडित, प्रोपराईटर
24.	मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, प्लाट नम्बर-18-26, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री सी.एच. कृष्णामूर्ति, डायरेक्टर
25.	मेसर्स शुभम सिंडिकेट एलएलपी प्लाट नं. 1-5 औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, ग्राम-रसमड़ा, जिला- दुर्ग	श्री रितेश कुमार जैन, पार्टनर
26.	मेसर्स सुहाने एग्रो इंडिया प्रा.लि. 17-पी भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री अजीत रजक, डायरेक्टर
27.	मेसर्स जे0एस0 हाईड्रोकेम प्रोडक्ट्स, 83-सी, 83-डी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री संतोष कुमार पंडित, पार्टनर

संचालित केमिकल उद्योगों/ कारखानों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा विगत 05 वर्षों (जनवरी 2021 से दिनांक 04/12/2025 तक) में जारी सम्मति/ संशोधन सम्मति की जानकारी: -

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	सम्मति/ संशोधन सम्मति जारी दिनांक
1.	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज, प्लाट न. 54/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	24.03.2022 (सम्मति)
2.	मेसर्स जे0एस0 हाइड्रोकेम प्रोडक्ट्स, 83-सी, 83-डी, हल्का औ.क्षेत्र भिलाई, जिला- दुर्ग	10.05.2022 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
3.	मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, प्लाट नम्बर-18-26, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	08.09.2022 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
4.	मेसर्स श्याम केमिकल, प्लाट नंबर- 15/सी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	05.01.2023 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
5.	मेसर्स शुभम सिंडिकेट एलएलपी, प्लाट नं. 1-5 औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, ग्राम- रसमड़ा, जिला-दुर्ग	16.06.2023 (सम्मति)
6.	मेसर्स श्री श्याम केमिकल्स, प्लाट नं. 12/आई एवं 13/डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	27.07.2023 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
		01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
7.	मेसर्स जी.एन. इण्डस्ट्रीज, 50/डी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	31.07.2023 (सम्मति)
8.	मेसर्स टेथीस हाईड्रो कार्बन प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 37, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	03.11.2023 (सम्मति)
		01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
9.	मेसर्स उत्कल हाइड्रो कार्बन्स, प्लॉट नं. 16, 16/बी एण्ड 16/सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	19.01.2024 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
10.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ स्पेशलिटी प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 15/बी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	27.02.2024 (क्षमता विस्तार के तहत सम्मति)
11.	मेसर्स टेथीस केम प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 17/एन, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	18.06.2024 (संशोधन सम्मति)
		01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
12.	मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी, प्लाट नंबर- 31-35, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
13.	मेसर्स एम.पी.टार प्रोडक्ट्स, प्लाट नंबर- 69-70, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
14.	मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज, प्लाट नंबर- 12/एफ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	01.12.2025 (संशोधन सम्मति)
15.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 12/एच, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	01.12.2025 (संशोधन सम्मति)


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - उन्नीस
परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 189) की जानकारी

जिला दुर्ग में हत्या के प्रकरण वर्ष 01/01/2024 से 15/11/2025 तक

प्रपत्र

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खाला	खारजी
1	खुर्सीपार	220/24 धारा 103(4) बीएनएस	सड़क 52 जोन 02 खुर्सीपार	पैसा मांगने पर विवाद	1	-	205/24	-	-
2	खुर्सीपार	236/24 धारा 103(1) बीएनएस	वीरांगना अर्वाते बाई भवन के पास नहर किनारे खुर्सीपार	लेनदेन का विवाद	1	-	16/25	-	-
3	कुन्हारी	05/24 धारा 302 भादवि.	कोडिया नाला खपरी शमशान घाट के पास	आपसी रंजिश	1	-	35/25	-	-
4	कुन्हारी	32/24 धारा 302,201,34 भादवि	मध्य शंकर नगर कुन्हारी	घरेलू विवाद	2	-	54/24	-	-
5	कुन्हारी	227/24 धारा 103 बीएनएस	ग्राम खपरी सुकलीमा का मकान	पारिवारिक विवाद	1	-	163/24	-	-
6	धमधा	55/24 धारा 302,34 भादवि	ग्राम टेलका देवकर रोड	वाहन को साईड लगाने का विवाद	2	-	48/24	-	-
7	धमधा	73/24 धारा 302 भादवि	किशुन साहू के घर सामने कोठा देवरी	पारिवारिक विवाद	1	-	64/24	-	-
8	धमधा	125/24 धारा 103(1) बीएनएस	ग्राम मुड़पार महावीर चौक	पुरानी रंजिश	1	-	114/24	-	-
9	धमधा	132/24 धारा 103(1) बीएनएस	मुतक का मकान का परछी ग्राम रूहा	पारिवारिक विवाद	1	-	127/24	-	-
10	मोहन नगर	157/24 धारा 302 भादवि	नया आमपारा शासकीय प्राथमिक स्कूल के पास दुर्ग	पुरानी रंजिश	1	-	184/25	-	-
11	मोहन नगर	198/24 धारा 302 भादवि	गैदी डबरी शुलभ शौचालय दुर्ग थाना मोहन नगर	पुरानी रंजिश	3	-	185/25	-	-

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय रायपुर

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खातना	खारजी
12	मोहन नगर	338/24 धारा 103(1) बीएनएस	शक्ति नगर दुर्ग दुर्गा मंच के पास	पुरानी रंजिश	2	-	294/25	-	-
13	मोहन नगर	396/24 धारा 103(1) बीएनएस	मृतक के घर के पास कातुलबोर्ड	पुरानी रंजिश	1	-	358/24	-	-
14	मोहन नगर	510/24 धारा 103(1) बीएनएस	14.10.24 के 02.40 बजे रात्रि ठाकुर किराना के पास सिकोला भाटा	पुरानी रंजिश	1	-	440/24	-	-
15	मोहन नगर	534/24 धारा 103(1) 109(1) बीएनएस	परमेश्वरी मोबाईल दुकान के पास शांति नगर दुर्ग	पुरानी रंजिश	1	-	22/25	-	-
16	मोहन नगर	543/24 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस	श्याम वेलडिंग के पीछे उरला	पुरानी रंजिश	3	-	09/25	-	-
17	मोहन नगर	576/24 धारा 103(1) बीएनएस	मृतक का निवास कैशाल नगर	पुरानी रंजिश	1	-	18/25	-	-
18	भिलाई नगर	109/24 धारा 302 भादवि	अप लाईन रेल्वे 32 बंगला भिलाई के सामने	लेन-देन का	1	-	94/24	-	-
19	भिलाई नगर	389/24 धारा 103 बीएनएस	रेल्वे स्टेशन के पास झोपड़ी सेक्टर 06	चरित्र शंका	1	-	213/24	-	-
20	बोरी	56/24 धारा 302 भादवि	मृतक का मकान के सामने आंगन बड़े टेमरी	आपसी वाद विवाद	1	-	54/24	-	-
21	पाटन	42/24 धारा 302 भादवि	ग्राम - चीचा धनश्याम साहू का खेत पाटन	प्रेम प्रसंग	-	-		02/24	-
22	पद्मनाभपुर	437/24 धारा 296,115(2), 351(2), 103(1) 61(2) बीएनएस	सिविल लाईन दुर्ग	प्रेम प्रसंग	7	-	23/25	-	-
23	पद्मनाभपुर	124/24 धारा 302 भादवि	मनीष पेट्रोल पंप के पीछे पोटिया	पुरानी रंजिश	2	-	124/24	-	-

क्र.	थाना	अपराध क्र. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खाला	खारजी
24	पद्मनाभपुर	287/24 धारा 302,34 भादवि	टागड़ा बाधा के पास जोगी नगर दुर्ग	घरेलू विवाद	-	-	-	-	01/2025
25	पद्मनाभपुर	308/24 धारा 103(1), 3(5) वीएनएस	शासकीय स्कूल के पास बोरसी भांठा पदमनाभपुर	आपसी वाद विवाद	22	-	266/24	-	-
26	पुरानी भिलाई	218/24 धारा 302,147,148,149, 120बी भादवि	बंधवा तालाब के पास मैदान देवबलोदा	पुरानी रजिश	12	-	219/24	-	-
27	पुरानी भिलाई	362/24 103(1) 115(2) 3(5) वीएनएस	बीसी कम्पनी के पीछे हथखोज	पैसे मांगने का विवाद	3	-	381/24	-	-
28	पुरानी भिलाई	403/24 धारा 103(1), 190, 191(1), 191(2) 191(3) वीएनएस	शिव मंदिर के पास हथखोज शीतला पारा	पुरानी रजिश	5	-	422/24	-	-
29	पुलगांव	475/24 धारा 103,3(5) वीएनएस	जेवरा सिरसा	आपसी वाद विवाद	2	-	15/25	-	-
30	पुलगांव	41/24 धारा 302,34 भादवि	यूरोपिया साईड कंट्रोलिंग लेबर आवास पोटिया	आपसी वाद विवाद	3	-	122/24	-	-
31	पुलगांव	153/24 धारा 302,450 भादवि	अर्जुन साहू का मकान ग्राम गनियारी	प्रेम प्रसंग	3	-	-	-	-
32	पुलगांव	234/24 धारा 302 भादवि	पोटिया देशी शराब दुकान के अंदर	पैसे मांगने पर	1	-	242/24	-	-
33	रानीतराई	89/24 धारा 103,238, 3(5) वीएनएस	ग्राम दरवार मोखली मृतक टिकेश्वर देशमुख का घर का कमरा	पारिवारिक विवाद	2	-	81/24	-	-
34	सुपेला	1179/24 103(1), 3(5) वीएनएस	लक्ष्मी मार्केट कचरा मैदान सुपेला	काम को पूरा नहीं करने पर	4	-	24/25	-	-
35	उतई	85/24 धारा 302,34 भादवि	ग्राम महकराकला मृतक के घर के सामने	पुरानी रजिश	3	-	462/24	-	-
36	उतई	171/24 धारा 302 भादवि	मृतक का फर्म हाउस खोपली खार मवांदूर	पारिवारिक विवाद	--	-	-	14/2024	-

क्रं.	धाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खाला	खारजी
37	उतई	216/24 103 बीएनएस	ग्राम मर्रा गोठान पारा	पारिवारिक विवाद	1	-	213/24	-	-
38	उतई	240/24 103(1), 332(ए)309(6),61(2), 3(5) बीएनएस	कुबेर ग्रीन्स अपार्टमेंट पुरई फ्लैट नं डी 5 प्रथम तल अकिन्दर कौर का मकान	लूट कर हत्या	2	-	246/24	-	-
39	उतई	245/24 103 बीएनएस	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतई मूल घटना स्थल चुन्नकड़ा चौहान का बाड़ी	पारिवारिक विवाद	1	-	260/24	-	-
40	उतई	256/24 धारा 103 बीएनएस	मृतक का मकान	पारिवारिक विवाद	1	-	262/24	-	-
41	उतई	296/24 धारा 103 3(5) बीएनएस	ग्राम पुरई शिव पारा	पुरानी रजिश	3	-	323/24	-	-
42	उतई	357/24 धारा 103, 3(5) बीएनएस	ग्राम परेवाडीह मृतक का मकान	नशे के कारण	2	-	322/24	-	-
43	उतई	374/24 103 बीएनएस	ग्राम मर्रा मनी राम युदु का मकान	लेन-देन की विवाद	1	-	37/25	-	-
44	छवनी	38/24 धारा 147,148,302 भादवि	दीपक सायकल स्टोर्स के सामने शारदा पारा	बाहन टकराने पर बाद-विवाद	4	-	38/24	-	-
45	छवनी	546/24 103(1), 3(5) बीएनएस	मुस्लीम कब्रिस्तान के पीछे कारिया तालाब के पास केम्प 01	पुरानी रजिश	2	-	53/25	-	-
46	दुर्ग	506/24 103(1) 3(5) बीएनएस	मठपारा चण्डी मंदिर दुर्ग	पुरानी रजिश	6	-	576/24	-	-
47	दुर्ग	261/24 302,147,148,149 भादवि	स्कूल चौक मोहलाई	प्रेम प्रसंग	5	-	285/24	-	-
48	दुर्ग	272/24 धारा 302,120बी,341, 34 भादवि	नाका चौक गंजपारा दुर्ग	पुरानी रजिश	5	-	301/24	-	-
49	दुर्ग	421/24 धारा 109,61(2), 3(5) बीएनएस 103	ललीस जैन के घर चौखट गार्डन के पास शिक्षक नगर दुर्ग	पुरानी रजिश	8	-	401/24	-	-

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खात्मा	खारजी
50	दुर्ग	457/24 296, 109 351(2) 3(5) बीएनएस	गंजपारा दुर्ग	आपसी रंजिश	4	-	409/24	-	-
51	वैशाली नगर	124/24 धारा 302 भादवि	मृतक का बेड मकान एमआईजी 34 वैशाली नगर	अनैतिक संबंध के कारण	1	-	98/24	-	-
52	जामुल	211/24 धारा 302 भादवि	एसीसी कम्पनी जामुल	आपसी रंजिश	1	-	154/24	-	-
53	नंदनी	263/24 103(1) बीएनएस	ग्राम नंदकट्टी	मानसिक रोगी	1	-	05/25	-	-
54	नंदनी	115/24 धारा 302,201 भादवि	कोडिया से संगनी रोड के किनारे	अज्ञात	--	-		34/2025	-
55	नंदनी	181/24 धारा 103,238 बीएनएस	गोपाल तालाब मेढेसरा	पारिवारिक विवाद	1	-	170/24	-	-
56	नंदनी	224/24 धारा 103(1) 115(2) 191(2) 191(3) 190 61(2) बीएनएस	ग्राम नंदनी खुंदनी शीतला मंदिर के पास	डीजे बजाने की बात पर	17	-	207/24	-	-
57	नेवई	64/24 धारा 302 भादवि	प्रार्थी का मकान रिसाली सेक्टर	अवैध संबंध	2	-	122/24	-	-
58	नेवई	163/24 धारा 302,34 भादवि	लालता प्रसाद चौक एचएससीएल कालोनी स्टेशन मरोदा	आपसी रंजिश	2	-	157/24	-	-
59	नेवई	181/24 धारा 302,307 भादवि	मोहारी मरोदा	पारिवारिक वाद विवाद	0	1	-	-	-
60	नेवई	356/24 धारा 103(1) बीएनएस	जलाराम चौक नेवई भाटा	पारिवारिक वाद विवाद	1	-	03/25	-	-
61	अमलेश्वर	160/24 धारा 103 बीएनएस	उचित मुल्य की दुकान के सामने पाहंदा	पुरानी रंजिश	4	-	06/25	-	-
62	खुर्सीपार	236/25 धारा 103 बीएनएस	शराब भट्टी के पास खुर्सीपार	पुरानी रंजिश	1	-	-	-	-
63	खुर्सीपार	273/25 धारा 103(1), 109, 3(5) बीएनएस	ज्योति फैसी स्वेर्स के पास सर्विस रोड खुर्सीपार	रंगोली को मिटा देने की बात पर	2	-	-	-	-

87

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खात्मा	खारजी
64	खुर्सीपार	281/25 धारा 103, 3(5) बीएनएस	तिरंगा नगर सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी का मकान	प्रेम प्रसंग	5	-	-	-	-
65	कुम्हारी	53/25 धारा 103 बीएनएस	रायपुर चौराहा वार्ड 11 भागवत मारकंडे का घर कमरा	घर के सामने फोन पर बात करने की विवाद	1	-	62/25	-	-
66	कुम्हारी	195/25 धारा 103(1) बीएनएस	ग्राम अकोला	पारिवारिक वाद विवाद	1	-	-	-	-
67	धमधा	96/25 धारा 103(1) बीएनएस	जालाधरा के पास बांध में नवनिर्मित पुल	लेन देन की बात पर	1	-	132/25	-	-
68	मोहन नगर	133/25 धारा 137(2) 103, 64 बीएनएस	प्रार्थी के बुआ मीना यादव का घर ओम नगर उरला	नाबालिक का बलात्कार कर हत्या	1	-	84/25	-	-
69	मोहन नगर	223/25 धारा 103(1), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस	बालाजी वर्कशॉप पास ट्रांसपोर्ट नगर दुर्ग	पुरानी रंजिश	2	-	243/25	-	-
70	मोहन नगर	566/25 धारा 103(1) बीएनएस	रेलवे स्टेशन के सामने	रकम का लेनदेन	4	-	-	-	-
71	मोहन नगर	614 /25 धारा 103,3(5) बीएनएस	विश्वकर्मा मंदिर के आगे गली नं 3 दुर्ग	पुरानी रंजिश	3	-	-	-	-
72	पाटन	206/25 धारा 103 बीएनएस	मृत्तिका का मकान ग्राम पंदर थाना पाटन	नशे के कारण	1	-	-	-	-
73	पद्मनाभपुर	226/25 धारा 109 बीएनएस	अटल आवास आई ब्लॉक के ऊपर सीढ़ी के पास बोरसी	वाहन टकराने के विवाद पर	1	-	223/25	-	-
74	पद्मनाभपुर	404/25 धारा 103 बीएनएस	पंचशील सेक्टर बोरसी हाउस 2	पारिवारिक विवाद	1	-	-	-	-
75	पुरानी भिलाई	133/25 धारा 103(1), 238A, बीएनएस	पवन यादव के खेत के पास ग्राम भर्ना	पारिवारिक विवाद	3	-	137/25	-	-
76	पुरानी भिलाई	248/25 धारा 103 (1) बीएनएस	पदुम नगर श्रीराम सिटी के पीछे खाली प्लाट	अज्ञात	-	-	-	-	-

क्र.	थाना	अपराध क्र. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खाला	खारजी
77	पुरानी भिलाई	309/25 धारा 103(1) बीएनएस	डबरा पारा दक्षिण रेल्वे पटरी किनारे	पारिवारिक विवाद	1	-	338/25	-	-
78	पुलगांव	104/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस	इन्दर बाबा एस आर अस्पताल के पास चिखली	पुरानी रजिश्त	4	-	139/25	-	-
79	पुलगांव	348 /25 धारा 103 बीएनएस	आवंता वगीचा नगपुरा	प्रेम प्रसंग व अवैध संबंध	2	-	421/25	-	-
80	पुलगांव	351/25 धारा 103 बीएनएस	विलाल चक्रधारी का ईटा भट्टा ग्राम चंगोरी	आपसी विवाद	3	-	409/25	-	-
81	पुलगांव	402/25 धारा 103 बीएनएस	टेमरी नाला दमोवा	नौकरी लगाने का षड्यंत्र	6	-	432/25	-	-
82	रानीतराई	105/25 धारा 103 बीएनएस	ग्राम खर्ता थाना रानीतराई	प्रेम प्रसंग	5	-	-	-	-
83	रानीतराई	107/25 धारा 103 बीएनएस	ग्राम बोरीद दुधवतीन डहरिया के घर के सामने गली	आपसी विवाद	1	-	-	-	-
84	सुपेला	83/25 धारा 103(1) बीएनएस	कुटेला भाटा गेट 02 के सामने जेवरा	ई-रिक्शा गबन	4	-	161/25	-	-
85	सुपेला	107/25 धारा 109 बीएनएस 103	चौहान ग्रीन वेली मेन गेट जुनवानी	आपसी विवाद	1	-	185/25	-	-
86	सुपेला	372/25 धारा 302 भादवि	ग्रीन वेली ब्लाक डी जुनवानी	अज्ञात	-	-	-	221/25	-
87	उतई	254/25 धारा 103 बीएनएस	डुडेरा मोरिद मेन रोड नहर के आगे	लूटपाट कर	6	-	309/25	-	-
88	उतई	428/25 धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस 103	प्रार्थी का मकान के अंदर गाड़ाडीह	पारिवारिक विवाद	1	-	-	-	-
89	उतई	451/25 धारा 103, 296, 351(3), 238, 189, 190 बीएनएस	बस स्टैंड डूमरडीह	आपसी विवाद	5	-	-	-	-

64

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	गिरफ्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खात्मा	खारजी
90	छावनी	296/25 धारा 103 बीएनएस	प्रार्थी के घर के सामने	जमीन एवं पारिवारिक विवाद	1	-	325/25	-	-
91	छावनी	447/25 धारा 103, 3(5) बीएनएस	श्याम नगर कैम्प 02	पुरानी रंजिश	2	-	339/25	-	-
92	छावनी	552/25 धारा 103,3(5) बीएनएस	मृतक का मकान बैरागी मोहल्ला पौवर हाउस भिलाई	लड़ाई में बीच बचाव करने की बात को लेकर	2	-	-	-	-
93	दुर्ग	428 /25 धारा 103 बीएनएस	मुंबई वेज चाईनिज डुकान डिपरा पारा दुर्ग	काउंटर छिनेने की बात को लेकर वाद विवाद	1	-	396/25	-	-
94	दुर्ग	490/25 धारा 103(1) बीएनएस	पंचशील नगर परस सेन के मकान के बगल में	शराब सेवन को लेकर	3	-	-	-	-
95	दुर्ग	500/25 धारा 103(1) बीएनएस	पहलवान गुप्ता सब्जी गुमटी के सामने इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी	बीडी मांगने की विवाद पर	1	-	-	-	-
96	दुर्ग	504/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 103, 3(5) बीएनएस	झाडूराम देवांगन ट्रैल मैदान दुर्ग	आपसी रंजिश	6	-	-	-	-
97	दुर्ग	567/25 धारा 103(1) 331बी 111(2) ए बीएनएस	शीतला नगर वाई 05 दुर्ग	रकम लेनदेन को लेकर पुरानी रंजिश	10	-	-	-	-
98	वैशाली नगर	04/25 धारा 302 भादवि	बाम्बे आवास जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड	नशे में पेटिंग करने का विवाद	1	-	34/25	-	-
99	जामुल	269/25 धारा 103(1) बीएनएस	आबादी जमीन बाजार चौक ग्राम मुड़पार	प्रेम प्रसंग	1	-	463/25	-	-
100	नंदनी नगर	159/25 धारा 103(1) बीएनएस	नंदिनी टाउनशीप स्टेट बैंक के पीछे वाई क्र 10	प्रेम प्रसंग	1	-	187/25	-	-

क्रं.	थाना	अपराध क्रं. धारा	स्थान/ घटना स्थल	हत्या का स्पष्ट कारण	निरस्तार आरोपी	फरार आरोपी	अभियोग पत्र क्रमांक	खात्मा	खारजी
101	नंदनी नगर	210/25 धारा 109(1) बीएनएस 103	बिहार ढाबा के सामने अहिबारा	पैसे की लेनदेन	1	-	234/25	-	-
102	नंदनी नगर	245/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस	मीरावती का मकान वार्ड 3 अहिबारा	पारिवारिक विवाद	2	-	-	-	-
103	नंदनी नगर	261/25 धारा 103(1) बीएनएस	ग्राम गोड़ी मृतिका के मकान का कमरा	घरेलू पारिवारिक विवाद	1	-	-	-	-
104	नंदनी नगर	270/25 धारा 103(1) बीएनएस	गोवर्धन चौक बड़े दैहान अरसनारा	आपसी विवाद	1	-	-	-	-
105	नेवई	77/25 धारा 296, 351(3), 118, 3(5) बीएनएस 103(1)	बीआरपी चौकी नेवई	गाली-गलौच करने से मना करने पर	4	-	131/25	-	-
106	नेवई	111/25 103(1) बीएनएस	मृतक के घर पीछे रिसाली	आपसी रंजिश	1	-	134/25	-	-
107	नेवई	237 /25 धारा 103 बीएनएस	दशहरा मंच नेवई के पास	पुरानी रंजिश	1	-	263/25	-	-
108	नेवई	257 /25 धारा 103(1) बीएनएस	एचएससीएल कालोनी स्टेशन मरोदा	पारिवारिक विवाद	1	-	270/25	-	-
109	नेवई	278/25 धारा 103 बीएनएस	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन मरोदा शिव पारा का मैदान	शराब सेवन कर विवाद	4	-	272/25	-	-
110	अण्डा	112/25 धारा 103, 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस	शीतला तालाब शांति चौक के पास अण्डा	उधारी रकम लेनदेन	3	-	-	-	-
111	अमलेश्वर	70/25 धारा 103(1) 238क बीएनएस	राधेलाल एवं भगवान दास के बाड़ी के अंदर कुंआ ग्राम खम्हरिया	प्रेम प्रसंग	2	-	68/25	-	-

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - बीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 419) की जानकारी

प्रप्र

विधानसभा धरसीवा क्षेत्र के अंतर्गत वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा दिनांक 25.11.2025 तक की स्थिति में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	उद्योग परिसर के कुल भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अब तक किये गये कुल वृक्षारोपण की संख्या भूमि क्षेत्र सहित (एकड़ में)				किये गये वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
			परिसर के अंदर		परिसर के बाहर		
			संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	
1.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, जिला-रायपुर	291	93316	92.2	158200	135.0	227.20
2.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	56.9	28371	5.9	27079	23.5	29.40
3.	मेसर्स एस.के.एस. पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	190.75	86850	78.5	15000	10.0	88.50
4.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	42.0	17450	16.77	6540	4.77	21.54
5.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम बहेसर, सिलतरा, जिला-रायपुर	17.21	12100	6.88	5775	2.75	9.63
6.	मेसर्स श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	29.3	3788	4.0	22610	10.0	14.00
7.	मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्वनाम- मेसर्स बलदेव एलॉयज़ प्राईवेट लिमिटेड), औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	35.0	21540	14.5	1250	2.0	16.50
8.	मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम-मुरेठी, सिलतरा, जिला-रायपुर	39.57	16125	16.15	2500	2.50	18.65
9.	मेसर्स रश्मि स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड) 90, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला- रायपुर	21.0	8480	8.15	1350	1.3	9.45
10.	मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्रा.लि. (पूर्व नाम- मेसर्स इंडियन स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड,) ग्राम चरौदा, सिलतरा, जिला-रायपुर	12.90	3750	3.86	210	0.7	4.56
11.	मेसर्स आरती स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	41.35	17290	16.5	2000	1	17.50
12.	मेसर्स महामाया स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड, फेज़-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	6.0	2170	2.43	700	0.7	3.13
13.	मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	26.0	10472	10.40	-	-	10.40
14.	मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज़-2, जिला-रायपुर	7.83	1780	2.30	5746	8.15	10.45
15.	मेसर्स श्री हरेकृष्णा स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर	12.13	7050	4.66	3170	3.84	8.50
16.	मेसर्स जी.आर. स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड, सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर	11.06	3890	3.6	13100	10.5	14.10
17.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर	12.0	6500	4.0	1900	1.0	5.00
18.	मेसर्स घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सोण्डा, सिलतरा, जिला-रायपुर	29.56	11000	9.75	450	1.0	10.75
19.	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, जिला-रायपुर	167.94	48169	60.21	5079	6.34	66.55
20.	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, फेस-1, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर मांढर, जिला-रायपुर	505.21	130327	162.9	5500	6.88	169.78
21.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम - गिरौद, सिलतरा, जिला-रायपुर	1184	614963	474	62950	59.5	533.5

22.	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर	45.92	28000	18.47	878	1.0	19.47
23.	मेसर्स यूरो प्रतीक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम टाडा, सिलतरा, जिला-रायपुर	7.54	2800	2.51	50	0.5	3.01
24.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्रा.लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर	97.717	49142	40.0	3760	3.5	43.50
25.	मेसर्स त्रिमूला स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	35.0	19650	14.0	150	1.50	15.50
26.	मेसर्स शिवालय इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कारा, जिला-रायपुर	15.06	9280	5.0	1000	1.0	6.00
27.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, बोरझरा, जिला-रायपुर	78.58	38020	25.93	20600	15.0	40.93
28.	मेसर्स श्री बजरंग अलायन्स लिमिटेड (एग्रो डिविजन) खसरा नं.-150, ग्राम - बोरझरा, उरला- गुमा रोड, उरला ग्रोथ सेंटर, जिला-रायपुर	4.72	1600	1.70	400	0.4	2.10
29.	मेसर्स श्री सीता इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, जिला-रायपुर	13.0	7300	5.5	1000	1.5	7.00
30.	मेसर्स रियल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, बोरझरा, जिला-रायपुर	42.06	26125	16.82	5450	5.5	22.32
31.	मेसर्स देवी ऑयरन एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम टाडा, सिलतरा, जिला-रायपुर	27.0	11560	11.50	900	0.91	12.41
32.	मेसर्स ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	30.49	9845	10.0	2400	2.0	12.00
33.	मेसर्स जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज़ लिमिटेड, मुरैठी, सिलतरा फेज़-2, जिला-रायपुर	35.855	21075	14.0	-	-	14.00
34.	मेसर्स मॉ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड, ग्राम गिरौद, जिला-रायपुर	17.0	8293	5.9	-	-	5.90
35.	मेसर्स हिन्दुस्तान क्राईल्स लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, जिला - रायपुर	5.53	2050	2.20	2150	1.96	4.16
36.	मेसर्स मारुति फेरस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, जिला-रायपुर	4.85	1800	1.75	250	0.5	2.25
37.	मेसर्स रामा पावर एण्ड स्टील प्रा.लि. बोरझरा, जिला-रायपुर	9.0	2697	2.97	171	0.2	3.17
38.	मेसर्स नंदन स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला रायपुर	24.83	7350	6.80	1800	1.50	8.30
39.	मेसर्स नंदन मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम बहेसर, सिलतरा, जिला रायपुर	17.278	5000	4.80	650	0.6	5.40
40.	मेसर्स नंदन स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, (फेब्रिकेशन एण्ड पाईप डिविजन) ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला रायपुर	15.54	5380	5.2	1200	1.0	6.20
41.	मेसर्स गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	23.0	8450	8.0	550	0.5	8.50
42.	मेसर्स श्याम स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चरौदा, तहसील-धरसीवां, जिला-रायपुर	9.47	2384	3.80	-	-	3.80
43.	मेसर्स संभव स्टील्स ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुथरेल, तहसील-धरसीवां, जिला-रायपुर	13.83	1100	1.08	3500	345	346.08
44.	मेसर्स ब्रज आयरन एण्ड स्टील लि. (पूर्व नाम-मेसर्स फिल इस्पात प्रा. लि.) प्लॉट नं.-38-41 एवं 48-52 फेस-2, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर	19.27	6100	6.5	1400	1.5	8.00
45.	मेसर्स भगवती पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर	20.911	9500	8.3	750	1.8	10.10
46.	मेसर्स फार्चून मेटालिक्स लिमिटेड, ग्राम-कपसदा, जिला-रायपुर	25.0	10218	10.09	-	-	10.09
47.	मेसर्स घनकुन स्टील मेल्टिंग प्रा. लि. (पूर्व नाम मेसर्स हनुमान इस्पात प्रा.लि.) ग्राम - सोण्ड्रा, फेस-2 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	4.759	700	1.2	200	1.0	2.20
48.	मेसर्स लक्ष्मी कृपा स्टील एण्ड पावर प्रा.लि. ग्राम-सोण्ड्रा, जिला-रायपुर	12.47	4965	4.98	-	-	4.98

पारोशिए - इक्कोस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 491) की जानकारी
प्रपत्र

प्रश्नांकित अवधि में अवैध कटाई की स्थलवार जानकारी

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिसर का नाम	01 जनवरी 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक अवैध कटाई हेतु दर्ज प्रकरणों की संख्या
01	02	03	04	05
1	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	तेन्दुढार	22
2	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	सराईपाली उत्तर	20
3	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	सराईपाली पश्चिम	18
4	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	आमाकोनी	19
5	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	कंवलाझर	19
6	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	बटाऊपाली	21
7	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	कनकबीरा	18
8	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	अचानकपाली	22
9	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	नरगीखोल	19
10	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	नरेशनगर	20
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	टमटोरा	23
12	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़	शिवपुरी	22
योग :-				243
13	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	चांटीपाली	23
14	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	मल्दा ब	22
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	देवसर	22
16	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	छिचपानी	22
17	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	बारादावन	23
18	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	गोमर्डा	23
19	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	सावतकुता	28
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	भाटाकोना	22
21	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	परिधियापाली	24
22	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	माजरमाटी (उ)	22
23	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	माजरमाटी (द)	24
24	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	दबगांव	23
25	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	बोहराबहाल	28
26	सारंगढ़ बिलाईगढ़	गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला	दैहान	25
योग :-				331
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	झाल	21
28	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	मेकरा	20
29	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	कस्तुरामाल	21
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	बिरनीपाली	19
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	जटियापाली	18
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	पैकिन	19
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	मारोदरहा	12

Signature

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिसर का नाम	01 जनवरी 2024 से दिनांक 24/11/2025 तक अवैध कटाई हेतु दर्ज प्रकरणों की संख्या
01	02	03	04	05
34	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	जामझोरी	12
35	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	मल्दा	9
36	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	भीमसेनडीह	12
37	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	कंवरगुड़ा	11
38	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	सुवरगुड़ा	11
39	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	सहसपानी	8
40	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	भड़िसार	8
41	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़ (सा.)	सोड़िका	12
			योग :-	213
42	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	22
43	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	पश्चिम बिलाईगढ़	23
44	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	पूर्व दर्रा	22
45	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	धनसीर	24
46	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	उत्तर सलिहा	25
47	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	पूर्व सलिहा	24
48	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	कोलडीपा	23
49	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	आमाकछार	22
50	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	भटगांव	24
51	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	धाराशिव	23
52	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	दर्रा	22
53	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	पिरदा	22
54	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बोड़ाडीह	22
55	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	तेन्दूदरहा	25
56	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बेलाडूला	27
57	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	जुनवानी	23
58	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	गाताडीह	22
59	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	हरदी	22
60	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	मण्डलपुर	25
			योग :-	442
			कुल योग :-	1229

✓ प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर
21/12/25

परिशेष - बाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 498) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सर्वे अनुसार भूमिहीन हितग्राहियों एवं स्वीकृत आवास की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	भूमिहीन हितग्राहियों की संख्या	भूमिहीन हितग्राहियों के स्वीकृत आवास की संख्या
1	बालोद	171	139
2	बलौदाबाजार	1253	1228
3	बलरामपुर	1185	1139
4	बस्तर	2642	2579
5	बेमेतरा	271	246
6	बीजापुर	795	501
7	बिलासपुर	56	43
8	दंतेवाड़ा	47	47
9	धमतरी	116	110
10	दुर्ग	55	44
11	गरियाबंद	139	109
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	5	0
13	जांजगीर-चाम्पा	114	90
14	जशपुर	509	454
15	कांकेर	238	164
16	कबीरघाम	1648	1378
17	खैरागढ़-छुईखदा-गंडई	1645	1461
18	कोण्डागांव	6	4
19	कोरबा	136	129
20	कोरिया	289	265
21	महासमुंद	60	59
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर	37	34
23	मोहेला-मानपुर-अं.चौकी	14	12
24	मुंगेली	869	786
25	नारायणपुर	267	132
26	रायगढ़	810	758
27	रायपुर	82	12
28	राजनांदगांव	1006	974
29	सक्ती	193	182
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	404	364
31	सुकमा	43	40
32	सूरजपुर	85	85
33	सरगुजा	10	5
योग		15200	13573

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 502) की जानकारी

पृष्ठ - अ

राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अंतर्गत वर्ष 2024 में जारी क्रॉसिंग परमिट की सूची

स.क्र.	परमिटधारी का नाम	वाहन क्रमांक	परमिट क्रमांक	मार्ग का नाम	वैधता
1	श्री राजेश वर्मा बोदरी विलासपुर छ.ग.	सीजी10/एबी-7615, 32, 2017 साधारण	240/आरटीए/आर/2024	विलासपुर से रायपुर व्हाया सरगांव, नांदघाट, सिमगा एक वापसी फेरा प्रतिदिन	18-Nov-2029
2	मे. रायपुर बस सर्विस, पुलगांव, दुर्ग छ.ग.	सीजी07/ई-7500, 42, 2017 साधारण	244/आरटीए/आर/2024	धमतरी से केशकाल व्हाया-कुकरेल, करेगांव, दुगली, सिहावा, घटुला, बरेल, बोराई, विश्रामपुरी एक वापसी फेरा प्रतिदिन	1-Dec-2029
3	श्री परस राम राजपूत, दनियाखुर्द, कवर्धा छ0ग0	सीजी09 जेपी 1679, 49, 2022	173/आरटीए/डी/2024	दनियाखुर्द से रायपुर	7-Feb-2029
4	श्री जगेश्वर साहू, डोंगरगढ़, छ0ग0	सीजी 08 ए एम 2544, 32, 2018	सीजी2024 एससी 0267ए	मुसरा से कवर्धा	8-Jul-2029
5	श्री भरत साहू, डोंगरगॉव छ0ग0	सीजी 08 बी 5158, 22, 2009	सीजी2024 एससी 0038ए	डोंगरगॉव से खैरागढ़	13-Feb-2029
6	श्री मनराज सिंह बाबरा अविकापुर छ.ग.	सीजी15/ईबी-1548	177/आरटीए/एबीआर/2024	सीतापुर से कोरवा व्हाया-बतौली, अविकापुर, लखनपुर, उदयपुर, तारा, मोरगा, मडई, पोड़ी एक वापसी फेरा प्रतिदिन	18-Nov-2029
7	श्री राजकुमार गुप्ता तारकेश्वरपुर, सूरजपुर	सीजी15/एबी-0827 37, 2018	341/आरटीए/बी/2024	अधिकपुर से रायपुर व्हाया-ढाबा होटल एक एकल फेरा प्रतिदिन	14-Mar-2029
8	श्री विलास कुमार साव लैलुंगा, रायगढ़	सीजी12/एक्स-0407 36, 2016	345/आरटीए/बी/2024	रायगढ़ से पथलगांव व्हाया-तमना, मिल्पासा, लैलुंगा, कोड़ासिया एक वापसी फेरा प्रतिदिन	20-Jun-2029

9	श्री अमित कुमार त्रिपाठी शिवाजीनगर, कोरबा	सीजी12/बीजे-2836 32, 2016	349/आरटीए/बी/2024	चाँपा रेल्वे स्टेशन से कोरबा व्याया-क्रोधारी, मडवारानी, बरपाली, उरगा तीन वापसी फेरा प्रतिदिन	23-Jun-2029
10	श्री आकश यादव मोपका बिलासपुर	सीजी10/बीआर-2984 43, 2023	351/आरटीए/बी/2024	आस्ता से बिलासपुर व्हाया-मनोरा, जशपुर, कुनकरी, कांसाबेल, लुङ्गे, पथलगाव, धरमजयगढ़, हाटी, कोरबा, उरगा, बलौदा, सीपत एक एकल फेरा प्रतिदिन	25-Jun-2029
11	श्री आकश यादव मोपका बिलासपुर	सीजी10/बीआर-6620 51, 2023	352/आरटीए/बी/2024	आस्ता से बिलासपुर व्हाया-मनोरा, जशपुर, कुनकरी, कांसाबेल, लुङ्गे, पथलगाव, धरमजयगढ़, हाटी, कोरबा, उरगा, बलौदा, सीपत एक एकल फेरा प्रतिदिन	25-Jun-2025
12	श्रीमती भारती साहू बजरंगचौक बलौदाबाजार	सीजी12/एक्स-0216 49 2013	353/आरटीए/बी/2024	रायगढ़ से कुकरगांव व्हाया- मिलूणारा, लैलुंगा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन	26-Jun-2029
13	मो.जावेद आलम	सीजी 15 ई.ए. 6940, 33 सीट साधारण	सीजी 2024-एससी 0460 ए	रायगढ़ से डाल्टेनगंज	26-Dec-2029

राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अंतर्गत वर्ष 2025 में जारी क्रॉसिंग परमिट की सूची

स.क्र.	परमिटधारी का नाम	वाहन क्रमांक	परमिट क्रमांक	भार्ग का नाम	वैधता
1	ममता नहरा डी-29ए, ग्राउण्ड फ्लोर, सरना हॉस्पिटल, शैलेन्द्र नगर, रायपुर	सीजी04/पीडब्ल्यू-3464 39 2024	171/आरटीए/जे/2025	कौटा से बिलासपुर व्हाया जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर	23-Jun-2030
2	हर्ष ट्रेवल्स डी-29ए, ग्राउण्ड फ्लोर, सरना हास्पिटल, शैलेन्द्र नगर, रायपुर	सीजी04/पीडब्ल्यू-3465 39 2024	172/आरटीए/जे/2025	कौटा से बिलासपुर व्हाया जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर	23-Jun-2030
3	श्री अनुज कुमार सिंह शांति नगर वाई, जगदलपुर	सीजी17/एलबी-8667 42 2025	190/आरटीए/जे/2025	जगदलपुर से बासागुड़ा व्हाया कोडेनार, गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर, आवापल्ली, बासागुड़ा एक वापसी फेरा प्रतिदिन	4-Aug-2030

4	रेनबो ट्रेवल्स, प्रा. अनुराग शुक्ला, रवि नगर, रायपुर	सीजी04 / पीएन-8538, 46 सीट साधारण 2024	276 / आरटीए / आर / 2024	रायपुर से कादवागोडान व्हाया सिमगा, संबलपुर, मुंगली, लोरनी, खन्ही, राम्हेपुर एवं एक वापसी फेरा प्रतिदिन	11-Jun-2030
5	श्री भोपेन्द्र साहू, बेमेतरा छ0ग0	सीजी 25 एक 3819, 38, 2018	सीजी2025 एससी 0336 ए	रायपुर से सिल्हाटी	20-Aug-2030
6	श्री रामगोपाल साहू, बेमेतरा, छ0ग0	सीजी 25 एक 3820, 38, 2018	सीजी2025 एससी 0337ए	रायपुर से सिल्हाटी	20-Aug-2030
7	श्री राम प्रसाद बंजारे, छ0ग0	सीजी 09 जे क्यू 7460, 36, 2020	सीजी2025एससी 0102ए	रायपुर से कवर्धा	3-Apr-2030
8	शमशेर आलम बगीचा जिला जशपुर छ.ग.	सीजी14 / एमएस-4897 14 सीट 15 स्लीपर 2017	454 / आरटीए / बी / 2025	जशपुर से रायपुर व्हाया-कुनकुरी, कासाबेल, पथलगांव, धरमयजगढ़, कोरेबा, बिलासपुर एक एकल फेरा प्रतिदिन	20-10-2029
9	श्री शमशेर आलम बगीचा जिला जशपुर छ.ग.	सीजी14 / एमयू-4100 9 सीट 16 स्लीपर, 2019	455 / आरटीए / बी / 2025	जशपुर से रायपुर व्हाया-कुनकुरी, कासाबेल, पथलगांव, धरमयजगढ़, कोरेबा, बिलासपुर एक एकल फेरा प्रतिदिन	20-10-2029
10	जियाउल हक अम्बिकापुर	सीजी15 / इजी-4075 40, 2023 साधारण	458 / आरटीए / बी / 2025	अम्बिकुर से बिलासपुर व्हाया-लखनपुर, उदयपुर, तारा, चोटिया, कटधारा, पाली, रतनपुर एक वापसी फेरा प्रतिदिन	19-01-2030
11	श्री पवन अग्रवाल मुंगली रोड़ बिलासपुर	सीजी10 / एडब्लू-6418 37, 2019 साधारण	466 / आरटीए / बी / 2025	बिलासपुर से पथरिया व्हाया-सारगांव, रोहा, दो वापसी फेरा प्रतिदिन	11-Mar-2030
12	श्री संदीप जायसवाल खैरा जिला बिलासपुर	सीजी10 / जी-1054 38, 2011 साधारण	461 / आरटीए / बी / 2025	टीकरखुर्द से पेण्ड्रा व्हाया-कोडगार चार वापसी फेरा प्रतिदिन	19-10-2030
13	श्री रमेश चंद्र साहू सत्तीपारा अम्बिकापुर	सीजी15 / ईए-2204 01 सीट 20 स्लीपर, 2022	487 / आरटीए / बी / 2025	बैकुण्ठपुर से रायपुर व्हाया-चिरमिरी, कटघोरा, बिलासपुर एक वापसी फेरा प्रतिदिन	4-Jun-2030
14	श्री राकेश कुरे टिकारी बिलासपुर छ.ग.	सीजी10 / डब्लू-4897 41, 2011 साधारण	521 / आरटीए / बी / 2025	रायगढ़ से बिलासपुर व्हाया-चन्द्रपुर, सारगढ़, सरसीवा, भटगांव, गिधौरी, शिवरीनारायण, पामगढ़, एक वापसी फेरा प्रतिदिन	24-07-2030

15	श्री हृदयानन्द तिवारी	सीजी 30 एफ.7805, 40 सीट साधारण	सीजी 2025-एससी 0153 ए	अबिकापुर से भावनाथपुर	28-May-1930
16	छाबड़ा बस सर्विस	सीजी 15 ई.एफ.8911, 41 सीट साधारण	सीजी 2025-एससी 0209 ए	विश्रामपुर से गढ़वारोड	18-Jun-2030
17	श्री मनोज कुमार शुक्ला	सीजी 30 एच.1376, 18सीट+15 स्लीपर डीलक्स	सीजी 2025-एससी 0228 ए	कोरबा से डाल्टेनगंज	19-Jun-2030
18	बदन बस सर्विस	सीजी 13 ए.एक्स.8581 बै.क्ष.52 सीट साधारण	सीजी 2025-एससी 0232 ए	रायगढ़ से डाल्टेनगंज	22-Jun-2030
19	श्रीमती सम्पत्ती बंजारे	सीजी 09 जे.टी. 8100 बै.क्ष.42 सीट ए.सी.	सीजी 2025-एससी 0349 ए	कवर्धा से रायपुर आर.बीएस	7-Sep-2030
20	महाजन लाजिस्टीक	सीजी 04 पी.यू.0080 बै.क्ष. 41 सीट ए.सी.	सीजी 2025-एससी 0379 ए	कवर्धा से रायपुर आर.बीएस	13-Nov-1930

R

K

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

बस दुर्घटना को रोकने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत प्रावधान है एवं विभाग द्वारा रोकथाम हेतु कार्यावाही इस प्रकार है:-

1. इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (IDTR) वाहन चालकों के प्रशिक्षण हेतु माह दिसम्बर 2021 में प्रारंभ किया गया है। माह नवम्बर-2025 की स्थिति में 36,601 वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. वाहन चालकों को वाहन चालन प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की योजना अंतर्गत संभाग स्तर पर आर.डी.टी.सी. तथा जिला स्तर पर डी.टी.सी. की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 01 आर.डी.टी.सी एवं 12 डी.टी.सी को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग अंतर्गत अनफिट वाहनों की जांच हेतु ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन (एटीएस) रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा में Roving Eye Systems Pvt. Ltd. Add- H.No. 7-1-24/C Unit No-1, 3rd Floor, Dhansi Surabhi Complex, Green Lands, Ameerpet, Hyderabad 500016, Talangan द्वारा ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन का संचालन किया जा रहा है एवं जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, सूरजपुर, धमतरी, कांकेर, बालोद जिले में ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन निर्माण (एटीएस) प्रस्तावित है। कार्यावाही प्रक्रियाधीन है।


 अनुभाग अधिकारी
 परिवहन विभाग
 संचालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पराशेष - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 510) की जानकारी


प्रपत्र

ग्राम-बैमा, जिला विलासपुर में 1500 बंदी जेल भवन निर्माण कार्य हेतु 06 बार निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा शर्तों का पालन नहीं होने से एवं नियमानुसार योग्य निविदाकार नहीं मिलने के कारण के.नि. प्र. रायपुर द्वारा एक से अधिक बार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है।

छठवीं निविदा आमंत्रण पश्चात् कार्य के अनुबंधक श्री बालाजी इंजीनियरिंग, उड़िसा के विरुद्ध श्री अनिल दुबे, अधिवक्ता, विलासपुर की शिकायत पर प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

1. श्री एस.के. कोरी, मुख्य अभियंता (योजना) लो.नि.वि. नवा रायपुर
2. श्री आर.के. रात्रे, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. विलासपुर
3. श्री धर्मेन्द्र साहू, वित्त नियंत्रक, लो.नि.वि. नवा रायपुर


अनुमति अधिकारी
गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


9.12.25
जेल उप महानिदेशक
हेतु महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

परोशेष्ट - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 514) की जानकारी

प्रपत्र-

वर्ष 2023-24 में शॉर्टेज/कमी के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

(मात्रा दिव. में राशि रुपये में)

क्र. सं.	विद्ये का नाम	संविधि का नाम	सामान्य फंड का नाम	शॉर्टेज/कमी की मात्रा दिव. में	शॉर्टेज/कमी की मात्रा दिव. में	शॉर्टेज/कमी का नाम	पद	नोटिस जारी			कार्य से पूर्व दिनांक	प्रतिबन्धित प्रकरण दर्ज (दि.अ.अ.अ. अदि.)					प्रकरण सं. में	दिनांक	प्रतिबन्धित दिनांक	सुनवाई का दिनांक	सुनवाई का दिनांक	सुनवाई की तिथि	वस्तुओं की राशि			कार्यवाही/व्यवस्थापक/वर्ग/वर्ग/वर्ग
								पत्र सं.	दिनांक	राशि		प्रकरण सं.	दिनांक	प्रकरण सं.	दिनांक	सुनवाई की तिथि							सुनवाई की तिथि	सुनवाई की तिथि		
1	रिसालपुर	गोडाडीह	गोडाडीह	5955.70	18462670.00	प्रकारा खरीदी प्रगरी/सुपर/सुपर/सुपर	खरीदी प्रगरी / सुपर/सुपर/सुपर	1602	20-11-2024	18462670.00	2024-2025	26/7/24	परवेशी	-	18462670	0	18462670	19/02/25	10	10	20	कार्यवाही/व्यवस्थापक/वर्ग/वर्ग/वर्ग राजकालीन धान खरीदी प्रगरी प्रकाश लडरे द्वारा आवंटित प्रकरण क्रमांक 1700/21.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पर्याप्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण खारील किया गया । उत्तरदायी कार्यवाही उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1543/18.07.2024 जारी कर प्रत्येकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवंटित संगण आयुक्त रिसालपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारधीन है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज किया जा चुका है। तथा प्राथमिक अधिकारी द्वारा सभी कर्मचारियों के विरुद्ध निलवन की कार्यवाही की गई है। संबंधित प्राथमिक अधिकारी गोडुली वर्मा को विभागीय कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक उपपि/साख शिवालय/2025/1410 दिनांक 02/12/2025 को माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।				
2	रिसालपुर	भरारी	भरारी	3943.95	12226245.00	संगणक सहायक/उप सहायक	खरीदी प्रगरी / सुपर/सुपर/सुपर	1902	20-11-2024	12226245.00	2024-2025	-	-	12226245	0	12226245	12/22/25	10	10	20	कार्यवाही/व्यवस्थापक/वर्ग/वर्ग/वर्ग राजकालीन धान खरीदी प्रगरी संगणक सहायक द्वारा आवंटित प्रकरण क्रमांक 1702/21.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पर्याप्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2024 को प्रकरण खारील किया गया। उत्तरदायी कार्यवाही उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 2148/22.11.2024 जारी कर प्रत्येकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवंटित संगण आयुक्त रिसालपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारधीन है। प्राथमिक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित प्राथमिक अधिकारी गोडुली वर्मा को विभागीय कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक उपपि/साख शिवालय/2025/1410 दिनांक 02/12/2025 को माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।					

क्र. सं.	विशेष का नाम	समिति का नाम	उपासक/सचिव का नाम	राज्य/जमीनी की मातृ सं. नं.	राज्य/जमीनी की सीमा	मालिक/जमीनी की सीमा	पेपी जमावारी/प्राथमिकी का नाम	पद	नोटिस जारी			कार्य में प्रवेश किया गया है को वर्ष	प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष प्रकरण दर्ज (एड.आर्.आ.ए.)						पहुँची की सीमा			कार्यवाही/न्यायालय/व्यापार/संसाधन विभागी	
									पत्र सं.	दिनांक	तारीख		प्रकरण सं.	दिनांक	प्रतिपक्ष वाले का नाम	वर्तमान स्थिति	हुक/पहुँची की जमावारी	पहुँची की सीमा	पहुँची की सीमा				
3	विलासपुर	गतीरा	गतीरा	3041.82	9429642.00	9429642.00	उत्तरम गुणवर्ती/असौभ ठाँव	खरीदी प्रगती / कम्प्यूटर अपरेटर	1802	20.11.2024	9429642.00	2024-2025	-	-	-	-	9429642	0	9429642	0	9429642	0	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति गतीरा के तालकालीन धान खरीदी प्रगती प्रकरण धुपलहरे द्वारा आवंटित प्रकरण क्रमांक 1701/21.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रकरण खारील किया गया। तत्पश्चात कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1964/30.10.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवंटित प्रकरण विलासपुर में अभी तक प्रकरण दर्ज है जो विचारधीन है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
4	विलासपुर	वेद परसदा	वेद परसदा	2501.62	7755022.00	7755022.00	दीपक सिंह शाह/पुन शाह	खरीदी प्रगती / कम्प्यूटर अपरेटर	1802	20.11.2024	7755022.00	2024-2025	-	-	-	-	7755022	0	7755022	0	7755022	0	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति वेद परसदा के तालकालीन धान खरीदी प्रगती दीपक सिंह शाह द्वारा आवंटित प्रकरण क्रमांक 1631/05.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रकरण खारील किया गया। तत्पश्चात कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1718/21.08.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवंटित प्रकरण विलासपुर में अभी तक प्रकरण दर्ज है जो विचारधीन है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
5	विलासपुर	टिकारी	टिकारी	2372.56	7354936.00	7354936.00	पुनक भांगर/कुन गुणवर्ती	खरीदी प्रगती / कम्प्यूटर अपरेटर	1802	20.11.2024	7354936.00	2024-2025	-	-	-	-	7354936	0	7354936	0	7354936	0	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति टिकारी के तालकालीन धान खरीदी प्रगती पुनक भांगर द्वारा आवंटित प्रकरण क्रमांक 1633/05.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रकरण खारील किया गया। तत्पश्चात कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1715/21.08.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवंटित प्रकरण विलासपुर में अभी तक प्रकरण दर्ज है जो विचारधीन है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

क्र. सं.	विद्ये का नाम	समिति का नाम	उपजर्जन सेक्टर का नाम	गार्डियन / जमीनी का नाम	भारतिय / कमी की दर	शेडी कर्माचारी पदाधिकारी का नाम	पर	नोटिस जारी		कार्य से पूर्ण दिनांक मा. है, तो पर	पुस्तिका में अप्रतिष्ठित प्रकरण दर्ज (एच.आर. आर.)				भरवृत्ती की शरि				कार्यवाही/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति परराशाही के तात्कालीन धान खरीदी प्रगारी यन्त्र द्रुतलहरे द्वारा आवीटेशन प्रकरण क्रमांक 1752/03.09.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्रकरण खारीज किया गया। तत्पश्चात कार्यलय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 2147/22.10.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवीटेशन संगम आयुक्त विलासपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारणीय है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जावेगी।	
								पत्र क्र. सं.	दिनांक		शरि	प्रकरण क्र. सं.	दिनांक	सुनित था/नो	सुनित था/नो	सुनित था/नो	सुनित था/नो	सुनित था/नो		सुनित था/नो
6	विलासपुर	एरमसाही	एरमसाही	वस्तुमान शाख/संशोधन नाम	2098.00		खरीदी प्रगारी / कम्प्यूटर अपरेटर	1902	20.11.2024	6503800.00	2024-2025	-	-	-	6503800	0	6503800	6503800	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति द्वारा तात्कालीन धान खरीदी प्रगारी अन्वय सिंह द्वारा आवीटेशन प्रकरण क्रमांक 1635/05.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रकरण खारीज किया गया। तत्पश्चात कार्यलय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1717/24.08.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवीटेशन संगम आयुक्त विलासपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारणीय है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जावेगी।	
7	विलासपुर	मल्हार	मल्हार	अन्वय निर/व्यक्तिगत पंजाब	1709.88		खरीदी प्रगारी / कम्प्यूटर अपरेटर	1902	20.11.2024	5300628.00	2024-2025	-	-	-	5300628	0	5300628	5300628	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति द्वारा तात्कालीन धान खरीदी प्रगारी अन्वय सिंह द्वारा आवीटेशन प्रकरण क्रमांक 1635/05.08.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रकरण खारीज किया गया। तत्पश्चात कार्यलय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 1717/24.08.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवीटेशन संगम आयुक्त विलासपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारणीय है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जावेगी।	
8	विलासपुर	मरुती	रिसदा	शोधन कर्म/कर्म पंजाब	1485.73		खरीदी प्रगारी / कम्प्यूटर अपरेटर	1902	20.11.2024	4605763.00	2024-2025	-	-	-	4605763	0	4605763	4605763	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति द्वारा तात्कालीन धान खरीदी प्रगारी अन्वय सिंह द्वारा आवीटेशन प्रकरण क्रमांक 1751/03.09.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्रकरण खारीज किया गया। तत्पश्चात कार्यलय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 2149/22.11.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवीटेशन संगम आयुक्त विलासपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारणीय है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जावेगी।	
9	विलासपुर	उपराम नागर	उपराम नागर	शोधन कर्म/कर्म पंजाब	490.40		खरीदी प्रगारी / कम्प्यूटर अपरेटर	1902	20.11.2024	1520240.00	2024-2025	-	-	-	1520240	1520240	1520240	0	कार्यालय/न्यायालय कलेक्टर जिला विलासपुर में समिति द्वारा तात्कालीन धान खरीदी प्रगारी अन्वय सिंह द्वारा आवीटेशन प्रकरण क्रमांक 1751/03.09.2024 दर्ज किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्रकरण खारीज किया गया। तत्पश्चात कार्यलय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक को पत्र क्रमांक 2149/22.11.2024 जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु समिति द्वारा पुनः आवीटेशन संगम आयुक्त विलासपुर में अपील प्रकरण दर्ज है जो विचारणीय है। निर्णय पश्चात कार्यवाही की जावेगी।	
योग											23599.66	73158946.00				73158946	1520240	73158946	73158946	71638706

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - छबौस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 522) की जानकारी

प्रश्न-अ

प्रश्नांश(क) :- वर्ष 2018 से 30 नवम्बर 2025 तक जिला जांजीर चाम्पा में कितने विटफ़ाउड कंपनियों के उपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा किन-किन कर्मचारियों के किन-किन व्यक्तियों के उपर मानला पंजीबद्ध किया गया एवं किन-किन पर कार्यवाही हुई तथा किन-किन व्यक्तियों पर कार्यवाही लक्षित है की विस्तृत जानकारी :-

क्र.	थाना	अप.क्र. व धारा	कंपनी का नाम	व्यक्तियों के नाम जिन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।	निरस्तार आरोपी का नाम	निरस्तारी दिनांक	चा.क्र./दिनांक/केश नं./दि.	प्रकरण की प्रकृता/अद्यतन स्थिति	निरस्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चाम्पा	29/2018, धारा 420, 409, 34 भादवि, ईनामी एवं धन परिचालन अधि एवं छ.ग. निक्षेपक अधि की धारा 06,10	जीवन भारती डेव्लपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी	1. देवेश सिंह राठौर पिता नरेश साकिन दौदपुर धास मण्डी खालियर (मध्यप्रदेश)। 2. अनिच्छ भागव पिता सुरेश कुमार साकिन शिवाजीनगर कुम्हारपुर खालियर (मध्यप्रदेश)। 3. विनोद कुशवाहा पिता सुल्तान सिंह साकिन नौमहला खालियर (मध्यप्रदेश)। 4. मधुसूदन पिता भगवान दास साकिन लौना थाना कौच जिला जालौन (उत्तर-प्रदेश)। 5. रामकुमारी शर्मा पति सुरेश शर्मा साकिन हा.नं. 88 शिवाजी नगर मुरार खालियर (मध्यप्रदेश)। 6. विना भदौरिया पति अभिलाष सिंह साकिन गोशपुर नं. 01 हजीरा खालियर (मध्यप्रदेश)। 7. प्रदीप दुबे पिता रामबाबू साकिन कृष्णापुरी गली जय तिरुपत पत्तोर नं. 04 मुरार खालियर (मध्यप्रदेश)। 8. आशीष कुमार निरंजन पिता हरिओम उम्र 30 वर्ष साकिन लौना थाना कौच जिला जालौन (उत्तर-प्रदेश)। 9. दुर्गा प्रसाद कुशवाहा पिता सेवकराम साकिन अडुखाना नियर (मध्यप्रदेश)।	निरस्तार आरोपी का नाम	03.01.2022	चालान क्र. 75/ 30.03.2022 केश नं. 671/ 01.04.2022	न्यायालय लक्षित	1. देवेश सिंह राठौर पिता नरेश साकिन दौदपुर धास मण्डी खालियर (मध्यप्रदेश)। 2. अनिच्छ भागव पिता सुरेश कुमार साकिन शिवाजीनगर कुम्हारपुर खालियर (मध्यप्रदेश)। 3. विनोद कुशवाहा पिता सुल्तान सिंह साकिन नौमहला खालियर (मध्यप्रदेश)। 4. मधुसूदन पिता भगवान दास साकिन लौना थाना कौच जिला जालौन (उत्तर-प्रदेश)। 5. रामकुमारी शर्मा पति सुरेश शर्मा साकिन हाउस नं. 88 शिवाजी नगर मुरार खालियर (मध्यप्रदेश)। 6. विना भदौरिया पति अभिलाष सिंह साकिन गोशपुरा नं. 01 हजीरा खालियर (मध्यप्रदेश)। 7. प्रदीप दुबे पिता रामबाबू साकिन कृष्णापुरी गली जय तिरुपत पत्तोर नं. 04 मुरार खालियर (मध्यप्रदेश)। 8. दुर्गा प्रसाद कुशवाहा पिता सेवकराम सा. अडुखाना नियर अखाड़ा धासमंडी खालियर (मध्यप्रदेश)।
2	जांजीर	57/2018, धारा 420,34 भादवि, ईनामी विट एवं धन परिचालन अधिशेष की धारा 3, 4, 5, छ.ग. निक्षेपक अधि. 6, 10	इन्डोर लार्डफ ग्रुप आफ कंपनीज लिमिटेड	1. जगदीश प्रसाद खंडेवाल पिता रामजी साकिन विष्णुबिहार आगरा रोड थाना खोहनगोरियान जयपुर (राजस्थान)। 2. जीतेन्द्र त्रिपाठी, 3. श्रीमति सकुत्तला गुता पति रामजी खंडेवाल साकिन विष्णु बिहार आगरा रोड थाना खोहनगोरियान जयपुर (राजस्थान)।	--	--	--	पुलिस लक्षित	1. जगदीश प्रसाद खंडेवाल पिता रामजी साकिन विष्णुबिहार आगरा रोड थाना खोहनगोरियान जयपुर (राजस्थान)। 2. जीतेन्द्र त्रिपाठी, 3. श्रीमति सकुत्तला गुता पति रामजी खंडेवाल साकिन विष्णु बिहार आगरा रोड थाना खोहनगोरियान जयपुर (राजस्थान)।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	थाना	अप.क्र. व धारा	कंपनी का नाम	व्यक्तियों के नाम जिन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	चा.क्र./दिनांक/केश नं./दि.	प्रकरण की अवधान स्थिति	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम
1	3	धाम्या	कंपनी का नाम	व्यक्तियों के नाम जिन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	चा.क्र./दिनांक/केश नं./दि.	प्रकरण की अवधान स्थिति	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम
2	3	धाम्या	कंपनी का नाम	व्यक्तियों के नाम जिन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	चा.क्र./दिनांक/केश नं./दि.	प्रकरण की अवधान स्थिति	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम
3	धाम्या	धारा 95/2021, 420,34 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन स्कीम अधिनियम एवं धारा 06,10 निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम	विनायक होम्स रियल स्टेट कंपनी कोरबा	1. फूलचंद विसे पिता स्व. मोतीलाल विसे साकिन स्कीम नं. 114 मकान नं. 987 विजय नगर थाना लसुडिया जिला इंदौर (मध्यप्रदेश)। 2. जितेन्द्र विसे पिता फूलचंद विसे उम्र साकिन अंबेडकर नगर इंदौर हाल मुकाम खेडी गलिचा बस्ती पुलिस थाना नागझीरी जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)। 3. योगेन्द्र विसे पिता फूलचंद विसे साकिन स्कीम नं. 114 मकान नं. 987 विजय नगर थाना लसुडिया जिला इंदौर (मध्यप्रदेश)।	1. फूलचंद विसे पिता स्व. मोतीलाल विसे साकिन स्कीम नं. 114 मकान नं. 987 विजय नगर थाना लसुडिया जिला इंदौर (मध्यप्रदेश)। 2. जितेन्द्र विसे पिता फूलचंद विसे उम्र साकिन 194 अंबेडकर नगर इंदौर हाल मुकाम खेडी गलिचा बस्ती पुलिस थाना नागझीरी जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)।	04.12.2024 व 03.04.2025	चालान क्र. 476/ 21.12.2024 केश नं. 144/ 27.12.2024	न्यायालय ललित	1. योगेन्द्र विसे पिता फूलचंद विसे साकिन स्कीम नं. 114 मकान नं. 987 विजय नगर थाना लसुडिया जिला इंदौर (मध्यप्रदेश)।
4	जंजगीर	धारा 138/21 धारा 420 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन स्कीम अधिनियम एवं धारा 06,10 निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम	प्रतिष्ठा इन्फोकॉन इण्डिया लिमिटेड	1. रामगोपाल गढ़वाल पिता स्व. नोखराम उम्र 39 साल साकिन कुदराबोई थाना पामगढ़ जिला जंजगीर चांपा हाल मुकाम दिनदयाल कालोनी मंगला विलासपुर (छत्तीसगढ़)। 2. नारायण प्रसाद झलरिया पिता स्व. रामभरोस उम्र 40 साल साकिन बुड़ना थाना नवागढ़ जिला जंजगीर चांपा हाल मुकाम दिनदयाल कालोनी मंगला विलासपुर (छत्तीसगढ़)। 3. मनहरण लाल केंवट पिता स्व. सहेल्लर लाल उम्र 40 साल साकिन डोमाडीह थाना हसीद जिला जंजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)। 4. संजीव गुहा पिता दुलालचंद उम्र 45 साल साकिन लोदिनम सिटी म. नं. 607/बी थाना लसुडिया जिला इन्डौर (मध्यप्रदेश)। 5. अमित सरकार पिता अशोक सरकार उम्र 41 साल साकिन सी 94 जी-5 शालीमार गार्डन जिला गजियाबाद (उत्तर-प्रदेश)। 6. सुभाषन बनर्जी पिता सिद्धार्थ उम्र 37 साल साकिन 145/ए डी तीर्थ भवन रविंद्र फल्लो जिला 24 नार्थ पराना कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। 7. भैरव मिश्रा पिता रामधन साकिन शिवनगर अकलतरा जिला जंजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)। 8. चांद मोहम्मद पिता मोहम्मद नौजाम खान साकिन हाउस नंबर 12 जंजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)। 9. अमित सेन पिता निधीर सेन साकिन 136 डाक्टर हरनरैन्द्र नाथ मुखर्जी रोड 03 न्यू वैक्टरपुर धोल उत्तर 24 पराना (पश्चिम बंगाल)। 10. सौरभ डे पिता रतनलाल साकिन क्वाटर नंबर 47/11, 11. महादेव सोनी	1. रामगोपाल गढ़वाल पिता स्व. नोखराम उम्र 39 साल साकिन कुदराबोई थाना पामगढ़ जिला जंजगीर चांपा हाल मुकाम दिनदयाल कालोनी मंगला विलासपुर (छत्तीसगढ़)। 2. नारायण प्रसाद झलरिया पिता स्व. रामभरोस उम्र 40 साल साकिन बुड़ना थाना नवागढ़ जिला जंजगीर चांपा हाल मुकाम दिनदयाल कालोनी मंगला विलासपुर (छत्तीसगढ़)। 3. मनहरण लाल केंवट पिता स्व. सहेल्लर लाल उम्र 40 साल साकिन डोमाडीह थाना हसीद जिला जंजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)। 4. संजीव गुहा पिता दुलालचंद उम्र 45 साल साकिन लोदिनम सिटी म. नं. 607/बी थाना लसुडिया जिला इन्डौर (मध्यप्रदेश)। 5. अमित सरकार पिता अशोक सरकार उम्र 41 साल साकिन सी 94 जी-5 शालीमार गार्डन जिला गजियाबाद (उत्तर-प्रदेश)। 6. सुभाषन बनर्जी पिता सिद्धार्थ उम्र 37 साल साकिन 145/ए डी तीर्थ भवन रविंद्र फल्लो जिला 24 नार्थ पराना कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। 7. भैरव मिश्रा पिता रामधन साकिन शिवनगर अकलतरा जिला जंजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)। 8. चांद मोहम्मद पिता मोहम्मद नौजाम खान साकिन हाउस नंबर 12 जंजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)। 9. अमित सेन पिता निधीर सेन साकिन 136 डाक्टर हरनरैन्द्र नाथ मुखर्जी रोड 03 न्यू वैक्टरपुर धोल उत्तर 24 पराना (पश्चिम बंगाल)। 10. सौरभ डे पिता रतनलाल साकिन क्वाटर नंबर 47/11, 11. महादेव सोनी	03/ 25.05.2022, 01/ 27.05.2022, 01/ 31.05.2022, 09.06.2022, 02/ 12.09.2025	चालान नंबर 320/ 22.07.2022 केश नं. 45/ 23.07.2022	न्यायालय ललित	1. अमित सेन पिता निधीर सेन साकिन 136 डाक्टर हरनरैन्द्र नाथ मुखर्जी रोड 03 न्यू वैक्टरपुर धोल उत्तर 24 पराना (पश्चिम बंगाल)। 2. सौरभ डे पिता रतनलाल साकिन क्वाटर नंबर 47/11, 3. महादेव सोनी

प्रपत्र-ब

क्र.	धाना	अप.क्र. व धारा	ठगी गई राशि	ठगी करने वाले व्यक्तियों के नाम जिनके विरुद्ध अपराध पंजिबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम	चालान क्र. /दिनांक/केश नं. /दिनांक	प्रकरण की अवगत स्थिति
1	पामगढ़	551/2025 धारा 318(4), 3(5) बी.एन. एस.	02 करोड़ 51 हजार रुपये	1. भूपेन्द्र साहू 2. हिरेन्द्र साहू एवं अन्य साकिनान बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	1. भूपेन्द्र साहू 2. हिरेन्द्र साहू एवं अन्य साकिनान बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	08.12.2025	--	--	पुलिस विवेचनाधीन
2	जांजगीर	287/25 धारा 420,34 भादवि	96 लाख रुपये	1. रामनारायण वस्त्रकार पिता साधराम उम्र 44 वर्ष, 2. सुनीता वस्त्रकार पति राम नारायण वस्त्रकार उम्र 35 वर्ष निवासी सिवनी चौकी नैला जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	1. रामनारायण वस्त्रकार पिता साधराम उम्र 44 वर्ष, 2. सुनीता वस्त्रकार पति राम नारायण वस्त्रकार उम्र 35 वर्ष निवासी सिवनी चौकी नैला जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	18.05.2025	--	चालान क्र. 491/ 15.07.2025 केश नं. 1335/ 16.07.2025	माननीय न्यायालय में विचाराधीन है
3	जांजगीर	656/25 धारा 318(4),3(5) बीएनएस	01 करोड़ 15 लाख रुपये	1. नकुल साहू पिता पुनीराम उम्र 52 वर्ष निवासी धरदेई थाना शिवरीनारायण हाल मुकाम डी.डी. प्लाजा के पीछे जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)। 2. शिवा साहु निवासी रायकोना	1. नकुल साहू पिता पुनीराम उम्र 52 वर्ष निवासी धरदेई थाना शिवरीनारायण हाल मुकाम डी.डी. प्लाजा के पीछे जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	23.07.2025	1. शिवा साहु निवासी रायकोना	चालान क्र. 650/ 18.09.2025 केश नं. 1900/ 19.09.2025	माननीय न्यायालय में विचाराधीन है

अनुष्ठीक अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	थाना	अप.क्र. व धारा	ठगी गई राशि	ठगी करने वाले व्यक्तियों के नाम जिनके विरुद्ध अपराध पंजिबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम	चालान क्र. /दिनांक/केश नं. /दिनांक	प्रकरण की प्रकृति
4	शिवरीनारायण	512/25 धारा 318(4),3(5) भारतीय न्याय संहिता	01 करोड 88 लाख रुपये	1. भूपेन्द्र कुमार साहु पिता स्व. ईश्वर लाल साहु उम्र 45 वर्ष 2. हिरेन्द्र कुमार साहु पिता भूपेन्द्र कुमार साहु उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी वार्ड नं. 10 बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)। 3. मनोहर साहु 4. भुवनेश्वर साहु	1. भूपेन्द्र कुमार साहु पिता स्व. ईश्वर लाल साहु उम्र 45 वर्ष 2. हिरेन्द्र कुमार साहु पिता भूपेन्द्र कुमार साहु उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी वार्ड नं. 10 बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	15.11.2025	1. मनोहर साहु 2. भुवनेश्वर साहु	--	पुलिस विवेचनाधीन
5	शिवरीनारायण	553/25 धारा 318(4),3(5) भारतीय न्याय संहिता	01 करोड 97 लाख 29 हजार 900 रुपये	1. भूपेन्द्र साहु 2. हिरेन्द्र साहु 3. सुरेंद्र साहु 4. उत्तरा साहु सभी निवासी बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	1. भूपेन्द्र कुमार साहु पिता स्व. ईश्वर लाल साहु उम्र 45 वर्ष 2. हिरेन्द्र कुमार साहु पिता भूपेन्द्र कुमार साहु उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी वार्ड नं. 10 बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	08.12.2025	1. सुरेंद्र साहु 2. उत्तरा साहु दोनों निवासी बिलारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	--	पुलिस विवेचनाधीन



क्र.	धाना	अप.क्र. व धारा	ठगी गई राशि	ठगी करने वाले व्यक्तियों के नाम जिनके विरुद्ध अपराध पंजिबद्ध किया गया है।	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी का नाम	चालान क्र. /दिनांक/केश नं. /दिनांक	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
6	जांजगीर	798/24 धारा 318(4), बीएनएस	03 लाख रुपये	1. नकुल साहू पिता पुनीराम साहू उम्र 52 साल साकिन जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	1. नकुल साहू पिता पुनीराम साहू उम्र 52 साल साकिन जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।	17.10.2024	--	चालान क्र. 687 / 28.10.2024 केश नं. 1611 / 05.11.2024	माननीय न्यायालय में विचाराधीन है
7	मुलमुला	180/21 धारा 420,34 भादवि	69 हजार 51 रुपये	1. नेहा शर्मा 2. अक्षत ठाकुर 3. राजवीर सेखावत 4. राजवीर 5. राहुल	--	--	--	--	खाता क्रमांक 31/2022 दिनांक 22.12.2022
योग	4	7	08 करोड़ 49 हजार 951 रुपये	20	10	-	5	-	-

अनुपम अधिकारी
हिंड विभाग
मंत्रालय, रायपुर

(Handwritten Signature)

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 533) की जानकारी

खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर शाला भवन या मरम्मत योग्य शालाओं की विद्यालयवार जानकारी

क्र.	शाला का नाम	भवन की स्थिति (जर्जर/मरम्मत योग्य)	जर्जर भवन की स्थिति में वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4
1	शा.प्राथ.शाला रैताल	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
2	शा.प्रा.शा.गाड़ाघाट	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
3	शा.प्रा.शा.कोचर्वा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
4	शा.प्रा.शा.दौहानीभांठा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
5	शा.उ.प्रा.शा. पचेड़ा	जर्जर	प्राथमिक शाला भवन में
6	शा.प्रा.शा.भालूकोना	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
7	शा.प्रा.शा.पण्डरीपानी	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
8	शा.उ.प्रा.शा.परकोम	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
9	शा.प्रा.शा.दारगांव	जर्जर	प्रधान पाठक कक्ष पंचायत भवन में
10	शा.प्रा.शा.कमारडेरा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
11	शा.प्राथ.शा.छापरपारा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
12	शा.प्रा.शा.तुपकबोरा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
13	शा.उ.प्रा.शा.देवरी	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
14	शा.प्रा.शा.छिबर्वा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
15	शा.प्रा.शा.ढोड़	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
16	शा.प्रा.शा.घुंचापाली (तुसदा)	जर्जर	वर्तमान में सामुदायिक भवन में कक्षा संचालित
17	शा.प्रा.शा.तेन्दूकोना	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
18	शा.प्रा.शा.बान्दूमुड़ा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
19	शा.प्रा.शा.शिकारीपाली	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
20	शा.प्रा.शा.जुनवानीखुर्द	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष एवं सामुदायिक भवन में
21	शा.प्रा.शा.हाथीबाहरा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
22	शा.प्रा.शा.मनकी	जर्जर	राजीव गांधी सेवा केन्द्र
23	प्रा.शा.खटटाडीह	जर्जर	वर्तमान में सामुदायिक भवन में कक्षा संचालित
24	शा.पूर्व मा.शा.भदरसी	जर्जर	शा.प्रा.शा.भदरसी अतिरिक्त कक्ष में
25	शा.पूर्व मा.शा.लालपुर	जर्जर	कन्या हाई स्कूल के नाम से बने भवन में
26	शा.प्रा.शा.गोहिनाबाहरा	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष में
27	शा.प्रा.शा.भोथा	जर्जर	शा.पूर्व मा.शा.भोथा


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	शाला का नाम	भवन की स्थिति (जर्जर/मरम्मत योग्य)	जर्जर भवन की स्थिति में वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4
28	शा.प्रा.शा.खाड़ादरहा	जर्जर	परिसर के शेड में
29	प्रा.शा.पठारीमुड़ा	मरम्मत योग्य	—
30	प्रा.शा.बैहाडीह	मरम्मत योग्य	—
31	उ.प्रा.शा.डुमरडीह	मरम्मत योग्य	—
32	उ.प्रा.शा.कुसमी	मरम्मत योग्य	—
33	शा.प्रा.शा.नवागांवकला	मरम्मत योग्य	—
34	शा.प्रा.शा.छापरपारा	मरम्मत योग्य	—
35	शा.पूर्व मा.शा.खोपली	मरम्मत योग्य	—
36	शा.प्रा.शा.सोनापुटी	मरम्मत योग्य	—
37	शा.प्रा.शा.कसहीबाहरा	मरम्मत योग्य	—
38	शा.प्रा.शा.नवाडीह	मरम्मत योग्य	—
39	शा.प्रा.शा.पटपरपाली	मरम्मत योग्य	—
40	शा.पूर्व मा.शा.गबौद	मरम्मत योग्य	—
41	शा.पूर्व मा.शा.छुरीडबरी	मरम्मत योग्य	—
42	शा.पूर्व मा.शा. बिन्द्रावन	मरम्मत योग्य	—
43	शा.पूर्व मा.शा.बांगबाहरा	मरम्मत योग्य	—
44	शा.हा.से.स्कूल बोडरीदादर	मरम्मत योग्य	—
45	प्रा.शा.ठकुरीपाली	मरम्मत योग्य	—
46	प्रा.शा.शंकरपारा	मरम्मत योग्य	—
47	प्रा.शा.कौहाकुड़ा	मरम्मत योग्य	—
48	प्रा.शा.सुनसुनिया	मरम्मत योग्य	—
49	उ.प्रा.शा.देवरी	मरम्मत योग्य	—
50	उ.प्रा.शा.टेमरी	मरम्मत योग्य	—
51	प्रा.शा.अनवरपुर	मरम्मत योग्य	—
52	उ.प्रा.शा.कुलिया	मरम्मत योग्य	—
53	उ.प्रा.शा.खैरटकला	मरम्मत योग्य	—
54	प्रा.शा.धामनतोरी	मरम्मत योग्य	—
55	शा.प्रा.शा.बिछलादादर	मरम्मत योग्य	—
56	शा.पूर्व मा.शा.धरमपुर	मरम्मत योग्य	—
57	शा.पूर्व मा.शा.कोल्दा	मरम्मत योग्य	—
58	शा.प्रा.शा.बेलर	मरम्मत योग्य	—
59	शा.प्रा.शा.मातरबाहरा	मरम्मत योग्य	—
60	शा.प्रा.शा.टेका	मरम्मत योग्य	—
61	शा.प्रा.शा.भारतपारा	मरम्मत योग्य	—
62	शा.प्रा.शा.खुटेरी	मरम्मत योग्य	—
63	शा.प्रा.शा.बटोरा	मरम्मत योग्य	—

क्र.	शाला का नाम	भवन की स्थिति (जर्जर/मरम्मत योग्य)	जर्जर भवन की स्थिति में वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4
64	शा.प्रा.शा.फुलवारी कला	मरम्मत योग्य	—
65	शा.प्रा.शा.बी.के.बाहरा	मरम्मत योग्य	—
66	शा.पूर्व मा.शा.लालपुर	मरम्मत योग्य	—
67	शा.प्रा.शा.खैरटकला	मरम्मत योग्य	—
68	शा.प्रा.शा.नवाडीह द्वारतराकला	मरम्मत योग्य	—
69	शा.प्रा.शा.खल्लारी	मरम्मत योग्य	—
70	शा.प्रा.शा.भालूचुंवा	मरम्मत योग्य	—
71	शा.प्रा.शा.गुलझर	मरम्मत योग्य	—
72	शा.प्रा.शा.कमारडेरा जी	मरम्मत योग्य	—
73	शा.प्रा.शा.मनबाय	मरम्मत योग्य	—
74	शा.प्रा.शा.पडकीपाली	मरम्मत योग्य	—
75	शा.प्रा.शा.बांधापारा	मरम्मत योग्य	—
76	शा.प्रा.शा.लक्ष्मीपुर	मरम्मत योग्य	—
77	शा.उ.प्रा.शा.फिरगी	मरम्मत योग्य	—
78	शा.प्रा.शा.बोईरगांव	मरम्मत योग्य	—
79	शा.प्रा.शा.सराईपाली प	मरम्मत योग्य	—
80	शा.पूर्व मा.शा.बोईरगांव	मरम्मत योग्य	—
81	उ.प्रा.शा.सिवनीकला	मरम्मत योग्य	—
82	प्रा.शा.सिवनीकला	मरम्मत योग्य	—

Phisau
अनुभाग आ.६-
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
12/12/25

परिशेष - अट्टाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 537) की जानकारी

“प्रश्न-अ”

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत सड़क की जानकारी
लंबाई मी. में, राशि रु. लाख में

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वृहद पुल का नाम	लंबाई	अनुबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	2022-23				निरंक।				
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	2023-24				निरंक।				
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	2024-25				निरंक।				
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	30 नवम्बर 2025 तक				निरंक।				



अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

“प्रपत्र-ब”

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत पुल-पुलिया की जानकारी लंबाई मी. में, राशि रु. लाख में

क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वृहद पुल का नाम	लंबाई	अनुबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमाक
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	सिमगा	भाटापारा	एन.एच. 200 से विश्रामपुर से देवरीडीह (आरडी-3500 मी.)	30	188.65	133.78	14.06.2025	
2				एन.एच. 200 से विश्रामपुर से देवरीडीह (आरडी-6200 मी.)	24	176.98	142.33	30.06.2025	
3	2022-23	बलौदाबाजार	कसडोल	बिटकुली-खटियापाटी-सु डेला से जुड़ा (आरडी-2600 मी.)	75	290.21	267.91	27.06.2025	
4				लवन-सिरियाडीह से पैसर (आरडी-950 मी.)	20	199.23	170.52	27.06.2025	
5	2023-24			निरंक।					
6	2024-25			निरंक।					
7	30 नवम्बर 2025 तक			निरंक।					
	योग					855.07	714.54		



अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - उन्तीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 40 (क्र. 541) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(जिला बलौदाबाजार-भाटापारा मालिक मकबूजा के प्राप्त प्रकरण)
वर्ष 2021 से दिनांक 24/11/2025 तक मालिक मकबूजा के प्राप्त प्रकरणों का वर्षवार,
विकासखंड विवरण

क्रमांक	वर्ष	विकासखंड	प्राप्त प्रकरणों की संख्या
1	2021	सिमगा	7
2	2022	-	0
3	2023	बलौदाबाजार	1
		सिमगा	9
		भाटापारा	1
	योग		11
4	2024	कसडोल	1
		सिमगा	9
		भाटापारा	2
	योग		12
5	2025 (24.11.2025 तक)	सिमगा	5
महायोग			35


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

(जिला बलौदाबाजार-भाटापारा मालिक मकबूजा के प्राप्त प्रकरण)
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत मालिक मकबूजा के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का वनमंडलार एवं ग्रामवार विवरण

क्र.	वर्ष	वनमंडल	विकासखंड	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम	मालिक मकबूजा प्रकरण आदेश क्रमांक / दिनांक का विवरण	हितग्राही का मुगतानित राशि का विवरण			डिपों में काष्ठ प्राप्ति के दिवस से भुगतान तक की अवधि (दिवस में)
							चेक क्रमांक	दिनांक	राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	तह.सिमगा का आ.क. 899 दि. 20.08.2021	चेक नं. 711537	03.05.2023	3674115	163-दिवस
2	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	सौरभ चौधरी	तह.सिमगा का आ.क. 899 दि. 20.08.2021	चेक नं. 711536	01.05.2023	4324383	171 दिवस
3	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	तह.सिमगा का आ.क. 899 दि. 20.08.2021	चेक नं. 711536	01.05.2023	1473106	111 दिवस
4	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	सीमा चौधरी	व.मं.का आ.पत्र क.438 दि. 08.02.2021	चेक नं. 712014	10.10.2023	308801	130 दिवस
5	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	मंगीशंकर चौधरी	व.मं.का आ.पत्र क.438 दि. 08.02.2021	चेक नं. 712013	10.10.2023	162819	131 दिवस
6	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	व.मं.का आ.पत्र क.438 दि. 08.02.2021	चेक नं. 712012	10.10.2023	182140	129 दिवस
7	2021	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	मंगीशंकर चौधरी	तह.सिमगा का आ.क. 899 दि. 28.08.2021	चेक नं. 678914	05.09.2022	2485660	133 दिवस
8	2023	बलौदाबाजार	भाटापारा	भाटापारा	अजय कुमार नस्थानी	अनु. अधि. भाटापारा का आ.क. 727 दि. 24.05.2023	चेक क्रमांक 746107	05.02.2024	1354531	193 दिवस
9	2023	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	अंजु चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 120 दि. 27.02.2023	चेक नं. 712007	04.10.2023	2821725	148 दिवस
10	2023	बलौदाबाजार	सिमगा	डोंगरिया	विजयशंकर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 120 दि. 27.02.2023	चेक नं. 712081	01.01.2024	603652	73 दिवस

क्र.	वर्ष	वनमंडल	विकासखंड	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम	मालिक मकबूजा प्रकरण आदेश क्रमांक / दिनांक का विवरण	हितग्राही का भुगतानित राशि का विवरण			दिनों में काष्ठ प्राप्ति के दिवस से भुगतान तक की अवधि (दिवस में)
							चेक क्रमांक	दिनांक	राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	समृद्धि चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 120 दि. 27.02.2023	चेक नं. 712007	04.10.2023	1526916	144 दिवस
12	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सुरमी चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 120 दि. 27.02.2023	चेक क्रमांक 712005	03.10.2023	1999098	136 दिवस
13	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मुकुन्द चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 120 दि. 27.02.2023	चेक क्रमांक 712007	04.10.2023	1483002	132 दिवस
14	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मणीशंकर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का पत्र.क. 872 दि. 25.08.2023	एफ.डी.एस 2406110027	11.06.2024	5668469	153 दिवस
15	2023	बलौदाबजार	बलौदाबजार	रानी जरोद	नारद साहू	अनु. अधि. सिमगा का पत्र.क. 897 दि. 16.08.2023	एफ.डी.एस 2408070871	08.08.2024	664478	202 दिवस
16	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 872 दि. 25.08.2023	एफ.डी.एस 2410190643	19.10.2025	584724	249 दिवस
17	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मणीशंकर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 872 दि. 25.08.2023	एफ.डी.एस 2410190648	19.10.2025	70562	240 दिवस
18	2023	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 872 दि. 25.08.2023	एफ.डी.एस 2408070266	08.08.2024	1704604	179 दिवस
19	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मणीशंकर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 872 दि. 25.08.2023	एफ.डी.एस 2408070886	08.08.2024	2250967	189 दिवस
20	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	अंजू चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 87 दि. 08.02.2024	एफ.डी.एस 2504250093	24.04.2025	5600801	363 दिवस
21	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मुकुन्द चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 87 दि. 08.02.2024	एफ.डी.एस 2504250095	24.04.2025	5873276	318 दिवस
22	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	विजयशंकर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 87 दि. 08.02.2024	एफ.डी.एस 2505140850	18.05.2025	1412174	378 दिवस
23	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सुरमी चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 87 दि. 08.02.2024	एफ.डी.एस 2504250102	24.04.2025	5198940	320 दिवस
24	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	समृद्धि चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 87 दि. 08.02.2024	एफ.डी.एस 2505140856	18.05.2025	3486740	365 दिवस
25	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सौरभ चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 848 दि. 27.08.2024	एफ.डी.एस 2504280073	24.04.2025	6762733	126 दिवस
26	2024	बलौदाबजार	कसडोल	देवगांव	अलेखराम	अनु. अधि. गिरौद का आ.क. 884 दि. 25.12.2024	एफ.डी.एस 2512020892	02.12.2025	389757	234 दिवस

क्र.	वर्ष	वनमंडल	विकासखंड	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम	मालिक मकबूजा प्रकरण आदेश क्रमांक / दिनांक का विवरण	हितग्राही का भुगतानित राशि का विवरण			डिपों में काष्ठ प्राप्ति के दिवस से भुगतान तक की अवधि (दिवस में)
							चेक क्रमांक	दिनांक	राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सौरभ चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ. / 848 दि. 25.08.2024	एफ.डी.एस 2504280208	24.04.2025	748668	112 दिवस
28	2024	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सागर चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 848 दि. 27.08.2024	एफ.डी.एस 2508070630	08.08.2025	6488570	210 दिवस
29	2024	बलौदाबजार	भाटापारा	भाटापारा	अंजली शर्मा	अनु. अधि. भाटापारा का आ.क. 2376 दि. 16.07.2024	एफ.डी.एस 2512010367	01.12.2025	57879	88 दिवस
30	2024	बलौदाबजार	भाटापारा	सुभाष वार्ड भाटापारा	श्री ओमहरे साव	अनु. अधि. भाटापारा का आ.क. 2308 दि. 14.06.2024	एफ.डी.एस 2512030299	03.12.2025	67342	358 दिवस
31	2025	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	समृद्धि चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 206 दि. 06.02.2025	एफ.डी.एस 2511120428	12.11.2025	1843005	214 दिवस
32	2025	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	मुकुन्द चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 206 दि. 06.02.2025	एफ.डी.एस 2512020752	02.12.2025	5518345	198 दिवस
33	2025	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	सुरभी चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 206 दि. 06.02.2025	एफ.डी.एस 2510111065	11.10.2025	3914161	173 दिवस
34	2025	बलौदाबजार	सिमगा	डोंगरिया	अंजु चौधरी	अनु. अधि. सिमगा का आ.क. 206 दि. 06.02.2025	एफ.डी.एस 2510111021	11.10.2025	4232547	186 दिवस


अनुभाग अधिकारी
दत्त एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
भारत सरकार, नवा रायपुर, अटल नगर

मपज

परिशिष्ट - तीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 45 (क्र. 550) की जानकारी

संचालनालय लोक शिक्षण :-
ब्लॉक सी प्रथम तल इन्द्रावती भवन
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)

- बजट -

क्रमांक / प्रति 164 / बजट / उ हि अ भा शा / 26 / 2020-21 / नवा रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय: उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम शालाओं हेतु आबंटन की रवीकृति - वित्तीय वर्ष 2020-21

- 3 - 0 -

विषयवर्तक स्कूल शिक्षा विभाग के 01 उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम शालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य अनुदान के अंतर्गत राशि 2173.00 लाख (इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख मात्र) का अनुदान बतलान आबंटन पत्रक अनुसार शालाओं के नाम के सम्मुख अंकित राशि का आबंटन प्रदान किया जाता है।

आबंटन का ध्येय जिला शिक्षा अधिकारी अनुदान नियम, अनुदान के लिए जारी वित्त निर्देश के साथ-साथ निम्नांकित शर्त के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें -

1. आबंटन का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
2. स्थापना अनुदान का ध्येय प्रतिमाह आवश्कतानुसार किया जावे तथा वेतन सदधित कर्मचारी के बैंक खाते में अंतरित किया जावे।
3. स्थापना अनुदान चक्र में जब तक आवश्यकता न हो राशि अधिन में आहरण न किया जावे।
4. अन्य अनुदान की राशि पृथक से आहरण कर सभिति को उपलब्ध कराई जावे।
5. वित्तीय वर्ष-2020-21 के लिए स्थापना अनुदान अंतर्गत कमी/अधिव्यय की जानकारी पदवार तैयार कर उपलब्ध करवें।

संलग्न - आबंटन पत्रक।

(संचालक लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पू0क्रमांक / प्रतिदिशि / बजट / उ हि अ भा शा / 26 / 2020-21 / नवा रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

1. निज सहायक मान मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शासन मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग उच्च शासन मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संचालक फोफ लेखा एवं पेशन इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की सूचनार्थ।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपसंचालक स्थानीय अनुदान वेतन की सूचनार्थ। कृपया स्थापना अनुदान के संबंध में जिलों से जानकारी एकत्रित कर वर्ष 2020-21 के लिए रमा आवेक्षण की जानकारी तथा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित भंडा अनुदान उपलब्ध करवें।
8. ऑडिटर / पुनर्गणना कक्ष व्यानय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुभागी अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
वेधेश (छ.ग.)
आवक क्रमांक 17-28
दिनांक 21-09-2020
प्रमुख अधिकारी

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पारोक्ष - इकतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 553) की जानकारी

प्रपत्र

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन नहीं होने की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन नहीं है, उनका नाम
1	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. डोंगीतराई
2	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि.भिलाई
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. खुरसुनी
4	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. मोखा
5	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि.खुटेरी (खे)
6	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. ओड़ारसकरी
7	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. चौरेल
8	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. राहूद
9	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. तवेरा
10	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. कलंगपुर
11	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि.माहूद बी
12	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. भरदाकला
13	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	शा.उ.मा.वि. ईरागुड़ा

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 558) की जानकारी

प्रपत्र

अन्य विभागों में अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी की जानकारी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 558 द्वारा माननीया श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य विधानसभा

क्र.	अधिकारियों की संख्या जो अन्य विभागों में अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत हैं	अन्य विभागों में नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है (हां/नहीं)	यदि नहीं तो किस नियम/आधार पर अन्य विभाग में नियुक्ति दी गई है	क्या अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है (हां/नहीं)
1	2	3	4	5
1	6	नहीं	05 प्रकरण में संबंधित जिले के कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है एवं 01 प्रकरण में विभागीय सहमति के आधार पर दी गई है।	05 प्रकरण में भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं है एवं 01 प्रकरण में भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है

m


 अनुभाग अधिकारी
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - तैतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 561) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क्रमांक	संभाग का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या			
			प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	हॉयर सेकण्डरी स्कूल
1	बस्तर	सहायक शिक्षक	13702	-	-	-
		शिक्षक	-	10590	-	-
		व्याख्याता	-	-	2042	5618
		कृषि शिक्षक	-	-	-	157
		संगीत शिक्षक	-	-	-	4
		ग्रंथपाल	-	-	-	409
		व्यायाम प्रशिक्षक	-	-	-	415
		सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	-	-	-	1207
2	सरगुजा	सहायक शिक्षक	14834	-	-	-
		शिक्षक	-	10460	-	-
		व्याख्याता	-	-	2023	5897
		कृषि शिक्षक	-	-	-	74
		संगीत शिक्षक	-	-	-	9
		ग्रंथपाल	-	-	-	378
		व्यायाम प्रशिक्षक	-	-	-	409
		सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	-	-	-	1153
3	बिलासपुर	सहायक शिक्षक	18732	-	-	-
		शिक्षक	-	14782	-	-
		व्याख्याता	-	-	2935	8631
		कृषि शिक्षक	-	-	-	44
		संगीत शिक्षक	-	-	-	1
		ग्रंथपाल	-	-	-	548
		व्यायाम प्रशिक्षक	-	-	-	637
		सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	-	-	-	1909
4	रायपुर	सहायक शिक्षक	14773	-	-	-
		शिक्षक	-	10707	-	-
		व्याख्याता	-	-	1864	6977
		कृषि शिक्षक	-	-	-	66
		संगीत शिक्षक	-	-	-	1
		ग्रंथपाल	-	-	-	421
		व्यायाम प्रशिक्षक	-	-	-	560
		सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	-	-	-	1663
5	दुर्ग	सहायक शिक्षक	15067	-	-	-
		शिक्षक	-	10647	-	-
		व्याख्याता	-	-	2061	7529
		कृषि शिक्षक	-	-	-	52
		संगीत शिक्षक	-	-	-	1
		ग्रंथपाल	-	-	-	507
		व्यायाम प्रशिक्षक	-	-	-	565
		सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	-	-	-	1707

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

(Signature)
उप संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

विषयवार रिक्त पदों की संख्या

विषय	सरगुजा संभाग		बिलासपुर संभाग		रायपुर संभाग		दुर्ग संभाग		बस्तर संभाग	
	कुल रिक्त पद	पदोन्नति का पद	कुल रिक्त पद	पदोन्नति का पद	कुल रिक्त पद	पदोन्नति का पद	कुल रिक्त पद	पदोन्नति का पद	कुल रिक्त पद	पदोन्नति का पद
हिन्दी	207	104	384	192	400	200	343	172	201	101
अंग्रेजी	48	24	158	79	148	74	214	107	108	54
संस्कृत	124	62	241	121	223	112	214	107	171	86
गणित	105	53	134	67	103	52	168	84	196	98
जीव विज्ञान	45	23	116	58	134	67	165	83	132	66
भौतिक	113	57	142	71	164	82	186	93	161	81
रसायन शास्त्र	54	27	81	41	126	63	125	63	189	95
इतिहास / राजनीति शास्त्र	103	52	212	106	300	150	350	175	122	61
अर्थशास्त्र / भूगोल	72	36	380	190	221	111	279	140	92	46
वाणिज्य	68	34	154	77	161	81	190	95	170	85
कृषि संकाय	58	-	23	-	7	-	26	-	93	-

Adhikari
 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

[Signature]
 उप संचालक
 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - चोतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 563) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	जलाशय में ईको टूरिज्म के तहत किए गए निर्माण कार्य का नाम	निर्माण दिनांक	एस्टीमेट तैयार करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम	एस्टीमेट स्वीकृत करने का दिनांक
1	स्टोर रूम निर्माण कार्य (टीप-यह कार्य प्रपत्र-द के सरल क्र. 17, 19 एवं 20 में दर्शित कार्य) (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास, स्टोर, किचन एवं बाथरूम निर्माण कार्य) के अंतर्गत सम्मिलित कार्य है	26.02.2025 से 10.03.2025	श्री अशोक कुमार वैष्णव वन परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान सुश्री मोना महेश्वरी उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री आलोक तिवारी वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री पंकज राजपूत वनमंडलाधिकारी	31.07.2025 एवं 19.08.2025
1	किचन रूम निर्माण कार्य (टीप-यह कार्य प्रपत्र-द के सरल क्र. 17, 19 एवं 20 में दर्शित कार्य) (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास, स्टोर, किचन एवं बाथरूम निर्माण कार्य) के अंतर्गत सम्मिलित कार्य है	26.02.2025 से 10.03.2025	श्री अशोक कुमार वैष्णव वन परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान सुश्री मोना महेश्वरी उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री आलोक तिवारी वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री पंकज राजपूत वनमंडलाधिकारी	31.07.2025 एवं 19.08.2025
2	बाथरूम निर्माण कार्य (टीप-यह कार्य प्रपत्र-द के सरल क्र. 17 एवं 19 में दर्शित कार्य) (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास, स्टोर, किचन एवं बाथरूम निर्माण कार्य) के अंतर्गत सम्मिलित कार्य है	26.02.2025 से 10.03.2025	श्री अशोक कुमार वैष्णव वन परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान सुश्री मोना महेश्वरी उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री आलोक तिवारी वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री पंकज राजपूत वनमंडलाधिकारी	31.07.2025 एवं 19.08.2025
3				

क्र.	जलाशय में ईको टूरिज्म के तहत किए गए निर्माण कार्य का नाम	निर्माण दिनांक	एस्टीमेट तैयार करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम	एस्टीमेट स्वीकृत करने का दिनांक
1	2	3	4	5
4	<p>मचान निर्माण कार्य (टीप-यह कार्य प्रपत्र-द के सरल क्र. 19 एवं 20 में दर्शित कार्यों (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास, स्टोर, किचन एवं मचान निर्माण कार्य) के अंतर्गत सम्मिलित कार्य है</p>	<p>26.02.2025 से 10.03.2025</p>	<p>श्री अशोक कुमार वैष्णव वन परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान सुश्री मोना महेश्वरी उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री आलोक तिवारी वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ श्री पंकज राजपूत वनमंडलाधिकारी</p>	<p>31.07.2025 एवं 19.08.2025</p>

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

11/12/25

पत्र - ब

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना-प्रतिवेदन

ईको टुरिज्म छिंदारी

कक्ष क्रमांक	-	112 एव 209
विधानसभा क्षेत्र	-	खैरागढ़
परिसर का नाम	-	बीरुटोला
वन परिक्षेत्र का नाम	-	छुईखदान
वनमंडल का नाम	-	खैरागढ़
प्राक्कलित राशि	-	11,00,000/-

वन परिक्षेत्र - छुईखदान
सामान्य वनमंडल - खैरागढ़ (छ.ग.)

सत्यापित


Divisional Forest Officer
Khairagarh Division (C G)


Cover Page

15



9/12

प्राक्कलन
वर्ष 2024-25

क्र.	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5
1	सोलर बिजली व्यवस्था			
1.1	लिथियम ऑयन सोलर बैटरी	8	Markest Rate	175000
1.2	545 Wp Bifical Half Cut Module Dcr, Solar Vertex Pro 6 k.v.a., Copper wire, etc.	10	Markest Rate	600000
2	पर्यटकों हेतु तारा दर्शन के लिये 10 इंच टेलिस्कोप सामग्री सहित कय	1	Markest Rate	105000
3	अन्य आकस्मिक व्यय			220000
			Total	1100000


परिक्षेत्र अधिकारी,
छुईखदान


संयुक्त वनमंडलाधिकारी,
खैरागढ़ उपवनमंडल, खैरागढ़


वनमंडलाधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

समाप्त --


Divisional Forest Officer
Khairagarh Division (C.G.)


9/12

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना-प्रतिवेदन

ईको टुरिज्म छिंदारी

कक्षा क्रमांक	-	112 एवं 209
विधानसभा क्षेत्र	-	खैरागढ़
परिसर का नाम	-	बीरूटोला
वन परिक्षेत्र का नाम	-	छुईखदान
वनमंडल का नाम	-	खैरागढ़
प्राक्कलित राशि	-	30,00,000/-

वन परिक्षेत्र - छुईखदान
सामान्य वनमंडल - खैरागढ़ (छ.ग.)

समाप्त


Divisional Forest Officer
Khairagarh Division (C.G.)


9/12

प्राक्कलन

वर्ष 2024-25

क्र.	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लाईफ जैकेट क्रय	45	1250	56250
2	पर्यटकों को फ़्सी दर्शन हेतु नौका खरीदी			
2.1	8 सीटर नाव एवं संबंधित समस्त सामग्री	1	Markest Rate	300000
2.2	4 सीटर पैडल नाव एवं समस्त सामग्री	2	Markest Rate	152000
2.3	4 सीटर चप्पू नाव एवं समस्त सामग्री	2	Markest Rate	300000
2.4	इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी	1	Markest Rate	154000
3	फ्लोटिंग जेट्टी खरीदी एवं स्थापना कार्य	30	Markest Rate	300000
4	पर्यटकों के बैठक व्यवस्था हेतु			
4.1	टेंट खरीदी	5	Markest Rate	160000
4.2	फोल्डेबल चेयर	20	Markest Rate	27000
5	केन्द्र के प्रचार प्रसार हेतु लोगो डिजाइन एवं ब्रोशर निर्माण कार्य	2000	Markest Rate	70000
6	कैम्प साईड हेतु कैम्प लगाने के लिये योजना बनाना, ले-आऊट करना एवं प्रशिक्षण देने का कार्य	1	Markest Rate	89000
7	पेयजल व्यवस्था - बोर खनन, पानी जांच, केसिंग पाईप एवं अन्य सामग्रियों का क्रय एवं स्थापना सहित	1	Markest Rate	100000
8	केन्द्र में विभिन्न निर्माण हेतु बांस एवं बल्ली का क्रय		शासकीय दर	23000
9	सोलर बिजली व्यवस्था			
9.1	लिथियम ऑयन सोलर बैटरी	24	Markest Rate	540000
9.2	545 Wp Bifical Half Cut Module Dcr, Solar Vertex Pro 6 k.v.a., Copper wire, etc.	10	Markest Rate	600000
10	मजदूरी पर व्यय			128750
			Total	3000000


परिक्षेत्र अधिकारी,
धुईखदान


संयुक्त वनमंडलाधिकारी,
खैरागढ़ उपवनमंडल, खैरागढ़


वनमंडलाधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़


सत्यापित


Divisional Forest Officer
Kharagadh Division (C G)


5/1/2

प्रपत्र-द

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम	भुगतान दिनांक	राशि (रु.में)	भुगतानकर्ता का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	56,096	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
2	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग एवं अन्य सहायक उपकरण क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	299,940	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
3	2024-25	डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग एवं अन्य सहायक उपकरण क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	294,830	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
4	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (प्रशिक्षण कार्य)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	88,500	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
5	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग के लिए पार्किंग व्यवस्था हेतु जेटी क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	299,250	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
6	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	153,400	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
7	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग स्थल का निर्माण हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	132,160	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
8	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटींग हेतु पैडल बोट क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	13-03-2025	151,200	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
9	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की बैठक व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	21-03-2025	26,448	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
10	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों के रुकने हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	21-03-2025	24,999	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
11	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	21-03-2025	90,000	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
12	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा के लिए कियन विकास हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	22-03-2025	15,360	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
13	2024-25	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों के लिए सुविधा विकास हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	22-03-2025	104,430	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
14	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा के लिए विद्युत व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 18.09.25 को किया गया	69,620	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़



क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान का माध्यम	भुगतान दिनांक	राशि (रु.में)	भुगतानकर्ता का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
15	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा के लिए विद्युत व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 18.09.25 को किया गया	1,911,960	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
16	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पेय जल व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 18.09.25 को किया गया	95,950	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
17	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा विकास हेतु स्टोर रूम, किचन एवं बाथरूम निर्माण कार्य)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 18.09.25 को किया गया	67,200	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
18	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा विकास सामग्री क्रय)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 18.09.25 को किया गया	14,018	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
19	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा विकास हेतु स्टोर रूम, किचन, मचान एवं बाथरूम निर्माण कार्य)	ई-कुबेर के माध्यम से	24.03.2025 को ईकुबेर में सर्वर बंद हो जाने के कारण भुगतान लंबित था जिसका भुगतान दिनांक 24.09.25 को किया गया	122,008	वन परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान
20	2025-26	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा विकास हेतु स्टोर रूम, किचन एवं मचान निर्माण कार्य)	ई-कुबेर के माध्यम से	04-09-2025	22,700	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़
				योग :-	4,040,069	

प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशेष - पेंतीस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 565) की जानकारी

प्रपत्र-अ

**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार
बहिर्वेशन प्रक्रिया में किये गये संशोधन का विवरण**

क्र.	पूर्वानुसार	संशोधन अनुसार
1	मोटरयुक्त दोपहिया / तिपहिया / चौपहिया वाहन / मछली पकड़ने की नाव।	मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन।
2	मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण।	मशीनीकृत तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3	50,000 रु. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।	रु. 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
4	वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।	वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5	सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।	सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6	वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।	वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000/- रु. से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो।
7	आयकर देने वाले परिवार।	आयकर देने वाले परिवार।
8	व्यवसाय कर देने वाले परिवार।	व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9	वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।	वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
10	वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।	वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
11	वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।	
12	दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।	
13	वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।	


 अनुभाग अधिकारी
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों का विवरण	प्राप्त शिकायत के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1			2023-24	0		
2	डोंगरगढ़	नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़	2024-25	03	श्री सुदेश मेश्राम अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत शिकायत क्र. 824 दिनांक 18.01.2024 श्री सुदेश मेश्राम अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत शिकायत क्र. 910 दिनांक 04.09.2024 आवेदिका सुश्री रजिया खानम के आवेदन क्र. 220002024004461 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा जनशिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज किया गया।	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग दुर्ग से उक्त शिकायत में प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त शिकायत में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग दुर्ग के स्तर पर जांच प्रगतिरत्न है। संबंधित शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 21.04.2025 को उक्त शिकायत निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। तदसंबंध में उक्त शिकायत को जनशिकायत पोर्टल से विलोपित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

परीशेष - छत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 573) की जानकारी

प्रपत्र 3A

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक.....

क्रमांक एफ 6-22/2008/20 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2008
प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के इकाईवार रचनाक्रम
में एतद् द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-
प्राथमिक शाला

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रधान पाठक	5000-8000	01
2.	सहायक शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग-3	4000-6000 3800-5800	02
3.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
	योग		04

यह रचनाक्रम कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है। अतः यह न्यूनतम 80 विद्यार्थियों के लिये है। 80 के बाद की वृद्धि पर एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता होगी। प्राथमिक शालाओं में 50 प्रतिशत शिक्षक कला संकाय और 50 प्रतिशत विज्ञान संकाय के होंगे।
पूर्व माध्यमिक शाला

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रधान पाठक	5500-9000	01
2.	शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग-2	5000-8000 4500-7000	04
3.	भृत्य नियमित	2550-3200	01
4.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
	योग		07

पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 कक्षाएँ होती हैं। एक कक्षा/वर्ग 35 छात्रों की होती है। 35 के बाद दर्ज संख्या में वृद्धि होने पर एक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग-2 के बाद की पात्रता होगी। इसी तरह कम आगे चलता रहेगा। एक शिक्षक अंग्रेजी, हिन्दी/संस्कृत का एक, गणित का एक, विज्ञान का एक तथा कला का एक शिक्षक प्रत्येक शाला में होगा।
हाई स्कूल

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य	8000-13500	01
2.	व्याख्याता शिक्षा कर्मी वर्ग-1	5500-9000 5300-8300	06
3.	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000/3800-5800	01
4.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
5.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01

-2-

6.	भृत्य नियमित	2550-3200	02
7.	भृत्य (आक. निधि)/ चौकीदार	2550-3200	01
8.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
	योग		14

शिक्षा कर्मी वर्ग-1/व्याख्याता हाई स्कूलों में निम्न विषयानुसार होंगे :-
(1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) संस्कृत (4) गणित (5) जीव विज्ञान (6) कला संकाय (इतिहास/राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र/भूगोल) ।

35 विद्यार्थियों की एक कक्षा होगी तथा 35 विद्यार्थियों का एक वर्ग भी होगा । प्रथम 35 विद्यार्थियों के पश्चात् अधिकतम 10 छात्रों की दर्ज संख्या होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जायेगा । अतिरिक्त वृद्धि कमशः अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत एवं कला संकाय के शिक्षकों की होगी ।

हायर सेकेण्डरी स्कूल

क्र.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य (10+2)	8000-13500	01
2.	उप प्राचार्य (व्यावसायिक शिक्षा)	6500-10500	01 (जहां संचालित है वहां)
3.	व्याख्याता शिक्षा कर्मी वर्ग-1	5500-9000 5300-8300	11
4.	व्याख्याता (व्यावसायिक शिक्षा) शिक्षा कर्मी वर्ग-1	5500-9000 5300-8300	03 (जहां संचालित है वहां)
5.	तबला शिक्षक	5000-8000	01 (जहां संचालित है वहां)
6.	संगीत शिक्षक	5000-8000 4500-7000	01 (जहां संचालित है वहां)
7.	कृषि शिक्षक	5000-8000 4500-7000	01 (जहां संचालित है वहां)
8.	व्यायाम शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग-2	5000-8000 4500-7000	01
9.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान/ निम्न वेतनमान	4500-7000/3500-5200	01
10.	सहायक शिक्षक विज्ञान शिक्षा कर्मी वर्ग-3	4000-6000 3800-5800	03
11.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
12.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	02
13.	भृत्य नियमित	2550-3200	04
14.	चौकीदार	2550-3200	01
15.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
16.	व्याख्याता (कम्प्यूटर) शिक्षा कर्मी वर्ग-1(कम्प्यूटर)	5500-9000 5300-8300	एन.आई.आई.टी. से अनुबंध समाप्त होने के बाद देय होगा
	योग		33

11 हायर सेकोण्डरी स्तरों में हिन्दी, अंग्रेजी संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास/राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र/भूगोल के एक-एक तथा वाणिज्य के दो व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग-1 के होंगे।

12 जिस विषय/संकाय के वर्ग बनेंगे उस विषय के व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग-1 देय होंगे।

13 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा/वर्ग होगा इससे अधिक होने पर (अधिकतम 10 होने पर) एक अतिरिक्त विषय के व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग-1 देय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 245/20991/वित्त/ब-3/2008 दिनांक 08.05.2008 के द्वारा प्रदान की गई है।

(विधियाना तिर्की)

अवर-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 13-5-08

प्र.क्रमांक एफ. 6-22/2008/20

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर, कृपया सर्वसंबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 13.5.08


छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग


मेन्टर डेवे 4

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र ब"

क्र.	30 अप्रैल 2025 की स्थिति में रिक्त पद (2008 सेटअप के अनुसार)						20 नवम्बर 2025 की स्थिति में रिक्त पद (2008 सेटअप के अनुसार)					
	प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा. शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा. शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा. शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा. शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3636	9478	3447	8482	1592	18664	2465	8904	4375	9518	2288	24113


 सहायक अधिकारी
 लोक शिक्षा विभाग
 संसदीय भवन
 नया दिल्ली, भारत


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - सैतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 574) की जानकारी

प्रपत्र अ

विषय:- युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षक।

स.क्र.	जिले का नाम	युक्तियुक्तकरण में प्रभावित शिक्षक	युक्तियुक्तकरण में प्रभावित शाला
1	रायपुर	645	389
2	महासमुन्द	700	440
3	धमतरी	359	415
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	513	406
5	गरियाबंद	403	420
6	दुर्ग	628	352
7	बालोद	695	354
8	बेमेतरा	344	360
9	राजनादगांव	409	349
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	156	157
11	मोहला मानपुर	178	210
12	कबीरघाम	276	375
13	बिलासपुर	751	431
14	जाजगीर-चापा	546	366
15	सक्ती	500	342
16	कोरबा	505	469
17	मुर्गेली	278	337
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	236	205
19	रायगढ़	961	557
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	562	378
21	सरगुजा	985	227
22	कोरिया	122	75
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	242	196
24	सूरजपुर	925	278
25	जशपुर	1034	332
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	553	414
27	बस्तर	782	274
28	कांकर	555	596
29	दन्तेवाडा	166	76
30	कोडागांव	900	472
31	सुकमा	127	138
32	बीजापुर	200	68
33	नारायणपुर	129	80
	योग:-	16365	10538

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

Abhishek...
अनुभाग अधिकारी
सकूल शिक्षा विभाग
सि.डी.ओ. महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र ब

विषय:- युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षक।

स.क्र.	जिले का नाम	शिक्षकविहीन शाला			एकल शिक्षकीय शाला		
		प्राथमिक	माध्यमिक	हाई स्कूल / हायर सेकेणरी	प्राथमिक	माध्यमिक	हाई स्कूल / हायर सेकेणरी
1	रायपुर	0	0	0	4	1	0
2	महासमुन्द	0	0	0	24	1	1
3	धमतरी	0	0	0	73	0	0
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	0	0	0	6	6	0
5	गरियाबंद	4	0	0	62	9	1
6	दुर्ग	0	0	0	9	0	0
7	बालोद	1	1	0	8	0	0
8	बेमेतरा	0	0	0	3	0	0
9	राजनादगांव	0	0	0	13	0	0
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0	0	0	14	0	0
11	मोहला मानपुर	0	0	0	150	1	0
12	कबीरधाम	0	0	0	6	3	0
13	विलासपुर	1	0	0	21	1	0
14	जांजगीर-चापा	0	0	0	5	0	0
15	सक्ती	0	0	0	5	0	0
16	कोरबा	0	0	0	92	3	0
17	मुर्गेली	0	0	0	7	0	1
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	1	2	0	15	3	0
19	रायगढ़	1	0	0	40	9	0
20	सारगढ़-बिलाईगढ़	0	0	0	9	5	0
21	सरगुजा	0	0	0	40	0	0
22	कोरिया	0	0	0	16	0	0
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	0	0	0	0	0	0
24	सूरजपुर	0	0	0	43	0	0
25	जशपुर	1	0	0	40	0	0
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	4	0	0	154	0	0
27	बस्तर	0	0	0	291	0	0
28	काकेर	0	0	0	13	0	0
29	दन्तेवाडा	0	0	0	12	0	0
30	कोडागांव	0	0	0	16	0	0
31	सुकमा	0	0	0	186	0	0
32	बीजापुर	13	1	0	311	2	2
33	नारायणपुर	0	0	0	53	1	0
	योग:-	26	4	0	1741	45	5

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संस्थानालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

Adhikari
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
संभलिय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 581) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण योजना का नाम	स्थल का नाम	स्थलों की संख्या	वृक्षारोपण एजेंसी का नाम	देखरेख (खखखाव) हेतु किए गए प्रावधान/मापदण्ड	स्वीकृत राशि (रु.)	व्यय राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	चाबुकनाला 595	1			2328004	2238363
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	भरौटोला 509	1			2932613	2857022
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	घोघरे पी 653	1			1466307	1462912
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट ओ.ए.1103	1			519074	499092
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट ओ.ए.1109	1			1983913	1907546
2022-23	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट पी 633	1			10767675	10416380
2022-23	खुज्जी	बिगड़े वनों का सुधार	चारमाटा 528	1			4392919	4302729
2022-23	पानाबरस (चौकी)	बिगड़े वनों का सुधार	बिटेझर ओ.ए.1132	1	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन निर्धारित नामर्स से बनाया गया है, उसी के अनुरूप सुखा एवं खखखाव कार्य किया जाता है।	1434901	1378461
2022-23	पानाबरस (चौकी)	बिगड़े वनों का सुधार	बिटेझर ओ.ए.1135	1			1434901	1378165
2022-23	बाघनदी	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	खसरा न. 2,3,4	1			3036000	2747280
2022-23	खुज्जी	कैम्पा सिंचित वृक्षारोपण	कक्ष क्र. 532	1			3465916	2958383
2022-23	राजनांदगांव	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	कौरिनमाठा ख.नं.171	1			1533600	1533600
2022-23	राजनांदगांव	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	डोंगरगांव ख.नं.7 / 1, 7 / 3	1			1045000	1045000
2022-23	बाघनदी	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	चंदेनीडीह ख.नं. 44	1			1045000	1045000
2022-23	चौकी	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	खसरा न. 489	1			1045000	1045000
2022-23	डोंगरगांव	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	वार्ड नं.08 बधियाटोला	1			1045000	1045000
2022-23	राजनांदगांव	ए.डी.बी. प्रोजेक्ट	पनेका रोड प्रेस क्लब	1			635000	333210

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण योजना का नाम	स्थल का नाम	स्थलों की संख्या	वृक्षारोपण एजेंसी का नाम	देखरेख (रखरखाव) हेतु किए गए प्रावधान / मापदण्ड	स्वीकृत राशि (रु.)	व्यय राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022-23	देववाडवी	वर्षा आधारित सागौन रोपण	दोड़के (कक्ष 386)	1	वन विकास निगम	स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन निर्धारित नामर्स से बनाया गया है, उसी के अनुरूप सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।	1857409	1491977
			योग -	18			41968232	39685120
2023-24	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार मिश्रित वृक्षारोपण	घेरुघाट पी 633	1			8755563	8487688
2023-24	बाघनदी	बिगड़े वनों का सुधार बांस वृक्षारोपण	मासुलजोब पी 649	1			2188111	2032921
2023-24	पानाबरस (चौकी)	बिगड़े वनों का सुधार बांस वृक्षारोपण	बिटेझर ओ.ए.1143	1	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन निर्धारित नामर्स से बनाया गया है, उसी के अनुरूप सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।	624883	479160
2023-24	बाघनदी	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधी रोपण	कक्ष क्र.509	1			779000	673965
2023-24	खुज्जी	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधी रोपण	कक्ष क्र.665	1			779000	671212
2023-24	द.बोरतलाव	कैम्पा मिश्रित वृक्षारोपण (फलदार)	कक्ष क्र.594	1			2800000	2588302
			योग -	6			15926557	14933248
2024-25	द.बोरतलाव	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	कक्ष क्र.465	1		स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन निर्धारित नामर्स से बनाया गया है, उसी के अनुरूप सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।	23666930	22391734
2024-25	डोंगरगढ़	पी.डी. खाते में आवेदक संस्थान से प्राप्त जमा राशि से असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण	कक्ष क्र.542	1	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		4638194	2650823
			योग -	2			28305124	25042557
			कुलयोग -	26			86199913	79660925


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - उनतालीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 56 (क्र. 582) की जानकारी

विधान सभा का नाम

प्रपत्र- "अ"

स.क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड का नाम	शाला का स्तर	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजनांदगांव	खुज्जी	छुरिया	प्राथमिक	प्रधान पाठक	234	212	22
					सहायक शिक्षक	689	356	333
					सफाई कर्मी	239	233	6
				पूर्व माध्यमिक	प्रधान पाठक	98	76	22
					शिक्षक	468	334	134
					भृत्य	94	1	93
				हाईस्कूल	सफाई कर्मी	103	103	0
					प्राचार्य	17	5	12
					व्याख्याता	98	80	18
					सहायक शिक्षक विज्ञान	10	10	0
					सहायक ग्रेड 2/लेखापाल	10	1	9
					सहायक ग्रेड 3	10	2	8
					भृत्य	10	5	5
				हायर सेकेण्डरी	सफाई कर्मी	10	10	0
					प्राचार्य	26	7	19
					व्याख्याता	285	225	60
					व्यायाम शिक्षक	26	14	12
					सहायक शिक्षक विज्ञान	63	61	2
					सहायक ग्रेड 2/लेखापाल	19	17	2
					सहायक ग्रेड 3	42	32	10
					भृत्य	83	21	62
2	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	खुज्जी	अंबागढ़ चौकी	प्राथमिक	सफाई कर्मी	25	25	0
					प्रधान पाठक	86	78	8
					सहायक शिक्षक	114	103	11
				पूर्व माध्यमिक	सफाई कर्मी	86	86	0
					प्रधान पाठक	49	32	17
					शिक्षक	166	143	23
				हाईस्कूल	भृत्य	49	15	34
					सफाई कर्मी	49	49	0
					प्राचार्य	2	2	0
					व्याख्याता	12	12	0
					सहायक ग्रेड 2/लेखापाल	0	0	0
					सहायक ग्रेड 3	0	0	0
भृत्य	0	0	0					
सफाई कर्मी	2	2	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					प्राचार्य	17	17	0
					व्याख्याता	194	173	21
					व्यायाम शिक्षक	17	14	3
					सहायक शिक्षक विज्ञान	45	43	2
					सहायक ग्रेड 2/लेखापाल	17	16	1
					सहायक ग्रेड 3	33	20	13
					भृत्य	61	32	29
					सफाई कर्मी	17	17	0
					योग	3675	2684	991


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय

प्रपत्र-"ब"

स.क.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड का नाम	सुविधा/सुविधा विहीन एवं जर्जर	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी	योग
1	राजनांदगांव	खुज्जी	छुरिया	भवन युक्त शाला	238	103	17	26	384
				बिजली सुविधा युक्त शाला	238	103	17	26	384
				शुद्ध पेयजल सुविधा युक्त शाला	238	103	17	26	384
				शौचालय युक्त शाला	238	103	17	26	384
				भवन विहीन शाला	0	0	0	0	0
				सुविधा विहीन शाला	0	0	0	0	0
				जर्जर शाला	2	1	0	0	3
2	राजनांदगांव	खुज्जी	अंबागढ़ चौकी	भवन युक्त शाला	88	32	2	17	139
				बिजली सुविधा युक्त शाला	88	32	2	17	139
				शुद्ध पेयजल सुविधा युक्त शाला	88	32	2	17	139
				शौचालय युक्त शाला	88	32	2	17	139
				भवन विहीन शाला	0	0	0	0	0
				सुविधा विहीन शाला	0	0	0	0	0
				जर्जर शाला	0	1	0	0	1

[Signature]
 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर, अदल नगर

[Signature]
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय

परिशेष - चालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 597) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 24.11.2025 तक महासमुंद जिले में स्वीकृत आवासों एवं निर्माण कार्य प्रारंभ एवं अप्रारंभ आवासों तथा जारी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण						
क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आवास की संख्या	प्रथम किस्त जारी आवास की संख्या	निर्माण कार्य प्रारंभ हितग्राहियों की संख्या	अप्रारंभ आवासों की संख्या	द्वितीय किस्त जारी हितग्राहियों की संख्या
1	बागबाहरा	11591	11431	11431	160	7667
2	बसना	7118	6959	6959	159	4116
3	महासमुन्द	13748	13014	13014	734	6945
4	पिथौरा	16732	16297	16297	435	9164
5	सरायपाली	10026	9704	9704	322	6767
योग		59215	57405	57405	1810	34659
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)						
1	बागबाहरा	343	343	343	0	337
2	बसना	0	0	0	0	0
3	महासमुन्द	312	312	312	0	304
4	पिथौरा	23	23	23	0	22
5	सरायपाली	0	0	0	0	0
योग		676	676	676	0	663


अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की नामवार जानकारी

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	सड़क की वर्तमान स्थिति	मरम्मत यथाशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना						
1	2001-02	धरसीवा	गोडी से मोहंदी	30.01.2003	नवीनीकरण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन	
2	2003-04	धरसीवा	सोन्डरा से बहेसर	15.06.2004	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
3	2004-05	धरसीवा	चरौदा से दोदेकला	15.06.2005	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है
4	2004-05	धरसीवा	07टी02 से टांडा	15.06.2005	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
5	2004-05	धरसीवा	मोहंदी से अकोली	15.06.2005	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु नवीनीकरण कार्य हेतु नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है
6	2004-05	धरसीवा	मलौद से मोहगाँव	15.06.2005	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है
7	2004-05	धरसीवा	07टी14 से निमोरा	15.06.2005	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
8	2005-06	धरसीवा	साकरा से पटारीडीह	20.01.2007	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
9	2005-06	धरसीवा	धरसीवा से बरतनारा	20.01.2007	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
10	2007-08	धरसीवा	07टी14 से भैसमुडा	05.03.2009	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
11	2011-12	धरसीवा	07टी14 (सिलतारा) से मांडर नेउरडीह	19.01.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	--
12	2003-04	तिल्दा	आलेसुर से पचरी	15.06.2005	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन
13	2003-04	तिल्दा	तुलसी से असेधामाठ	15.06.2005	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु नवीनीकरण कार्य हेतु नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	सड़क की वर्तमान स्थिति	मरम्मत यथाशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
14	2004-05	तिल्दा	एस.एच.09 से मोहदी	15.06.2005	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
15	2004-05	तिल्दा	एस.एच.09 से बुडेरा इल्दा	15.06.2005	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
16	2004-05	तिल्दा	तिल्दा से भिभौरी	15.06.2005	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
17	2007-08	तिल्दा	गनियारी से बंगोली	05.03.2009	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
18	2007-08	तिल्दा	मढ़ी से नकटी	05.03.2009	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
19	2008-09	तिल्दा	परसदा से कनकी	15.10.2009	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना						
1	2012-13	धरसीवा	अकोली से गिधौरी पहुंच मार्ग	31.03.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
2	2012-13	धरसीवा	गुमा से खारुन नदी शमशान घाट पहुंच मार्ग	27.06.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
3	2012-13	धरसीवा	तरेसर से पथरी पहुंच मार्ग	28.11.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
4	2012-13	धरसीवा	देवरी से कुकेरा पहुंच मार्ग	30.12.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
5	2012-13	धरसीवा	बिलासपुर मुख्य मार्ग से धनेली पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
6	2012-13	धरसीवा	कुथरैल से मेहरसखा मनोहरा पहुंच मार्ग	30.01.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
7	2012-13	धरसीवा	परसतराई से मुरेटी पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में राशि प्रावधान हेतु प्रस्तावित
8	2012-13	धरसीवा	तिवरैय्या से गोढ़ी पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
9	2012-13	धरसीवा	टेकारी से मांडर हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
10	2012-13	धरसीवा	बरबंदा से मांडर आजाद चौक, पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
11	2012-13	धरसीवा	गिरौद से सिलतरा मुख्य पहुंच मार्ग	28.02.2015	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
12	2012-13	तिल्दा	कंवतरा से परसवानी-पचदेवरी पहुंच मार्ग	29.01.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
13	2012-13	तिल्दा	मोहरेगा मुख्यमार्ग से भरुवाडीह-मुरा पहुंच मार्ग	30.01.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
14	2012-13	तिल्दा	बेलदुकरी से सुदरा पहुंच मार्ग	30.04.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
15	2012-13	तिल्दा	गौरखेड़ा से खपरी पहुंच मार्ग	26.03.2014	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-



स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	सड़क की वर्तमान स्थिति	मरम्मत याथाशीघ्र कराय जाने की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
16	2015-16	तिल्दा	मोतिपुरकला से (मडईपुर) महादेवपुर	30.01.2017	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
17	2015-16	धरसीवा	सिलयारी से मलौद	20.03.2017	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
18	2016-17	धरसीवा	टेकारी कालोनी से मांडर	27.12.2017	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
19	2016-17	धरसीवा	तेंदुआ से गोमची	27.12.2017	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में राशि प्रावधान हेतु प्रस्तावित
20	2016-17	तिल्दा	टी06 से केंवराडीह	20.12.2017	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
21	2016-17	धरसीवा	सारागांव से अइसेना पहुँचमार्ग	15.06.2018	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है,	पैच स्पियर कार्य हेतु कार्यदेश जारी
22	2017-18	धरसीवा	मांडर मार्ग से छपोरा	15.06.2018	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
23	2017-18	धरसीवा	बोहरही से पथरी	15.06.2018	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
24	2019-20	धरसीवा	बरबंदा पहुँचमार्ग से टोर बस्ती	15.09.2021	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
25	2019-20	तिल्दा	गनियारी से अइसेना	24.03.2021	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
26	2017-18	धरसीवा	भैरवा (भैसमुड़ा) से स्टॉप डेम	10.07.2019	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में राशि प्रावधान हेतु प्रस्तावित
27	2017-18	धरसीवा	सांकरा से निमोरा	10.07.2019	सड़क की स्थिति संतोषप्रद है	-
28	2018-19	धरसीवा	अकोली देवरी से सगुनी पडुच मार्ग	10.07.2019	सड़क में मरम्मत की आवश्यकता है	नवीनीकरण कार्य हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में राशि प्रावधान हेतु प्रस्तावित

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 24.11.2025 तक स्वीकृत मरम्मत कार्यों की जानकारी

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	सड़क की मौखिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (नवीनीकरण कार्य)						
1	2025-26	धरसीवा	गोडी से मोहदी	12.11.2025	57.89	नवीनीकरण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन
2	2025-26	धरसीवा	मोहदी से अकोली	12.08.2025	195.70	नवीनीकरण कार्य हेतु कार्यादेश जारी
3	2025-26	तिल्दा	आलेपुर से पचरी	12.11.2025	44.73	नवीनीकरण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन
4	2025-26	तिल्दा	तुलसी से असेधामाठ	12.08.2025	463.61	नवीनीकरण कार्य हेतु कार्यादेश जारी
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (पेच रिपयर कार्य)						
1	2024-25	तिल्दा	टी06 से केवराडीह	28.10.2024	3.31	कार्य पूर्ण
2	2024-25	धरसीवा	मांडर मार्ग से छपोरा	28.10.2024	2.95	कार्य पूर्ण
3	2024-25	धरसीवा	बोहरही से पथरी	28.10.2024	2.31	कार्य पूर्ण
4	2024-25	धरसीवा	टेकारी कालोनी से मांडर	28.10.2024	3.86	कार्य पूर्ण
5	2025-26	धरसीवा	सारागांव से अइसेना पहुँच मार्ग	11.07.2025	19.87	कार्यादेश जारी

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष - बयालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 609) की जानकारी

सूरजपुर जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल

प्रपत्र


क.	प्राइवेट स्कूल का नाम	विकासखंड	विधानसभा क्षेत्र
1	2	3	4
1	आदर्श शिशु विद्यालय शिवप्रसादनगर	भैयाथान	भटगांव
2	बी.डी.एस.कॉन्वेंट स्कूल बुन्दिया	भैयाथान	भटगांव
3	एकलव्या पब्लिक स्कूल सलका अंधिना	भैयाथान	भटगांव
4	ग्लोबल पब्लिक स्कूल सुदामानगर	भैयाथान	भटगांव
5	इण्डियन पब्लिक स्कूल भटगांव कॉलरी	भैयाथान	भटगांव
6	जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल सिवाशीपारा	भैयाथान	भटगांव
7	मॉ सरस्वती शिशु मंदिर	भैयाथान	भटगांव
8	मदनलाल पब्लिक स्कूल खोंपा अंग्रेजी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
9	मदनलाल पब्लिक स्कूल खोंपा हिन्दी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
10	मुनि इन्टरनेशनल स्कूल सिरसी	भैयाथान	भटगांव
11	नौनिहाल पब्लिक स्कूल मसिरा अंग्रेजी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
12	नौनिहाल पब्लिक स्कूल मसिरा हिन्दी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
13	पं.र.विशंकर त्रिपाठी विद्या मंदिर नया करकोली	भैयाथान	भटगांव
14	ए.डी.जुबली मेमोरियल स्कूल भटगांव	भैयाथान	भटगांव
15	आदर्श सरस्वती शिशु विद्या निकेतन लक्ष्मीपुर	भैयाथान	भटगांव
16	आदर्श सरस्वती शिशु विद्या निकेतन बतरा	भैयाथान	भटगांव
17	आर्यन वेदान्त पब्लिक स्कूल बंजा	भैयाथान	भटगांव
18	बी.बी.सी.कॉन्वेंट स्कूल समौली	भैयाथान	भटगांव
19	चाईल्डहुड कॉन्वेंट स्कूल बैद्यनाथपुर	भैयाथान	भटगांव
20	सिटी पब्लिक स्कूल भटगांव	भैयाथान	भटगांव
21	डी.ए.व्ही.पब्लिक स्कूल भटगांव	भैयाथान	भटगांव
22	हंसवाहिनी विद्या निकेतन खोंपा	भैयाथान	भटगांव
23	हंसदीप शिशु मंदिर बुन्दिया	भैयाथान	भटगांव
24	आईडियल पब्लिक स्कूल सिरसी	भैयाथान	भटगांव
25	जे.के.पब्लिक स्कूल भटगांव	भैयाथान	भटगांव

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
26	ज्योति विद्या मंदिर बंजा	भैयाथान	भटगांव
27	रत्नसुधा माध्यमिक शाला जूर	भैयाथान	भटगांव
28	सर्वमंगला विद्यापीठ बतरा	भैयाथान	भटगांव
29	मोरल पब्लिक स्कूल तेलगांव	भैयाथान	भटगांव
30	दुर्गा शिक्षा निकेतन दर्सीपारा	भैयाथान	भटगांव
31	नेहरू बाल विद्या मंदिर कसकेला	भैयाथान	भटगांव
32	नेहरू बाल मंदिर भैयाथान	भैयाथान	भटगांव
33	ओंकारा पब्लिक स्कूल सलका अधिना	भैयाथान	भटगांव
34	प्रिया बाल विद्या मंदिर शान्तिपारा भटगांव	भैयाथान	भटगांव
35	भारद्वाज पब्लिक स्कूल हर्रापारा	भैयाथान	भटगांव
36	सरस्वती शिशु मंदिर केंवरा	भैयाथान	भटगांव
37	राजमोहनी देवी विद्या निकेतन सलका	भैयाथान	भटगांव
38	सर्वमंगला विद्यापीठ सलका अधिना	भैयाथान	भटगांव
39	सरस्वती शिशु मंदिर भैयाथान	भैयाथान	भटगांव
40	सरस्वती शिशु मंदिर सिरसी	भैयाथान	भटगांव
41	शिवम समावर्त पब्लिक स्कूल भैयाथान	भैयाथान	भटगांव
42	सरस्वती शिशु मंदिर राजकिशोरनगर	भैयाथान	भटगांव
43	सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर रगदा	भैयाथान	भटगांव
44	सेंट माईकल पब्लिक स्कूल जूर अंग्रेजी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
45	सेंट माईकल पब्लिक स्कूल जूर हिन्दी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
46	सरस्वती बाल विद्या मंदिर सौनपुर शिवप्रसादनगर	भैयाथान	भटगांव
47	शालोम मिशन स्कूल भटगांव	भैयाथान	भटगांव
48	शिवसाधना पब्लिक स्कूल बंजा अंग्रेजी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
49	शिवसाधना पब्लिक स्कूल बंजा हिन्दी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
50	शिवसाधना पब्लिक स्कूल खोंपा अंग्रेजी माध्यम	भैयाथान	भटगांव
51	सनराईज कॉन्वेंट स्कूल चन्द्रमेढा	भैयाथान	भटगांव
52	अचीवमेंट कॉन्वेंट स्कूल भैसामूडा	प्रतापपुर	प्रतापपुर
53	अचीवमेंट कॉन्वेंट स्कूल खोरमा	प्रतापपुर	प्रतापपुर
54	अचीवर्स इन्टरनेशनल स्कूल प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
55	आयूष ग्लोबल स्कूल कोटेया	प्रतापपुर	प्रतापपुर
56	डी.व्ही.एम. इन्टरनेशनल स्कूल जरही	प्रतापपुर	प्रतापपुर
57	गायत्री बाल विद्या मंदिर डूमरखोली	प्रतापपुर	प्रतापपुर
58	महर्षि विद्या मंदिर प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
59	मास्टर माइण्ड बचपन स्कूल बोझा हिन्दी माध्यम	प्रतापपुर	प्रतापपुर
60	मास्टर माइण्ड बचपन स्कूल बोझा अंग्रेजी माध्यम	प्रतापपुर	प्रतापपुर
61	माता राजमोहनी देवी विद्या मंदिर बैकोना	प्रतापपुर	प्रतापपुर
62	माता राजमोहनी देवी विद्या मंदिर चन्दौरा	प्रतापपुर	प्रतापपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
63	माता राजमोहनी देवी विद्या मंदिर रेवटी	प्रतापपुर	प्रतापपुर
64	सरस्वती शिशु मंदिर नवाडीह	प्रतापपुर	प्रतापपुर
65	भारती विद्या मंदिर कैरता	प्रतापपुर	प्रतापपुर
66	भारती विद्या मंदिर खड़गावा कला	प्रतापपुर	प्रतापपुर
67	छं.ग.विद्या निकेतन सरहरी	प्रतापपुर	प्रतापपुर
68	गोण्डवाना पब्लिक स्कूल सिलौटा	प्रतापपुर	प्रतापपुर
69	ज्ञानगंगा विद्या निकेतन घुई	प्रतापपुर	प्रतापपुर
70	कै.जी.गायत्री पब्लिक स्कूल हरिपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
71	लक्ष्मी विद्या निकेतन नरोला	प्रतापपुर	प्रतापपुर
72	मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
73	निहोरा ठाकुर मेमो. स्कूल कैरता	प्रतापपुर	प्रतापपुर
74	ओम पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सत्तीपारा	प्रतापपुर	प्रतापपुर
75	सरस्वती बाल विद्या मंदिर प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
76	परमहंस विद्या निकेतन प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
77	सरस्वती शिशु मंदिर प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
78	परमहंस विद्या निकेतन जजावल	प्रतापपुर	प्रतापपुर
79	परमहंस विद्या निकेतन सरहरी	प्रतापपुर	प्रतापपुर
80	प्रयास पब्लिक स्कूल बैकोना	प्रतापपुर	प्रतापपुर
81	निखार विद्या मंदिर आमनदोन	प्रतापपुर	प्रतापपुर
82	स्काईलैण्ड पब्लिक स्कूल प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
83	राजेन्द्र मिशन स्कूल जगन्नाथपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
84	सरस्वती शिशु मंदिर जरही	प्रतापपुर	प्रतापपुर
85	सरस्वती बाल विद्या मंदिर केवरा	प्रतापपुर	प्रतापपुर
86	शारदा पब्लिक स्कूल प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
87	शारदा शिशु मंदिर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
88	वैष्णवी ग्रुप ऑफ स्कूल प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
89	पद्मश्री माता राजमोहनी देवी बाल विद्या मंदिर दुरती	प्रतापपुर	प्रतापपुर
90	श्रम हंस विद्या निकेतन सोनपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
91	सुशीला मेमोरियल पब्लिक स्कूल धरमपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
92	अम्बेडकर शिक्षा निकेतन महंगई अंग्रेजी	प्रेमनगर	प्रेमनगर
93	ज्ञानसागर इंग्लिश मिडियम स्कूल छिन्दिया	प्रेमनगर	प्रेमनगर
94	ज्ञानसागर इंग्लिश मिडियम स्कूल फुलकोना	प्रेमनगर	प्रेमनगर
95	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल गणेशपुर हिन्दी माध्यम	प्रेमनगर	प्रेमनगर
96	अम्बेडकर शिक्षा निकेतन महंगई हिन्दी	प्रेमनगर	प्रेमनगर
97	गुरुकुल पब्लिक स्कूल दुर्गापुर हिन्दी माध्यम	प्रेमनगर	प्रेमनगर
98	अनुग्रह विद्या निकेतन प्रेमनगर	प्रेमनगर	प्रेमनगर
99	डी.ए.बी.पब्लिक स्कूल महंगई	प्रेमनगर	प्रेमनगर


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय रायपुर

	2	3	4
100	गोण्डवाना पब्लिक स्कूल चन्दनपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर
101	अनुग्रह विद्या निकेतन उमेश्वरपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर
102	सरस्वती शिशु मंदिर सलका	प्रेमनगर	प्रेमनगर
103	देवगीर प्रसाद मेमो.इंग्लिश मिडियम स्कूल प्रेमनगर	प्रेमनगर	प्रेमनगर
104	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल दुर्गापुर अंग्रेजी माध्यम	प्रेमनगर	प्रेमनगर
105	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल दुर्गापुर हिन्दी माध्यम	प्रेमनगर	प्रेमनगर
106	अनन्त पब्लिक स्कूल कोट	रामानुजनगर	प्रेमनगर
107	चाईल्डहुड कॉन्वेंट स्कूल देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
108	डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल महंगई अंग्रेजी	रामानुजनगर	प्रेमनगर
109	डी.आर.पी. मॉडल स्कूल भूवनेश्वरपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
110	दीनदयाल पब्लिक स्कूल कल्याणपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
111	डिजनिंग टैलेन्ट स्कूल पवनपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
112	फेमस पब्लिक स्कूल बिशुनपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
113	गुरुकुल पब्लिक स्कूल साल्ही अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
114	गुरुकुल पब्लिक स्कूल साल्ही हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
115	गुरुकुल पब्लिक स्कूल पम्पापुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
116	गुरुकुल स्कूल सागरपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
117	ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल गोपीपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
118	ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल सागरपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
119	हीरा मेमोरियल स्कूल तेलईमुड़ा	रामानुजनगर	प्रेमनगर
120	हीरा मेमोरियल विद्यालय गोपीपुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
121	हीरा मेमोरियल विद्यालय गोपीपुर हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
122	हीरा मेमोरियल विद्यालय कल्याणपुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
123	हीरा मेमोरियल विद्यालय कल्याणपुर हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
124	हीरा मेमोरियल विद्यालय माजा अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
125	हीरा मेमोरियल विद्यालय माजा हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
126	हीरा मेमोरियल विद्यालय मकरबंधा	रामानुजनगर	प्रेमनगर
127	हीरा मेमोरियल विद्यालय मकरबंधा अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
128	हीरा मेमोरियल विद्यालय तेलईमुड़ा अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
129	हीरा मेमोरियल विद्यालय उमापुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
130	इण्डियन पब्लिक स्कूल आमगांव अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
131	इण्डियन पब्लिक स्कूल आमगांव हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
132	इण्डियन पब्लिक स्कूल परशुरामपुर हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
133	इन्दिरा गांधी नेशनल पब्लिक स्कूल गणेशपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
134	माई सन स्कूल बरबसपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
135	नेहरू बाल विद्या मंदिर अर्जुनपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
136	ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल कोट अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
137	ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल कौट हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
138	अभिषिक्त ज्ञानोदय शिक्षा मिशन स्कूल	रामानुजनगर	प्रेमनगर
139	बालाजी विद्या मंदिर रामानुजनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
140	डी.आर.पी.मॉडल स्कूल पम्पानगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
141	गीता विद्या मंदिर देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
142	गोण्डवाना पब्लिक स्कूल परशुरामपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
143	इण्डियन पब्लिक स्कूल परशुरामपुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
144	जय पब्लिक स्कूल नकना	रामानुजनगर	प्रेमनगर
145	ए.व्ही.एस.ए. पस्ता	रामानुजनगर	प्रेमनगर
146	मॉ सरस्वती पब्लिक स्कूल	रामानुजनगर	प्रेमनगर
147	महामाया पब्लिक स्कूल महेशपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
148	मयुर द स्कूल पौड़ी	रामानुजनगर	प्रेमनगर
149	होली टेम्पल स्कूल देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
150	सरस्वती ज्ञान मंदिर उमेशपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
151	सरस्वती शिशु मंदिर सूरता	रामानुजनगर	प्रेमनगर
152	पार्वती विद्या मंदिर पम्पापुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
153	प्रणव पब्लिक स्कूल सोनपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
154	रामकृष्ण विद्या मंदिर चन्द्रपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
155	साधुराम विद्या निकेतन पटना	रामानुजनगर	प्रेमनगर
156	श्री साई राम पब्लिक स्कूल रामानुजनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
157	सोहनलाल विद्या मंदिर गणेशपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
158	विजयराज पब्लिक स्कूल भूवनेश्वरपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
159	विवेकानन्द मेमो.पब्लिक स्कूल देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
160	एस.एस.डी.एस. इंग्लिश मिडियम स्कूल	रामानुजनगर	प्रेमनगर
161	राजकुमार विद्या निकेतन कृष्णपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
162	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल गणेशपुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
163	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल साल्ही अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
164	रानी दुर्गावती पब्लिक स्कूल साल्ही हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
165	रानी लक्ष्मी बाई स्कूल बरहोल	रामानुजनगर	प्रेमनगर
166	रुद्रेश्वर टाईम्स एशियन पब्लिक स्कूल परसापारा	रामानुजनगर	प्रेमनगर
167	संस्कार पब्लिक स्कूल मकरबंधा अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
168	संस्कार पब्लिक स्कूल हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
169	संस्कार पब्लिक स्कूल मकरबंधा हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
170	शान्ति निकेतन गोकुलपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
171	शिवसाधना पब्लिक स्कूल जगन्नाथपुर अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
172	शिवसाधना पब्लिक स्कूल जगन्नाथपुर हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
173	श्री श्याम पब्लिक स्कूल साजा अंग्रेजी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर

रामानुजनगर
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

क्र.	2	3	4
174	श्री श्याम पब्लिक स्कूल माजा हिन्दी माध्यम	रामानुजनगर	प्रेमनगर
175	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
176	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल गणेशपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
177	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल कौशलपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
178	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल माजा	रामानुजनगर	प्रेमनगर
179	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल मोरगा	रामानुजनगर	प्रेमनगर
180	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल परशुरामपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
181	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल पटना	रामानुजनगर	प्रेमनगर
182	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल तेजपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
183	सोस प्ले स्कूल कौशलपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
184	सुखमनिया स्कूल परस्ता	रामानुजनगर	प्रेमनगर
185	वसन्त वैली स्कूल देवनगर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
186	अम्बेडकर शिक्षा निकेतन बसदेई हिन्दी	सूरजपुर	प्रेमनगर
187	अम्बेडकर शिक्षा निकेतन बसदेई अंग्रेजी	सूरजपुर	प्रेमनगर
188	बी.डी.एस.कान्चेंट स्कूल महगांव	सूरजपुर	प्रेमनगर
189	बचपन ज्ञानकुंज स्कूल परी	सूरजपुर	प्रेमनगर
190	ब्राइट लैण्ड पब्लिक स्कूल करंजी	सूरजपुर	प्रेमनगर
191	छ.ग.पब्लिक स्कूल दतिमा अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
192	छ.ग.पब्लिक स्कूल दतिमा हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
193	डी.ए.बी.पहब्लिक स्कूल राजापुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
194	एजुकेशन वैली जुनियर स्कूल परी	सूरजपुर	प्रेमनगर
195	गोल्डन किड्स इंग्लिश मेमरीयल स्कूल मानपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
196	ग्रीनवैली पब्लिक स्कूल दतिमा	सूरजपुर	प्रेमनगर
197	गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल बड़कापारा हिन्दी	सूरजपुर	प्रेमनगर
198	गुरुकुल पब्लिक स्कूल कुरुवां अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
199	गुरुकुल पब्लिक स्कूल केशवनगर अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
200	गुरुकुल पब्लिक स्कूल शिवनन्दनपुर अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
201	गुरुकुल विद्या मंदिर बड़कापारा अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
202	गुरुकुल पब्लिक स्कूल कुरुवां हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
203	ज्ञानसागर मिशन स्कूल लटोरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
204	हीरा मेमोरियल स्कूल महुआपारा	सूरजपुर	प्रेमनगर
205	हीरा मेमोरियल विद्यालय महुआपारा हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
206	जय अम्बे पब्लिक स्कूल रामनगर	सूरजपुर	प्रेमनगर
207	जय भवानी पब्लिक इंग्लिश मिडियम स्कूल देवीपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
208	जय भवानी पब्लिक स्कूल देवीपुर हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
209	कुरुवां पब्लिक स्कूल कुरुवां	सूरजपुर	प्रेमनगर
210	लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल कैलाशपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
211	मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल कल्याणपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
212	ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल राजापुर अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
213	ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल राजापुर हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
214	आदिवासी बाल विकास विद्या मंदिर करमपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
215	आदर्श पब्लिक स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
216	अल्फा एण्ड ओमेगा पब्लिक स्कूल ठाकुरपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
217	अमर ज्योति शिशु मंदिर करन्जी	सूरजपुर	प्रेमनगर
218	अमोल ज्ञान मंदिर बिशनुपर	सूरजपुर	प्रेमनगर
219	अरुणा पब्लिक स्कूल सतपता	सूरजपुर	प्रेमनगर
220	अविरल पब्लिक स्कूल लटोरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
221	भारती विद्या पीठ कुम्दा कॉलरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
222	ब्रम्ह विद्या मंदिर हरिपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
223	डी.ए.व्ही.पब्लिक स्कूल विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
224	दयानंद सरस्वती विद्यापीठ दतिमा	सूरजपुर	प्रेमनगर
225	दिपिका विद्या मंदिर अजिरमा	सूरजपुर	प्रेमनगर
226	देवी अहिल्या बाई पब्लिक स्कूल दतिमा	सूरजपुर	प्रेमनगर
227	ईस्ट एण्ड वेस्ट मिशन स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
228	गीतांजली आदर्श स्कूल करवां	सूरजपुर	प्रेमनगर
229	ग्लोबल पब्लिक स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
230	गोण्डवाना पब्लिक स्कूल	सूरजपुर	प्रेमनगर
231	गोण्डवाना पब्लिक स्कूल केतका	सूरजपुर	प्रेमनगर
232	गोविन्द सरस्वती शिशु मंदिर सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
233	ग्रेस मिशन स्कूल ठाकुरपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
234	ग्रामीण विद्या मंदिर पचिरा	सूरजपुर	प्रेमनगर
235	हसन नूरी विद्या मंदिर कल्याणपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
236	इण्डियन पब्लिक स्कूल मानी अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
237	इण्डियन पब्लिक स्कूल मानी हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
238	सरस्वती शिशु मंदिर सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
239	सरस्वती विद्या मंदिर कुम्दा कॉलरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
240	सरस्वती शिशु मंदिर विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
241	महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
242	मनीषा पब्लिक स्कूल गंगापुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
243	मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
244	माउन्ट हिल पब्लिक स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
245	नेहरू शिक्षा निकेतन ऊंचडीह	सूरजपुर	प्रेमनगर
246	न्यू पब्लिक स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
247	निखिल द फ़र्स्ट लाईट स्कूल लटोरी	सूरजपुर	प्रेमनगर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
248	ओमकार बाल विद्या मंदिर कल्याणपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
249	पार्वती पब्लिक स्कूल मदनपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
250	ग्राम भारती शिशु मंदिर जमदेई	सूरजपुर	प्रेमनगर
251	राधा गोविन्द सेवाकुंज हाई स्कूल कमलपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
252	राजकुमार पब्लिक स्कूल शिवनन्दनपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
253	रामाश्रय पब्लिक स्कूल डुमरिया	सूरजपुर	प्रेमनगर
254	सूर्यकान्त त्रिपाठी विद्या मंदिर सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
255	साधुराम विद्या मंदिर सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
256	सहारा पब्लिक स्कूल लटोरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
257	साई विद्या मंदिर मजिरा	सूरजपुर	प्रेमनगर
258	सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल बिशुनपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
259	सरस्वती शिशु मंदिर	सूरजपुर	प्रेमनगर
260	सरस्वती शिशु मंदिर पेण्डरखी	सूरजपुर	प्रेमनगर
261	सरस्वती शिशु मंदिर कन्दरई	सूरजपुर	प्रेमनगर
262	शारदा पब्लिक स्कूल सिलफिली	सूरजपुर	प्रेमनगर
263	शारदा पब्लिक स्कूल सतपता	सूरजपुर	प्रेमनगर
264	शौण्डिक पब्लिक स्कूल सपकरा	सूरजपुर	प्रेमनगर
265	शिशु शिक्षा निकेतन बसदेई	सूरजपुर	प्रेमनगर
266	शिवम पब्लिक स्कूल करवां	सूरजपुर	प्रेमनगर
267	सरस्वती शिशु मंदिर केनापारा	सूरजपुर	प्रेमनगर
268	सनशार्इन पब्लिक स्कूल गोपालपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
269	सनशार्इन पब्लिक स्कूल पसला	सूरजपुर	प्रेमनगर
270	सूर्यकान्त त्रिपाठी हाई स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
271	स्वामी रूपानन्द विद्या निकेतन कमलपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
272	स्वामी विवेकानन्द इंग्लिश मिडियम स्कूल रुनियाडीह	सूरजपुर	प्रेमनगर
273	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
274	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल शिवनन्दनपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
275	टिनी टॉट्स चिल्ड्रन प्ले स्कूल विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
276	यू.व्ही.संस्कार स्कूल लटोरी	सूरजपुर	प्रेमनगर
277	विश्वनाथ विद्या निकेतन सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
278	अल्फा पब्लिक स्कूल दतिमा	सूरजपुर	प्रेमनगर
279	सेंट जोहानेस पब्लिक स्कूल नवापारा सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
280	सनलाईट पब्लिक स्कूल केतका	सूरजपुर	प्रेमनगर
281	वेदान्ता पब्लिक स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
282	आर.एच.एस.डिजिटल स्कूल लांची	सूरजपुर	प्रेमनगर
283	राजकुमार पब्लिक स्कूल शिवनन्दनपुर अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
284	रामरति पब्लिक स्कूल गिरवरगंज	सूरजपुर	प्रेमनगर

अनुभाषा विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

1	2	3	4
285	संस्कार पब्लिक स्कूल राजापुर हिन्दी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
286	संस्कार पब्लिक स्कूल राजापुर अंग्रेजी माध्यम	सूरजपुर	प्रेमनगर
287	सरस्वती विद्या मंदिर पीढा	सूरजपुर	प्रेमनगर
288	सरस्वती विद्या निकेतन देवीपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
289	सोस इन्फ्रा पब्लिक स्कूल जुड़वानी	सूरजपुर	प्रेमनगर
290	सृजन स्कूल सूरजपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
291	टिनी टॉट्स चिल्ड्रन प्ले स्कूल विश्रामपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
292	टिनी टॉट्स पब्लिक स्कूल गणेशपुर	सूरजपुर	प्रेमनगर
293	वाईज आईडिया स्कूल कोरेया	सूरजपुर	प्रेमनगर
294	गीतांजली स्मॉल चिल्ड्रन स्कूल अजिरमा	सूरजपुर	अम्बिकापुर
295	भारत माता पब्लिक स्कूल खड़ौली अंग्रेजी	ओड़गी	भटगांव
296	भारत माता पब्लिक स्कूल खड़ौली हिन्दी	ओड़गी	भटगांव
297	ब्राइट फ्यूचर एकेडमी मंदर	ओड़गी	भटगांव
298	देवी अहिल्या बाई पब्लिक स्कूल धरसेड़ी अंग्रेजी	ओड़गी	भटगांव
299	देवी अहिल्या बाई पब्लिक स्कूल धरसेड़ी हिन्दी	ओड़गी	भटगांव
300	गुरुकुल विद्या मंदिर चेन्द्रा	ओड़गी	भटगांव
301	ज्ञान स्थली विद्या मंदिर चेन्द्रा अंग्रेजी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
302	ज्ञान स्थली विद्या मंदिर चेन्द्रा हिन्दी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
303	जय अम्बे पब्लिक स्कूल धूर अंग्रेजी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
304	जय अम्बे पब्लिक स्कूल धूर हिन्दी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
305	पीहू पब्लिक स्कूल दवना अंग्रेजी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
306	पीहू पब्लिक स्कूल दवना हिन्दी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
307	दुर्गावती पब्लिक स्कूल खोंड़	ओड़गी	भटगांव
308	ग्लोबल पब्लिक स्कूल ओड़गी	ओड़गी	भटगांव
309	जय गुरुदेव विद्यापीठ ठाढपाथर	ओड़गी	भटगांव
310	सरस्वती शिशु मंदिर ओड़गी	ओड़गी	भटगांव
311	स्वामी विवेकानन्द विद्या मंदिर ठाढपाथर	ओड़गी	भटगांव
312	सरस्वती विद्या मंदिर लांजित	ओड़गी	भटगांव
313	माता राजमोहनी देवी करौटी	ओड़गी	भटगांव
314	रामजग साव बाल विद्या मंदिर बिहारपुर	ओड़गी	भटगांव
315	सर्वमंगला विद्यापीठ दवना	ओड़गी	भटगांव
316	राजमोहनी देवी बाल विद्या मंदिर चेन्द्रा	ओड़गी	भटगांव
317	संस्कार वैली मॉडर्न स्कूल जाज अंग्रेजी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
318	संस्कार वैली मॉडर्न स्कूल जाज हिन्दी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
319	सेंट माईकल पब्लिक स्कूल खर्रा अंग्रेजी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
320	सेंट माईकल पब्लिक स्कूल खर्रा हिन्दी माध्यम	ओड़गी	भटगांव
321	सरस्वती विद्या मंदिर चिकनी	ओड़गी	भटगांव

अनुभाग जायकास
स्कूल शिक्षा विभाग
भूतालय रायपुर

	2	3	4
323	सरस्वती विद्या मंदिर करौटी-बी	ओड़गी	भटगांव

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

परिशेष - तिरालीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 65 (क्र. 614) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 23 नवम्बर 2025 तक स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षवार एवं मदवार प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी

क	वित्तीय वर्ष	विकासखंड	मद का नाम	प्राप्त राशि (राशि रु. लाख में)	व्यय राशि (राशि रु. लाख में)		
1	2020-21	गौरेला	वेतनमद	1265.32	1079.48		
			कार्यालयीन व्यय	6.68	6.68		
		पेण्ड्रा	वेतनमद	1301.53	806.76		
			कार्यालयीन व्यय	8.58	6.75		
		मरवाही	वेतनमद	1115.67	1105.46		
			कार्यालयीन व्यय	4.76	4.75		
		गौरेला	सायकल / फर्नीचर मद	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		पेण्ड्रा	सायकल / फर्नीचर मद	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		मरवाही	सायकल / फर्नीचर मद	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		गौरेला	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		पेण्ड्रा	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		मरवाही	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)	वर्ष 2020-21 आबंटन अप्राप्त			
		2	2021-22	गौरेला	वेतनमद	2140.91	4269.57
					कार्यालयीन व्यय	14.64	14.25
पेण्ड्रा	वेतनमद			2888.81	3133.62		
	कार्यालयीन व्यय			13.79	13.43		
मरवाही	वेतनमद			3159.83	4427.75		
	कार्यालयीन व्यय			14.85	14.84		
गौरेला	सायकल			31.43	31.43		
	फर्नीचर			25.48	25.25		
पेण्ड्रा	सायकल			31.43	31.43		
	फर्नीचर			25.48	25.25		
मरवाही	सायकल			31.43	31.43		
	फर्नीचर			25.48	25.25		
गौरेला	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)			वर्ष 2021-22 आबंटन अप्राप्त			
पेण्ड्रा	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)			वर्ष 2021-22 आबंटन अप्राप्त			
मरवाही	विभागीय मरम्मत मद (निर्माण)			वर्ष 2021-22 आबंटन अप्राप्त			



अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखंड	मद का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रू. लाख में)	व्यय राशि (राशि रू. लाख में)	
3	2022-23	गौरेला	वेतनमद	3320.73	4773.51	
			कार्यालयीन व्यय	1.24	1.24	
		पेण्ड्रा	वेतनमद	3195.83	3463.55	
			कार्यालयीन व्यय	8.63	7.09	
		मरवाही	वेतनमद	3204.82	4916.42	
			कार्यालयीन व्यय	9.30	9.29	
		गौरेला	सायकल	33.09	33.09	
			फर्नीचर	27.64	27.38	
		पेण्ड्रा	सायकल	33.09	33.09	
			फर्नीचर	27.64	27.38	
		मरवाही	सायकल	33.09	33.09	
			फर्नीचर	27.64	27.38	
		गौरेला	मु.म.स्कूल जतन योजना मद		1067.15	262.40
		पेण्ड्रा				240.91
		मरवाही				449.77
		गौरेला	अति0आव0मरम्मत मद		33.70	8.40
पेण्ड्रा		11.23				
मरवाही		14.07				
4	2023-24	गौरेला	वेतनमद	3532.65	5067.80	
			कार्यालयीन व्यय	14.42	10.17	
		पेण्ड्रा	वेतनमद	3506.43	3926.53	
			कार्यालयीन व्यय	14.27	14.16	
		मरवाही	वेतनमद	4217.12	5466.09	
			कार्यालयीन व्यय	14.58	14.43	
		गौरेला	सायकल	33.58	33.58	
			फर्नीचर	22.94	22.30	
		पेण्ड्रा	सायकल	33.58	33.58	
			फर्नीचर	22.94	22.30	
		मरवाही	सायकल	33.58	33.58	
			फर्नीचर	22.94	22.30	
		गौरेला	विभागीय मरम्मत मद(निर्माण)		वर्ष 2023-24 आबंटन अप्राप्त	
		पेण्ड्रा	विभागीय मरम्मत मद(निर्माण)		वर्ष 2023-24 आबंटन अप्राप्त	
		मरवाही	विभागीय मरम्मत मद(निर्माण)		वर्ष 2023-24 आबंटन अप्राप्त	

क	वित्तीय वर्ष	विकासखंड	मद का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रु. लाख में)	व्यय राशि (राशि रु. लाख में)
5	2024-25	गौरेला	वेतनमद	4073.75	5453.44
			कार्यालयीन व्यय	19.26	19.00
		पेण्ड्रा	वेतनमद	4059.59	4330.13
			कार्यालयीन व्यय	19.63	19.57
		मरवाही	वेतनमद	4026.63	6050.21
			कार्यालयीन व्यय	50.59	48.31
	2024-25	गौरेला	सायकल	36.92	36.91
			फर्नीचर	26.20	25.75
		पेण्ड्रा	सायकल	36.92	36.91
			फर्नीचर	26.20	25.75
		मरवाही	सायकल	36.92	36.91
			फर्नीचर	26.20	25.75
	2024-25	गौरेला	अति0आव0मरम्मत मद		10.40
			पेण्ड्रा	अति0आव0मरम्मत मद	44.64
		मरवाही	अति0आव0मरम्मत मद		19.20
		गौरेला	लघु मरम्मत मद		25.03
			पेण्ड्रा	लघु मरम्मत मद	65.55
		मरवाही	लघु मरम्मत मद		20.79
6	अप्रैल 2025 से 23 नवंबर 2025 तक	गौरेला	वेतनमद	3038.05	3773.01
			कार्यालयीन व्यय	12.41	12.18
		पेण्ड्रा	वेतनमद	2969.29	2800.40
			कार्यालयीन व्यय	10.84	2.20
		मरवाही	वेतनमद	2604.32	4365.30
			कार्यालयीन व्यय	13.48	12.03
		गौरेला	सायकल	23.81	23.92
			फर्नीचर	27.84	27.84
		पेण्ड्रा	सायकल	23.81	23.92
			फर्नीचर	27.84	27.84
		मरवाही	सायकल	23.81	23.92
			फर्नीचर	27.84	27.84
		गौरेला	अति0 आव0 मरम्मत मद		0
		पेण्ड्रा	अति0 आव0 मरम्मत मद	50.58	0
		मरवाही	अति0 आव0 मरम्मत मद		0

J. S. Saw
अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र -ब

जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही अंतर्गत जर्जर स्कूल भवन व भवन विहीन, प्रयोगशाला विहीन, शौचालय विहीन तथा बाउंड्रीवाल विहीन स्कूलों की विकासखंडवार जानकारी

क्र०	वि०ख०	जर्जर स्कूल भवन की संख्या	भवन की भौतिक स्थिति (जर्जर स्कूल भवन/भवन विहीन /अहाता विहीन/प्रयोगशाला विहीन)
1	गौरेला	प्राथमिक शाला जोगीडोंगरी	जर्जर
2	गौरेला	प्राथमिक शाला सिंचाईनगर	जर्जर
3	गौरेला	प्राथमिक शाला कछारपारा	जर्जर
4	गौरेला	प्राथमिक शाला ढोडगीपारा	जर्जर
5	गौरेला	पूर्व मा.शा. कोटमीखुर्द	जर्जर
6	गौरेला	माध्य०शाला छिन्दपानी	भवन विहीन
7	गौरेला	प्रा.शा. गिरवर	भवन विहीन
8	गौरेला	प्रा.शा. ढोडगीपारा	भवन विहीन
9	गौरेला	प्रा.शा. कटेलटोला	अहाता विहीन
10	गौरेला	प्रा.शा. वार्ड नं. 16	अहाता विहीन
11	गौरेला	पूर्व मा.शा. हरिपुर	अहाता विहीन
12	गौरेला	प्रा.शा. सिंचाईनगर	अहाता विहीन
13	गौरेला	प्रा.शा. छिरहिट्टी	अहाता विहीन
14	गौरेला	प्रा.शा. सेमरहा	अहाता विहीन
15	गौरेला	पूर्व मा.शा. गांगपुर	अहाता विहीन
16	गौरेला	पूर्व मा.शा. गांधीगंज	अहाता विहीन
17	गौरेला	पूर्व मा.शा. नेवसा	अहाता विहीन
18	गौरेला	प्रा.शा. नेवसा	अहाता विहीन
19	गौरेला	पूर्व मा.शा. बनझोरका	अहाता विहीन
20	गौरेला	पूर्व मा.शा. सारबहरा	अहाता विहीन
21	गौरेला	प्रा.शा. सारबहरा	अहाता विहीन
22	गौरेला	प्रा.शा. स्टेशनटोला	अहाता विहीन
23	गौरेला	प्रा.शा. कोटरियाडांड	अहाता विहीन
24	गौरेला	पूर्व मा.शा. पडवनिया	अहाता विहीन
25	गौरेला	पूर्व मा.शा. टाडपथरा	अहाता विहीन
26	गौरेला	पूर्व मा.शा. पीपरखुटी	अहाता विहीन
27	गौरेला	प्रा.शा. पीपरझोरकी	अहाता विहीन




 शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क0	वि0ख0	जर्जर स्कूल भवन की संख्या	भवन की भौतिक स्थिति (जर्जर स्कूल भवन/भवन विहीन /अहाता विहीन/प्रयोगशाला विहीन)
28	गौरेला	प्रा.शा. बा. तरईगांव	अहाता विहीन
29	गौरेला	प्रा.शा. क. तरईगांव	अहाता विहीन
30	गौरेला	प्रा.शा. रोटीमार	अहाता विहीन
31	गौरेला	प्रा.शा. पैरीटिकरा	अहाता विहीन
32	गौरेला	प्रा.शा. कुल्टनटोला	अहाता विहीन
33	गौरेला	प्रा.शा. गोर्राटिकरा	अहाता विहीन
34	गौरेला	प्रा.शा. भोक्सीटोला	अहाता विहीन
35	गौरेला	प्रा.शा. नवापारा नेवसा	अहाता विहीन
36	गौरेला	प्रा.शा. बहरीझोरकी	अहाता विहीन
37	गौरेला	मा.शा. बहरीझोरकी	अहाता विहीन
38	गौरेला	प्रा.शा. मानपुर	अहाता विहीन
39	गौरेला	प्रा.शा. रानीझाप	अहाता विहीन
40	गौरेला	प्रा.शा. गौरखेडा	अहाता विहीन
41	गौरेला	प्रा.शा. कठौतिया	अहाता विहीन
42	गौरेला	प्रा.शा. बाजारडांड	अहाता विहीन
43	गौरेला	प्रा.शा. डोकरगढी	अहाता विहीन
44	गौरेला	प्रा.शा. बगरा	अहाता विहीन
45	गौरेला	प्रा.शा. टेंगाडांड	अहाता विहीन
46	गौरेला	प्रा.शा. खुटहनटोला	अहाता विहीन
47	गौरेला	प्रा.शा. छितादाह	अहाता विहीन
48	गौरेला	प्रा.शा. पु.बस्ती उमरखोही	अहाता विहीन
49	गौरेला	प्रा.शा. छितादाह	अहाता विहीन
50	गौरेला	प्रा.शा. सतोकपुर	अहाता विहीन
51	गौरेला	हाईस्कूल गौरेला	प्रयोगशाला विहीन
52	गौरेला	हाईस्कूल सधवानी	प्रयोगशाला विहीन
53	पेण्ड्रा	हायर सेकेंडरी कोडगार	जर्जर
54	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला सिटकापारा बचरवार	जर्जर
55	पेण्ड्रा	माध्य. शाला नवापारा बचरवार	जर्जर
56	पेण्ड्रा	माध्य. शाला मंझौलीपारा अमरपुर	जर्जर
57	पेण्ड्रा	हाईस्कूल कुदरी (भवन/प्रयो0शा0भवन)	भवन विहीन
58	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला धनुहारपारा अमारू	अहाता विहीन
59	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पीथमपुर	अहाता विहीन
60	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला देवराजपारा नवापारा	अहाता विहीन

क0	वि0ख0	जर्जर स्कूल भवन की संख्या	भवन की भौतिक स्थिति (जर्जर स्कूल भवन/भवन विहीन /अहाता विहीन/प्रयोगशाला विहीन)
61	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला खचरवारपारा पेण्ड्रा	अहाता विहीन
62	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला नवापारा पेण्ड्रा	अहाता विहीन
63	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कन्या बचरवार	अहाता विहीन
64	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पतेराटोला बचरवार	अहाता विहीन
65	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला करचापारा नवागांव	अहाता विहीन
66	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पतेराटोला	अहाता विहीन
67	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला छुहाईपारा	अहाता विहीन
68	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला डगनाहीपारा	अहाता विहीन
69	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पंडरीखार	अहाता विहीन
70	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला खुज्जीटोला विशेषरा	अहाता विहीन
71	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला शिवटोला विशेषरा	अहाता विहीन
72	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला दमदम	अहाता विहीन
73	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला धनसलेहा दमदम	अहाता विहीन
74	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला देवरीकला	अहाता विहीन
75	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला बरमुडाटोला	अहाता विहीन
76	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पचासीपारा बम्हनी	अहाता विहीन
77	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला ढोड़गापारा बम्हनी	अहाता विहीन
78	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला जनपद पेण्ड्रा	अहाता विहीन
79	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला अभ्यास अमरपुर	अहाता विहीन
80	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला खरडी	अहाता विहीन
81	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला दोबेपारा खरडी	अहाता विहीन
82	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कोडगार	अहाता विहीन
83	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला बरौड़ीपारा जिल्दा	अहाता विहीन
84	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कंचनडीह	अहाता विहीन
85	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला बालक कोटमीकला	अहाता विहीन
86	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कन्या झाबर	अहाता विहीन
87	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला रज्जूपारा गिरारी	अहाता विहीन
88	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पड़रीया	अहाता विहीन
89	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कटेलपारा पतगंवा	अहाता विहीन
90	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला कोलानपारा पेण्ड्रा	अहाता विहीन
91	पेण्ड्रा	प्राथ. शाला पुरैन्हापारा	अहाता विहीन
92	पेण्ड्रा	माध्य. शाला देवरीकला	अहाता विहीन
93	पेण्ड्रा	माध्य. शाला खरडी	अहाता विहीन
94	पेण्ड्रा	माध्य. शाला बरौड़ीपारा जिल्दा	अहाता विहीन

क्र०	वि०ख०	जर्जर स्कूल भवन की संख्या	भवन की भौतिक स्थिति (जर्जर स्कूल भवन/भवन विहीन /अहाता विहीन/प्रयोगशाला विहीन)
95	पेण्ड्रा	शा०उ०मा०वि०कोडगार	प्रयोगशाला विहीन
96	मरवाही	माशा.भस्कुरा	जर्जर
97	मरवाही	माशा.दर्दी	जर्जर
98	मरवाही	प्रा.शा.बैगानपारा	जर्जर
99	मरवाही	माशा.झिरियाटोला	जर्जर
100	मरवाही	प्राशा.गुडडीटोला	जर्जर
101	मरवाही	हाई स्कूल खुरपा	भवन विहीन
102	मरवाही	माशा.धुम्माटोला	भवन विहीन
103	मरवाही	हाई स्कूल लरकेनी	भवन विहीन
104	मरवाही	हाई स्कूल साल्हेकोटा	भवन विहीन
105	मरवाही	माशा.चंगेरी	अहाता विहीन
106	मरवाही	प्राशा.भर्राटोला	अहाता विहीन
107	मरवाही	प्राशा.मौहारटोला	अहाता विहीन
108	मरवाही	प्राशा.चिनगीटोला	अहाता विहीन
109	मरवाही	माशा.बरौर	अहाता विहीन
110	मरवाही	प्राशा.बदरौडी	अहाता विहीन
111	मरवाही	माशा.बालक सिवनी	अहाता विहीन
112	मरवाही	प्राशा.भिरहीनार	अहाता विहीन
113	मरवाही	प्राशा.खलोटिहाटोला	अहाता विहीन
114	मरवाही	प्राशा.पतथर्रीटोला	अहाता विहीन
115	मरवाही	प्राशा.बरटोला बधौरि	अहाता विहीन
116	मरवाही	प्राशा.डोगराटोला उषाढ	अहाता विहीन
117	मरवाही	प्राशा.कांसबहरा	अहाता विहीन
118	मरवाही	प्राशा.धौराठी	अहाता विहीन
119	मरवाही	प्राशा.डोगराटोला बेल.	अहाता विहीन
120	मरवाही	प्राशा.भुसडीटोला	अहाता विहीन
121	मरवाही	प्राशा.नयाटोला	अहाता विहीन
122	मरवाही	माशा.चिल्हन टोला	अहाता विहीन
123	मरवाही	प्राशा.बरटोला	अहाता विहीन
124	मरवाही	प्राशा.दर्दी	अहाता विहीन
125	मरवाही	प्राशा.भर्राटोला	अहाता विहीन
126	मरवाही	प्राशा.गढहाटोला	अहाता विहीन
127	मरवाही	प्राशा.कटरुटोला	अहाता विहीन
128	मरवाही	माशा.कटरुटोला	अहाता विहीन

क्र०	वि०ख०	जर्जर स्कूल भवन की संख्या	भवन की भौतिक स्थिति (जर्जर स्कूल भवन/भवन विहीन /अहाता विहीन/प्रयोगशाला विहीन)
129	मरवाही	प्राशा.गुम्माटोला	अहाता विहीन
130	मरवाही	प्राशा.चिकनीटोला	अहाता विहीन
131	मरवाही	माशा.चिकनीटोला	अहाता विहीन
132	मरवाही	प्राशा.भुरसाटोला	अहाता विहीन
133	मरवाही	प्राशा.इंदिरा आवास	अहाता विहीन
134	मरवाही	प्राशा.गरलाईयाटोला	अहाता विहीन
135	मरवाही	प्राशा.ऐठी	अहाता विहीन
136	मरवाही	शा०उ०मा०वि०गुदुमदेवरी	प्रयोगशाला विहीन
137	मरवाही	शा०उ०मा०वि०बगरार	प्रयोगशाला विहीन
138	मरवाही	शा०क०उ०मा०वि०मरवाही	प्रयोगशाला विहीन
139	मरवाही	शा०उ०मा०वि०सेमरदर्दी	प्रयोगशाला विहीन

disaw
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

12/12/25
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परोशेष्ट - चवालीस

प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 38) की जानकारी

अतिजर्जर एवं मरम्मत योग्य शाला भवनों की जानकारी

क	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
1	नगरी	प्रा.शा. प्रेमनगर	प्रा.शा.बटनहरा
2	नगरी	प्रा.शा. बनोरा	प्रा.शा.पश्चिम राजपुर
3	नगरी	प्रा.शा.नवागांव अमलीपारा	प्रा.शा.आमदी
4	नगरी	प्रा.शा.सरईटोला ब	प्रा.शा.नेगीनाला
5	नगरी	प्रा.शा.बुडरा पारा	प्रा.शा.गट्टासिल्ली
6	नगरी	प्रा.शा.गाताबाहरा	प्रा.शा.प्रायो नगरी
7	नगरी	प्रा.शा.मांदागिरी	प्रा.शा.बाधापारा
8	नगरी	प्रा.शा.अमलीपारा मुकुंदपुर	प्रा.शा.ठेनही
9	नगरी	प्रा.शा.खमनापारा	प्रा.शा.बासीन
10	नगरी	प्रा.शा.खरका	प्रा.शा.गाताभरी
11	नगरी	प्रा.शा.सातबाहना	प्रा.शा.द्रौडपंडरीपानी
12	नगरी	प्रा.शा.जोगीबिरदो	प्रा.शा.ठेनही
13	नगरी	प्रा.शा.गिधावा	प्रा.शा.तुमडीबाहर
14	नगरी	प्रा.शा.खड़पथरा	प्रा.शा.चारगांव
15	नगरी	शा.मा.शा.झाझरकेरा	प्रा.शा.कोटपारा
16	नगरी	शा.मा.शा.सरगी	प्रा.शा.कारीपानी
17	नगरी	शा.मा.शा.हतबंद	प्रा.शा.बोराई
18	नगरी	—	प्रा.शा.क.आश्रम बोराई
19	नगरी	—	प्रा.शा.ज्ञान ज्योति बरबाधा
20	नगरी	—	प्रा.शा.भुरसीडोंगरी
21	नगरी	—	प्रा.शा.देवखुटपारा
22	नगरी	—	प्रा.शा.सेमरा
23	नगरी	—	प्रा.शा.डोंगरीपारा सात
24	नगरी	—	प्रा.शा.मोदे
25	नगरी	—	आदि.क.आ.प्रा.शा.सांकरा
26	नगरी	—	प्रा.शा.कसलोर
27	नगरी	—	प्रा.शा.हरांपारा
28	नगरी	—	प्रा.शा.झुझराकसा
29	नगरी	—	प्रा.शा.गढडोंगरी रै
30	नगरी	—	प्रा.शा.डोहलापारा

H. J. Samra
अनुभाष अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क्र	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
31	नगरी	—	प्रा.शा.नयापारा
32	नगरी	—	प्रा.शा.कराघाटी
33	नगरी	—	प्रा.शा.चर्मदा क
34	नगरी	—	प्रा.शा.चुरियापारा 19
35	नगरी	—	प्रा.शा.राईसमीलपारा नगरी
36	नगरी	—	प्रा.शा.कट्टीगांव
37	नगरी	—	प्रा.शा.बरोली
38	नगरी	—	प्रा.शा.आदिवासीपारा
39	नगरी	—	प्रा.शा.बेलरगांव
40	नगरी	—	प्रा.शा.डोमपदर
41	नगरी	—	प्रा.शा.बनोरा
42	नगरी	—	प्रा.शा.अमलीपारा
43	नगरी	—	प्रा.शा.नवागांव कस
44	नगरी	—	आदि शा. आ.प्रा.शा.भैसामुडा
45	नगरी	—	प्रा.शा.जोराडबरी
46	नगरी	—	प्रा.शा.चटरीबाहरा
47	नगरी	—	प्रा.शा.संदबाहरा
48	नगरी	—	प्रा.शा.गढियापारा
49	नगरी	—	प्रा.शा.शिवपुर
50	नगरी	—	प्रा.शा.कछारपारा
51	नगरी	—	प्रा.शा.कैटराई
52	नगरी	—	प्रा.शा.नाथूकोन्हा
53	नगरी	—	प्रा.शा.सायफनपारा
54	नगरी	—	प्रा.शा.भोथापारा
55	नगरी	—	प्रा.शा.अमलीपारा
56	नगरी	—	प्रा.शा.चुरियारापारा नगरी
57	नगरी	—	प्रा.शा.पंचघरिया
58	नगरी	—	प्रा.शा.नचकारपारा
59	नगरी	—	प्रा.शा.खमनापारा
60	नगरी	—	प्रा.शा.गीतकारमुडा
61	नगरी	—	प्रा.शा.भीरागांव
62	नगरी	—	प्रा.शा.भोथली
63	नगरी	—	प्रा.शा.कूपपारा
64	नगरी	—	प्रा.शा.भैसासांकरा
65	नगरी	—	प्रा.शा.नवागांव सांकरा

क	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
66	नगरी	—	प्रा.शा.पदमपुर
67	नगरी	—	प्रा.शा.केरेगांव
68	नगरी	—	प्रा.शा.बाम्हणबाहरा
69	नगरी	—	प्रा.शा.बरकोन्हा
70	नगरी	—	प्रा.शा.कवाचीपारा
71	नगरी	—	प्रा.शा.फुटहामुडा
72	नगरी	—	प्रा.शा.रानीगांव
73	नगरी	—	प्रा.शा.सिगनपुर
74	नगरी	—	प्रा.शा.दैहानपारा
75	नगरी	—	प्रा.शा.घुरावड
76	नगरी	—	प्रा.शा.जैतपुरी
77	नगरी	—	प्रा.शा.अमाली
78	नगरी	—	प्रा.शा.बस स्टैण्ड पारा बिरगुडी
79	नगरी	—	प्रा.शा.भतकापारा
80	नगरी	—	प्रा.शा.ज्ञान ज्योति चेहरापारा
81	नगरी	—	प्रा.शा.जामपानी
82	नगरी	—	प्रा.शा.बाहलूपारा
83	नगरी	—	प्रा.शा.झुरातराई
84	नगरी	—	प्रा.शा.ठेमलीपारा
85	नगरी	—	प्रा.शा.नयापारा खल्लारी
86	नगरी	—	प्रा.शा.साव्हेभाट
87	नगरी	—	प्रा.शा.गोरेगांव
88	नगरी	—	प्रा.शा.सेलबाहरा
89	नगरी	—	प्रा.शा.बिटलिगपारा
90	नगरी	—	प्रा.शा.बेधवापथरा
91	नगरी	—	मा.शा.परसापानी
92	नगरी	—	मा.शा.कुम्हडाकोट
93	नगरी	—	मा.शा.छिपली
94	नगरी	—	मा.शा.महमल्ला माल
95	नगरी	—	मा.शा.अर्जुनी
96	नगरी	—	मा.शा.जबर्नी
97	नगरी	—	मा.शा.मैनपुर
98	नगरी	—	मा.शा.आमगांव
99	नगरी	—	मा.शा.सांकरा
100	नगरी	—	मा.शा.मेचका

क	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
101	नगरी	—	मा.शा.मौहाबाहरा
102	नगरी	—	मा.शा.कर्घाटी
103	नगरी	—	मा.शा.कट्टीगांव
104	नगरी	—	मा.शा.कसपुर
105	नगरी	—	मा.शा.नवागांव कस
106	नगरी	—	मा.शा.उजरावन
107	नगरी	—	मा.शा.आमाबाहर
108	नगरी	—	मा.शा.पंडरीपानी माल
109	नगरी	—	मा.शा.अमलीपारा
110	नगरी	—	मा.शा.लखनपुरी
111	नगरी	—	मा.शा.बिरनासिल्ली
112	नगरी	—	मा.शा.भोथली
113	नगरी	—	मा.शा.नवागांव सांकरा
114	नगरी	—	मा.शा.पाईभाठा
115	नगरी	—	मा.शा.बा.कुरीडही
116	नगरी	—	मा.शा.बगरुस्मनाला
117	नगरी	—	प्रा.शा.बनबौद
118	नगरी	—	मा.शा.माकरदोना
119	नगरी	—	मा.शा.खम्हरिया
120	नगरी	—	मा.शा.सियारीनाला
121	नगरी	—	मा.शा.कुकरेल
122	नगरी	—	मा.शा.छुही
123	नगरी	—	मा.शा.टागापानी
124	नगरी	—	मा.शा.खडपथरा
125	नगरी	—	मा.शा.घोरगांव
126	नगरी	—	मा.शा.कस्तुरबा गांधी क.आ.वि.निरबिडा
127	नगरी	—	मा.शा.झुरातराई
128	नगरी	—	मा.शा.बासपानी
129	नगरी	—	मा.शा.जोगीबिरदो
130	नगरी	—	मा.शा.फरसगांव
131	नगरी	—	मा.शा.मासुलखोई
132	नगरी	—	मा.शा.खल्लारी
133	नगरी	—	मा.शा.टेगना
134	नगरी	—	मा.शा.गोरेगांव
135	नगरी	—	मा.शा.अमाली

क्र.	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
2	3	4	
136	नगरी	—	मा.शा.गोदलानाला
137	नगरी	—	मा.शा.खैरभर्री
138	नगरी	—	हाई स्कूल उमरगांव
139	नगरी	—	हाई स्कूल कसपुर
140	नगरी	—	हाई स्कूल बासपानी
141	नगरी	—	उमावि राजपुर
142	नगरी	—	उमावि सांकरा
143	नगरी	—	उमावि रिसगांव
144	नगरी	—	उमावि सियारीनाला
145	नगरी	—	उमावि घुरावड
146	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला छिपली
147	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला बासीखाई
148	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला सिंगपुर
149	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला पालवाड़ी
150	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला केकराखोली 06
151	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला मुरुमडीह
152	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला मथुरानगर मगरलोड
153	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला हतबंद
154	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला कलारबाहरा
155	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला धिकुड़िया
156	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला खड़मा
157	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला सरईरुख
158	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला जलकुम्ही
159	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला नवीन रांकाडीह
160	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला भैंसमुण्डी
161	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला ज्ञानज्योति मारागांव
162	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला मूलगांव
163	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला बेन्द्राचुवा
164	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला सोनारिनदैहान
165	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला आमाचानी
166	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला राजाडेरा
167	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला गाड़ाडीह
168	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला तेन्दूभाठा
169	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला चारभाठा (भोथी)
170	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला रेंगाडीह

क्र	विकासखण्ड	जर्जर स्कूल भवन का नाम (अतिजर्जर)	मरम्मत योग्य स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
171	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला कमारपारा परसाबुड़ा
172	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला-दुधवारा
173	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला कमारपारा कोरगांव
174	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला नारधा
175	मगरलोड	—	शास.प्राथ.शाला दुमरपाली
176	मगरलोड	—	शा.प्रा.शाला लुगे
177	मगरलोड	—	शास.प्राथ.शाला सोनपैरी
178	मगरलोड	—	शास.प्राथमिक शाला पठार
179	मगरलोड	—	शास.प्राथ.शाला कमारपारा बेलोरा
180	मगरलोड	—	शास.प्राथ.शाला सोनपैरी
181	मगरलोड	—	शा.मा.शाला बेलोरा
182	मगरलोड	—	शा.मा.शाला मोहंदी
183	मगरलोड	—	शा.मा.शाला सोनेवारा
184	मगरलोड	—	शा.मा.शाला कन्या मगरलोड
185	मगरलोड	—	शा.मा.शाला खिसोरा
186	मगरलोड	—	शा.मा.शाला कपालफोड़ी
187	मगरलोड	—	शा.मा.शाला गाड़ाडीह
188	मगरलोड	—	शा.मा.शाला परसवानी
189	मगरलोड	—	शा.मा.शाला भरदा
190	मगरलोड	—	शास.मा.शा.के.जी.बी.वी. भैंसमुण्डी
191	मगरलोड	—	शास.माध्य.शाला पठार
192	मगरलोड	—	हाई स्कूल नवागांव
193	मगरलोड	—	शा.हाई स्कूल दुधवारा
194	मगरलोड	—	शा.हाई स्कूल शुक्लाभाठा
195	मगरलोड	—	शास.उ.मा.वि. बालक मगरलोड
196	मगरलोड	—	शा.उ.मा.वि.अमलीडीह

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक सचिव
लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.

परीशेष्ट - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 61) की जानकारी

“प्रपत्र”

गृह (पुलिस) विभाग स्तर पर साइबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रयास

राज्य में घटित हो रहे साइबर अपराध के प्रकरणों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य साइबर पुलिस थाना, साइबर क्राईम पेट्रोलिंग यूनिट, साइबर फॉरेंसिक लैब एवं साइबर फाइनैशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 का 24x7 संचालन किया जा रहा है। साइबर अपराध शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 05 रेंज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अबिकापुर में रेंज साइबर पुलिस थाना एवं समस्त जिलों में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा है। नवीन बजट सत्र 2024-25, 2025-26 में जिला रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर एवं धमतरी में कुल 09 साइबर थाना एवं जिला राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर एवं सरगुजा में प्रावधानित उप पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) कार्यालय खोला जाना प्रक्रियाधीन है। रेंज स्तर पर साइबर फॉरेंसिक क्षमता के विकास हेतु अत्याधुनिक नवीन हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय किया जा रहा है।

साइबर अपराध पर अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दक्ष किये जाने निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। भारत सरकार के अधीन संचालित Cyber Crime Prevention against Women and Children योजना के अंतर्गत कुल 2782 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों जैसे CDAC, CAPT, CDTI, SVPNPA, NCFL आदि के माध्यम से लगातार प्रशिक्षण प्रदाय करते हुये 344 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित “Cyber Commando” कार्यक्रम के तहत राज्य से 01 राजपत्रित अधिकारी समेत कुल 06 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षेत्र में तैनात किया गया है।

राज्य के थानों में प्राप्त साइबर अपराध शिकायतों में कार्यवाही करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अब तक फर्जी सिम कार्ड विक्रेता (SIM POS) पर 103 प्रकरण में 159 लोगों एवं म्यूल खातों पर 253 में 863 लोगों के विरुद्ध कुल 1116 पर कार्यवाही की गई है। साइबर अपराध पर कार्यवाही करते हुये धोखाधड़ी में शामिल कुल 28946 मोबाइल नंबर एवं 10409 IMEI को अवरुद्ध कराया गया है। साइबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से ऑनलाईन टगी के मामलों में कार्यवाही करते हुये अब तक कुल 82.5 करोड़ रुपये साइबर अपराधियों के हाथों में पहुँचने से पहले होल्ड कराया गया है।

साइबर अपराध की रोकथाम में जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बैंकों, साइबर वालेंटियर एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से जनजागरूकता कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। माह अक्टूबर 2024 में राज्यव्यापी “साइबर जनजागरूकता पखवाड़ा”, वर्ष 2025 में सघन जनजागरूकता अभियान 11 अगस्त से अभियान निरन्तर जारी है। इस दौरान 3034 गतिविधियों के माध्यम से लगभग 10 लाख जनता को साइबर जनजागरूकता संदेश का प्रचार-प्रसार एवं बचाव के उपाय साझा किये गये हैं।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
रायपुर


परिशेष - छियालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 68) की जानकारी

ii =

क्र. (1)	विभाग का नाम (2)	सम्मिलित कार्य (3)
1	लोक निर्माण विभाग	<p>1 जिला दंतेवाड़ा के धुरली-कमालुर-फरसपाल मार्ग पर स्थित कमालुर में रेल्वे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य</p> <p>2 जिला दंतेवाड़ा के मेटापाल-कावड़गांव-बास्तानार मार्ग पर कावड़गांव रेल्वे स्टेशन के नजदिक आवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण कार्य</p> <p>3 जिला दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा के ठोठापारा कुपेर में के0के0 रेललाईन पर ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण कार्य</p> <p>4 जिला दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा के कतियारराम में दन्तेवाड़ा-फरसपाल मार्ग पर रेल्वे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य</p> <p>5 जिला दंतेवाड़ा के कारली सरपंच पारा जाने के मार्ग पर लिंगुपारा पुल का निर्माण कार्य (120 मी.)</p> <p>6 जिला दंतेवाड़ा के मुख्य मार्ग गदापाल से तोयलंगा मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (140 मी0)</p> <p>7 जिला दंतेवाड़ा के मटेनार पंचायत में बड़ेपारा से मुरकी तक पुल निर्माण कार्य</p> <p>8 जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर पोटाली कैप के पास पोटाली नाला पर पुल निर्माण कार्य</p> <p>9 जिला दंतेवाड़ा के धुरली से मोलसनार मार्ग के कि.मी. 4/2 लाल नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य</p> <p>10 जिला दंतेवाड़ा के धुरली से मरकानार मार्ग के कि.मी. 2/6 शंखनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य</p> <p>11 जिला दंतेवाड़ा के कुम्हाररास से कुंदली मार्ग के कि.मी. 1/2 शेखनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य</p> <p>12 जिला दंतेवाड़ा के हिरोली डोकापारा में बेंगपाल के मध्य मलांगेर नदी पर पुल निर्माण कार्य</p> <p>13 जिला दंतेवाड़ा के नेरली से बेहनार मार्ग के कि.मी. 4/6 लाल नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य</p> <p>14 जिला दंतेवाड़ा के नेलगोडा से कारकावाड़ा-एकेली मार्ग के कि.मी. 1/2/-6 इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य</p> <p>15 जिला दंतेवाड़ा से किकरीपारा से नीलावाया मार्ग के कि.मी. 1/8 गोला नदी पर पुल निर्माण कार्य</p> <p>16 जिला दंतेवाड़ा के मुचनार से तुमड़ीगुड़ा मार्ग के कि.मी. 2/8-10 इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2023-24)</p> <p>17 जिला दंतेवाड़ा के पुजारीपारा कारली मुख्य सड़क से कुतुलनार पहुंच मार्ग में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य</p> <p>18 जिला दंतेवाड़ा के पटनम-सुरोखी से गुण्डेनार जाने के मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (140 मी0)</p> <p>19 जिला दंतेवाड़ा के पूरनतराई-बारसूर मार्ग नाला पर पुल निर्माण कार्य (70 मी.)</p> <p>20 जिला दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा जिला में इन्द्रावती नदी के मुस्तलनार घाट में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य</p> <p>21 जिला दंतेवाड़ा के छाटे कारली-पुजारीपारा से बड़े कारली पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (150 मी0)</p>

		22	जिला दंतेवाड़ा के चेरपाल से तुमड़ीगुड़ा मार्ग पर हांदावाड़ा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (120 मी0)
		23	जिला दंतेवाड़ा के तातीमुण्डा बीजापुर रोड़ पहुंच मार्ग से नेहरूपारा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (150 मी0)
		24	जिला दंतेवाड़ा के गदापाल नाकापारा से पटेलपारा मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (150 मी0)
		25	जिला दंतेवाड़ा के गुमलनार देवगुड़ी वेड़डेपारा में पुल निर्माण कार्य (70 मी.)
		26	जिला दंतेवाड़ा के ग्राम सियानार में पुल निर्माण कार्य (140 मी.)
		27	जिला दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत कासोली-1 अंतर्गत मुख्य सड़क माड़ियापारा से गुड़ियापारा पहुंच मार्ग में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य
		28	जिला दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत कासोली-2 में गुमरगुण्डा शिवानंद आश्रम नाला में पुल निर्माण कार्य (60 मी.)
		29	जिला दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत मोपलनार मुंडा-टिकरापारा में पुल निर्माण कार्य
		30	जिला दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत हितामेटा झिटका पारा पहुंच मार्ग पर मांढेर नाला में पुल निर्माण कार्य (100 मी0)
		31	जिला दंतेवाड़ा के हिड़पाल से बालेगपाल होते हुये बारसूर पहुंच मार्ग लं. 06 कि.मी.
		32	जिला दंतेवाड़ा के रोजे सरपंचपारा से जोड़ीपारा होते हुये कोरलापाल तक पहुंच मार्ग लं. 3.00 कि.मी. निर्माण कार्य
		33	जिला दंतेवाड़ा के उदेनार से रायगोदी सरहद तक पहुंच मार्ग लं. 07 कि.मी. निर्माण कार्य
		34	जिला दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा नगर के नये पुल से शासकीय आत्मानंद हिन्दी माध्यम उ0मा0वि0 दन्तेवाड़ा/हाईस्कूल मैदान तक फलोईओवर का निर्माण कार्य
		35	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण, जिला-दंतेवाड़ा
2	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	36	नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण कार्य हेतु
3	जल संसाधन विभाग	37	कासोली जलाशय योजना
		38	कूम्हाररास जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य
		39	उपेट व्यपवर्तन योजना का निर्माण
		40	बारसूर जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर सी.सी.लाईनिंग कार्य
		41	गुमड़ा जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य
		42	नेरली व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य
		43	पालनार तालाब का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य
		44	बासननुर व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य
		45	सम्भागीय कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार, उप सम्भाग दन्तेवाड़ा हेतु नवीन कार्यालय भवन, जल संसाधन कालोनी हेतु 01 नग एफ टाईप 04 नग जी टाईप, 10 नग एच टाईप, एवं 04 नग आई टाईप भवन मय चार दिवारी कार्य
		46	संसाधन संभाग दन्तेवाड़ा के अंतर्गत निरीक्षण गृह निर्माण कार्य
		47	बारसूर (माढरनाला) एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		48	छिंदनार एनीकट एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		49	हितामेटा बैराज एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		50	मुचनार बैराज एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		51	मुस्तलनार बैराज एवं उद्वहन सिंचाई योजना

		52	फरसपाल एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		53	बालपेट एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना
		54	बालूद एनीकट का जीर्णोद्धार कार्य
		55	दन्तेश्वरी एनीकट का तटरक्षण कार्य
		56	बारसूर एनीकट का तटरक्षण कार्य
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	57	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण) अंतर्गत बचेली नकुलनार रोड से जोगापार 4.50 कि.मी.
		58	बचेली नकुलनार से दुर्वापारा 3.00 कि.मी
		59	दंतेवाड़ा कटेकल्याण रोड से तुरेपारा 4.40 कि.मी.
5	स्वास्थ्य विभाग	60	दंतेवाड़ा में 220 बिस्तर सिविल अस्पताल की स्थापना हेतु 258 पदों का सृजन
6	चिकित्सा शिक्षा विभाग	61	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय दंतेवाड़ा की स्थापना हेतु 60 पदों का सृजन
		62	नवीन नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा की स्थापना हेतु 44 पदों का सृजन
		63	नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा में भवन निर्माण हेतु
		64	आयुष पॉलिक्लिनिक दंतेवाड़ा में कार्यालयीन फर्नीचर एवं उपकरण क्रय हेतु
7	स्कूल शिक्षा विभाग	65	पूर्व माध्यमिक शाखा पाहुरनार, विकासखण्ड-गीदम में भवन निर्माण
8	गृह विभाग	66	दंतेवाड़ा में फायरिंग रेज निर्माण
		67	दंतेवाड़ा में प्रधान आरक्षक/आरक्षक ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण
		68	दंतेवाड़ा में रक्षित निरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण
9	उच्च शिक्षा विभाग	69	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण, जिला-दंतेवाड़ा में भवन निर्माण कार्य हेतु
10	पर्यटन विभाग	70	जिला-दंतेवाड़ा में डोलकल एवं बारसूर में पर्यटक रिसोर्ट, वुडन कार्टेज एवं कैफेटेरिया निर्माण कार्य हेतु।


(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परीशेष - सेंटालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 83) की जानकारी

प्रपत्र

कैलेंडर वर्ष 2024 तथा कैलेंडर वर्ष 2025 में नवम्बर तक खारुन नदी के पास स्थित 75 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के संचालन के संबंध में की गई जांच की जानकारी

क्रमांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	पाई गई स्थिति
1	2	3	4
कैलेंडर वर्ष 2024			
1.	23/01/2024	प्रभारी रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
2.	26/04/2024	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 2, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
3.	02/05/2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
4.	20/05/2024	संयुक्त निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, सहायक अभियंता, वैज्ञानिक मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रमुख अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग अतिरिक्त संचालक, उद्यानिकी	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
5.	15/06/2024	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उपसंचालक, कृषि विभाग	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
6.	11/07/2024	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- 1, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
7.	30/10/2024	प्रभारी रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- 2, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
कैलेंडर वर्ष 2025 में नवम्बर तक			
1.	27/01/2025	प्रभारी रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
2.	22/03/2025	कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
3.	17/07/2025	जोन आयुक्त, जोन क्रमांक - 8, कार्यपालन अभियंता एवं जोनल स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
4.	29/07/2025	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 2, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।
5.	31/10/2025	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 2, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	एस.टी.पी. संचालित पाया गया।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जलवायु एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 107) की जानकारी

प्रपत्र

जिला का नाम-दुर्ग

स.क्र.	विधानसभा का नाम	नवीन उन्नयित किये गये शाला का नाम	शाला का उन्नयन कब किया गया	कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है अथवा नहीं	स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध है अथवा नहीं	स्कूल मरम्मत योग्य है अथवा नहीं	शाला में रिक्त पदों की संख्या (2008 के सेटअप अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग ग्रामीण	शास.पूर्व मा.शाला करगाडीह	2023-24	नहीं	नहीं	हां	1
2	दुर्ग ग्रामीण	शा.हाई स्कूल कोलिहापुरी	2023-24	हां	नहीं	हां	2
3	दुर्ग ग्रामीण	शा.हाई स्कूल गनियारी	2023-24	हां	नहीं	हां	4
4	दुर्ग ग्रामीण	शा.हाई स्कूल मोहलई	2023-24	हां	नहीं	हां	3
5	दुर्ग ग्रामीण	शा.उ.मा.वि. कुथरेल	2023-24	हां	हां	हां	2
6	दुर्ग ग्रामीण	शा.उ.मा.वि. बिरेझर	2023-24	हां	हां	हां	2
7	दुर्ग ग्रामीण	शा.उ.मा.वि. हनोचा	2023-24	हां	हां	हां	2
8	दुर्ग ग्रामीण	शा.उ.मा.वि. स्टेशन मरोवा	2023-24	हां	हां	हां	3

टीप:-सरल क्रमांक 1 प्राथमिक शाला भवन में संचालित है। सरल क्रमांक 2,3 एवं 4 पूर्व माध्यमिक शाला भवन में संचालित है। सरल क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 हाईस्कूल भवन में संचालित है।

उप संचालक

Di Samu
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

[Signature]
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पॉरीशेट - उन्नास

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 108) की जानकारी

प्रपत्र

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र(नपानि रिसाली सहित) के शासकीय विद्यालयों(प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा हायर सेकेण्डरी) में चोरी की जानकारी

क्र.	वर्ष	वर्ष में दर्ज चोरी की शिकायतों की संख्या	विद्यालय का नाम, जहां चोरी की घटना हुई	चोरी का विवरण (संक्षिप्त में)	चोरी से शासकीय धन अथवा संपत्ति की हुई वित्तीय हानि (लगभग) रु. में	शिकायतों पर की गयी कार्यवाही	कितनी शिकायतें लंबित हैं?
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2024	3	शा.पू.मा.शा. स्टेशन मरौदा, मिलार्ड, जिला दुर्ग	खिड़की, ग्रील तोड़कर	10000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
2			शा.पू.मा.शा. स्टेशन मरौदा, मिलार्ड, जिला दुर्ग	पुरानी पुस्तकें, बिजली तार, दरवाजे, बुक, बैंक की पुस्तकें, खिड़की ग्रील, पुराना टेबल बेंच(टूटा हुआ), लोहे की कुर्सी, पानी पाइप, पंखा, नल एवं टंकी	7000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
3			शा.पू.मा.शा. स्टेशन मरौदा, मिलार्ड, जिला दुर्ग	ताला तोड़ना, नल तोड़ना, पुराने खिड़की, दरवाजे टेबल एवं लोहे का बेंच	5000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
4	2025	5	शा.पू.मा.शा. स्टेशन मरौदा, मिलार्ड, जिला दुर्ग	गैस सिलेण्डर, परदे, लोहे के छड़, नल एवं पाइप	20000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
5			शा.पू.मा.शा. स्टेशन मरौदा, मिलार्ड, जिला दुर्ग	400 पुस्तकें (मुस्कान लाइब्रेरी)	3000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
6			शा.प्रा.शा. डुण्डेरा, दुर्ग	01 स्मार्ट टीवी, 01 लैपटाप, एक इंडक्शन एवं स्वच्छता समायो	60000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
7			शा.उ.प्रा.शा. कन्या नगपुरा, दुर्ग	दिनांक 21.05.2024 को नगपुरा चौकी को बिजली के पाइप स्विचबोर्ड तोड़फोड़ एवं चोरी की सूचना लिखित में दी गई।	5000	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
8			शा.उ.प्रा.शा. अंजोरा ख, दुर्ग	मध्यान्ह भोजन रसोई से दो बोरी चावल चोरी	2500	संबंधित पुलिस थाने/चौकी में सूचना दी गई	निरंक
		8		कुल राशि रूपये	112500		

Shukla
 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

Shukla
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 127) को जानकारी

प्रपत्र

नियम और शर्तें

अ	पात्रता मापदंड	
स.क्र.	विशिष्ट	प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज
1	कानूनी निम्नलिखित संस्थाओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत) के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म या भारतीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत और भारत में वैध जीएसटी पंजीकरण वाली स्वामित्व वाली फर्म। बोली जमा करने की तिथि तक कम से कम 05 वर्षों से कार्यरत होनी	संस्था: बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: निगमन प्रमाणपत्र/व्यापार लाइसेंस (साझेदारी फर्म, लिमिटेड के लिए) निजी/सार्वजनिक लिमिटेड के जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
2	बोलीदाता को पैन और वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र के पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।	1. पैन कार्ड की प्रति 2. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
3	काली सूची में डालना: बोलीदाता को बोली जमा करने की तिथि तक भारत में किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/अर्ध-सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्व स्तर पर किसी भी ऐसी एजेंसी द्वारा असंतोषजनक पिछले प्रदर्शन और भ्रष्ट, धोखाधड़ी या किसी अन्य अनैतिक आचरण के कारण प्रतिबंधित और/या काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। भले ही काली सूची में डालने/निषेध के विरुद्ध मामला मुकदमेबाजी में हो और मुकदमे का परिणाम अंतिम न हो, ऐसे बोलीदाता को पात्र नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को एटीसी दस्तावेज में दिए गए अनुलग्नक पर विधिवत नोटरीकृत स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि बोलीदाता इस बोली के जारी होने की तिथि तक प्रतिबंधित और/या काली सूची में नहीं है। बोली के साथ स्व-घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा R100 स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो।
4	बोलीदाता परिसमापन, न्यायालय रिसेवरशिप या इसी तरह की कार्यवाही के अधीन नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को बोली के साथ इस आशय का वचनपत्र अपलोड करना होगा।
5	बोलीदाता के पास छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य सरकार संगठन को पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में से किसी एक में 18000 क्लासरूम डेस्कंग और सीटिंग सेट की सफलतापूर्वक आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए।	आपूर्ति के समर्थन में क्रेता द्वारा प्रदान किए गए कार्य आदेश की प्रतिलिपि, पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ।
6	बोलीदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 800 लाख रुपये होना चाहिए।	CA प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र (UDIN नंबर के साथ) की प्रति जमा करनी होगी।
7	बोलीदाता का निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।	CA पंजीकरण संख्या, मुहर और UDIN संख्या सहित CA प्रमाणपत्र।
8	OEM को फर्नीचर निर्माण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा	डीआईसी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9	तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन की घोषणा।	लेटरहेड पर तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन की स्व-घोषणा।
10	मेक इन इंडिया घोषणा	बोलीदाता को मेक इन इंडिया प्रमाणपत्र लेटरहेड पर अपलोड करना होगा, जिसमें स्थानीय सामग्री का प्रतिशत घोषित किया जाएगा।

Disaku
अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

अ		पात्रता मापदंड	
स.क्र.	विशिष्ट	प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज	
11	बोलीदाता को बोली के साथ 1,45,000,00 रुपये (केवल एक करोड़ पैंतालीस लाख) का ईएमओ डीओ/एफडीआर/बीजी/आरटीजीएस के रूप में जमा करना होगा। ईएमडी की मूल प्रति लोक शिक्षण विभाग (डीपीआई) कार्यालय, इंद्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक सी, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता ओईएम है तो एमएसएमई के माध्यम से सत्यापित ओईएम को ईएमडी से छूट दी जाएगी। अयोग्य बोलीदाता की ईएमडी बोली की अयोग्यता के 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी निदेशक लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर के पक्ष में रायपुर सी.जी. में देय बनाई जाएगी। बैंक हस्तांतरण के लिए नाम आयुक्त सह निदेशक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर खाता क्रमांक 18340210000946 आईएफएससी कोड, UCBA0001834 शाखा पेंशन बाड़ा रायपुर	ईएमडी	
अ		बोली सामान्य नियम और शर्तें	
स.क्र.	विशिष्ट	विवरण	
1	प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा भुगतान अलग से किया जाएगा।	ठीक है	
2	सफल बोलीदाता को आदेश मूल्य का 3% बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर/बीजी/आरटीजीएस के रूप में 6 महीने की अवधि के लिए सुरक्षा जमा करनी होगी। सुरक्षा जमा राशि आयुक्त सह निदेशक लोक सूचना छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से की जाएगी। खाता संख्या: 18340210000946, आईएफएससी कोड: UCBA0001834, शाखा पेंशन बाड़ा रायपुर।	हाँ	
3	वारंटी डिलीवरी की तारीख से 12 महीने (एक वर्ष) की अवधि के लिए होगी।	वस्तुओं की सूची के साथ वारंटी प्रमाणपत्र अवश्य दिया जाना चाहिए तथा इसे डिलीवरी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	
4	उत्पाद का उद्धृत मूल्य	वित्तीय प्रस्ताव में उद्धृत राशि में सभी कर, अधिभार, तथा माल दुलाई, लदान, उतराई, स्थापना और वितरण शुल्क शामिल होने चाहिए।	
5	वितरण	ये सामग्री छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पहुँचाई जाएगी। सफल प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता सूची प्रदान की जाएगी।	
6	सभी दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। सभी दस्तावेजों पर सीरियल नंबर होना चाहिए और एक चेकलिस्ट आवरण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।	हाँ	
7	7 'अग्निशमन आपूर्तिकर्ता को RITES/IRCLASS SYSTEMS AND SOLUTIONS PVT LTD/PDIL/SGS/CSIDC जैसी सक्षम एजेंसियों द्वारा प्रमाणित एक स्वतंत्र उत्पाद निरीक्षण प्रस्तुत करना होगा। इस निरीक्षण की लागत आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।	डिलीवरी के समय निरीक्षण प्रमाणपत्र	
8	किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।	स्वीकृति पत्र.	

अनुलग्नक

वचन-पत्र

हमने दस्तावेज़ में दिए गए निर्देशों और नियमों व शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम तदनुसार निविदा पूछताछ दस्तावेज़ के सभी नियमों व शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ, जिनमें निविदा पूछताछ में विशेष रूप से शामिल आवश्यक शर्तें जैसे भुगतान की शर्तें, बोली सुरक्षा/निष्पादन सुरक्षा की जब्ती, परिसमाप्त क्षति खंड, लागू कानून की व्यवस्था आदि शामिल हैं। मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ कि वारंटी खंड, विवाद समाधान के कारण हमें सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपंजीकृत/निषिद्ध/प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है और हम किसी भी सरकारी प्राधिकारी के साथ काली सूची में डाले जाने/निषिद्ध किए जाने के संबंध में किसी मुकदमे में नहीं हैं। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तुत/अपलोड की गई जानकारी निविदा के लिए सही है और पिछले एक वर्ष के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार/भारत सरकार संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमारे द्वारा प्रस्तावित मूल्य से अधिक है और प्रस्तुत बोली के विकास के दौरान जब भी पूछा जाएगा, हम अपनी प्रस्तावित कीमत की उचितता का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि यदि किसी भी समय हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत साबित होती है, तो हम बयाना राशि जप्त करने के अलावा क्रेता द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

विशेष विवरण

स. क्र.	विशिष्ट	विवरण
1	फ्रेम सामग्री	एमएस एंगल
2	पैर के फ्रेम सामग्री का आकार	30X30X2.5 मिमी
3	टॉप सपोर्ट के फ्रेम सामग्री का आकार	25X25X2.5 मिमी
4	डेस्क के फ्रेम का आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	850X375X732
5	बेंच के फ्रेम का आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	850X250X432
6	डेस्क का समग्र आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	900X425X750
7	बेंच का समग्र आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	900X300X450
8	बैकरेस्ट	बैकरेस्ट बिना
9	शेल्फ	शेल्फ बिना
10	टेबल/बेंच टॉप की सामग्री	18 मिमी प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड
11	डेस्क टॉप का आयाम	900X425
12	बेंच टॉप का आयाम	900X300
13	पैट का प्रकार	एनामेल पैट
14	फ्रेम का रंग	काला/ग्रे
15	बोर्ड टॉप सामग्री का रंग	टीक
16	पी.यू./रबर शूज	पैरों में पी.यू./रबर के जूते अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
17	बोअरो टॉप का किनारा बैंड	18 मिमी पीव्हीसी ऐज बोर्ड

M. J. Singh
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

[Signature]
उप संचालक (कित)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ अटल नगर

परिशेष - इनक्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 215) की जानकारी


" ५५४-अ "

तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2021 की वितरण की स्थिति

क्र.	जिले का नाम	जिला यूनियन का नाम	वितरण योग्य रू. प्रति मा.बो. दर (रू. में)	वितरित राशि	
				संग्राहक संख्या	राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	बीजापुर	1,849	52,909	13,93,70,297
2	सुकमा	सुकमा	595	10,130	1,37,61,216
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	306	10,660	31,83,871
4	बस्तर	जगदलपुर	34	3,971	5,01,956
5	कोण्डागांव	कोण्डागांव	सभी समितियाँ घाटे में होने के कारण वितरण नहीं किया गया		
		केशकाल	290	8,273	61,17,713
6	नारायणपुर	नारायणपुर	247	5,888	37,89,087
7	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	2,106	35,780	19,23,88,896
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	1,469	24,617	11,00,62,169
		कांकेर	1,772	30,678	6,08,68,033
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1,768	42,298	11,58,89,366
9	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	563	22,513	1,95,18,400
10	बालोद	बालोद	1,324	22,277	2,69,84,595
11	कबीरधाम	कवर्धा	447	22,011	1,69,83,690
12	धमतरी	धमतरी	1,571	23,656	3,59,55,599
13	गरियाबंद	गरियाबंद	2,097	63,962	14,65,86,009
14	महासमुन्द	महासमुन्द	1,347	83,097	10,08,18,586
15	बलौदाबाजार	बालौदाबाजार	1,272	19,246	2,65,63,792
16	बिलासपुर	बिलासपुर	897	28,996	2,66,61,229
17	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	666	21,181	1,29,46,646
18	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	44	1,831	1,63,843
19	रायगढ़	रायगढ़	956	39,183	4,27,40,374
		धरमजयगढ़	2,153	47,528	15,10,61,779
20	कोरबा	कोरबा	2,142	31,181	9,20,36,410
		कटघोरा	1,745	55,356	11,50,27,512
21	जशपुर	जशपुरनगर	639	26,605	1,48,71,606
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	520	17,311	1,66,41,664
23	कोरिया	कोरिया	1,047	25,230	2,19,72,020
24	सरगुजा	सरगुजा	714	36,738	2,18,95,330
25	बलरामपुर	बलरामपुर	155	40,406	1,40,72,101
26	सूरजपुर	सूरजपुर	854	44,049	4,96,85,239
		योग:-		8,97,561	1,59,91,19,028



अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलदायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल न



प्रबंधक (लेखा)
छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

" प्रथम-ब "

तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2022 की वितरण की स्थिति

क्र.	जिले का नाम	जिला यूनियन का नाम	वितरण योग्य रु. प्रति मा.बो. दर (रु. में)	वितरित राशि	
				संग्राहक संख्या	राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	बीजापुर	3,152	50,040	25,50,98,411
2	सुकमा	सुकमा	333	5,731	74,11,400
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	788	13,286	1,55,21,256
4	बस्तर	जगदलपुर	83	3,675	12,07,295
5	कोण्डागांव	कोण्डागांव	1,583	9,895	25,17,969
		केशकाल	546	15,182	1,42,30,183
6	नारायणपुर	नारायणपुर	2,149	15,323	2,22,47,470
7	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	926	37,958	32,09,10,547
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	3,297	24,186	17,15,26,591
		कांकेर	145	35,285	9,22,66,494
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2,247	45,021	19,58,89,271
9	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	खैरागढ़	1,412	23,113	4,79,54,587
10	बालोद	बालोद	2,674	25,355	5,11,12,788
11	कबीरधाम	कवर्धा	1,294	29,397	5,89,57,077
12	धमतरी	धमतरी	2,467	24,529	6,33,09,423
13	गरियाबंद	गरियाबंद	2,339	54,935	24,83,04,036
14	महासमुन्द	महासमुन्द	3,006	87,273	19,55,19,367
15	बलौदाबाजार	बालौदाबाजार	2,306	17,041	5,14,86,248
16	बिलासपुर	बिलासपुर	1,745	29,490	5,26,49,513
17	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	3,058	29,566	3,91,42,083
18	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	2,767	1,754	6,40,018
19	रायगढ़	रायगढ़	1,779	34,687	7,99,84,454
		धरमजयगढ़	79	51,041	25,00,54,271
20	कोरबा	कोरबा	3,031	32,840	16,14,16,286
		कटघोरा	1,448	64,166	20,46,47,378
21	जशपुर	जशपुरनगर	1,361	17,766	1,20,05,527
22	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी -भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	358	14,205	2,27,60,627
23	कोरिया	कोरिया	507	16,798	1,86,02,797
24	सरगुजा	सरगुजा	535	35,394	4,95,03,636
25	बलरामपुर	बलरामपुर	203	24,776	2,93,83,564
26	सूरजपुर	सूरजपुर	1,115	34,072	8,27,25,849
		योग:-		9,03,780	2,81,89,86,416

अनुभाग अधिकारी

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रबंधक (लेखा)

छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परोशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 311) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सम्मति प्राप्त संचालित चारकोल निर्माण इकाइयों की जिलावार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक	वैधता दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
जिला-रायपुर				
1.	मेसर्स प्रियंका चारकोल डिपो, पटवारी हल्का नंबर-84, खसरा नं.- 1017/2, 1028/3, 1031, 1032/3, 1069/5, ग्राम- पथरी (खुदमुडी), तहसील एवं जिला- रायपुर	वूड चारकोल - 2520 मीट्रिक टन/ वर्ष	29/06/2021	31/12/2027
2.	मेसर्स रामजी चारकोल, पटवारी हल्का नंबर - 65, खसरा नं. - 544 पार्ट, ग्राम-अकोलीखुर्द (एफ), तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	वूड चारकोल - 2500 मीट्रिक टन/ वर्ष	26/08/2022	30/11/2028
3.	मेसर्स के.जी.एन. कोल डिपोट, पटवारी हल्का नंबर - 41, खसरा नं. - 528/2, ग्राम-असौदा, पोस्ट-गनियारी, खरोरा, जिला-रायपुर	चारकोल - 60000 किलो ग्राम/वर्ष	20/03/2017	31/05/2029
4.	मेसर्स अनंत कोल, पटवारी हल्का नंबर - 26, खसरा नं. - 175/1, ग्राम नकटी-कुम्हारी, तहसील- तिल्दा, जिला- रायपुर	वूड चारकोल - 200 मीट्रिक टन/ वर्ष	19/05/2025	28/02/2030
5.	मेसर्स चन्द्राकर ट्रेडर्स, पटवारी हल्का नंबर -41, खसरा नं. - 254, ग्राम- असौदा, तहसील- तिल्दा, जिला- रायपुर	चारकोल - 06 मीट्रिक टन/ वर्ष	19/12/2017	31/01/2029
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा				
6.	मेसर्स अष्टविनायक कोल डिपो, पटवारी हल्का नंबर-40, खसरा नं. - 12/10, ग्राम-तिल्दाबांधा, सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा	वूड चारकोल - 500 मीट्रिक टन/ वर्ष	30/06/2023	30/06/2030
जिला-धमतरी				
7.	मेसर्स जसवानी एण्ड कंपनी, पटवारी हल्का नंबर -20, खसरा नं.- 145/(1-2), ग्राम- पोटियाडीह, तहसील व जिला-धमतरी	वूड चारकोल - 400 मीट्रिक टन/ वर्ष	06/06/2011	31/05/2028
8.	मेसर्स विकास टेडिंग कंपनी, पटवारी हल्का नंबर -14/48, खसरा नं. - 70, ग्राम- पोटियाडीह, तहसील व जिला- धमतरी	वूड चारकोल - 350 मीट्रिक टन/वर्ष	15/03/2011	29/02/2028
9.	मेसर्स बी.एन. कपूर, पटवारी हल्का नंबर -48/14, खसरा नं. - 155/5, ग्राम- पोटियाडीह, तहसील व जिला- धमतरी	वूड चारकोल - 350 मीट्रिक टन/ वर्ष	06/06/2011	31/05/2028
जिला-दुर्ग				
10.	मेसर्स माँ कमलादेवी कोल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुड़पार, तहसील - धमधा, जिला- दुर्ग	चारकोल- 200 मीट्रिक टन/वर्ष	30/01/2012	30/09/2026

जिला-बेमेतरा				
11.	मेसर्स कबीर सेल्स, ग्राम- ठरकपुर, तहसील- थान खम्हरिया, जिला- बेमेतरा	वुड चारकोल - 120 मीट्रिक टन/वर्ष	05/12/2019	29/10/2026
12.	मेसर्स टीकाराम कोल मेनुफेक्चरिंग, ग्राम- भनसुली, तहसील- बेमेतरा, जिला- बेमेतरा	वुड चारकोल 1000 मीट्रिक टन/वर्ष	31/10/2008	03/04/2028
13.	मेसर्स टीकाराम कोल मेनुफेक्चरिंग, ग्राम-भनसुली, पोस्ट- बाल समुंद, तहसील- बेमेतरा, जिला- बेमेतरा	वुड चारकोल 1500 मीट्रिक टन/वर्ष	07/04/2025	06/04/2026
जिला-मुंगेली				
14.	मेसर्स अग्रवाल कोल डिपो, प्रोप्राइटर श्री दीपक अग्रवाल, ग्राम-बरेला (मेनरोड) तहसील-मुंगेली, पटवारी हल्का नंबर 25, खसरा नं. 237/3, 239/3, जिला-मुंगेली	चारकोल-300 मीट्रिक टन/वर्ष	25/02/2015	31/01/2026
जिला-बिलासपुर				
15.	मेसर्स मनोज कुमार जैसवानी, प्रोप्राइटर श्री मनोज कुमार जैसवानी, ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-बोदरी, पटवारी हल्का नंबर 10, खसरा नं. 256/5, जिला-बिलासपुर	चारकोल-300 मीट्रिक टन/वर्ष	06/02/2025	05/02/2031
16.	मेसर्स सुभाष सेल्स, प्रोप्राइटर श्री श्रेष्ठ बत्रा, ग्राम-अमसेना, पोस्ट-सकरी, तहसील-तखतपुर, पटवारी हल्का नंबर 22/34, खसरा नं. 136/12 ख, जिला-बिलासपुर	चारकोल-25 मीट्रिक टन /वर्ष	30/05/2015	31/12/2026
17.	मेसर्स अवनी चारकोल उद्योग, प्रोप्राइटर श्री विकाश अग्रवाल, ग्राम-कुरेली, तहसील-तखतपुर, पटवारी हल्का नंबर 34, खसरा नं. 242/2, जिला-बिलासपुर	चारकोल-300 मीट्रिक टन/वर्ष	09/01/2023	08/01/2029
जिला-जांजगीर -चाम्पा				
18.	मेसर्स कैलाश इण्डस्ट्रीज, प्रोप्राइटर श्री राजेश कुमार अग्रवाल, ग्राम-लच्छनपुर, तहसील-जांजगीर, पटवारी हल्का नंबर 33, खसरा नं. 1107/1, जिला-जांजगीर-चांपा	वुड चारकोल (बाय 10 नग ऑफ भट्टा)- 3000 मीट्रिक टन /वर्ष	28/01/2006	30/01/2027


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-अ

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 30 नवम्बर 2025 तक चिन्हांकित सड़क की जानकारी

स.क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम
1	2	3	4
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क (सड़क निर्माण हेतु चिन्हांकित सड़कें)			
1	2024-25	छुरिया	नवागांव से मासुलजोब
2	2024-25	छुरिया	करमरी से ग्वालिनडीह
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क (सड़क नवीनीकरण हेतु चिन्हांकित सड़कें)			
1	2023-24	छुरिया	छुरिया बंजारी मुख्य मार्ग से भेजरटोला
2	2023-24	छुरिया	टी.11 (कल्लूटोला) से बैरागीभेड़ी
3	2023-24	छुरिया	एन.एच-6 से कल्लूटोला
4	2023-24	छुरिया	टी.07 से कोलिहालमती
5	2023-24	छुरिया	रंगीटोला-हाटबंजारी मार्ग से नवागांव
6	2023-24	छुरिया	कुमर्दा-हाटबंजारी मार्ग से रामतराई
7	2023-24	चौकी	टी.06 से पेंदलकुही
8	2023-24	चौकी	टी.06 से सोनसायटोला

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

स.क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम
1	2	3	4
9	2024-25	छुरिया	बम्हनी चारभांठा से गेरुघाट
10	2024-25	छुरिया	पंडरापानी-किरकोड़ी-विचारपुर-मालडोंगरी से बेंदाड़ी
11	2025-26	छुरिया	टी.11 से घुपसाल
12	2026-27	चौकी	बांधाबाजार से चिल्हाटी
13	2026-27	चौकी	टी.08 से केशला
14	2026-27	चौकी	टी.08 से मालडोंगरी
15	2026-27	चौकी	टी.08 एम.डी.आर. से सिरमुंडा
16	2026-27	छुरिया	डोंगरगांव-छुरिया रोड पांडेटोला
17	2026-27	छुरिया	हाटबजारी से घोटिया
18	2026-27	छुरिया	एल.040 (1.00 कि.मी.) से कन्हारपुरी
19	2026-27	छुरिया	टी.09 से भकुरी
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (सड़क निर्माण हेतु चिन्हांकित सड़कें)			
1	2024-25	चौकी	सोनसायटोला से मांगाटोला



स.क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	सड़क का नाम
1	2	3	4
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (मरम्मत हेतु चिन्हांकित सड़कें)			
सड़क नवीनीकरण कार्य			
1	2023-24	छुरिया	गोडलवाही से मासुलकसा-साल्हेटोला
2	2023-24	छुरिया	कलडबरी से छिन्दीबिहरी
3	2023-24	छुरिया	मोंगरा बैराज से लाटमेटा
4	2023-24	छुरिया	खोर्गटोला से जोशीलमती
5	2023-24	छुरिया	चिखलाकसा से उमरवाही
6	2023-24	छुरिया	झिथराटोला से कल्लूटोला
7	2023-24	चौकी	भडसेना से कौडूटोला-मांगाटोला
पैच रिपेयर कार्य			
1	2024-25	छुरिया	दानीटोला से चिखलाकसा
2	2024-25	छुरिया	केशाल से हरटोला
3	2024-25	छुरिया	शिकारीटोला से अड़ाम रोड़
4	2025-26	छुरिया	बरछाटोला से कल्लूटोला
5	2025-26	छुरिया	पुरना से पतौरा
6	2025-26	चौकी	बाधाबांजार-जोरातराई से देहान
7	2025-26	चौकी	मांझीटोला से रैनूटोला
8	2025-26	चौकी	हितागुटा से सांगली

प्रपत्र-ब

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 30 नवम्बर 2025 तक स्वीकृत सड़क निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत लागत राशि की जानकारी

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड	सड़क का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	सड़क की अद्यतन स्थिति	कार्यपूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना								
1	2023-24	छुरिया	छुरिया बंजारी मुख्य मार्ग से भेजराटोला	नवीनीकरण कार्य	30.01.2023	80.50	कार्य पूर्ण	15.06.2024
2	2023-24	छुरिया	टी.11 (कल्लूटोला) से बैरागीभेड़ी	नवीनीकरण कार्य	30.01.2023	54.38	कार्य पूर्ण	15.06.2024
3	2023-24	छुरिया	एन.एच-6 से कल्लूटोला	नवीनीकरण कार्य	21.05.2023	19.50	कार्य पूर्ण	15.04.2024
4	2023-24	छुरिया	टी.07 से कोलिहालमती	नवीनीकरण कार्य	21.05.2023	18.37	कार्य पूर्ण	15.04.2024
5	2023-24	छुरिया	रंगीटोला-हाटबंजारी मार्ग से नवागांव	नवीनीकरण कार्य	21.05.2023	12.80	कार्य पूर्ण	15.04.2024
6	2023-24	छुरिया	कुमर्दा-हाटबंजारी मार्ग से रामतराई	नवीनीकरण कार्य	21.05.2023	21.99	कार्य पूर्ण	15.04.2024
7	2023-24	चौकी	टी.06 से पैदलकुही	नवीनीकरण कार्य	30.01.2023	67.59	कार्य पूर्ण	15.06.2024
8	2023-24	चौकी	टी.06 से सोनसायटोला	नवीनीकरण कार्य	30.01.2023	18.77	कार्य पूर्ण	15.06.2024
9	2024-25	छुरिया	बम्हनी चारभाटा से गेरुघाट	नवीनीकरण कार्य	13.09.2024	65.24	कार्य पूर्ण	18.06.2025

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड	सड़क का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	सड़क की अद्यतन स्थिति	कार्यपूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	2024-25	छुरिया	पंढरापानी-किरकोडी-विचारपुर-मालडोंगरी से बेंदाडी	नवीनीकरण कार्य	13.09.2024	128.45	कार्य पूर्ण	18.06.2025
11	2025-26	छुरिया	टी.11 से घुपसाल	नवीनीकरण कार्य	-	15.00	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त निविदा आमंत्रित।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना								
1	2023-24	छुरिया	गोडलवाही से माधुलकसा-साल्हेटोला	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	14.60	कार्य पूर्ण	15.04.2024
2	2023-24	छुरिया	कलडबरी से छिन्दीबिहरी	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	28.64	कार्य पूर्ण	15.04.2024
3	2023-24	छुरिया	मोंगरा बैराज से लाटमेटा	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	27.77	कार्य पूर्ण	15.04.2024
4	2023-24	छुरिया	खोरटोला से जोशीलमती	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	66.87	कार्य पूर्ण	15.04.2024
5	2023-24	छुरिया	चिखलाकसा से उमरवाही	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	121.06	कार्य पूर्ण	15.04.2024
6	2023-24	छुरिया	झिथराटोला से कल्लूटोला	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	23.74	कार्य पूर्ण	28.06.2024
7	2023-24	चौकी	भडसेना से कौडूटोला-मांगाटोला	नवीनीकरण कार्य	24.05.2023	27.02	कार्य पूर्ण	15.04.2024
8	2024-25	छुरिया	दानीटोला से चिखलाकसा	पैच रिपेयर कार्य	28.10.2024	7.59	कार्य पूर्ण	16.03.2025
9	2024-25	छुरिया	केशाल से हरटोला	पैच रिपेयर कार्य	28.10.2024	6.94	कार्य पूर्ण	16.03.2025

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकासखण्ड	सड़क का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	सड़क की अद्यतन स्थिति	कार्यपूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	2024-25	छुरिया	शिकारीटोला से अड़म रोड़	पैच रिपेयर कार्य	28.10.2024	5.38	कार्य पूर्ण	16.03.2025
11	2024-25	चौकी	सोनसायटोला से मांगटोला	सड़क निर्माण कार्य	21.11.2024	80.29	कार्य पूर्ण	30.04.2025
12	2025-26	छुरिया	बरछाटोला से कल्लूटोला	पैच रिपेयर कार्य	11.07.2025	3.41	कार्य अप्रारंभ, अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	-
13	2025-26	छुरिया	पुरना से पतारा	पैच रिपेयर कार्य	11.07.2025	7.15	कार्य अप्रारंभ, अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	-
14	2025-26	चौकी	बाघाबांजार-जोरतराई से देहान	पैच रिपेयर कार्य	11.07.2025	6.26	कार्य अप्रारंभ, अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	-
15	2025-26	चौकी	मांझीटोला से रैनूटोला	पैच रिपेयर कार्य	11.07.2025	4.37	कार्य अप्रारंभ, अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	-
16	2025-26	चौकी	हितागुटा से सांगली	पैच रिपेयर कार्य	11.07.2025	6.96	कार्य अप्रारंभ, अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	-

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 400) की जानकारी

प्रपत्र

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

वर्ष 2024-25 से 25- क्र. 11-2025 तक किये गये निरीक्षण संख्या	यदि अनियमितता/कमी पाई गई विवरण	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	कार्यवाही करने वाले का पदनाम
1	97 1. - नेसर्स रेलिस मोटो प्रा.लि. ग्राम घोरदा तह डोंगरगांव, जिला राजनादगांव इकाई बंद पाई गई।	19-09- 2025	व्याज अनुदान राशि रु. 1 6 0 4 1 3 0 0 का वितरण नहीं किया गया।	निरीक्षण-श्री परमेश्वर साहू प्रबंधक कार्यवाही -श्री सानू व्ही. वर्गीस महाप्रबंधक
2	02- मेसर्स प्रतीक फूड प्रोडक्ट्स ग्राम सडक चिरचारी तह छुरिया जिला राजनादगांव पर्यावरण सम्मति की वैधता समाप्त है।	13-07- 2024	व्याज अनुदान राशि रु. 24720700 का वितरण नहीं किया गया।	निरीक्षण श्री मिलिंद छेदेया सहायक प्रबंधक कार्यवाही- श्री सानू व्ही. वर्गीस महाप्रबंधक
3	03- मेसर्स कलश प्रोडक्ट्स ग्राम बम्हनी, तह व जिला राजनादगांव इकाई प्रतिस्थापित है।	16-12- 2024	स्थायी पूजा अनुदान राशि रु. 1 4 6 1 9 4 5 . 0 0 का वितरण नहीं किया गया।	निरीक्षण- श्री परमेश्वर साहू प्रबंधक कार्यवाही -श्री सानू व्ही. वर्गीस महाप्रबंधक
4	04 - मेसर्स एलिकजर कार्बो प्रा.लि. विरेझर तह व जिला राजनादगांव पर्यावरण सम्मति प्रमाण पत्र में दर्शित उत्पाद व उत्पादन प्रमाण पत्र के उत्पाद में भिन्नता है।	27-05- 2025	व्याज अनुदान राशि रु 3 1 2 4 6 3 . 0 0 का वितरण नहीं किया गया।	निरीक्षण- श्रीमती प्रतिभा साहू सहायक प्रबंधक कार्यवाही -श्री सानू व्ही. वर्गीस महाप्रबंधक


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 426) की जानकारी

प्रपत्र-

क्र.	वित्तीय वर्ष	वनमण्डल का नाम	हाथियों द्वारा की गयी फसल क्षति		
			प्रकरण संख्या	हे. में.	प्रदाय मुआवजा (राशि रु. में)
1	2	3	4	5	6
1	2023-24	सारंगढ़-बिलाईगढ़	28	6.230	127969.00
2	2024-25	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	0.462	10395.00
3	2025-26	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	0.269	4842.00
योग-			30	6.961	1,43,206
1	2023-24	बलौदाबाजार	19	6.144	1,38,232
2	2024-25	बलौदाबाजार	0	0	0
3	2025-26	बलौदाबाजार	4	0.869	19,551
योग-			23	7.013	1,57,783
कुल योग-			53	13.974	3,00,989

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - छप्पन

अतारोकत प्रश्न संख्या 23 (क. 429) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में धान खरीदी केन्द्रों में शार्टेज के विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	विवरण	कर्मचारियों की संख्या
1	समिति के उत्तरदायी कर्मचारियों को नोटिस जारी	689
2	निलंबित किये गये कर्मचारियों की संख्या	18
3	सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों की संख्या	21
4	पुलिस आपराधिक प्रकरण दर्ज किये कर्मचारियों की संख्या	42

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 481) की जानकारों

प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	प्राथमिक शाला				माध्यमिक शाला				हाई स्कूल				हायर सेकेंडरी			
			दर्ज संख्या		शाला त्यागी बच्चे		दर्ज संख्या		शाला त्यागी बच्चे		दर्ज संख्या		शाला त्यागी बच्चे		दर्ज संख्या		शाला त्यागी बच्चे	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सीतापुर	2022-23	4476	4590	1	0	2550	2639	5	3	1130	1360	3	2	705	1167	6	3
		2023-24	4356	4380	8	6	2560	2647	7	6	1098	1367	4	5	744	1085	5	2
		2024-25	4418	4396	0	0	2717	2667	0	0	1188	1409	2	4	860	1193	4	3
2	बतौली	2022-23	3308	3092	1	1	1711	1866	3	2	833	975	6	6	542	829	5	7
		2023-24	3200	3021	10	4	1727	1833	7	5	793	941	7	4	471	750	6	3
		2024-25	3145	2954	16	7	1800	1898	3	1	821	1101	6	5	438	750	3	4
3	मेनपाट	2022-23	3736	3709	3	4	2047	1849	2	3	625	757	4	2	381	490	12	8
		2023-24	3751	3698	11	4	1975	1776	1	11	607	721	5	4	296	430	8	7
		2024-25	3875	3812	0	0	2029	1877	5	1	714	752	6	4	410	437	3	4
4	अंबिकापुर	2022-23	1478	1378	1	0	737	681	1	0	307	322	5	7	192	237	5	3
		2023-24	1377	1334	1	0	705	667	1	1	297	291	4	3	149	198	4	6
		2024-25	1309	1289	2	1	711	654	1	1	276	281	5	4	163	214	3	4
5	असम्बली सीतापुर	2022-23	12998	12769	6	5	7045	7035	11	8	2895	3414	18	17	1820	2723	28	21
		2023-24	12684	12433	30	14	6967	6923	16	23	2795	3320	20	16	1660	2463	23	18
		2024-25	12747	12451	18	8	7257	7096	9	3	2999	3543	19	17	1871	2594	13	15


सहायक संचालक
श्री लोक शिक्षण संचालनालय छोगा


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रावपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 482) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी वर्ष-2022 से नवम्बर 2025 तक
थाना/चौकी में शीर्षवार दर्ज प्रकरण की जानकारी

थाना/चौकी	वर्ष	चोरी	डकैती	बलात्कार	हत्या	गुमशुदगी	अपहरण	मानव तस्करी	तस्करी	सड़क दुर्घटना
सीतापुर	2022	41	0	28	5	84	11	0	0	42
	2023	36	0	11	9	85	7	1	0	26
	2024	47	0	23	15	80	7	0	0	51
	2025	74	0	20	8	102	26	0	0	79
योग:-		198	0	82	37	351	51	1	0	198
कमलेश्वरपुर	2022	10	0	6	4	13	2	0	0	5
	2023	7	0	5	6	10	4	0	0	17
	2024	8	0	5	8	9	2	0	0	18
	2025	9	0	1	8	12	2	0	0	15
योग:-		34	0	17	26	44	10	0	0	55
बतौली	2022	21	1	10	4	14	1	0	0	34
	2023	7	0	6	7	20	2	0	0	40
	2024	15	0	5	2	33	3	0	0	47
	2025	17	0	7	5	24	3	0	0	49
योग:-		60	1	28	18	91	9	0	0	170
चौकी केरजु	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग:-		0	0	0	0	6	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशिष्ट - उनसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 484) की जानकारी

क्र	वनगण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल क्षति		मकान क्षति		अन्य क्षति		कुल प्रकरण संख्या	कुल मुआवजा राशि रुपये में
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
1	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	शिवनाथपुर	0	0	0	0	0	0	4	3,70,629	2	1,13,090	0	0	6	4,83,719
2	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गेरसा	0	0	0	0	0	0	1	20,015	1	14,500	0	0	2	34,515
3	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	हरदीसांड	0	0	0	0	0	0	2	4,893	2	28,532	0	0	4	33,425
4	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	भिटूवा	0	0	0	0	0	0	1	3,40,924	0	0	0	0	1	3,40,924
5	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	आरा	0	0	0	0	0	0	1	91,180	0	0	0	0	1	91,180
6	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	हर्यटिकरा	0	0	0	0	0	0	1	1,35,547	0	0	0	0	1	1,35,547
7	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बशीपुर	0	0	0	0	0	0	3	5,61,276	2	1,07,333	0	0	5	6,68,609
8	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	देवगढ़	0	0	0	0	0	0	1	26,686	0	0	0	0	1	26,686
9	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजपुरी	0	0	0	0	0	0	1	69,385	1	25,475	0	0	2	94,860
10	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	एरंड	0	0	0	0	0	0	4	2,72,916	0	0	0	0	4	2,72,916
11	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ललितपुर,	0	0	0	0	0	0	5	4,33,393	2	2,01,977	0	0	7	6,35,370
12	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेलजोरा	0	0	0	0	0	0	1	89,623	0	0	0	0	1	89,623
13	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	भारतपुर	0	0	0	0	0	0	1	14,266	1	45,590	0	0	2	59,856
14	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढेकीडोली	0	0	0	0	0	0	1	56,265	1	20,380	0	0	2	76,645
15	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बोडाझरिया	1	6,00,000	0	0	0	0	1	74,634	1	21,190	0	0	3	6,95,824
16	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढोढागांव	0	0	0	0	0	0	3	5,32,157	2	49,931	1	5,000	6	5,87,088
17	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गुरगुमा	0	0	0	0	0	0	1	65,383	0	0	0	0	1	65,383
18	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कुधरापानी	0	0	0	0	0	0	1	26,331	1	23,880	0	0	2	50,211
19	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	केशला	0	0	0	6,948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,948
20	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजौटी	0	0	0	6,967	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,967
21	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	पेटला	0	0	0	0	0	0	2	2,34,509	1	66,659	0	0	3	3,01,168
22	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	लिथिरमा	0	0	0	0	0	0	1	4,225	0	0	0	0	1	4,225
23	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बतौली महेशपुर	0	0	0	0	0	0	1	27,131	0	0	0	0	1	27,131
24	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बासेन	0	0	0	0	0	0	1	86,020	0	0	0	0	1	86,020
25	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बतौली सेदम	0	0	0	0	0	0	1	61,958	0	0	0	0	1	61,958
26	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	चिपरकाया	0	0	0	0	0	0	1	12,899	0	0	0	0	1	12,899

वर्ष 2021

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल हानि		मकान हानि		अन्य हानि		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	सिलमा	0	0	0	0	0	0	1	3,647	0	0	0	0	1	3,647
28	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	सल्याडीह	0	0	0	0	0	0	3	4,77,160	1	25,475	0	0	4	5,02,635
29	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	घोघरा	0	0	0	0	0	0	1	46,947	0	0	0	0	1	46,947
30	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	गहिला	0	0	0	0	0	0	1	1,12,796	0	0	0	0	1	1,12,796
31	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	झरगांवा	0	0	0	0	0	0	1	18,325	0	0	0	0	1	18,325
32	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	बेलकोटा	0	0	0	0	0	0	1	66,450	0	0	0	0	1	66,450
33	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	देवरी	0	0	0	0	0	0	1	1,10,884	0	0	0	0	1	1,10,884
34	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	टीरंग	0	0	0	0	0	0	3	2,82,880	2	37,703	0	0	5	3,20,583
35	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	मानपुर	0	0	0	0	0	0	1	4,44,112	1	86,615	0	0	2	5,30,727
36	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	बांसाझाल	0	0	0	0	0	0	1	3,93,297	1	3,74,992	0	0	2	7,68,289
37	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	चांवरपानी	0	0	0	0	0	0	1	3,00,221	0	0	0	0	1	3,00,221
38	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	केसरा	0	0	0	0	0	0	29	1,42,841	8	3,45,880	0	0	37	4,88,721
39	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	पेट	0	0	0	0	0	0	67	4,84,521	42	10,75,100	0	0	109	15,59,621
40	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कुनिकुरी	0	0	0	0	0	0	98	5,00,157	33	15,75,481	0	0	131	20,75,638
41	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कण्डराजा	0	0	0	0	0	0	53	7,51,740	19	9,85,412	0	0	72	17,37,152
42	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	सलाईनगर	0	0	0	0	0	0	18	4,87,571	10	9,45,175	0	0	28	14,32,746
43	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	डांडकेसरा	0	0	0	0	0	0	21	85,250	7	3,54,751	0	0	28	4,40,001
44	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	बरिमा	0	0	0	0	0	0	40	5,84,154	35	11,85,410	0	0	75	17,69,564
45	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	पिड़िया	0	0	0	0	0	0	51	5,50,474	22	7,47,541	0	0	73	12,98,015
46	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	नर्मदापुर	1	6,00,000	2	70,520	8	1,87,000	61	2,21,080	28	9,95,751	0	0	98	20,74,551
47	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	सरमंजा	0	0	0	0	0	0	11	2,78,411	5	1,59,549	0	0	16	4,37,960
48	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	उरंगा	0	0	0	0	0	0	15	1,45,841	17	7,84,700	0	0	32	9,30,541
49	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	खण्डगंवा	0	0	0	0	0	0	22	3,78,451	19	8,04,996	0	0	41	11,83,447
					2	12,00,000	4	84,435	8	1,87,000	541	1,04,79,455	267	1,12,03,068	1	5,000	821	2,31,58,958

वर्ष 2022

वर्ष 2021 योग-		वर्ष 2022		वर्ष 2021 योग-		वर्ष 2022										
1	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	शिवनाथपुर	0	0	0	0	4	1,20,980	8	1,65,078	0	0	12	2,86,058
2	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	हरदीसांड	0	0	0	0	1	1,66,680	0	0	0	0	1	1,66,680
3	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	खड़ादोरना	0	0	0	0	1	50,939	0	0	0	0	1	50,939
4	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	छुईगढी	0	0	0	0	1	68,274	0	0	0	0	1	68,274
5	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	लंगड़ासांड	0	0	0	0	1	59,038	0	0	0	0	1	59,038

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल क्षति		मकान क्षति		अन्य क्षति		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गुरुगुमा	0	0	0	0	0	0	1	96,607	1	30,380	0	0	2	1,26,987
7	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नावापारा	0	0	0	0	0	0	1	80,017	0	0	0	0	1	80,017
8	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	एरंड	0	0	0	0	0	0	3	2,10,514	0	0	0	0	3	2,10,514
9	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ललितपुर,	0	0	0	0	0	0	4	2,70,757	0	0	0	0	4	2,70,757
10	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेलजोरा	0	0	0	0	0	0	2	95,672	0	0	0	0	2	95,672
11	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	भारतपुर	0	0	0	0	0	0	2	4,447	1	35,665	0	0	3	40,112
12	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सरगा	0	0	0	0	0	0	1	4,448	1	43,817	0	0	2	48,265
13	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	धरमपुर	0	0	0	0	0	0	5	1,04,567	2	49,482	0	0	7	1,54,049
14	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	देकीडोली	0	0	0	0	0	0	1	1,10,306	1	0	0	0	2	1,10,306
15	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बोड़ाझरिया	0	0	0	0	0	0	1	86,399	0	0	0	0	1	86,399
16	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढोढागांव	0	0	0	0	0	0	2	2,14,518	1	34,646	0	0	3	2,49,164
17	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कटबुडा	0	0	0	0	0	0	1	46,125	0	0	0	0	1	46,125
18	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजौटी	0	0	0	0	0	0	3	1,69,096	1	66,259	0	0	4	2,35,355
19	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	पेटला	0	0	0	0	0	0	1	35,582	1	71,333	0	0	2	1,06,915
20	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नकना	0	0	0	0	0	0	1	33,514	0	0	0	0	1	33,514
21	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	सत्याडीह	0	0	0	0	0	0	2	80,283	0	0	0	0	2	80,283
22	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	बांसाझाल	0	0	0	0	0	0	2	1,30,454	1	15,228	0	0	3	1,45,682
23	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	पेंट	2	12,00,000	2	67,176	1	10,000	57	1,23,504	11	7,58,412	0	0	73	21,59,092
24	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	सरभंजा	0	0	0	0	2	30,000	0	0	0	0	0	0	2	30,000
25	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कुनिकुरी	0	0	0	0	0	0	61	2,45,870	15	13,54,710	0	0	76	16,00,580
26	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कण्डराजा	0	0	0	0	0	0	27	1,45,741	25	19,45,141	0	0	52	20,90,882
27	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	डांडकेसरा	0	0	0	0	0	0	2	5,404	2	23,502	0	0	4	28,906
28	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	बरिमा	0	0	0	0	0	0	43	3,54,715	19	15,56,014	0	0	62	19,10,729
29	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	पिडिया	0	0	0	0	0	0	35	2,11,458	10	6,58,411	0	0	45	8,69,869
30	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	नर्मदापुर	0	0	0	0	0	0	45	2,45,751	8	4,30,500	0	0	53	6,76,251
31	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	उरंगा	0	0	0	0	0	0	31	1,97,062	13	9,54,740	0	0	44	11,51,802
वर्ष 2022 योग-					2	12,00,000	2	67,176	3	40,000	342	37,68,722	121	81,93,318	0	0	470	1,32,69,216

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल क्षति		मकान क्षति		अन्य क्षति		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
वर्ष 2023																		
1	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	शिवनाथपुर	0	0	0	0	0	0	2	1,04,922	2	97,461	0	0	4	2,02,383
2	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढेढेढांगर	0	0	0	0	0	0	1	7,116	1	18,342	0	0	2	25,458
3	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कुनमेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नावापारा	0	0	0	0	0	0	1	39,095	1	10,190	0	0	2	49,285
5	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	एरंड	1	6,00,000	0	0	0	0	1	28,756	1	5,095	0	0	3	6,33,851
6	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ललितपुर	0	0	0	0	0	0	1	28,177	0	0	0	0	1	28,177
7	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेलजोरा	0	0	0	0	0	0	2	1,52,562	0	0	0	0	2	1,52,562
8	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	भारतपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	30,570	0	0	2	30,570
9	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बगडोली	1	6,00,000	0	0	0	0	1	10,007	1	61,140	0	0	2	6,05,000
10	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गेरसा	1	6,00,000	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,05,000
11	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढेकीडोली	0	0	0	0	0	0	1	31,580	0	0	0	0	1	31,580
12	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	तेन्दुडांड	0	0	0	0	2	41,302	0	0	0	0	0	0	2	41,302
13	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	छतरीकोना	0	0	0	0	0	0	1	58,267	0	0	0	0	1	58,267
14	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजौटी	0	0	0	0	0	0	1	27,172	1	14,266	0	0	2	41,438
15	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नकना	0	0	0	0	0	0	2	28,694	1	15,285	0	0	3	43,979
16	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	देवरी	0	0	0	0	0	0	1	26,887	0	0	0	0	1	26,887
17	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गहिला	0	0	0	0	0	0	1	39,808	0	0	0	0	1	39,808
18	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बैजनाथपुर	0	0	0	0	0	0	1	20,687	0	0	0	0	1	20,687
19	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	केसरा	0	0	0	0	0	0	15	65,493	1	20,380	0	0	16	85,873
20	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कण्डराजा	0	0	0	0	0	0	44	2,23,544	5	1,44,165	0	0	49	3,67,709
21	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सलाईनगर	0	0	0	0	0	0	22	1,95,820	2	18,342	0	0	24	2,14,162
22	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	चोरकीपानी	0	0	0	0	0	0	49	2,72,731	0	0	0	0	49	2,72,731
23	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	डांडकेसरा	0	0	0	0	0	0	23	1,37,931	1	87,210	0	0	24	2,25,141
24	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	परपटिया	0	0	0	0	0	0	11	38,345	0	0	0	0	11	38,345
25	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बरिमा	0	0	0	0	0	0	35	2,23,458	0	0	0	0	35	2,23,458
26	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	पिडिया	0	0	0	0	0	0	30	1,35,254	0	0	0	0	30	1,35,254
27	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नर्मदापुर	0	0	0	0	0	0	38	2,45,781	6	74,240	0	0	44	3,20,021
28	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सरभजा	0	0	0	0	0	0	11	1,23,547	0	0	0	0	11	1,23,547
29	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	उरंगा	0	0	0	0	0	0	22	2,13,432	0	0	0	0	22	2,13,432
वर्ष 2023 योग-					3	18,00,000	1	5,000	2	41,302	319	24,79,066	24	5,96,686	0	0	349	49,22,054

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खाण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनसहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल हानि		मकान हानि		अन्य हानि		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	गेरसा	0	0	0	0	0	0	1	14,456	0	0	0	0	1	14,456
2	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कटबुडा	0	0	0	0	0	0	1	515	1	1,27,456	0	0	2	1,27,971
3	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	केरजू	0	0	0	0	0	0	1	14,100	2	82,539	1	0	4	96,639
4	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	एरंड	0	0	0	0	0	0	4	34,381	1	23,280	1	0	6	57,661
5	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ललितपुर,	0	0	0	0	0	0	2	92,357	2	32,500	0	0	4	1,24,857
6	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेलजोरा	1	6,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,00,000
7	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	आरा	0	0	0	0	0	0	2	8,117	2	68,376	0	0	4	76,493
8	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बगडोली	0	0	0	0	0	0	2	5,115	2	10,190	0	0	4	15,305
9	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेनई	0	0	0	0	0	0	1	11,077	0	0	1	1,779	2	12,856
10	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बोडाझरिया	0	0	0	0	1	20,000	1	93,005	3	25,285	0	0	5	1,38,290
11	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	दोढागाव	0	0	0	0	0	0	4	2,52,998	4	1,00,632	2	10,000	10	3,63,630
12	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	उलकिया	0	0	0	0	0	0	2	1,86,006	0	0	0	0	2	1,86,006
13	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजौटी	0	0	0	0	0	0	1	1,09,948	1	57,600	0	0	2	1,67,548
14	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सल्याडीह	0	0	0	0	0	0	3	79,823	1	0	1	15,000	5	94,823
15	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कुडकेल	0	0	0	0	1	15,000	0	0	0	0	0	0	1	15,000
16	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बासाझाल	0	0	0	0	0	0	2	1,42,887	1	5,000	0	0	3	1,47,887
17	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	टिरंग	0	0	0	0	0	0	2	1,78,138	0	0	1	5,000	3	1,83,138
18	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कछारडीह	1	6,00,000	0	0	0	0	1	70,720	0	0	0	0	2	6,70,720
19	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	घूटापानी	0	0	0	0	0	0	1	1,23,294	0	0	1	0	2	1,23,294
20	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	कण्डराजा	0	0	0	0	0	0	37	2,93,496	9	3,57,840	0	0	46	6,51,336
21	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सलाईनगर	0	0	0	0	0	0	2	27,308	0	0	0	0	2	27,308
22	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	चोरकीपानी	0	0	0	0	0	0	33	4,74,122	8	2,50,157	0	0	41	7,24,279
23	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	डांडकेसरा	0	0	0	0	0	0	6	17,040	0	0	0	0	6	17,040
24	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बरिमा	0	0	0	0	0	0	27	1,33,822	2	98,570	0	0	29	2,32,392
25	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	पिड़िया	0	0	0	0	0	0	41	2,19,841	7	3,48,680	0	0	48	5,68,521
26	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	नर्मदापुर	0	0	0	0	2	46,000	52	4,85,320	15	4,18,414	0	0	69	9,49,734
27	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सरभंजा	0	0	0	0	0	0	49	3,09,782	0	0	0	0	49	3,09,782
28	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	उरगा	0	0	0	0	0	0	26	2,11,843	2	30,570	0	0	28	2,42,413
29	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	हरामार	0	0	0	0	0	0	26	1,25,281	0	0	0	0	26	1,25,281

वर्ष 2024

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल क्षति		मकान क्षति		अन्य क्षति		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
30	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	उडुमकेला	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4,20,241	0	0	9	4,20,241	
31	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	सपनादर	0	0	0	0	0	0	1	445	0	0	0	0	1	445	
32	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कुनकुरी	0	0	0	0	0	0	8	38,915	3	53,265	0	0	11	92,180	
33	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कुदारीडिह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45,500	0	0	1	45,500	
34	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कमलेश्वरपुर	0	0	0	0	0	0	2	3,781	0	0	0	0	2	3,781	
वर्ष 2024 योग-					2	12,00,000	0	0	4	81,000	341	37,57,933	76	25,56,095	8	31,779	431	76,26,807	
वर्ष 2025																			
1	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	शिवनाथपुर	0	0	0	0	0	0	2	1,14,418	2	0	0	0	4	1,14,418	
2	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	देवगढ़	1	6,00,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6,00,000	
3	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	खडादोरना	0	0	0	0	0	0	1	0	1	76,600	0	0	1	76,600	
4	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बंशीपुर	0	0	0	0	0	0	1	66,760	2	2,15,790	0	0	3	2,82,550	
5	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	धरमपुर	0	0	0	0	0	0	2	50,034	0	0	0	0	2	50,034	
6	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	केरजू	0	0	0	0	0	0	1	19,570	0	0	0	0	1	19,570	
7	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	एरंड	0	0	0	0	0	0	3	1,27,942	2	32,800	1	3,000	6	1,63,742	
8	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ललितपुर	0	0	0	0	0	0	6	1,60,336	3	1,03,800	1	9,000	10	2,73,136	
9	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बेलजोरा	0	0	0	0	0	0	1	37,580	0	0	0	0	1	37,580	
10	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	आरा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29,500	0	0	1	29,500	
11	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	ढेकीडोली	0	0	0	0	0	0	1	76,170	1	2,500	0	0	2	78,670	
12	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	सरगा	0	0	0	0	0	0	2	89,621	2	80,600	0	0	4	1,70,221	
13	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	राधापुर	0	0	0	0	0	0	1	32,560	1	32,560	0	0	1	32,560	
14	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	बोडाझरिया	0	0	0	0	0	0	3	2,58,193	0	0	0	0	3	2,58,193	
15	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	रजौटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21,140	1	21,140	
16	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	पेटला	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,000			1	7,000	
17	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	सत्याडीह	0	0	0	0	0	0	1	25,576	1	15,600	1	6,000	3	47,176	
18	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	बासाझाल	0	0	0	0	0	0	4	1,71,686	1		1		6	1,71,686	
19	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	टिरंग	1	6,00,000	0	0	0	0	4	1,16,074	4	53,000	0	0	9	7,69,074	
20	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	घोघरा	0	0	0	0	0	0	3	1,02,122	0	0	0	0	3	1,02,122	
21	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	मानपुर	0	0	0	0	0	0	1	50,482	0	0	0	0	1	50,482	
22	सरगुजा	सीतापुर	बतौली	चाउरपानी	0	0	0	0	0	0	1	27,355	1	81,740	0	0	2	1,09,095	
23	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	कण्डराजा	0	0	0	0	0	0	67	8,12,804	7	6,95,741	0	0	74	15,08,545	

क्र	वनमण्डल का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसल क्षति		मकान क्षति		अन्य क्षति		कुल प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	
					प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में	प्रकरण संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि रुपये में		प्रकरण संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	चोरकीपानी	0	0	0	0	0	0	20	1,23,547	4	2,50,840	0	0	24	3,74,387
25	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	डांडकेसरा	0	0	0	0	0	0	1	3,113	0	0	0	0	1	3,113
26	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	पिड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21,300	0	0	2	21,300
27	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	नर्मदापुर	0	0	0	0	2	28,000	23	2,33,584	19	18,57,412	0	0	44	21,18,996
28	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	सरभंजा	0	0	0	0	1	12,000	2	9,171	0	0	0	0	3	21,171
29	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	उरगा	0	0	0	0	0	0	13	98,340	0	0	0	0	13	98,340
30	सरगुजा	सीतापुर	मैनपाट	केसरा	0	0	0	0	0	0	2	5,663	0	0	0	0	2	5,663
वर्ष 2025 योग-					2	12,00,000	0	0	3	40,000	165	27,80,141	55	35,56,783	5	39,140	230	76,16,064
कुल योग-					11	66,00,000	7	1,56,611	20	3,89,302	1,708	2,32,65,317	543	2,61,05,950	14	75,919	2,301	5,65,93,099

अपर प्रधमि मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 488) की जानकारी

ii =

(1) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में वनोपज आधारित आजीविका (लघु वनोपज—जैसे तेन्दूपत्ता, चार, महुआ, चरौटा, हर्रा, बहेड़ा) के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत लाभान्वित ग्रामीण एवं वनाश्रित परिवार तथा उन्हें प्राप्त आर्थिक लाभ का विवरण :-

वनमण्डल	वर्ष	वनोपज का नाम एवं मात्रा	संग्रहित मात्रा	वितरित राशि (लाख में)	लाभान्वित संग्राहक संख्या
रायगढ़	2023	तेन्दूपत्ता (मा.बो.)	13808.125	552.325	12282
रायगढ़	2023	काजू गुठली ग्रेड-2 (क्विं.)	21.35	1.729	26
रायगढ़	2023	सालबीज ग्रेड-2 (क्विं.)	806.36	14.514	1011
रायगढ़	2023	बहेड़ा कच्चा (क्विं.)	0.40	0.008	1
रायगढ़	2024	तेन्दूपत्ता (मा.बो.)	14305.150	786.783	12439
रायगढ़	2024	सालबीज ग्रेड-2 (क्विं.)	53.00	0.954	42
रायगढ़	2025	तेन्दूपत्ता मा.बो.	13568.495	746.267	11048
रायगढ़	2025	सालबीज ग्रेड-2 (क्विं.)	35.78	0.644	44
रायगढ़	योग	लघुवनोपज(क्विं.)	916.890	17.850	1124
रायगढ़	योग	तेन्दूपत्ता(मा.बो.)	41681.770	2085.375	35769
धरमजयगढ़	2023	तेन्दूपत्ता (मा.बो.)	21335.330	853.41	15572
धरमजयगढ़	2024	तेन्दूपत्ता (मा.बो.)	24093.900	1325.16	17150
धरमजयगढ़	2024	हर्रा कचरिया (क्विं.)	15.89	0.40	44
धरमजयगढ़	2025	तेन्दूपत्ता (मा.बो.)	22156.840	1218.62	17463
धरमजयगढ़	योग	लघुवनोपज(क्विं.)	15.89	0.40	44
धरमजयगढ़	योग	तेन्दूपत्ता(मा.बो.)	67586.07	3397.19	50185
	कुल योग	लघुवनोपज(क्विं.)	932.78	18.25	1168
	कुल योग	तेन्दूपत्ता(मा.बो.)	109267.840	5482.565	85954
		महायोग :-		5500.815	87122

(2) आजीविका बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा नयी पहल/मूल्यवर्धन इकाईयों की जानकारी निम्नानुसार है -

- छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विनाशविहीन पद्धति से वनोपज का विदोहन हेतु संग्राहक परिवार को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- लाख पालन, शहद संग्रहण हेतु ग्रामीणों की आयवर्धन के लिए प्रशिक्षण वनधन केन्द्रों के माध्यम से दिया जाता है।
- वनोपज मूल्यवर्धन हेतु वनधन केन्द्रों की स्थापना की गई है।


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 492) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दि. 01.01.2024 से दि. 24.11.2024 तक हत्या, बलात्कार एवं अपहरण के प्रकरणों की जानकारी							
क्र.	अपराध शीर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	अभियोग पत्र प्रस्तुत	खात्मा	खारजी	पुलिस लंबित
1	हत्या	15	29	14	1	0	0
2	बलात्कार	55	67	54	0	1	0
3	अपहरण	63	7	7	1	50	5

प्रपत्र-ब

दि. 01.01.2024 से दि. 24.11.2025 तक दर्ज गुमशुदगी के प्रकरणों की जानकारी				
क्र.	गुम इंसान शीर्ष	दर्ज गुम इंसान	बरामद	लंबित गुमशुदा
1	बालिग (महिला/पुरुष)	776	575	201
2	नाबालिग बालिका	147	119	28

पुलिस द्वारा किये गये प्रयास :- गुमशुदा व्यक्तियों की पतासाजी हेतु उनके रिश्तेदारों/ दोस्तों एवं निवास स्थान के आसपास के लोगों आदि से पूछताछ की गयी। छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के सभी जिलों को गुमशुदा व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रेषित कर पतासाजी का हर संभव प्रयास किया गया। गुमशुदा व्यक्ति के आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से पतासाजी का भी प्रयास किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर ऑपरेशन मुस्कान एवं ऑपरेशन तलाश के तहत अभियान चलाकर भी पतासाजी का लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से उपरोक्त बरामदगी की दर 75 प्रतिशत से भी अधिक है।

प्रपत्र - स

दि. 01.01.2024 से दि. 24.11.2025 तक चोरी एवं डकैती के प्रकरणों की जानकारी							
क्र.	अपराध शीर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	अभियोग पत्र प्रस्तुत	खात्मा	खारजी	पुलिस लंबित
1	चोरी	291	301	104	152	1	34
2	डकैती	2	15	2	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परीशेष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 494) की जानकारी

प्रपत्र-

प्रश्नांश 'क' जिला रायगढ़ अंतर्गत सोसाइटियों को खाद का आबंटन एवं किसानों को आपूर्ति की जानकारी

क्र.	प्राथमिक/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का नाम	खरीफ वर्ष 2025			रबी वर्ष 2025-26		
		प्राथमिक/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति को आबंटन/लक्ष्य (मे.टन में)	किसानों को आपूर्ति किये गये उर्वरक की मात्रा (मे.टन में)	किसानों की संख्या, जिनको उर्वरक वितरण किया गया	प्राथमिक/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति को आबंटन/लक्ष्य (मे.टन में)	किसानों को आपूर्ति किये गये उर्वरक की मात्रा (मे.टन में)	किसानों की संख्या, जिनको उर्वरक वितरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोकड़ीतराई	270	244	335	211	-	-
2	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तरेकेला	428	370	534	313	-	-
3	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तारापुर	449	409	468	312	-	-
4	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति धनागर	366	357	539	370	-	-
5	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति नंदेली	580	538	578	751	-	-
6	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बायंग	465	399	561	262	-	-
7	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति भातपुर	699	653	688	983	-	-
8	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कांटाहरदी	458	437	425	466	-	-
9	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बंगुरसिया	275	247	231	126	-	-
10	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति टारपाली	362	314	479	5	-	-
11	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जामगांव	302	266	356	127	-	-
12	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लोइंग	460	430	552	52	-	-
13	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोड़तराई	559	534	615	779	-	-
14	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कछार	412	385	483	331	-	-
योग		6084	5583	6844	5088		

15	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पुसौर	345	302	311	233	-	-
16	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पडीगाँव	301	263	379	135	-	-
17	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बड़े हल्दी	450	417	592	235	-	-
18	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बड़े भंडार	465	436	758	176	-	-
19	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति गोर्गा	559	546	712	393	-	-
20	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति नवापारा मांड	445	416	505	567	-	-
21	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोडातराई	494	459	551	307	-	-
22	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तेलिपाली	398	382	392	173	-	-
23	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जतरी	297	281	326	0	-	-
24	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति छिछोर उमरिया	455	422	560	69	-	-
25	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तेतला	465	444	455	478	-	-
26	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तिलगी	404	393	423	397	-	-
27	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोडपाली	569	547	671	137	-	-
28	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति केशला (331)	385	370	491	97	-	-
29	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति गढउमरिया	243	222	211	130	-	-
योग		6273	5898	7337	3527		
30	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खरसिया	610	569	769	264	-	-
31	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति हालाहली	756	730	507	419	-	-
32	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बरगढ़	990	919	1154	834	-	-
33	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तुरेकेला	751	740	893	552	-	-
34	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चपले	820	759	939	0	-	-
35	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बनीपाथर	594	570	952	195	-	-
36	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मुरा	638	611	696	409	-	-
37	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जैमुरा	725	719	996	142	-	-

38	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जोबी	735	687	679	138	-	-
39	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति फरकानारा	520	472	655	93	-	-
40	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति खडगाँव	750	703	766	225	-	-
योग		7888	7479	9006	3271		
41	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धरमजयगढ	751	728	800	0	-	-
42	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिसरिंगा	565	505	566	0	-	-
43	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खम्हार	295	249	357	0	-	-
44	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जमरगीडीह	455	418	511	0	-	-
45	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खडगाँव	396	364	491	0	-	-
46	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति गेरसा	455	401	419	0	-	-
47	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुडेकेला	747	702	793	147	-	-
48	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छाल	275	204	220	0	-	-
49	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कापू	520	495	684	0	-	-
योग		4459	4067	4841	147		
50	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति घरघोडा	349	298	276	0	-	-
51	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुडुमकेला	260	216	217	0	-	-
52	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुर्मीभौना	211	195	361	0	-	-
53	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति टेडानवापारा	450	438	394	0	-	-
54	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छरटांगर	382	260	250	617	-	-
योग		1652	1406	1498	617		

55	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति तमनार	400	383	539	0	-	-
56	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जरेकेला	444	369	529	0	-	-
57	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खम्हरिया	204	105	131	40	-	-
58	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उरबा	220	207	211	0	-	-
59	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धौराभांटा	530	496	674	0	-	-
60	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति हमीरपुर	323	273	263	0	-	-
61	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सराईटोला	370	349	500	0	-	-
62	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सराईपाली	367	304	372	0	-	-
योग		2858	2487	3219	40	-	-
63	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लैलुंगा	310	290	334	0	-	-
64	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति राजपुर	265	246	248	0	-	-
65	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोड़ासिया	360	339	424	0	-	-
66	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केशला (100)	355	325	455	0	-	-
67	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लारीपानी	200	175	268	0	-	-
68	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मुकडेगा	200	173	210	0	-	-
69	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लिबरा	355	337	446	0	-	-
योग		2045	1886	2385	0	-	-
महायोग		31260	28806	35130	12690	-	-

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेष्ट - तिरसठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 496) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला रायगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विगत 02 वर्षों स्वीकृत, अप्रारंभ, पूर्ण, अपूर्ण एवं नवीन प्रस्तावित आवासों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आवास की संख्या	अप्रारंभ आवास की संख्या	पूर्ण आवास की संख्या	अपूर्ण आवास की संख्या	नवीन प्रस्तावित आवास की संख्या
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी						
1	धरमजयगढ़	0	0	0	0	34
2	घरघोड़ा	0	0	0	0	23
3	खरसिया	0	0	0	0	22
4	लैलूंगा	0	0	0	0	20
5	पुसौर	0	0	0	0	21
6	रायगढ़	64	0	48	16	128
कुल :-		64	0	48	16	248
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण						
1	धरमजयगढ़	11700	604	7371	3725	0
2	घरघोड़ा	3324	56	2153	1115	0
3	खरसिया	7520	95	5013	2412	0
4	लैलूंगा	9733	477	6212	3044	0
5	पुसौर	8321	284	5333	2704	0
6	रायगढ़	9179	290	6338	2551	0
7	तमनार	3492	207	2413	872	0
कुल :-		53269	2013	34833	16423	0
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)						
1	धरमजयगढ़	114	0	107	7	0
2	घरघोड़ा	3	0	3	0	0
3	लैलूंगा	32	0	31	1	0
4	तमनार	24	0	16	8	0
कुल :-		173	0	157	16	0

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

जिला रायगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भुगतान की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में)	कब तक भुगतान किया जायेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी				
1	धरमजयगढ़	0.00	0.00	-
2	घरघोड़ा	0.00	0.00	
3	खरसिया	0.00	0.00	
4	लैलूंगा	0.00	0.00	
5	पुसौर	0.00	0.00	
6	रायगढ़	126.83	1.34	दिसंबर 2025 में कर दिया जावेगा।
	कुल :-	126.83	1.34	
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण				
1	धरमजयगढ़	11451.30	2588.70	आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
2	घरघोड़ा	3301.80	687.00	
3	खरसिया	7644.10	1379.90	
4	लैलूंगा	8971.55	2708.05	
5	पुसौर	7939.95	2045.25	
6	रायगढ़	8904.70	2110.10	
7	तमनार	3458.60	731.80	
	कुल :-	51672.00	12250.80	
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)				
1	धरमजयगढ़	219.20	8.80	आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
2	घरघोड़ा	5.80	0.20	
3	लैलूंगा	62.80	1.20	
4	तमनार	42.80	5.20	
	कुल :-	330.60	15.40	


 जयपुर अधिकारी
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेष्ट - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 503) की जानकारी

प्रपत्र

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय विद्यालय जहाँ अहाता का निमाण हुआ है की जानकारी				
क	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेंडरी शाला का नाम
1	प्रा.शाला रामहेपुर बैगापारा	पू.मा.शाला बांधा	शास.हाईस्कूल लिम्हा	शा.उ.मा.शा. सकरी
2	प्रा.शाला बांधा	पू.मा.शाला बीजा	शास.हाई स्कूल दैजा	शास.उ.मा.शाला लाखासार
3	प्रा.शाला नवीन भाटापारा (बांधा)	पू.मा.शाला घोरामार	शास.हाईस्कूल गोकुलपुर	शास.उ.मा.शाला कोड़ापुरी
4	प्रा.शाला डोमनपुर	पू.मा.शाला पूरा	हाईस्कूल गुनसरी	शा.उ.मा.शा.घुटकु
5	प्रा.शाला बड़ेपारा	पू.मा.शाला सिलतरा	हाईस्कूल छतौना	शा.उ.मा.शा.नेवरा
6	प्रा.शाला भीमपुरी	पू.मा.शाला बेलपान	हाईस्कूल लोखण्डी	शास.उ.मा.शाला जूनापारा
7	प्रा.शाला जोगीपुर	पू.मा.शाला भाड़म	हाईस्कूल मोढ़े	शा.उ.मा.शा. बीजा
8	प्रा.शाला कठमुण्डा माल	पू.मा.शाला चोरभट्टीकला	हाईस्कूल खपरी	शास.उ.मा.शाला बेलपान
9	प्रा.शाला टिंगीपुर	पू.मा.शाला भरारी	हाईस्कूल भाड़म	शा.उ.मा.शा. गनियारी
10	प्रा.शाला जनपद बीजा	पू.मा.शाला कपसियाकला	हाईस्कूल पाली	शास.उ.मा.शाला खरकेना
11	प्रा.शाला घोरामार	पू.मा.शाला परसदा	हाईस्कूल चनाडोंगरी	शास.उ.मा.शाला उस्तापुर
12	प्रा.शाला भरहीकापा	पू.मा.शाला पेण्डारी	हाईस्कूल कुरेली	शा.उ.मा.शा. क. तखतपुर
13	प्रा.शाला बेलपान	पू.मा.शाला भरनी (कन्या)	—	शा.उ.मा.शा.सकरा
14	प्रा.शाला कोड़ासार	पू.मा.शाला भरनी	—	शा.उ.मा.शाला भरनी
15	प्रा.शाला ठाकुरकापा	पू.मा.शाला चनाडोंगरी	—	शा.उ.मा.शाला राजपुर
16	प्रा.शाला सिलतरा	पू.मा.शाला पेण्डी	—	शा.उ.मा.शाला मुरु
17	प्रा.शाला भाड़म	पू.मा.शाला छतौना	—	शा.उ.मा.शाला खरगहना
18	प्रा.शाला चोरभट्टीकला	पू.मा.शाला बेलमुण्डी	—	शा.उ.मा.शाला पौड़ी(गनियारी)
19	प्रा.शाला बल्दीपारा	पू.मा.शाला पांड	—	शा.उ.मा.शाला चिचिरदा
20	प्रा.शाला चकराकुण्ड	पू.मा.शाला दैजा	—	हा.से.स्कूल करनकापा
21	प्रा.शाला चोरभट्टीखुर्द	पू.मा.शाला हरदी	—	शास.उ.मा.वि.बा.उ.मा.शाला तखतपुर (आंगल)
22	प्रा.शाला दैहानपारा चोरभट्टीखुर्द	पू.मा.शाला देवतरा	—	—
23	प्रा.शाला भरारी	पू.मा.शाला अमने	—	—
24	प्रा.शाला कपसियाकला	पू.मा.शाला सोनबंधा	—	—
25	प्रा.शाला कपसियाखुर्द	पू.मा.शाला गनियारी (बालक)	—	—
26	प्रा.शाला भरनी (बालक)	पू.मा.शाला गनियारी (कन्या)	—	—
27	प्रा.शाला पेण्डारी (बालक)	पू.मा.शाला घोंघाडीह	—	—
28	प्रा.शाला पेण्डारी (कन्या)	पू.मा.शाला घुटकु (बालक)	—	—
29	प्रा.शाला परसदा	पू.मा.शाला लमेर	—	—
30	प्रा.शाला भरनी (कन्या)	पू.मा.शाला घुटकु (कन्या)	—	—
31	प्रा.शाला चनाडोंगरी	पू.मा.शाला गोकुलपुर	—	—
32	प्रा.शाला भिलौनी	पू.मा.शाला गुनसरी	—	—
33	प्रा.शाला पेण्डी	पू.मा.शाला जरौधा	—	—
34	प्रा.शाला गांधीनगर छतौना	पू.मा.शाला कुआ	—	—
35	प्रा.शाला छतौना	पू.मा.शाला चोरहा सिंघनपुरी	—	—
36	प्रा.शाला बेलमुण्डी	पू.मा.शाला कंचनपुर	—	—
37	प्रा.शाला बेलमुण्डी (कन्या)	पू.मा.शाला बरगन	—	—
38	प्रा.शाला पांड	पू.मा.शाला काठाकोनी	—	—
39	प्रा.शाला हरदी	पू.मा.शाला देवरीखुर्द	—	—
40	प्रा.शाला गाड़घाट	पू.मा.शाला खम्हरिया	—	—
41	प्रा.शाला कठमुण्डा	पू.मा.शाला खपरी	—	—

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
42	प्रा.शाला देवतरा	पू.मा.शाला के.जी.बी.व्ही. जरेली	—	—
43	प्रा.शाला अमने	पू.मा.शाला खरगहना	—	—
44	प्रा.शाला सोनबंधा	पू.मा.शाला खरकेना	—	—
45	प्रा.शाला देवरीसोन	पू.मा.शाला बोड़सरा	—	—
46	प्रा.शाला मौहाकापा	पू.मा.शाला कोपरा	—	—
47	प्रा.शाला पोंगरिहा	पू.मा.शाला कोड़ापुरी	—	—
48	प्रा.शाला गनियारी बालक	पू.मा.शाला बरदुलापारा	—	—
49	प्रा.शाला गनियारी (कन्या)	पू.मा.शाला कुरेली	—	—
50	प्रा.शाला अवधेलियापारा	पू.मा.शाला लाखासार	—	—
51	प्रा.शाला देवलपारा	पू.मा.शाला सागर	—	—
52	प्रा.शाला बेलटुकरी	पू.मा.शाला बेलसरा	—	—
53	प्रा.शाला बंधवापारा	पू.मा.शाला लिम्हा	—	—
54	प्रा.शाला लमेर	पू.मा.शाला लोखण्डी	—	—
55	प्रा.शाला पंडरीपार घुटकु	पू.मा.शाला बहतलाई	—	—
56	प्रा.शाला घुटकु (बालक)	पू.मा.शाला गिरधौना	—	—
57	प्रा.शाला भाड़मपार लमेर	पू.मा.शाला मोछ	—	—
58	प्रा.शाला पथर्रा	पू.मा.शाला पाली (मुरु)	—	—
59	प्रा.शाला भौहाकापा	पू.मा.शाला मुरु	—	—
60	प्रा.शाला मोहनभांठा	पू.मा.शाला नवापारा भकुर्रा	—	—
61	प्रा.शाला भुंडा	पू.मा.शाला नेवरा	—	—
62	प्रा.शाला गोकुलपुर	पू.मा.शाला निरतु	—	—
63	प्रा.शाला पचबंहरा	पू.मा.शाला पड़रिया	—	—
64	प्रा.शाला करही	पू.मा.शाला टिहुलाडीह	—	—
65	प्रा.शाला नवीन छिरहापारा	पू.मा.शाला परसापारा गमजु	—	—
66	प्रा.शाला लिम्ही	पू.मा.शाला नवापारा घुटकु	—	—
67	प्रा.शाला लिदरी	पू.मा.शाला पोड़ी (भरनी)	—	—
68	प्रा.शाला जरींधा	पू.मा.शाला देवरीकला	—	—
69	प्रा.शाला अरईबंद	पू.मा.शाला हांफा	—	—
70	प्रा.शाला कुआ	पू.मा.शाला दर्री	—	—
71	प्रा.शाला कंचनपुर	पू.मा.शाला खटोलिया	—	—
72	प्रा.शाला चोरहा सिंघनपुरी	पू.मा.शाला बराही	—	—
73	प्रा.शाला जनपद काठाकोनी	पू.मा.शाला निगारबंद	—	—
74	प्रा.शाला नवीन कठाकोनी	पू.मा.शाला पुरैना	—	—
75	प्रा.शाला नवीन खजुरीनवागांव	पू.मा.शाला केकती	—	—
76	प्रा.शाला नवीन बंधियापारा खजुरीनवागांव	पू.मा.शाला समडिल	—	—
77	प्रा.शाला बस्तीपारा खजुरीनवागांव	पू.मा.शाला राजपुर	—	—
78	प्रा.शाला बड़े बिनौरी	पू.मा.शाला सैदा (कन्या)	—	—
79	प्रा.शाला बिनौरी	पू.मा.शाला सैदा (बालक)	—	—
80	प्रा.शाला देवरीखुर्द	पू.मा.शाला चिचिरदा (बालक)	—	—
81	प्रा.शाला खम्हरिया (बालक)	पू.मा.शाला चिचिरदा (कन्या)	—	—
82	प्रा.शाला खम्हरिया (कन्या)	पू.मा.शाला सकरी (बालक)	—	—
83	प्रा.शाला खपरी	पू.मा.शाला सकरी (कन्या)	—	—
84	प्रा.शाला ढनढन (बालक)	पू.मा.शाला अमसेना	—	—
85	प्रा.शाला ढनढन (कन्या)	पू.मा.शाला सकर्रा (बालक)	—	—
86	प्रा.शाला जरेली	पू.मा.शाला सकर्रा (कन्या)	—	—
87	प्रा.शाला खरगहना (कन्या)	पू.मा.शाला जनपद तखतपुर	—	—

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
88	प्रा.शाला लारीपारा	पू.मा.शाला टिकरीपारा तखतपुर	—	—
89	प्रा.शाला कलमीटार	पू.मा.शाला तखतपुर (कन्या)	—	—
90	प्रा.शाला गोबंद	पू.मा.शाला करनकापा	—	—
91	प्रा.शाला खरकेना	पू.मा.शाला मोढ़े	—	—
92	प्रा.शाला बोड़सरा	पू.मा.शाला उसलापुर	—	—
93	प्रा.शाला कोड़ापुरी	पू.मा.शाला घुरु	—	—
94	प्रा.शाला चितावर	पू.मा.शाला अमेरी	—	—
95	प्रा.शाला बरदुलापारा	—	—	—
96	प्रा.शाला कुरेली	—	—	—
97	प्रा.शाला जनपद लाखासार	—	—	—
98	प्रा.शाला गोड़पारा	—	—	—
99	प्रा.शाला केकड़ार	—	—	—
100	प्रा.शाला सागर	—	—	—
101	प्रा.शाला लिम्हा	—	—	—
102	प्रा.शाला फूलतराई	—	—	—
103	प्रा.शाला लिम्ही	—	—	—
104	प्रा.शाला बेलसारा	—	—	—
105	प्रा.शाला भाटापारा बेलसरा	—	—	—
106	प्रा.शाला खटोला	—	—	—
107	प्रा.शाला सफरीभाठा	—	—	—
108	प्रा.शाला भोड़रहापारा लोखण्डी	—	—	—
109	प्रा.शाला जोंकी	—	—	—
110	प्रा.शाला लोखण्डी	—	—	—
111	प्रा.शाला स्वर्णजयंती नगर लोखण्डी	—	—	—
112	प्रा.शाला तुर्काडीह	—	—	—
113	प्रा.शाला बहतराई (बालक)	—	—	—
114	प्रा.शाला बहतराई (कन्या)	—	—	—
115	प्रा.शाला दबेना	—	—	—
116	प्रा.शाला चण्डीपारा गिरधौना	—	—	—
117	प्रा.शाला गिरधौना	—	—	—
118	प्रा.शाला खैरी	—	—	—
119	प्रा.शाला मोछ	—	—	—
120	प्रा.शाला बरछापारा मोछ	—	—	—
121	प्रा.शाला डिघोरा	—	—	—
122	प्रा.शाला कबराकापा	—	—	—
123	प्रा.शाला पाली (मुरु)	—	—	—
124	प्रा.शाला मेड़पार छोटा	—	—	—
125	प्रा.शाला बेलगहना	—	—	—
126	प्रा.शाला नवीन नवापारा भकुरा	—	—	—
127	प्रा.शाला बधेलकापा	—	—	—
128	प्रा.शाला अजयपुरखुर्द	—	—	—
129	प्रा.शाला भाटापारा नेवरा	—	—	—
130	प्रा.शाला नेवरा	—	—	—
131	प्रा.शाला निरतु	—	—	—
132	प्रा.शाला मौहारपारा निरतु	—	—	—
133	प्रा.शाला डिपरापारा निरतु	—	—	—

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
134	प्रा.शाला नुनियापारा	—	—	—
135	प्रा.शाला हरीजनपारा घुटकु	—	—	—
136	प्रा.शाला करहीपारा निरतु	—	—	—
137	प्रा.शाला पड़रिया	—	—	—
138	प्रा.शाला टिहुलाडीह	—	—	—
139	प्रा.शाला पकरिया	—	—	—
140	प्रा.शाला खुड़ियाडीह	—	—	—
141	प्रा.शाला चोरमा	—	—	—
142	प्रा.शाला राजाकापा	—	—	—
143	प्रा.शाला बहुरता	—	—	—
144	प्रा.शाला नवाडीह पाली	—	—	—
145	प्रा.शाला नवागांव	—	—	—
146	प्रा.शाला गमजु	—	—	—
147	प्रा.शाला परसाकापा टिंगीपुर	—	—	—
148	प्रा.शाला नवापारा	—	—	—
149	प्रा.शाला पोंड़ी (भरनी)	—	—	—
150	प्रा.शाला देवरीकला	—	—	—
151	प्रा.शाला हांफा	—	—	—
152	प्रा.शाला खम्हरिया	—	—	—
153	प्रा.शाला दर्री	—	—	—
154	प्रा.शाला पोड़कला	—	—	—
155	प्रा.शाला सांवाडबरा	—	—	—
156	प्रा.शाला बराही	—	—	—
157	प्रा.शाला निगारबंद	—	—	—
158	प्रा.शाला पुरैना	—	—	—
159	प्रा.शाला केकती	—	—	—
160	प्रा.शाला विचारपुर	—	—	—
161	प्रा.शाला नवीन केराकछार	—	—	—
162	प्रा.शाला रानीडेरा	—	—	—
163	प्रा.शाला सल्हैया	—	—	—
164	प्रा.शाला सिंघनपुरी	—	—	—
165	प्रा.शाला नेवसा	—	—	—
166	प्रा.शाला सैदा	—	—	—
167	प्रा.शाला विचिरदा	—	—	—
168	प्रा.शाला आवासपारा विचिरदा सिद्धमुनी	—	—	—
169	प्रा.शाला सकरी	—	—	—
170	प्रा.शाला सकर्रा	—	—	—
171	प्रा.शाला बुटेना (सकरी)	—	—	—
172	प्रा.शाला उड़ेला	—	—	—
173	प्रा.शाला सरसेनी	—	—	—
174	प्रा.शाला सिंघरी	—	—	—
175	प्रा.शाला अमसेना	—	—	—
176	प्रा.शाला करनकापा	—	—	—
177	प्रा.शाला नवीन टिकरीपारा तखतपुर	—	—	—
178	प्रा.शाला देवांगनपारा तखतपुर	—	—	—

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
179	प्रा.शाला जनपद मोढ़े	—	—	—
180	प्रा.शाला तखतपुर	—	—	—
181	प्रा.शाला उसलापुर	—	—	—
182	प्रा.शाला घुछ	—	—	—
183	प्रा.शाला अमेरी	—	—	—
184	प्रा.शाला शांतिनगर उसलापुर	—	—	—

विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय विद्यालय जहाँ अहाता का निमाण नहीं हुआ है की विद्यालयवार जान

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
1	प्रा.शाला डिपरापारा बीजा	पू.मा.शाला टांडा	शास.हाईस्कूल पोड़ीकला	शास.उ.मा.शाला क.सकरी
2	प्रा.शाला पंडाकापा घोरामार	पू.मा.शाला पथर्रा	शास.हाईस्कूल हरदी	शा.उ.मा.शाला जरौधा
3	प्रा.शाला देवतरी	पू.मा.शाला पचबहरा	शास.हाईस्कूल सिलतरा	शा.उ.मा.शाला बेलमुंडी
4	प्रा.शाला पूरा	पू.मा.शाला जूनापारा	शास.हाईस्कूल दर्री(विजयपुर)	शा.उ.मा.शाला रानीडेरा
5	प्रा.शाला सत्तीपारा घुटकु	पू.मा.शाला विंध्यासर	हाईस्कूल पुरेना	शा.उ.मा.शाला मोछ
6	प्रा.शाला तेलियापुरान	पू.मा.शाला नगोइ	हाईस्कूल नवापारा भकुर्रा	—
7	प्रा.शाला गधियापारा	पू.मा.शाला ढनढन	हाईस्कूल मेण्ड्रा	—
8	प्रा.शाला टांडा	पू.मा.शाला हिर्रीमाइंस	हाईस्कूल खजुरी	—
9	प्रा.शाला दर्रीकापा	पू.मा.शाला चितावर	हाईस्कूल देवतरा	—
10	प्रा.शाला नदियापारा चनाडोंगरी	पू.मा.शाला मेड़पार बजार	हाईस्कूल खम्हरिया	—
11	प्रा.शाला दैजा	पू.मा.शाला सकेती	हाईस्कूल बहतलाई	—
12	प्रा.शाला उमरिया	पू.मा.शाला खजुरी	हाईस्कूल सैदा	—
13	प्रा.शाला मुड़ापार	पू.मा.शाला केकड़ार	—	—
14	प्रा.शाला घोंघाडीह	पू.मा.शाला संबलपुरी	—	—
15	प्रा.शाला स्टेशनपारा घुटकु	पू.मा.शाला मेण्ड्रा	—	—
16	प्रा.शाला शाला गुनसरी	पू.मा.शाला बेलगहना	—	—
17	प्रा.शाला शाला आदिवासीपारा गुनसरी	पू.मा.शाला उन्नत नवापारा भकुर्रा	—	—
18	प्रा.शाला पिपरहट्टा	पू.मा.शाला नरोतीकापा	—	—
19	प्रा.शाला डिपरापारा अरईबंद	पू.मा.शाला पाली (बांधा)	—	—
20	प्रा.शाला नवापारा जरौधा	पू.मा.शाला पोड़ीकला	—	—
21	प्रा.शाला अघरिया	पू.मा.शाला रानीडेरा	—	—
22	प्रा.शाला बरगन	पू.मा.शाला सिंघनपुरी	—	—
23	प्रा.शाला जुनापारा	पू.मा.शाला तखतपुर (बालक)	—	—
24	प्रा.शाला विंध्यासर	पू.मा.शाला बेलसरी	—	—
25	प्रा.शाला नगोई	—	—	—
26	प्रा.शाला खरगहना (बानक)	—	—	—
27	प्रा.शाला बोइरहापारा लमेर	—	—	—
28	प्रा.शाला कोपरा	—	—	—
29	प्रा.शाला हिर्रीमाइंस	—	—	—
30	प्रा.शाला सांवाताल	—	—	—
31	प्रा.शाला मेड़पार बजार	—	—	—
32	प्रा.शाला सकेती	—	—	—
33	प्रा.शाला खजुरी	—	—	—
34	प्रा.शाला गड़रियापारा	—	—	—
35	प्रा.शाला टाकुरकापा (लाखासार)	—	—	—
36	प्रा.शाला संबलपुरी	—	—	—

क्र	प्राथमिक शाला का नाम	पूर्व माध्यमिक शाला का नाम	हाई स्कूल का नाम	हायर सेकेण्डरी शाला का नाम
37	प्रा.शाला मेण्ड्रा	-	-	-
38	प्रा.शाला मेण्ड्रा (कन्या)	-	-	-
39	प्रा.शाला जोरापारा	-	-	-
40	प्रा.शाला सतनामीपारा मोछ	-	-	-
41	प्रा.शाला मुरु	-	-	-
42	प्रा.शाला सकरीभांवर मुरु	-	-	-
43	प्रा.शाला नवापारा भकुरा	-	-	-
44	प्रा.शाला अजयपुरकला	-	-	-
45	प्रा.शाला नरोतीकापा	-	-	-
46	प्रा.शाला सिंगारबाडी	-	-	-
47	प्रा.शाला डिलवापारा	-	-	-
48	प्रा.शाला भौराकछार	-	-	-
49	प्रा.शाला बुटेना (बांधा)	-	-	-
50	प्रा.शाला घानापार	-	-	-
51	प्रा.शाला विजयपुर	-	-	-
52	प्रा.शाला खटोलिया	-	-	-
53	प्रा.शाला परसाकापा	-	-	-
54	प्रा.शाला चुलघट	-	-	-
55	प्रा.शाला राजपुर	-	-	-
56	प्रा.शाला समडिल	-	-	-
57	प्रा.शाला आवासपारा	-	-	-
58	प्रा.शाला सकरी	-	-	-
59	प्रा.शाला घोघरा	-	-	-
60	प्रा.शाला तिवारीपारा सैदा	-	-	-
61	प्रा.शाला खैराडीह	-	-	-
62	प्रा.शाला बटालियन रोड सकरी	-	-	-
63	प्रा.शाला दलदलीपारा सकरी	-	-	-
64	प्रा.शाला तखतपुर (कन्या)	-	-	-
65	प्रा.शाला बेलसरी	-	-	-
66	प्रा.शाला बेलसरी (कन्या)	-	-	-

Al Sam
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

24
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पॉरीशेड - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 511) की जानकारी

प्रश्न

५

जिला बिलासपुर अंतर्गत पंचायत संचालनालय से निर्मित/स्वीकृत मिनी स्टेडियम की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी

स.क्र.	वर्ष	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम जिससे मिनी स्टेडियम स्वीकृत किया गया है	प्रति स्टेडियम निर्माण लागत राशि (लाख में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015-16	बिलासपुर	बिल्हा	बेलतरा	मिनी स्टेडियम निर्माण योजना	51.24	अभिसरण - मिनी स्टेडियम निर्माण योजना से रु. 31.61 लाख मनरेगा से 19.63 लाख कुल राशि रु. 51.24 लाख
2	2015-16		तखतपुर	जरौंघा	मिनी स्टेडियम निर्माण योजना	51.24	अभिसरण - मिनी स्टेडियम निर्माण योजना से रु. 31.61 लाख मनरेगा से 19.63 लाख कुल राशि रु. 51.24 लाख
3	2016-17		तखतपुर	संबलपुरी	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	51.24	अभिसरण - मिनी स्टेडियम निर्माण योजना से रु. 31.61 लाख मनरेगा से 19.63 लाख कुल राशि रु. 51.24 लाख

संचालक

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

पारिशिष्ट - छेसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 512) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर जिले में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत नवीन तालाब निर्माण / पुराने तालाबों के नवीनीकरण कार्यों की स्वीकृति, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ तथा लागत की ग्रामवार जानकारी

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	कार्य की लागत (साशि लाख में)
1	बिल्हा	बसहा	बसहा	तालाब निर्माण कार्य गौठान के पास	पूर्ण	17.01
2	बिल्हा	गोठी	गोठी	नया तालाब निर्माण कार्य	पूर्ण	19.32
3	बिल्हा	हथनी	हथनी	नया तालाब निर्माण कार्य चारागाह के पास	पूर्ण	18.32
4	बिल्हा	मंजुरपहरी	मंजुरपहरी	नया निर्माण कार्य	पूर्ण	19.32
5	बिल्हा	नगपुरा	नगपुरा	नया तालाब निर्माण कार्य	पूर्ण	18.20
6	बिल्हा	परसदा भ	परसदा भ	नया तालाब निर्माण कार्य	पूर्ण	16.65
7	बिल्हा	पासीद	पासीद	तालाब निर्माण कार्य	पूर्ण	19.53
8	बिल्हा	अकलतरी	अकलतरी	तालाब गहरीकरण कार्य बंधवा तालाब	पूर्ण	16.01
9	बिल्हा	बरतौरी	हथकोडवा	तालाब गहरीकरण कार्य पैठू तालाब	पूर्ण	19.35
10	बिल्हा	बेलटुकरी	बेलटुकरी	तालाब गहरीकरण कार्य भदरा तालाब	पूर्ण	16.33
11	बिल्हा	भरारी	भरारी	तालाब नवीनीकरण कार्य नया तालाब	पूर्ण	10.00
12	बिल्हा	बोडसरा	बोडसरा	तालाब नवीनीकरण कार्य डबरी तालाब	पूर्ण	9.20
13	बिल्हा	डगनिया	डगनिया	तालाब गहरीकरण कार्य जोगी तालाब	पूर्ण	16.57
14	बिल्हा	धमनी	धमनी	तालाब गहरीकरण कार्य भागवती तालाब	पूर्ण	17.17
15	बिल्हा	गुमा	गुमा	तालाब नवीनीकरण कार्य नया तालाब	पूर्ण	9.99
16	बिल्हा	हरदीकला	हरदीकला	तालाब गहरीकरण कार्य भांग तालाब	पूर्ण	19.20

अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
17	बिल्हा	कडरी	नगपुरा	तालाब गहरीकरण (कार्य क्षीर सागर तालाब	पूर्ण	18.82
18	बिल्हा	केंवाछी	डोडकी	तालाब गहरीकरण कार्य बांधा तालाब	पूर्ण	19.21
19	बिल्हा	कया	कया	तालाब नवीनीकरण कार्य छपरही पैटू तालाब	पूर्ण	9.99
20	बिल्हा	लिमतरी	चुवानार	तालाब नवीनीकरण कार्य सारधा रोड तालाब	पूर्ण	9.35
21	बिल्हा	मोहतरा	मोहतरा	तालाब गहरीकरण कार्य दैहान तालाब	पूर्ण	19.39
22	बिल्हा	मोहतराई	मोहतराई	तालाब नवीनीकरण कार्य नवरंग तालाब	पूर्ण	9.48
23	बिल्हा	मुढीपार	मुढीपार	तालाब गहरीकरण कार्य राम सागर	पूर्ण	19.08
24	बिल्हा	परसदा से	परसदा से	तालाब गहरीकरण कार्य देवरहा तालाब	पूर्ण	11.44
25	बिल्हा	पेण्डरवा द	पेण्डरवा द	तालाब नवीनीकरण कार्य अमृत मिशन तालाब	पूर्ण	9.71
26	बिल्हा	पौंसरा	पौंसरा	तालाब गहरीकरण कार्य कपूरा तालाब	पूर्ण	17.45
27	बिल्हा	सरवनदेवरी	सरवनदेवरी	तालाब नवीनीकरण कार्य रामसागर तालाब	पूर्ण	9.75
28	बिल्हा	सरवानी	सरवानी	तालाब नवीनीकरण कार्य छपरा तालाब	पूर्ण	9.97
29	बिल्हा	टेकर	टेकर	तालाब नवीनीकरण कार्य सुखरी तालाब	पूर्ण	9.96
30	कोटा	खैरझिटी	खैरझिटी	तालाब गहरीकरण कार्य तालाब माता चौरा खैरझिटी	पूर्ण	16.51
31	कोटा	बरपाली	बरपाली	तालाब गहरीकरण कार्य शिवसागर नंदशसर तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	8.41
32	कोटा	बारीडीह	बारीडीह	तालाब गहरीकरण कार्य डब्लू एच धनुहार तालाब	पूर्ण	9.11
33	कोटा	कंचनपुर	कंचनपुर	तालाब गहरीकरण कार्य महामाया तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	8.97
34	कोटा	करगीखुर्द	करगीखुर्द	तालाब गहरीकरण कार्य सागर तालाब करगीखुर्द अमृत सरोवर	पूर्ण	16.68

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
35	कोटा	मझगांव	मझगांव	तालाब गहरीकरण कार्य गौठान के पास नया तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	18.52
36	कोटा	मनपहरी	मनपहरी	तालाब गहरीकरण कार्य अमहा तालाब मनपहरी अमृत सरोवर	पूर्ण	13.68
37	कोटा	झिंगटपुर	झिंगटपुर	तालाब गहरीकरण कार्य सिद्धबाबा तालाब झिंगटपुर अमृत सरोवर	पूर्ण	11.47
38	कोटा	रिंगवार	रिंगवार	तालाब गहरीकरण कार्य नया तालाब कासीरीया पारा अमृत सरोवर	पूर्ण	16.00
39	कोटा	सिलदहा	सिलदहा	तालाब गहरीकरण कार्य अमलीया तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	12.60
40	कोटा	लिटिया	मौहदी	तालाब गहरीकरण कार्य रामसागर तालाब मोहली	पूर्ण	16.80
41	कोटा	पण्डरापथरा	पण्डरापथरा	तालाब गहरीकरण कार्य पेटली तालाब पंडरापथरा अमृत सरोवर	पूर्ण	11.91
42	कोटा	पोंड़ी	पोंड़ी	तालाब गहरीकरण कार्य नया तालाब पोड़ी अमृत सरोवर	पूर्ण	14.68
43	कोटा	पोंड़ी सल्का	पोंड़ी सल्का	तालाब गहरीकरण कार्य परदेशिया तालाब पोड़ी सल्का	पूर्ण	12.00
44	कोटा	पुडू	पुडू	तालाब नवरीकरण कार्य डब्लू एच पुडू जलासय तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	9.05
45	कोटा	पटैता	पटैता	तालाब गहरीकरण कार्य मुदहवा तालाब पटैता अमृत सरोवर	पूर्ण	14.49

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
46	कोटा	रतखण्डी	बरर	तालाब गहरीकरण कार्य पुरेना तालाब बरर अमृत सरोवर	पूर्ण	10.75
47	कोटा	सक्तीबहरा	सक्तीबहरा	तालाब गहरीकरण कार्य बाबा तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	7.12
48	कोटा	तेन्दूवा	तेन्दूवा	तालाब गहरीकरण कार्य सड़क तालाब तेन्दूवा अमृत सरोवर	पूर्ण	13.16
49	कोटा	नागचुवा	नागचुवा	तालाब गहरीकरण कार्य राम सागर तालाब नामचुवा अमृत सरोवर	पूर्ण	10.73
50	कोटा	नवागांव सल्का	नवागांव सल्का	तालाब गहरीकरण कार्य सौराबंध तालाब नवागांव सल्का अमृत सरोवर	पूर्ण	14.71
51	कोटा	लालपुर	घासीपुर	तालाब गहरीकरण कार्य नया तालाब घासीपुर लालपुर अमृत सरोवर	पूर्ण	10.09
52	कोटा	तुलुफ	तुलुफ	कृषि तालाब गहरीकरण कार्य तुलुफ अमृत सरोवर	पूर्ण	20.00
53	कोटा	बिटकुली	बिटकुली	कर्षा तालाब गहरीकरण कार्य बिटकुली अमृत सरोवर	पूर्ण	20.00
54	कोटा	डांडबछाली	डांडबछाली	आमापारा तालाब गहरीकरण कार्य डांडबछाली अमृत सरोवर	पूर्ण	20.00
55	मस्तूरी	बेलटुकरी	बेलटुकरी	अमृत सरोवर बेलटुकरी	पूर्ण	19.99
56	मस्तूरी	लोहर्सी	लोहर्सी	अमृत सरोवर तालाब निर्माण गौठान के पास	पूर्ण	19.48
57	मस्तूरी	मुड़पार खोरसी	मुड़पार खोरसी	अमृत सरोवर खोरसी	पूर्ण	19.99
58	मस्तूरी	परसदावेद	परसदावेद	अमृत सरोवर वेदपरसदावेद	पूर्ण	19.03
59	मस्तूरी	सोन	सोन	अमृत सरोवर सोन	पूर्ण	19.99
60	मस्तूरी	उड़ांगी	उड़ांगी	अमृत सरोवर उड़ांगी	पूर्ण	19.48

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
61	मस्तूरी	विद्याडीह	विद्याडीह	अमृत सरोवर विद्याडीह बिनैका	पूर्ण	19.49
62	मस्तूरी	धनगंगा	धनगंगा	अमृत सरोवर धनगंगा	पूर्ण	19.17
63	मस्तूरी	कोसमडीह	कोसमडीह	अमृत सरोवर कोसमडीह	पूर्ण	19.99
64	मस्तूरी	पताईडीह	पताईडीह	अमृत सरोवर पताईडीह	पूर्ण	19.50
65	मस्तूरी	दर्राभाठा	दर्राभाठा	अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण कार्य दर्राभाठा	पूर्ण	19.20
66	मस्तूरी	कुकुर्दीकला	कुकुर्दीकला	अमृत सरोवर निर्माण कार्य कुकुर्दीकला	पूर्ण	19.22
67	मस्तूरी	रिस्ता	रिस्ता	अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण रिस्ता	पूर्ण	18.63
68	मस्तूरी	भुरकुण्डा	भुरकुण्डा	अमृत सरोवर जोरवा तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.85
69	मस्तूरी	बोहारडीह	बोहारडीह	अमृत सरोवर बोहारडीह	पूर्ण	11.07
70	मस्तूरी	डोड़की	डोड़की	अमृत सरोवर कोटवार तालाब गहरीकरण	पूर्ण	9.89
71	मस्तूरी	गुड़ी	गुड़ी	अमृत सरोवर गुड़ी	पूर्ण	11.94
72	मस्तूरी	हरदी आमगांव	हरदी आमगांव	अमृत सरोवर हरदी आमगांव	पूर्ण	9.94
73	मस्तूरी	नवागांव ह.	नवागांव ह.	अमृत सरोवर नवागांव ह.	पूर्ण	10.00
74	मस्तूरी	ऊनी	ऊनी	अमृत सरोवर ऊनी	पूर्ण	10.62
75	मस्तूरी	भरारी	भरारी	नया तालाब गहरीकरण कार्य अमृत सरोवर भरारी	पूर्ण	9.91
76	मस्तूरी	चौहा	चौहा	अमृत सरोवर पनपिता तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर चौहा	पूर्ण	9.78
77	मस्तूरी	जांजी	जांजी	तालाब गहरीकरण कार्य अमृत सरोवर सिरतु तालाब जांजी	पूर्ण	9.93
78	मस्तूरी	खपरी	खपरी	तालाब नवीनीकरण कार्य रानीसागर तालाब अमृत सरोवर खपरी	पूर्ण	9.55

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/ अप्रारंभ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
79	मस्तूरी	कुकदा	कुकदा	तालाब नवीनीकरण कार्य देवदरहा तालाब अमृत	पूर्ण	9.98
80	मस्तूरी	कुकुर्दीकेरा	कुकुर्दीकेरा	तालाब नवीनीकरण कार्य छाया तालाब अमृत सरोवर कुकुर्दीकेरा	पूर्ण	9.93
81	मस्तूरी	लिमतरा	लिमतरा	तालाब नवीनीकरण कार्य भीमसेनिया तालाब अमृत सरोवर लिमतरा	पूर्ण	9.88
82	मस्तूरी	नवागांव मच.	नवागांव मच.	तालाब नवीनीकरण कार्य जोगीमुड़ा तालाब अमृत सरोवर नवागांव मच.	पूर्ण	9.82
83	मस्तूरी	परसदावेद	परसदावेद	तालाब नवीनीकरण कार्य छोटे बांधा अमृत सरोवर परसदावेद	पूर्ण	9.55
84	मस्तूरी	सरसेनी	सरसेनी	तालाब नवीनीकरण कार्य जगदीश बांधा अमृत सरोवर सरसेनी	पूर्ण	9.55
85	मस्तूरी	सीपत	सीपत	तालाब नवीनीकरण कार्य गजाबांध अमृत सरोवर सीपत	पूर्ण	9.98
86	मस्तूरी	शिवटिकारी	शिवटिकारी	तालाब नवीनीकरण कार्य नेवार खार अमृत सरोवर शिवटिकारी	पूर्ण	9.92
87	मस्तूरी	नरगोड़ा	नरगोड़ा	अमृत सरोवर फुटहा तालाब गहरीकरण कार्य नरगोड़ा	पूर्ण	10.00
88	मस्तूरी	धुवाकारी	धुवाकारी	तालाब नवीनीकरण कार्य नया तालाब अमृत सरोवर धुवाकारी	पूर्ण	9.97
89	मस्तूरी	चकरबेड़ा	चकरबेड़ा	अमृत सरोवर पुरैना तालाब गहरीकरण कार्य चकरबेड़ा	पूर्ण	9.99

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/ अप्रारम्भ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
90	मस्तूरी	खांडा	खांडा	अमृत सरोवर खांडा	पूर्ण	11.71
91	मस्तूरी	बिनौरी	बिनौरी	तालाब नवीनीकरण कार्य सिंघली तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	10
92	मस्तूरी	पेण्डी	पेण्डी	नया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.25
93	तखतपुर	घुटकू	घुटकू	अमृत सरोवर जोरा तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.67
94	तखतपुर	मेडपारछोटा	मेडपारछोटा	अमृत सरोवर राम सागर तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	16.25
95	तखतपुर	सकेरी	सकेरी	अमृत सरोवर तार बांध तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	17.15
96	तखतपुर	चितावर	चितावर	अमृत सरोवर राजीव मिसन तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	12.33
97	तखतपुर	नगोई	नगोई	अमृत सरोवर नर्सरी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	11.05
98	तखतपुर	पेंडी	पेंडी	अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण कार्य	पूर्ण	19.72
99	तखतपुर	लिदरी	लिदरी	अमृत सरोवर शिव तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.97
100	तखतपुर	केकती	केकती	अमृत सरोवर बांधा तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.99
101	तखतपुर	भकुरानवापारा	भकुरानवापारा	अमृत सरोवर राम सागर तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	16.25
102	तखतपुर	पौडीभरनी	पौडीभरनी	अमृत सरोवर आदर्श तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	11.78
103	तखतपुर	ठाकुरकापा	ठाकुरकापा	अमृत सरोवर नया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	12.98
104	तखतपुर	बोडसरा	बोडसरा	अमृत सरोवर नया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	10.26
105	तखतपुर	बांधा	बांधा	अमृत सरोवर शिव सागर गहरीकरण कार्य	पूर्ण	18.6
106	तखतपुर	कोपरा	कोपरा	अमृत सरोवर नया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.97
107	तखतपुर	विंध्यासर	विंध्यासर	अमृत सरोवर हरदी डबरी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	14.73

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ)	कार्य की लागत (राशि लाख में)
108	तखतपुर	काठाकोनी	काठाकोनी	अमृत सरोवर बांधा डबरी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.97
109	तखतपुर	खम्हरिया	खम्हरिया	अमृत सरोवर बांधा डबरी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
110	तखतपुर	साल्हेकापा	साल्हेकापा	अमृत सरोवर नया तालाब शिव मंदिर तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
111	तखतपुर	परसदा	परसदा	अमृत सरोवर तारबांध तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
112	तखतपुर	भरारी	भरारी	अमृत सरोवर जुनी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
113	तखतपुर	चोरभट्टीखुर्द	चोरभट्टीखुर्द	अमृत सरोवर मतखनवा तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.88
114	तखतपुर	देवरीकला	देवरीकला	अमृत सरोवर आवास पारा तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.99
115	तखतपुर	हरदी	हरदी	अमृत सरोवर रोहनी तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
116	तखतपुर	लिम्ही	लिम्ही	अमृत सरोवर नईया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
117	तखतपुर	पोंडिकला	पोंडिकला	अमृत सरोवर खाद खडिया तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.98
118	तखतपुर	विंध्यासर	विंध्यासर	अमृत सरोवर बटुरही तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	9.99
119	तखतपुर	कुरेली	कुरेली	अमृत सरोवर मेंडों तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	19.93

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

(Signature)

पारिशेष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 516) की जानकारी

प्रपत्र- अ

बिलासपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में 25/11/2025 तक के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों, उन्नयन कार्यों, आधारभूत संरचना विकास, भवन निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, स्मार्ट क्लास/लैब स्थापना, फर्नीचर क्रय हेतु मदवार स्वीकृत राशि, कार्य का नाम, कार्य एजेंसी की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकास खंड	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य एजेंसी / फर्म का नाम
1	मस्तूरी	2024-25	आधारभूत संरचना विकास	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	1.89	ग्राम पंचायत
		2024-25	भवन निर्माण	अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष	23.59	ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद
2	बिल्हा	2024-25	भवन निर्माण	अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष	71.47	ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद
		2024-25	मरम्मत	दीर्घ मरम्मत	20.33	नगर निगम बिलासपुर
	कोटा	2024-25	भवन निर्माण	अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष	53.44	ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद
	तखतपुर	2024-25	भवन निर्माण	अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष	115.04	ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद
3	बिल्हा	2024-25	नवीन शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण	95.99	जनपद पंचायत बिल्हा
		2024-25			1.03	नगर पंचायत बोदरी
		2024-25	शौचालय मरम्मत	शौचालय मरम्मत	49.88	जनपद पंचायत बिल्हा
		2024-25			0.40	नगर पंचायत बोदरी
	मस्तूरी	2024-25	नवीन शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण	73.13	जनपद पंचायत मस्तूरी
		2024-25			2.06	न.पंचायत मल्हार
		2024-25	शौचालय मरम्मत	शौचालय मरम्मत	25.70	जनपद पंचायत मस्तूरी
	कोटा	2024-25	नवीन शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण	6.18	जनपद पंचायत कोटा
		2024-25	शौचालय मरम्मत	शौचालय मरम्मत	44.43	जनपद पंचायत कोटा
		2024-25			0.90	न.पंचायत रतनपुर
	तखतपुर	2024-25	नवीन शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण	20.60	जनपद पंचायत तखतपुर
		2024-25			7.01	नगर निगम बिलासपुर
2024-25		शौचालय मरम्मत	शौचालय मरम्मत	44.30	जनपद पंचायत तखतपुर	
4	बिल्हा	2024-25	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	अतिआवश्यक कार्य	20.86	जनपद पंचायत बिल्हा
	मस्तूरी	2024-25			10.38	जनपद पंचायत मस्तूरी
	कोटा	2024-25			13.40	जनपद पंचायत कोटा
	तखतपुर	2024-25			14.87	जनपद पंचायत तखतपुर

क्र.	विकास खंड	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य एजेंसी / फर्म का नाम
5.	बिल्हा	2024-25	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	38.15	आरईएस. (हा.से.स्कूल मोंपका)
6	बिल्हा	2024-25	स्टूडेंट फर्नीचर	फर्नीचर कार्य	107.46	मेसर्स खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन, आर.के.सेल्स, रानीसती उद्योग बिलासपुर
	मस्तूरी	2024-25			30.48	
	कोटा	2024-25			46.61	
	तखतपुर	2024-25			29.58	
	बिल्हा	2024-25	स्टाप फर्नीचर	फर्नीचर कार्य	15.90	मेसर्स खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन, आर.के.सेल्स, रानीसती उद्योग बिलासपुर
	मस्तूरी	2024-25			7.30	
	कोटा	2024-25			8.14	
	तखतपुर	2024-25			10.50	
7	बिल्हा	2025-26	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	अतिआवश्यक कार्य	19.28	जनपद पंचायत बिल्हा
	मस्तूरी	2025-26			19.28	जनपद पंचायत मस्तूरी
	कोटा	2025-26			19.28	जनपद पंचायत कोटा
	तखतपुर	2025-26			19.28	जनपद पंचायत तखतपुर
8	बिल्हा	2025-26	स्टूडेंट फर्नीचर	फर्नीचर कार्य	61.73	मेसर्स खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन बिलासपुर
	मस्तूरी	2025-26			48.51	
	कोटा	2025-26			30.04	
	तखतपुर	2025-26			55.20	
9	तखतपुर	25.11.25 तक	नवीन भवन निर्माण	भवन निर्माण कार्य	11.84	आयुक्त, न.पा.नि.बिलासपुर
	मस्तूरी				11.48	जनपद पंचायत मस्तूरी
	तखतपुर				11.48	जनपद पंचायत तखतपुर
11	बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर	2024-25 से 25.11. 2025 तक	स्मार्ट क्लास	निरंक	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

वर्ष 2024-25 से 2025-26 में दिनांक 25.11.2025 तक स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी

विकास खंड	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य की भौतिक स्थिति		
			पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
मस्तूरी	2024-25	आधारभूत संरचना विकास	1	1	2
बिल्हा	2024-25	भवन निर्माण	3	5	1
कोटा	2024-25		1	5	1
तखतपुर	2024-25		0	1	13
तखतपुर,	2025-26	नवीन भवन निर्माण	0	0	1
तखतपुर,	2025-26		0	0	1
मस्तूरी	2025-26		0	0	1
बिल्हा	2024-25	मरम्मत	2	0	0
बिल्हा	2024-25	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	27	0	1
मस्तूरी	2024-25		14	0	0
कोटा	2024-25		20	0	0
तखतपुर	2024-25		21	0	1
बिल्हा	2025-26	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	0	27	0
मस्तूरी	2025-26		0	27	0
कोटा	2025-26		0	27	0
तखतपुर	2025-26		0	27	0
बिल्हा	2024-25	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	1	0	1
बिल्हा	2024-25	शौचालय कार्य	263	84	23
मस्तूरी	2024-25	शौचालय कार्य	27	34	13
कोटा	2024-25	शौचालय कार्य	70	41	57
तखतपुर	2024-25	शौचालय कार्य	116	17	115
बिल्हा	2024-25	स्टाप फर्नीचर	39	0	0
	2024-25	विद्यार्थी फर्नीचर	34	0	0
मस्तूरी	2024-25	स्टाप फर्नीचर	18	0	0
	2024-25	विद्यार्थी फर्नीचर	11	0	0
कोटा	2024-25	स्टाप फर्नीचर	17	0	0
	2024-25	विद्यार्थी फर्नीचर	29	0	0

Handwritten Signature
 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

विकास खंड	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य की भौतिक स्थिति		
			पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
तखतपुर	2024-25	स्टाप फर्नीचर	33	0	0
	2024-25	विद्यार्थी फर्नीचर	23	0	0
बिल्हा	2025-26	विद्यार्थी फर्नीचर	29	0	0
मस्तूरी	2025-26	विद्यार्थी फर्नीचर	38	0	0
कोटा	2025-26	विद्यार्थी फर्नीचर	15	0	0
तखतपुर	2025-26	विद्यार्थी फर्नीचर	23	0	0
बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर	2024-25 से 25.11.2025 तक	स्मार्ट क्लास	0	0	0

Hisam
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

12/12/25
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पॉरीशेट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 523) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा जांजगीर-चांपा क्षेत्र के अंतर्गत जर्जर भवन, भवन विहीन एवं अहाता विहीन विद्यालयों की जानकारी

जर्जर शाला भवन					
क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम
1	बम्हनीडीह	शास.प्राथ.शाला घोघरानाला चांपा	33	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. भांठापारा कुटरा
2	बम्हनीडीह	शा.प्रा.शा.आरक्षीकेन्द्र चाम्पा	34	नवागढ़	शा.प्रा.शा. भादा
3	बम्हनीडीह	शा.प्रा.शा.बरपाली चाम्पा	35	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. सिउड़
4	बम्हनीडीह	शा.प्रा.शाला रेल्वे चाम्पा	36	नवागढ़	शा.प्रा.शा. देवरहा पारा सिवनी
5	बम्हनीडीह	शा.न.प्रा.शाला तिलक नगर चाम्पा	37	नवागढ़	शा.प्रा.शा. आदिवासी मुहल्ला बोड़सरा
6	नवागढ़	शास. प्रा.शा. बुड़ेना	38	नवागढ़	शा.प्रा.शा. कनई
7	नवागढ़	शा.बा.प्रा.शा. महंत	39	नवागढ़	शा.ज.प्रा.शा. सुकली
8	नवागढ़	शा.प्रा.शा. सदर जांजगीर	40	बम्हनीडीह	शा.पू.मा.शा.कोटाडबरी चाम्पा
9	नवागढ़	शा.प्रा.शा. खैरा (नैला)	41	बम्हनीडीह	शा.पू.मा.शा.आरक्षीकेन्द्र चाम्पा
10	नवागढ़	शा.प्रा.शा. बरछापारा सरखों	42	बम्हनीडीह	शा.पू.मा.शा.बरपाली चाम्पा
11	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. बरगांव	43	बम्हनीडीह	शा.पू.मा.शा.मठ कन्या चाम्पा
12	नवागढ़	शास.नवीन प्रा.शा. अमोदा	44	बम्हनीडीह	शा.पू.मा.शाला भोजपुर चाम्पा
13	नवागढ़	शास. प्रा.शा. अवरीद	45	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. चौराभांठा
14	नवागढ़	शास.नवीन प्रा.शा. भाठापारा अवरीद	46	नवागढ़	शा.न.पू.मा.शा. मरकाडीह
15	नवागढ़	शास. प्रा.शा. नहर कालोनी अवरीद	47	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. धुरकोट
16	नवागढ़	शास. प्रा.शा. चौराभांठा	48	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. खोखंसा
17	नवागढ़	शास. प्रा.शा.डुमरपारा बनारी	49	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. किरीत
18	नवागढ़	शास. प्रा.शा.डीहपारा बनारी	50	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. कुटरा
19	नवागढ़	शास. प्रा.शा. खैरवारपारा बोड़सरा	51	नवागढ़	शा.आदर्श पू.मा.शा. जांजगीर
20	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. धनेली	52	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. सिंउड़
21	नवागढ़	शा.क.प्रा.शा. धाराशिव	53	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. अंवरीद
22	नवागढ़	शा.प्रा.शा. पचेड़ा	54	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. धनेली
23	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. बावलीपारा पचेड़ा	55	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. धाराशिव (रोगदा)
24	नवागढ़	शा.प्रा.शा. भांठापारा नैला	56	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. पचेड़ा
25	नवागढ़	शा.प्रा.शा. गौशाला नैला	57	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. भांठापारा नैला
26	नवागढ़	शा.प्रा.शा. अकलतरी	58	नवागढ़	शा.न.पू.मा.शा. मौहाडीह
27	नवागढ़	शा.कनि.प्रा.शा. मुनुन्द	59	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. खोखरा
28	नवागढ़	शा.ज.प्रा.शा. खोखरा	60	नवागढ़	शा.न.पू.मा.शा. मेहन्दा
29	नवागढ़	शा.प्रा.शा. दर्शीपारा खोखरा	61	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. पुटपुरा
30	नवागढ़	शा.न. प्रा.शा. भाठापारा खोखरा	62	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. खैरताल
31	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. भाठापारा मेहन्दा	63	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. नेगुरडीह
32	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. नेगुरडीह	64	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. महंत

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम
65	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. भैंसमुड़ी	71	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. अमोरा
66	नवागढ़	शा.न.पू.मा.शा. गिद्धा	72	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. बनारी
67	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. सुकली	73	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. भड़ेसर
68	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल बूडेना	74	नवागढ़	शा.क.उ.मा.वि. महंत
69	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल भांठापार नैला	75	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सेमरा
70	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल गौद	76	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सिवनी

भवन विहीन शालाएं

क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम
1	बम्हनीडीह	प्राथ.शाला सदर चाम्पा

अहाता विहीन शालाएं

क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	क्रं.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम
1	बलौदा	शा.प्रा.शा. बराईपारा घुठिया	21	नवागढ़	शा.प्रा.शा. राछाभांठा
2	बम्हनीडीह	प्राथ.शाला तिलक नगर चांपा	22	नवागढ़	शा.प्रा.शा. पेण्डी
3	नवागढ़	शास.नवीन प्रा.शा. अमोदा	23	नवागढ़	शा.ज.प्रा.शा. रोगदा
4	नवागढ़	शास. प्रा.शा.डुमरपारा बनारी	24	नवागढ़	शा.प्रा.शा. गतवापारा रोगदा
5	नवागढ़	शास. प्रा.शा. हाथीटिकरा	25	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. सिउड़
6	नवागढ़	शास. प्रा.शा. आमापाली खिसोरा	26	नवागढ़	शा.प्रा.शा. आदिवासी मुहल्ला बोड़सरा
7	नवागढ़	शा.प्रा.शा. आमानारा भड़ेसर	27	नवागढ़	शा.प्रा.शा. खैरा (नैला)
8	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. डीहपारा सेवई	28	नवागढ़	शा.प्रा.शा. ठकुरदिया
9	नवागढ़	शा.ज.प्रा.शा. धाराशिव	29	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. चौराभांठा
10	नवागढ़	शा.प्रा.शा. मूंगाभांठा धाराशिव	30	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. धारशिव
11	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. बावलीपारा पचेड़ा	31	नवागढ़	शा.पू.मा.शा. घुठिया
12	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. भांठापारा घुठिया	32	नवागढ़	शा.न.पू.मा.शा. बोगापारा जांजगीर
13	नवागढ़	शा.प्रा.शा. बोगापार जांजगीर	33	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल भांठापार नैला
14	नवागढ़	शा.कनि.प्रा.शा. मुनुन्द	34	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल घुठिया
15	नवागढ़	शा.प्रा.शा. दर्सीपारा खोखरा	35	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल खोखसा
16	नवागढ़	शा.प्रा.शा. विजयापारा पुटपुरा	36	नवागढ़	शासकीय हाईस्कूल रोगदा
17	नवागढ़	शा.प्रा.शा. देवनगर किरीत	37	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. बनारी
18	नवागढ़	शा.न.प्रा.शा. बगडबरी महंत	38	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. धाराशिव (खोखरा)
19	नवागढ़	शा.प्रा.शा. पठारीपारा महंत	39	नवागढ़	शा.क.उ.मा.वि. धाराशिव (रोगदा)
20	नवागढ़	शा.ज.प्रा.शा. नवागढ़	40	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सेमरा

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पारिशेष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 524) की जानकारी

प्रपत्र-अ

ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत वितरित हितग्राहियों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	हितग्राही का पूर्ण नाम	ग्राम	पोस्ट	जिला	उद्योग का नाम	ऋण राशि	अनुराशि	बैंक/शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2023-24									
1		श्रीमती गायत्री महिलांगे/सहनी	फगुरम	फगुरम	जांजगीर	सिलाई कार्य	1.00	0.35	छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक फगुरम
2		श्री शशनाथ तुरकाने/धनाराम	सिलादेही	सिलादेही	जांजगीर	डेयरी प्रोडक्ट निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
3	बन्हनीडीह	श्री दिलीप कुमार रात्रे/जमुना	सिलादेही	सिलादेही	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
4		श्री नितेश/मेलाराम	सिलादेही	सिलादेही	जांजगीर	आटा चक्की	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
5		श्री विजय रोहिदास/अर्जुन	सिलादेही	सिलादेही	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
6	बलौदा	श्री सोमदेव रात्रे/हिरासाय	कुलीपोटा	कुलीपोटा	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
7		श्री रवि कुमार रात्रे/दिलीप कुमार	कुलीपोटा	कुलीपोटा	जांजगीर	आटा चक्की	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
8		श्री अजय कुमार/महेत्तर बंजारे	चण्डीपारा	पोस्ट	जांजगीर	कम्प्यूटर कार्य	0.89	0.31	इंडियन बैंक पामगढ़
9		श्री रमेश कुमार मनहर/रुद्र कुमार	खोरसी	खोरसी	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक शिवरीनारायण
10		श्री गजेन्द्र पाल/विनय	कोसीर	कोसीर	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
11	पामगढ़	श्रीमती अन्नपूर्णा साहू/कलेश्वर	खोरसी	खोरसी	जांजगीर	कम्प्यूटर कार्य	1.00	0.35	पंजाब नेशनल बैंक शिवरीनारायण
12		श्रीमती भारती यादव/बसंत यादव	खरौद	खरौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
13		श्री केशवकांत यादव/प्रकाशचंद्र	खरौद	खरौद	जांजगीर	आटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
14		श्रीमती प्रणिता यादव/अभिषेक	खरौद	खरौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
15		श्रीमती रंजीता कश्यप/गंगाप्रसाद	झूलन	पकरिया	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
16		श्री पवन कुमार आदित्य/अशोक	खरौद	खरौद	जांजगीर	आटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
17		रागिनी/राकेश कुमार	खरौद	खरौद	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
18		श्री दीपक गोड/रामचरण	हाथीटिकरा	बनारी	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
19		श्री अमरपाल सिंह/मोहरसाय	हाथीटिकरा	बनारी	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
20		श्री रविन्द्र सिंह/जगदीश	बनारी	बनारी	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
21	नवागढ़	श्री बहुर सिंह/बोधराम	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
22		श्रीमती उर्मिला जगत/धरमवीर	गौद	गौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद

क्र.	विकासखण्ड	हितग्राही का पूर्ण नाम	ग्राम	पोस्ट	जिला	उद्योग का नाम	ऋण राशि	अनुराशि	बैंक/शाखा का नाम
23		ममता कुमारी सिदार/नरेश	गौद	गौद	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
24		श्रीमती राशनी मरकाम/राजेंद्र	गौद	गौद	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
25		कु.प्रतिभा सूर्यवंशी/उमेश्वराम	जर्व	पेण्डी	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
26	नवागढ़	श्री संजय कुमार सूर्यवंशी/विजय	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
27		श्री राहुल कुमार मोंगरे/भरतलाल	भड़ेसर	भड़ेसर	जांजगीर	फर्निचर निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
28		श्री उमेश कुमार किरण/हेमलाल	धनवा	तिलाई	जांजगीर	फर्निचर निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
29		श्री संतोष कुमार रोहिदास/रामकुमार	गौद	गौद	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
30		श्रीमती दिल कुमारी रोहिदास/नंदकुमार	गौद	गौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
31		श्री पंकज रोहिदास/सुकपाल	गौद	गौद	जांजगीर	होतर मील	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
32		श्रीमती किरण/रविकुमार लसेर	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
33		श्री महेत्तर रोहिदास/शंकर	गौद	गौद	जांजगीर	फेब्रीकेशन कार्य	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
34		कति कुमारी सूर्यवंशी/लखन लाल	गौद	गौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
35		श्री अजय कुमार/संतोष	भड़ेसर	भड़ेसर	जांजगीर	फर्निचर निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
36		श्री आदित्य कुमार/विष्णुकुमार	पुटपुरा	खोखरा	जांजगीर	आंटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
37		श्री आमप्रकाश मवानी/शातिगोपाल	पुटपुरा	खोखरा	जांजगीर	फर्निचर निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
38		मनीषा/केदार	पुटपुरा	खोखरा	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
39	नवागढ़	श्री दीपक सूर्यवंशी/दुकालूराम	भड़ेसर	भड़ेसर	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
40		श्री घनश्याम प्रधान/हरिहर	महत	महत	जांजगीर	आटा चक्की	3.00	1.05	पंजाब नेशनल बैंक तरौद
41		श्री गौतम कुमार/रामसागर कश्यप	अमोरा	अमोरा	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
42		श्री राघवेंद्र यादव/घासीराम	कुटरा	कुटरा	जांजगीर	पावरलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
43		कु.श्रधा श्रीवास/अशोक	बनारी	बनारी	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
44		श्री लोकेश देवांगन/चिन्ताराम	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	पावरलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
45		श्री रमाकांत बरेठ/परदेशी	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
46		श्री शशिकांत देवांगन/रामभरोस	खोखरा	खोखरा	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
47		कु. आकृती साहू/अरविंद	बनारी	बनारी	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
48		श्री श्रयांश श्रीवास/अशोक	बनारी	बनारी	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
49		श्री रामू कुमार निर्मलकर/नकुल	कुटरा	कुटरा	जांजगीर	पावरलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
50		श्री दीपक पटेल/फूलसिंह	हाथीटिकरा	बनारी	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
51		श्री अजय कुमार पटेल/मागीरथी	हाथीटिकरा	बनारी	जांजगीर	हैण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
52	अकलतरा	रितु कुमारी लहरे/ बिरजू	पौना	पौना	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
53		भुवनेश्वरी लहरे/सुभम	पौना	पौना	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
							152.89	53.51	
							योग:-		

महेश्वर

क्र.	विकासखण्ड	हितग्राही का पूर्ण नाम	ग्राम	पोस्ट	जिला	उद्योग का नाम	ऋण राशि	अनुराशि	बैंक/शाखा का नाम
वर्ष 2024-25									
54		श्री रामनारायण/साहेबलाल जांगड़े	खरौद	खरौद	जांजगीर	आंटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
55		श्री प्रखर यादव/बसंत यादव	खरौद	खरौद	जांजगीर	आंटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
56		श्री रविकांत यादव/प्रकाशचंद्र	खरौद	खरौद	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
57		श्री हरिश गिरी/गजेन्द्र गिरी	खरौद	खरौद	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
58		श्रीमती नंदनी यादव/माखनलाल	खरौद	खरौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
59	पामगाड़	कु.सोनिया सिदार/संतोष कुमार	खरौद	खरौद	जांजगीर	रेडिमेड सिलाई कार्य	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
60		श्री महेश प्रजापति/लालाराम	कमरीद	कमरीद	जांजगीर	आंटा चक्की	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
61		श्री आशीष कुमार/महेश प्रसाद	कमरीद	कमरीद	जांजगीर	मशाला निर्माण	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरौद
62		श्री रामकुमार यादव/राजेश यादव	मुलमुला	मुलमुला	जांजगीर	रेडिमेड वस्त्र निर्माण	2.00	0.70	बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोनारगाड़
63		श्री आयुष कुमार साव/राजकुमार	बनारी	बनारी	जांजगीर	हेण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
64		श्री आदित्य कुमार साहू/संजय	बनारी	बनारी	जांजगीर	हेण्डलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
65	नवागाड़	श्री विरेन्द्र कुमार पटेल/विपतराम	हाथीटिकरा	बनारी	जांजगीर	पावरलूम	3.00	1.05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र जांजगीर
66		श्री विद्यासागर साहू/परसराम	दरौ	धनेली	जांजगीर	दोना पत्तल निर्माण	2.85	1.00	बैंक ऑफ बड़ौदा जांजगीर
67		श्रीमती हेमलता कुरे/परसराम	भैसतरा	भैसतरा	जांजगीर	अगरबत्ती निर्माण	2.85	1.00	केनरा बैंक अकलतरा
68	अकलतरा	श्रीमती शिखा रमन/सुनिल कुमार	भैसतरा	भैसतरा	जांजगीर	अगरबत्ती निर्माण	2.85	1.00	केनरा बैंक अकलतरा
योग:-							43.55	15.24	
महायोग :-							196.44	68.75	


अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन,
 ग्रामोद्योग विभाग,
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र-ब

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत ऋण हेतु पात्रता की शर्तें

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रूपये 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु राशि रू. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि 35% सीमा तक देय है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंशदान 5% जमा करना होता है। अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे-छोटे ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामोद्योग का विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। पात्रता सेवा/उद्योग हेतु रू. 1.00 लाख तक 5 वीं तथा अधिक होने पर 8 वीं पास होना आवश्यक है।


अंबर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

परिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 531) की जानकारी

प्रपत्र- अ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पूर्ण आवास का मापदण्ड की जानकारी
विधानसभा संशोधित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 531, मान0 सदस्य, श्रीमती शेषराज हरवंश

क्र.	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणधीन आवासों के लिए निर्माण का मापदण्ड क्या है	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आवास की संख्या	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुसार जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ऐसे कितने आधे-अधूरे आवास हैं, जिन्हें पूर्ण मानकर हितग्राही को अंतिम किस्त का भुगतान किया गया है। (आवास की संख्या)	आवासों में मनरेगा से सृजित मानव दिवस की संख्या	शौचालय निर्माण की संख्या	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के तहत कितने दिन की मजदूरी भुगतान का प्रावधान है।
1	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण हेतु स्वच्छ रसोई के लिए समर्पित क्षेत्र सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होना चाहिए।	2024-25	अकलतरा	10124	0			प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भुगतान का प्रावधान है।
2			बम्हनीडीह	10227	0			
3			बलौदा	6891	0			
4			नवागढ़	12861	0			
5			पामगढ़	11502	0			
6		अकलतरा	2576	0				
7		बम्हनीडीह	1436	0				
8		बलौदा	2221	0				
9		नवागढ़	4886	0				
10		पामगढ़	4019	0				

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

Don

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	आवासों की संख्या जिनमें 90 दिवस से कम मजदूरी भुगतान करते हुए आवास पूर्ण अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।	आवासों की संख्या जिनमें बिना मजदूरी भुगतान किए हुए आवास पूर्ण अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है
15	2024-25	कबीरघाम	918	12
	2025-26		383	1
16	2024-25	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	386	0
	2024-25		1509	44
17	2024-25	कोण्डागांव	2296	185
	2024-25		687	43
18	2024-25	कोरबा	90	52
	2025-26		2877	532
19	2024-25	कोरिया	4761	97
	2025-26		991	0
20	2024-25	महासमुंद	11	0
	2024-25		2225	662
21	2024-25	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर	41	6
	2025-26		9267	1029
22	2024-25	मोहेला-मानपुर-अं.चौकी	3487	30
	2025-26		190	0
23	2024-25	मुंगेली	64	0
	2024-25		116	0
24	2024-25	नारायणपुर	19065	304
	2025-26		5841	44
25	2024-25	रायगढ़	6518	263
	2025-26		3884	10
26	2024-25	रायपुर	403	68
	2025-26		215	33
27	2024-25	राजनांदगांव		
	2025-26			
28	2024-25	सक्ती		
	2025-26			
29	2024-25	सारंगढ़-बिलाईगढ़		
	2025-26			
30	2024-25	सुकमा		
	2025-26			

Handwritten signature

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	आवासों की संख्या जिनमें 90 दिवस से कम मजदूरी भुगतान करते हुए आवास पूर्ण अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।	आवासों की संख्या जिनमें बिना मजदूरी भुगतान किए हुए आवास पूर्ण अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है
31	2024-25	सूरजपुर	19308	331
	2025-26		791	16
32	2024-25	सरगुजा	7775	763

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

1	2024-25	बिलासपुर	24	12
2	2024-25	मुंगेली	23	11
3	2024-25	सरगुजा	137	10

Dr


 अनुभाग अधिकारी
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

ii = C

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पूर्ण आवास का मापदण्ड की जानकारी
विधानसभा संशोधित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 531, मान0 सदस्य, श्रीमती शेषराज हरवंश

क्र.	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणधीन आवासों के लिए निर्माण का मापदण्ड क्या है	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आवास की संख्या	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुसार जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ऐसे कितने आधे-अधूरे आवास है, जिन्हें पूर्ण मानकर हितग्राही को अंतिम किस्त का भुगतान किया गया है। (आवास की संख्या)	आवासों में मनरेगा से सृजित मानव दिवस की संख्या	शौचालय निर्माण की संख्या	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के तहत कितने दिन की मजदूरी भुगतान का प्रावधान है।
1	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण हेतु स्वच्छ रसोई के लिए समर्पित क्षेत्र सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होना चाहिए।	2024-25	अकलतरा	10124	0			प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भुगतान का प्रावधान है।
2			बम्हनीडीह	10227	0			
3			बलौदा	6891	0			
4			नवागढ़	12861	0			
5			पामगढ़	11502	0			
6		अकलतरा	2576	0				
7		बम्हनीडीह	1436	0				
8		बलौदा	2221	0				
9		नवागढ़	4886	0				
10		पामगढ़	4019	0				



अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर




परिशेष - इकहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 535) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वनमंडल	कंपार्टमेंट की संख्या जिनमें कूप कटाई नियोजित है	
		वर्ष 2025-26	आगामी वर्ष 2026-27
1	बिलासपुर	7	10
2	रायगढ़	8	8
3	धरमजयगढ़	16	16
4	कोरबा	15	15
5	कटघोरा	43	21
6	सारंगढ़	5	5
7	मुंगेली	2	1
8	गरियाबंद	64	66
9	महासमुंद	36	36
10	बलौदाबाजार	11	12
11	धमतरी	26	41
12	कांकेर	17	15
13	पूर्व भानुप्रतापपुर	15	37
14	पश्चिम भानुप्रतापपुर	8	22
15	केशकाल	14	18
16	कौण्डागांव	41	53
17	नारायणपुर	5	19
18	मोहला	18	18
19	कवर्धा	20	19
20	राजनांदगांव	13	14
21	खैरागढ़	20	20
22	बालोद	16	16
23	सरगुजा	12	13
24	सूरजपुर	14	14
25	बलरामपुर	26	24
26	कोरिया	13	13
27	मनेन्द्रगढ़	27	27

क्र.	वनमंडल	कंपार्टमेंट की संख्या जिनमें कूप कटाई नियोजित है	
		वर्ष 2025-26	आगामी वर्ष 2026-27
28	जशपुर	26	19
29	बस्तर	28	28
30	दंतेवाड़ा	10	10
31	बीजापुर	28	28
32	सुकमा	52	52
33	परियोजना मण्डल बारनवापारा	83	89
34	परियोजना मण्डल पानाबरस	156	116
35	परियोजना मण्डल अंतागढ़	63	57
36	परियोजना मण्डल जगदलपुर	20	27
37	परियोजना मण्डल कवर्धा	68	83
38	परियोजना मण्डल कोटा	104	94
39	परियोजना मण्डल सरगुजा	64	53
	योग :-	1214	1229

(प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
 छत्तीसगढ़

पारिशेष - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 536) की जानकारी

प्रपत्र-

वर्ष 2024 एवं 2025 में कैम्पा एवं ग्रीन इंडिया मिशन मद अंतर्गत अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्य की गई वन भूमि में कराये गये वानिकी कार्यों का विवरण

क्र.	वर्ष	मद का नाम	वनमण्डल का नाम	अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्य की गई वन भूमि में कराये गये वानिकी कार्य क्षेत्र का रकबा (हे.)	कुल व्यय राशि (रु. में)	मजदूरी भुगतान की गई राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024	कैम्पा	कटघोरा	310.000	38685443.00	19098075.00
2			रायगढ़	14.459	622626.00	302070.00
3	2024	ग्रीन इंडिया मिशन	बलौदाबाजार	292.48	1370016.00	1007011.00
4	2024		बस्तर	200.00	1836381.00	1298217.00
योग वर्ष 2024				816.93	42514466.00	21705373.00
1	2025	कैम्पा	कटघोरा	309.000	12323775.00	8160760.00
2			रायगढ़	14.459	2761986.00	1178190.00
3			कवर्धा	20.00	2663356.00	1120002.00
4	2025	ग्रीन इंडिया मिशन	बस्तर	200.00	1256357.00	1256357.00
योग 2025				543.46	19005474.00	11715309.00
महायोग (2024 एवं 2025)				1360.39 Ha.	61519940.00	33420682.00

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संयुक्त वन प्रबंधन)
नवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - तेहत्तर

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 54 (क्र. 540) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के किसानों को वर्ष 2025 में वितरित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरण की विकासखण्डवार जानकारी			
क्र.	विकासखण्ड	अल्पकालीन ऋण (राशि लाख में)	दीर्घकालीन ऋण (राशि लाख में)
1	बलौदाबाजार	9651.51	0
2	भाटापारा	5375.79	0
3	कसडोल	8918.44	111.26
4	सिमगा	8512.01	10.42
5	पलारी	11488.80	37.17
योग:-		43946.55	158.85


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-‘ब’

बलौदाबाजार जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से 2025 के मध्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के संबंध में संज्ञान में आई वित्तीय अनियमितताओं/शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायत/वित्तीय अनियमितता का विवरण	की गई कार्यवाही की जानकारी
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कृषि विकास केन्द्र भिलाई से फेरोपॉवर एवं फर्टीजन क्रय एवं भण्डारण तथा किसानों को विक्रय और भुगतान के वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में।	शिकायत की जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नवा रायपुर एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग-रायपुर को प्रेषित किया गया है।
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के जिला धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार एवं रायपुर के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024-25 समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य के लिए सामग्री खरीदी में वित्तीय अनियमितता की जांच के संबंध में।	जांच प्रक्रियाधीन है।
3	वर्ष 2023-24 हेतु खाद परिवहन दर में अनियमितता संबंधी शिकायत।	शिकायत की जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नवा रायपुर, संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग-रायपुर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रेषित किया गया है।
4	बैंक की शाखा कसडोल में कार्यरत भृत्य द्वारा चेक बुक चोरी कर उसका दुरुपयोग करने तथा शाखा में रखे ए. टी.एम. कार्ड में गड़बड़ी के संबंध में।	भृत्य श्री दुर्गेश यादव को निलंबित किया जा कर विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा 04 अन्य कर्मचारियों के ऊपर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सुहेला वि.ख. सिमगा में अनियमितता के संबंध में।	जांच प्रक्रियाधीन है।
6	धान उपाजर्न वर्ष 2023-24 में बलौदाबाजार जिले में समितियों/उपाजर्न केन्द्रों में शॉर्टेज/कमी संबंधी अनियमितता।	समितियों के संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।
7	धान उपाजर्न वर्ष 2024-25 में बलौदाबाजार जिले में समितियों/उपाजर्न केन्द्रों में शॉर्टेज/कमी संबंधी अनियमितता।	समिति द्वारा 05 के विरुद्ध एफ.आई.आर, 04 सेवा से पृथक, 01 धान खरीदी कार्य से पृथक तथा 09 को बैंक द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

प्रपत्र-‘स’

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में सहकारिता विभाग को केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण

(राशि रूपए में)

क्र.	योजना का नाम	योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि			योजना अंतर्गत व्यय राशि		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	डिजिटलईजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटिज	14,86,00,000.00	निरंक	10,20,71,627.00	निरंक	4,50,84,874.00	18,18,10,613.00
2	कम्प्यूटराईजेशन ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटिज ऑफिस	निरंक	निरंक	46,45,000.00	निरंक	निरंक	27,29,657.00

टीप :- योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त कोई राशि व्यपगत (Lapsed) नहीं हुई है।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
क्षेत्रालय, नया रायपुर

पारोशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 552) की जानकारों

प्रपत्र-अ

बेमेतरा जिले में पिछले 05 वित्तीय वर्ष (दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2025 तक) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त ईट भट्टे का नाम एवं पता

क्र.	ईट भट्टे का नाम एवं पता
1.	मेसर्स शंकर पिंजानी क्ले माइन (3.03 हेक्टेयर), ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा
2.	मेसर्स एल. सी. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (क्ले माईस-2.638 हेक्टेयर), ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा
3.	मेसर्स कैलाश भीमनानी क्ले माइन (क्ले क्वारी 4.98 हेक्टेयर), ग्राम-जेवरा (एन), तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा
4.	मेसर्स जितेन्द्र प्रीतवानी क्ले माइनिंग युनिट (क्ले माईस 1.5 हेक्टेयर), ग्राम-बेरलाकला, तहसील- बेरला, जिला-बेमेतरा
5.	मेसर्स अभिनीत उपाध्याय क्ले क्वारी (2.20 हेक्टेयर) (मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी) ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा
6.	मेसर्स दयाराम यादव क्ले क्वारी (4.47 हेक्टेयर) ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा
7.	मेसर्स फलेश कुमार साहू क्ले क्वारी एंड ब्रिक्स मेन्युफेक्चरिंग यूनिट (2.04 हेक्टेयर), ग्राम-बारगांव, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 पर्यावरण एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

पिछले पाँच वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक) की अवधि में बेमेतरा जिले में सम्मति प्राप्त जिन ईट भट्टे का वायु प्रदूषण (चिमनी उत्सर्जन) मापन कार्य/निरीक्षण किया गया, का विवरण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी : -

क्र.	ईट भट्टे का नाम एवं पता	वायु मापन (चिमनी उत्सर्जन) कार्य/ निरीक्षण का दिनांक	पाई गई स्थिति का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	मेसर्स शंकर पिंजानी क्ले माइन (3.03 हेक्टेयर), ग्राम-बेरलाकला, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	27-07-2021	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		24-04-2023	चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		24-05-2023	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		09-04-2024	चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2.	मेसर्स एल. सी. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (क्ले माईंस - 2.638 हेक्टेयर), ग्राम - बेरलाकला, तहसील - बेरला, बेमेतरा	11-06-2021	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		23-07-2022	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		21-04-2023	चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		09-04-2024	चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
3.	मे0 कैलाश भीमनानी क्ले माइन (क्ले कारी 4.98 हेक्टेयर), ग्राम-जेवरा (एन), तहसील नवागढ़, जिला-बेमेतरा	23-06-2021	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		07-12-2022	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
4.	मे0 जितेन्द्र प्रीतवानी क्ले माइनिंग युनिट क्ले माईंस 1.5 हेक्टेयर, ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला - बेमेतरा	10-07-2021	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		23-07-2022	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
5.	मे0 अभिनीत उपाध्याय क्ले कारी (2.20 हेक्टेयर) (मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले कारी) ग्राम-बेरलाकला, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	01-08-2024	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
6.	मे0 दयाराम यादव क्ले कारी (4.47 हेक्टेयर) ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला बेमेतरा	01-08-2024	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
7.	मे0 फलेश कुमार साहू क्ले कारी एंड ब्रिक्स मेन्युफैक्चरिंग यूनिट (2.04 हेक्टेयर), ग्राम-बारगांव, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	25-09-2024	स्थिति सामान्य पाई गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।


अधर साचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वातावरण एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पौरिशेष्ट - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 556) की जानकारी

प्रपत्र

ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत जिला बालोद में स्थापित उद्योगों की जानकारी

वर्ष 2023-24

क्र०	योजना का नाम	निर्धारित लक्ष्य		उपलब्धि		
		ई.सं.	अनुदान राशि	विधानसभा का नाम	ई.सं.	अनुदान राशि
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	24	80.52	गुण्डरदेही	29	50.948
				डौंडीलोहारा	9	16.651
				संजारी बालोद	1	3.500
				योग :-	39	71.099
2	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	27	28.35	गुण्डरदेही	5	2.100
				डौंडीलोहारा	4	1.225
				योग :-	9	3.325
	कुल योग :-	51	108.87	कुल योग :-	48	74.424

वर्ष 2024-25

1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	32	89.21	गुण्डरदेही	32	61.483
				डौंडीलोहारा	5	6.831
				संजारी बालोद	11	17.147
				योग :-	48	85.460
2	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	24	25.2	गुण्डरदेही	11	5.600
				डौंडीलोहारा	8	3.325
				योग :-	19	8.925
	कुल योग :-	56	114.41	कुल योग :-	67	94.385



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पॉरीशेट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 559) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	जिला का नाम	शिक्षक विहीन शालाओं की संख्या	एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या
1	बस्तर	0	291
2	दन्तेवाड़ा	0	12
3	सुकमा	0	186
4	नारायणपुर	0	54
5	कौंडागांव	0	16
6	बीजापुर	14	313
7	कांकेर	0	13
8	कोरिया	0	16
9	जशपुर	1	40
10	बलरामपुर	4	154
11	सूरजपुर	0	43
12	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	0
13	सरगुजा	0	40
	योग	19	1178

08-12-25
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

अनुमान अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 भव, नैवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - सतततर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 560) की जानकारी

प्रश्न

शिक्षा सत्र 2024-25 में संकुल/हाईस्कूल/स्वामी आत्मानंद/अशासकीय विद्यालयों की माँग एवं जिले में वितरित कुल पुस्तक संख्या का विवरण

क्र.	जिला का नाम	कुल माँग संख्या	कुल वितरित संख्या
1	बालोद	726392	726392
2	बलौदाबाजार	1394265	1394265
3	बलरामपुर	1143761	1143761
4	बस्तर	823657	823657
5	बेमेतरा	972886	972886
6	बीजापुर	329610	329610
7	बिलासपुर	1996967	1996967
8	दंतेवाड़ा	259431	259431
9	धमतरी	808444	808444
10	दुर्ग	1251104	1251104
11	सक्ती	743724	743724
12	गरियाबंद	727939	727939
13	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	359501	359501
14	जांजगीर-चांपा	1374194	1374194
15	जशपुर	1095435	1095435
16	कांकेर	716461	716461
17	कवर्धा	1042989	1042989
18	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	436196	436196
19	कोण्डागाँव	630371	630371
20	कोरबा	1279629	1279629
21	कोरिया	291163	291163
22	महासमुन्द	1109323	1109323
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर	408285	408285
24	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	288000	288000
25	मुंगेली	1100414	1100414
26	नारायणपुर	177180	177180
27	रायगढ़	987182	987182
28	रायपुर	2379602	2379602
29	राजनांदगाँव	827778	827778
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	650469	650469
31	सुकमा	266488	266488
32	सूरजपुर	1636929	1636929
33	सरगुजा	943120	943120
	कुल	29178889	29178889

Whit..
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
नवा रायपुर *Whit*

पॉरीशेष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 564) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद	प्राप्त राशि (रूपये में)	कार्यो एवं कय सामग्रियों का विवरण	भुगतान राशि रु.
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2023-24 (जनवरी 24 से मार्च 2024 तक)					
1	छुईखदान	क्रीड़ा निधि	464083	अंशदान -क्रीड़ा सामग्री	399009
		आकस्मिक निधि	1889479	राष्ट्रीय पर्व में खर्च-स्टेशनरी,बेल,काटेज रिफलिंग, भवन पोताई कार्य	1867976
		विज्ञान निधि	383954	प्रायो0सामग्री,	375820
		भूगोल निधि	73365	शिक्षण सहायक सामग्री, भूगोल प्रायोगिक	21336
		रेडक्रास निधि	259756	अंशदान,-यूनिफार्म, मेडिकल किट	255906
		पी.बी.एफ मद	89390	यूनिफार्म फीस माफ	76959
		परीक्षा मद	1361873	उत्तर पुस्तिका,टीसी,प्रश्न पेपर,अन्य	1347339
		स्कूल ग्रांड मद	1037800	भवन पोताई,-सी0सी0टीवी,स्टे0,डिस्टेंपर,पेंट	1036340
		सेल्फ डिफेंस मद	526500	प्रशिक्षक का मानदेय-0	526500
		इको क्लब मद	177507	गार्डन टूल्स,स्टे0,मोमेंटो	175000
		एन.एस.एस.मद	20095	कैम्प हेतु व्यय	18729
		आई.सी.टी.मद	845160	स्मार्ट टीवी एवं वाटर कूलर	738952
		एन.सी.सी.मद	8003	यूनिफार्म	1760
		एस.एम.डी.सी.मद	327050	बैठक में चाय,नास्ता,मिठाई अन्य कार्य हेतु व्यय	254645
		स्काउट मद	297063	अंशदान,शिविर-यूनिफार्म	277058
योग			7761078	अनुभाय अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर	7373329

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद	प्राप्त राशि (रूपये में)	कार्यो एवं कय सामग्रियों का विवरण	भुगतान राशि रु.
1	2	3	4	5	6
2	खैरागढ़	क्रीड़ा निधि	628233	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ., क्रीड़ा सामग्री क्रय	382020
		आकस्मिक निधि	1079593	कम्प्यूटर रिपेरिंग, शाला भवन पोताई	430133
		विज्ञान निधि	583338	प्रायोगिक सामग्री	353328
		भूगोल निधि	63018	प्रायोगिक सामग्री एवं नक्शा	20535
		रेडक्रास निधि	413561	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ., मेडिकल सामग्री क्रय	258822
		पी.बी.एफ मद	141505	विद्यार्थी शुल्क माफ में खर्च	49147
		परीक्षा मद	1618568	प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका छपाई अन्य स्टेशनरी	1487998
		स्कूल ग्राउण्ड मद	1168870	ग्राउण्ड मरम्मत	1164310
		सेल्फ डिफेंस मद	474750	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	474750
		इको क्लब मद	173210	ट्री गार्ड निर्माण एवं पेड़ पौधा संरक्षण में व्यय	135240
		एन.एस.एस. मद	109940	कैम्प में व्यय	85130
		आई.टी.सी. मद	624390	कम्प्यूटर व्यय	624390
		एन सी सी मद	5000	विद्यार्थी हेतु चाय नाश्ता व्यय	5000
		एस.एम.डी.सी.मद	1339250	बैठक, नाश्ता एवं अन्य खर्च	1088357
		स्काउट मद	629950	अंशदान डी.ई.ओ.कार्यालय एव यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री का क्रय	450259
		योग	9053176	—	7009419
वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक)					
3	छुईखदान	क्रीड़ा निधि	507330	अंशदान,-0	310326
		आकस्मिक निधि	1965972	राष्ट्रीय पर्व में खर्च-स्टेशनरी,बेल,काटेज रिफ्लिंग	834269
		विज्ञान निधि	461079	प्रायो0सामग्री,	255273

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद	प्राप्त राशि (रूपये में)	कार्यो एवं कय सामग्रियों का विवरण	भुगतान राशि रू.
1	2	3	4	5	6
		रेडक्रास निधि	250615	अंशदान,-यूनिफार्म	125913
		पी.बी.एफ मद	95020	यूनिफार्म	31740
		परीक्षा मद	1597758	-उत्तर पुस्तिका,टीसी,प्रश्न पेपर,अन्य	1307599
		स्कूल ग्रांड मद	1028500	भवन पोताई,-सी0सी0टीवी,स्टे0,डिस्टेंपर,पेंट	1003040
		सेल्फ डिफेंस मद	225000	प्रशिक्षक का मानदेय-0	225000
		इको क्लब मद	237587	0-गार्डन टूल्स,स्टे0,मोमेंटो	217500
		एन.एस.एस.मद	400	ऑनलाइन अध्ययन कार्य	400
		एस.एम.डी.सी.मद	425190	बैठक में चाय,नास्ता,मिठाई-0	330561
		स्काउट मद	381119	अंशदान,शिविर-यूनिफार्म	336687
योग			7175570		4978308
4	खैरागढ़	क्रीड़ा निधि	415846	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ., क्रीड़ा सामग्री क्रय	221760
		आकस्मिक निधि	894723	कम्प्यूटर रिपेरिंग, शाला भवन पोताई	307052
		विज्ञान निधि	1442825	प्रायोगिक सामग्री	1245267
		भूगोल निधि	73287	प्रायोगिक सामग्री एवं नक्शा	20224
		रेडक्रास निधि	404126	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ.,मेडिकल सामग्री क्रय	181930
		पी.बी.एफ मद	129458	विद्यार्थी शुल्क माफ में खर्च	10432
		परीक्षा मद	1941455	प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका छपाई अन्य स्टेशनरी	1721578
		स्कूल ग्राउण्ड मद	118303	ग्राउण्ड मरम्मत	118000
		सेल्फ डिफेंस मद	34910	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	27676
		इको क्लब मद	202909	ट्री गार्ड निर्माण एवं पेड़ पौधा संरक्षण में व्यय	190253

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद	प्राप्त राशि (रूपये में)	कार्यो एवं कय सामग्रियों का विवरण	भुगतान राशि रू.
1	2	3	4	5	6
		एन.एस.एस. मद	129700	कैम्प में व्यय	128100
		आई.टी.सी. मद	2778497	कम्प्यूटर व्यय	2477720
		एन सी सी मद	5000	विद्यार्थी हेतु चाय नाश्ता व्यय	5000
		एस.एम.डी.सी.मद	264573	बैठक, नाश्ता एवं अन्य खर्च	201005
		स्काउट मद	198482	अंशदान डी.ई.ओ.कार्यालय एव यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री का क्रय	189929
		योग	9034094	—	7045926

वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 24.11.2025 तक)

5	छुईखदान	क्रीड़ा निधि	429560	अंशदान राशि डी.ई.ओ एवं बी.ई.ओ -क्रीड़ा सामग्री	246212
		आकस्मिक निधि	962593	राष्ट्रीय पर्व में खर्च-स्टेशनरी,बेल,काटेज रिफलिंग	899267
		विज्ञान निधि	382172	प्रायोगिक सामग्री,	172716
		रेडक्रास निधि	220247	अंशदान,-यूनिफार्म मेडिसिन	112525
		पी.बी.एफ मद	86640	यूनिफार्म	11310
		परीक्षा मद	1315287	उत्तर पुस्तिका,टीसी,प्रश्न पेपर,अन्य	823801
		स्कूल ग्रांड मद	1103490	भवन पोताई,-सी.सी.टीवी,स्टे.,डिस्टेंपर,पेंट	736526
		सेल्फ डिफेंस मद	20000	प्रशिक्षक का मानदेय	15000
		इको क्लब मद	65000	गार्डन टूल्स,स्टे.,मोमेंटो	25000
		एस.एम.डी.सी.मद	398450	बैठक में चाय,नास्ता,मिठाई अन्य कार्य हेतु व्यय	205986
		स्काउट मद	308752	अंशदान,शिविर-यूनिफार्म	239120
		योग	5292191		3487463

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद	प्राप्त राशि (रुपये में)	कार्यो एवं कय सामग्रियों का विवरण	भुगतान राशि रु.
1		3	4	5	6
6	खैरागढ़	क्रीड़ा निधि	628897	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ., क्रीड़ा सामग्री क्रय	312161
		आकस्मिक निधि	594354	कम्प्यूटर रिपेरिंग, शाला भवन पोताई	487947
		विज्ञान निधि	665279	प्रायोगिक सामग्री	315597
		भूगोल निधि	51165	प्रायोगिक सामग्री एवं नक्शा	4500
		रेडक्रास निधि	334936	अंशदान डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ., मेडिकल सामग्री क्रय	130038
		पी.बी.एफ मद	126739	विद्यार्थी शुल्क माफ में खर्च	11430
		परीक्षा मद	1622743	प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका छपाई अन्य स्टेशनरी	1029852
		स्कूल ग्राउण्ड मद	407400	ग्राउण्ड मरम्मत	309990
		सेल्फ डिफेंस मद	20000	निरंक	0
		इको क्लब मद	35154	ट्री गार्ड निर्माण एवं पेड़ पौधा संरक्षण में व्यय	20000
		एस.एम.डी.सी.मद	1519443	बैठक, नाश्ता एवं अन्य खर्च	1039001
		स्काउट मद	412342	अंशदान डी.ई.ओ.कार्यालय एव यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री का क्रय	277990
		योग	6418452	-	3938506

Al Sam
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

Chit
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशेष - उन्घासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 566) की जानकारी

प्र.प.न "अ"

परिवहन उड़नदस्ता दल द्वारा की गई कार्यवाही -

क्र.	वर्ष	ओवरलोड के दर्ज प्रकरणों की चालान संख्या	वसूल शमन शुल्क
1	2023	131	4630000
2	2024	167	6225000
3	01.01.2025 से 30.11.2025 तक	143	5010800
योग :-		441	1,58,65,800

अपन :- "ब"

वर्षवार जानकारी			
क्र.	वर्ष	ओवरलोड के दर्ज प्रकरणों की चालान संख्या	वसूल शमन शुल्क
1	2023	131	4630000
2	2024	168	6261000
3	01.01.2025 से 30.11.2025 तक	143	5010800
योग :-		442	1,59,01,800

पारिशिष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 569) की जानकारी

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	योजना एवं कार्य का नाम	फर्म का नाम जिनसे चैनलिक खरीदी की गई	क्रय दर	क्रय की मात्रा (कि. ग्रा.)	क्रय राशि (रु. में)	क्रय चैनलिक की क्या जांच कराई गई है	जांच अधिकारी का नाम व पदनाम	जांच में पाई गई रिपोर्ट	जांच में दोषी पाए गए फर्म का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण	ब्लैकलिस्टेड किए गए फर्म का नाम
2025	पेण्ड्रा	कैम्पा मद अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य - 04 स्थल	एस.जी. इण्डस्ट्रीज चैनपुर इण्डस्ट्रियल एरिया मनेन्द्रगढ़	83.40	77932	6499528.80	हां	9 मु.व.सं. बिलासपुर द्वारा गठित समिति 1) श्री आर.के. सिदार स. व.सं. जांच समिति अध्यक्ष एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी मरवाही वनमंडल पेण्ड्रारोड एवं श्री मोहर सिंह मरकाम, जांच समिति सदस्य एवं उ.व.म.अ. पेण्ड्रा व.म.अ., मरवाही द्वारा गठित समिति 2) श्री जी.एन. पड्डिमार प्रशिष्णु मा.व.सं. जांच व.सं. (व.म.अ. मरवाही द्वारा गठित व.सं. जांच टीम अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में चैनलिक जी.आई.लार के रोज में अंतर पाया गया।	10 (1) श्री आर.के. सिदार स.व.सं. (मु. व.सं. बिलासपुर द्वारा गठित दल) जांच टीम अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में चैनलिक जी.आई.लार के रोज में अंतर पाया गया। (2) श्री जी.एन. पड्डिमार प्रशिष्णु मा. व.सं. (व.म.अ. मरवाही द्वारा गठित दल) जांच टीम अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों तथा आई.एस. 2721 में अनुशंसित गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करना पाया गया। (3) व.म.अ. मरवाही के पत्र क्रमांक/स्टेनो/6443, दिनांक 16.09.25 द्वारा गुणवत्ता एवं साईज (रोज) का परीक्षण करने हेतु चैनलिक का सैम्पल रायपुर मेटालॉजिकल लैब प्रायवेट लिमिटेड गुमा रोड रायपुर भिषित किया गया था। रायपुर मेटालॉजिकल लैब प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा प्रस्तुत लैब टेस्ट रिपोर्ट अनुसार तीन फर्म एस.जी. इण्डस्ट्रीज, मेसर्स शुम एग्रो एवं दीपाली इटरप्राइजेस द्वारा प्रदायित चैनलिक गुणवत्ताहीन पाया गया।	11 जांच में दोषी पाए गए फर्म का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण	12 एस.जी. इण्डस्ट्रीज चैनपुर इण्डस्ट्रियल एरिया मनेन्द्रगढ़
2025	पेण्ड्रा	कैम्पा मद अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य - 01 स्थल (पार्ट)	मौर्या नेटिंग वर्क्स इन्टौर (म.प्र.)	83.40	6574	548271.60	हां				
2025	मरवाही	कैम्पा मद अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य - 01 स्थल		83.40	35390	2951526.00	हां				
2025	गौरला	योग - ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत स्वीकृत सिंचित वृक्षारोपण कार्य - 01 स्थल (पार्ट)	मेसर्स शुम एग्रो इण्डस्ट्रीज देवनगर सूरजपुर	-	119896	9999326.40	-				
2025	पेण्ड्रा	ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत स्वीकृत सिंचित वृक्षारोपण कार्य - 07 स्थल		87.90	8435	741436.50	हां				
2025	खांडरो	ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत स्वीकृत सिंचित वृक्षारोपण कार्य - 04 स्थल		87.90	110565	9718663.50	हां				
2025	गौरला	ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत स्वीकृत सिंचित वृक्षारोपण कार्य - 02 स्थल (पार्ट)	दीपाली इटरप्राइजेस, राजनांदगाव	87.90	69174	6080394.60	हां				
2025	मरवाही	ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत स्वीकृत सिंचित वृक्षारोपण कार्य - 04 स्थल		87.90	100265	8813293.50	हां				
		योग -		-	317332	27893482.80	-				
		कुलयोग -		-	437228	37892809.20	-				

Y प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र-

पॉरीशेष्ट - इक्यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 579) की जानकारी
प्रपत्र

कांकेर जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संकाय सदस्य, मास्टर ट्रेनर के स्वीकृत एवं रिक्त पद की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना	संकाय सदस्य	2	2	0
2	मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	संकाय सदस्य वर्ग 05	7	4	3
	कुल योग :-		9	6	3

टीप:- कांकेर जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है।

संचालक,
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ पंचालय, नवा रायपुर

पॉरीशेष्ट - बयासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 73 (क्र. 583) की जानकारी

प्रपत्र

विध

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र को ग्राम पंचायत एव आश्रित ग्राम म पंचायत साचवा का। नयुक्त

कं.	विधानसभा का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विगत तीन वर्षों में नवीन गठित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्तमान में आश्रित ग्रामों की संख्या	कार्यरत पंचायत सचिवों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खुज्जी	राजनांदगांव	छुरिया	0	118	98	109	९
2		मोहला-मारपुर-अंचौकी	अं. चौकी	0	39	33	36	
		योग		0	157	131	145	0

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

संचालक

पंचायत संचालनालय

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पौरेशिष्ट - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 584) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं. चौकी की जनपद पंचायतों को प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी
विधानसभा संशोधित अतालकित पत्र नं 584 द्वारा माननीय श्री भोला राम साह सदनस्य विधानसभा

क्र.	योजना का नाम	जिला का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत को प्राप्त कुल राशि	कुल व्यय राशि	कार्यों की संख्या जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंचायत संचालनालय	राजनांदगांव	2023-24	राजनांदगांव	279.613	231.262	258
2				डोंगरगांव	192.475	186.400	113
3				डोंगरगांव	142.380	138.890	108
4				छुरिया	200.900	172.112	172
5				मोहला	126.930	108.690	77
6				मोहला-मानपुर- अं. चौकी	126.250	117.650	88
7				मानपुर	116.150	91.400	56
1	पंचायत संचालनालय	राजनांदगांव	2024-25	राजनांदगांव	206.778	138.428	120
2				डोंगरगांव	196.177	167.621	110
3				डोंगरगांव	136.500	117.340	108
4				छुरिया	200.900	150.187	141
5				मोहला	126.930	108.690	77
6				मोहला-मानपुर- अं. चौकी	131.750	101.950	101
7				मानपुर	118.340	85.020	60



अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
कृतीसगढ मंत्रालय, नया रायपर

क्र.	योजना का नाम	जिला का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत को प्राप्त कुल राशि	कुल व्यय राशि	कार्यों की संख्या जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंचायत संचालनालय	राजनांदगांव	2025-26	राजनांदगांव	50.000	9.150	7
2				डोंगरगढ़	21.600	15.800	23
3				डोंगरगांव	39.150	9.400	19
4		मोहला-मानपुर- अं. चौकी		छुरिया	54.000	19.105	24
5				मोहला	113.750	62.290	63
6				अं. चौकी	38.000	21.400	24
7				मानपुर	32.000	5.800	21
1	महात्मा गांधी नरेंगा	राजनांदगांव	2023-2024	छुरिया	महात्मा गांधी नरेंगा अंतर्गत राशि सीधे जनपद पंचायतों को प्राप्त नहीं होती है। अपितु योजनांतर्गत सम्पादित कार्यों का मजदूरी एवं सामग्री राशि का भुगतान भारत सरकार के खाते से सीधे हितग्राही एवं सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है।	5302.42	6012
2				डोंगरगांव		2720.54	2503
3				डोंगरगढ़		5321.34	5640
4		राजनांदगांव		6049.38		5022	
5		मोहला		2642.05		6485	
6		मानपुर		3303.16		8526	
7		अं. चौकी		2825.01		5405	

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

क्रं.	योजना का नाम	जिला का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत को प्राप्त कुल राशि	कुल व्यय राशि	कार्यों की संख्या जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महात्मा गांधी नरेगा	राजनांदगांव	2024-2025	छुरिया	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राशि सीधे जनपद पंचायतों को प्राप्त नहीं होती है। अपितु योजनांतर्गत समाहित कार्यों का मजदूरी एवं सामग्री राशि का भुगतान भारत सरकार के खाते से सीधे हितग्राही एवं सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है।	3386.98	9068
2				डोगरगांव		1270.04	3333
3				डोगरगढ़		2677.25	7036
4				राजनांदगांव		2213.18	3918
5				मोहला		1974.66	6994
6				मानपुर		2341.39	8740
7				अं.चौकी		2168.37	7827
1	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	राजनांदगांव	2025-2026	छुरिया		1266.38	4681
2				डोगरगांव		673.91	2244
3				डोगरगढ़		1180.92	4652
4				राजनांदगांव		1288.00	3016
5				मोहला		739.72	4893
6	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	मोहला	2023-2024	मानपुर		534.70	5757
7				अं.चौकी		805.61	6022
1	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	2023-2024	मोहला		33.35	46
2				अं.चौकी		32.7	78



अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपर

प्रपत्र-ब

जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं. चौकी की जनपद पंचायतों को प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	जिले का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य/अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	6	7	8	9
1	महात्मा गांधी नरगा	राजनांदगांव	2023-24	छुरिया	2	फर्जी मस्टर रोल एवं फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।	संबंधित से 75839 रुपये वसूली की कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किया गया है।
				डोंगरगढ	1	फर्जी मस्टर रोल एवं फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।	फर्जी हाजरी की भरकर राशि 51408/- का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया। वर्तमान में से 37000/- राशि वसूल कर ली गई शेष राशि वसूली की जा रही है
				डोंगरगांव	11	ग्राम पंचायत कोपेडीह में फर्जी हाजरी भरे जाने के संबंध में	संबंधितों से राशि रु. 58951 की वसूल की गई है।

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	योजना का नाम	जिले का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य/अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	6	7	8	9
	महात्मा गांधी नरेंगा	राजनांदगांव	2023-24	राजनांदगांव	2	ग्राम पंचायत भदरानवागांव में मनरेगा कार्य में फर्जी हाजरी डालने संबंधित शिकायत	फर्जी हाजरी की राशि 5525/- की वसूली संबंधित से करते हुए कार्य से पृथक से किया गया ।
						ग्राम पंचायत बोईरडीह में फर्जी हाजरी डालने संबंधित शिकायत	फर्जी हाजरी की राशि संबंधितों से राशि रु. 4800/- की वसूल की गई है ।
				छुरिया	1	मस्टर रोल में फर्जी हाजरी भरने के संबंध में।	फर्जी हाजरी की राशि 1458/- की वसूली संबंधितों से की गई है।
2			2024-25	डोंगरगढ	1	फर्जी हाजरी भरे जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था	फर्जी हाजरी की राशि 17238/- की वसूली संबंधितों से की गई है।

क्र.	योजना का नाम	जिले का नाम	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य/ अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	6	7	8	9
	महात्मा गांधी नरेंगा	राजनांदगांव	2024-25	राजनांदगांव	3	ग्राम पंचायत बहेराभाठा में फर्जी हाजरी डालने संबंधित शिकायत ग्राम पंचायत इरईखुर्द में स्वीकृत जल संचयन तालाब निर्माण व भाठाखार तालाब निर्माण मनरेगातर्गत स्वीकृत जल संचयन तालाब निर्माण में मुरूम का अवैध रूप से परिवहन करने संबंधित शिकायत ग्राम पंचायत सिंगपुर में फर्जी मस्टररोल बनाकर अनियमितता करने संबंधित शिकायत।	फर्जी हाजरी की राशि 25715/- की वसूली संबंधितो से की गई है। संबंधितो से खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित अर्धदण्ड की राशि 467800/-की वसूली किया गया। फर्जी हाजरी की राशि 2900/- की वसूली संबंधितो से की गई है।
3			2025-26 24.11.25	छुरिया	1	मनरेगा की मजदुरी राशि नहीं मिलने के संबंध में।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1266 दिनांक 01.12.2025 जनपद पंचायत छुरिया द्वारा जॉच टीम गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन आप्राप्त

पॉरीशेष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 587) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र	जिला	मद/कार्य	आंबंढित राशि रू.	व्यय राशि रू.	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2023-24					
1	दन्तेवाड़ा	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना	66748000	66748000	एस0एम0सी0
2		मुख्यमंत्री जतन योजना	29570000	29570000	जनपद पंचायत नारायणपुर
		अतिआवश्यक कार्य	3707000	3707000	किरण पटेल जगदलपुर
3	बीजापुर	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना	225719000	225719000	जिला निर्माण समिति/एस.एम.सी
4	सुकमा	मुख्यमंत्री शाला जतन योजनान्तर्गत कार्य	344375000	302463564	बी.ई.ओ./बी.आर.सी.,सुकमा, कोन्टा, छिंदगढ़, कार्य पालन अभियंता आर.ई. एस. सुकमा, नोडल अधिकारी जिला निर्माण समिति, जिला सुकमा
5	कांकेर	मुख्यमंत्री शाला जतन योजनांतर्गत स्कूलों में मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	367152000	246309024	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ शाला प्रबंधन समिति
		समग्र शिक्षा अंतर्गत सिविल वर्क शाला मरम्मत कार्य/बालक बालिका शौचालय	47700600	47700600	जिला निर्माण समिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बीईओ, शाला प्रबंधन समिति
		आर.एम.एस.ए. समग्र अंतर्गत प्रयोगशाला कक्ष/पुस्तकालय कक्ष/कला एवं सां. कक्ष/अतिरिक्त कक्ष/बालिका शौचालय/शाला मरम्मत	5584000	5584000	जिला निर्माण समिति/ग्राम पंचायत
6	बस्तर	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना	347127600	347127600	आर.ई.एस., एस.एम.डी.सी. , सहायक आयुक्त,हाउसिंग बोर्ड
7	कोण्डागांव	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना	3000110100	109267000	जनभागीदारी विकास समिति जिला कोण्डागांव
				155429000	ग्रामीण यंत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव जिला कोण्डागांव
योग			4437793300	1539624788	

A. S. S. S. S.
अनुभाग अधिका
स्कूल शिक्षा विभ
मंत्रालय, रायपुर

क्र	जिला	मद/कार्य	आंबंटित राशि रु.	व्यय राशि रु.	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2024-25					
1	दन्तेवाड़ा	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य शौचालय निर्माण/मरम्मत	4463000 4944000	4463000 4944000	बी0ई0ओ0/बी0आर0सी0 एस0एम0सी0
2		अति आवश्यक कार्य	2974000	2974000	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति
3	बीजापुर	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य शौचालय निर्माण/मरम्मत	7440000 9975848	7440000 9975848	एस0एम0सी0/एस0एम0डी0सी0 एस0एम0सी0
4	सुकमा	अति आवश्यक मरम्मत कार्य/ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	8059942	7737352	बी.ई.ओ./बी.आर.सी.
5	कांकेर	डीपीआई मद/शासकीय शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्रार्थना शोध निर्माण, आहाता निर्माण, नवीन शौचालय निर्माण, शौचालय मरम्मत, भवन मरम्मत कार्य	54074031	54074031	जिला पंचायत/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ शाला प्रबंधन समिति
		समग्र शिक्षा अंतर्गत सिविल वर्क, शाला मरम्मत कार्य/बालक बालिका शौचालय /प्री -फेंब भवन	2194398	2194398	जिला निर्माण समिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बीईओ, शाला प्रबंधन समिति
		आर.एम.एस.ए. समग्र अंतर्गत प्रयोगशाला कक्ष/पुस्तकालय कक्ष/कला एवं सां. कक्ष/अतिरिक्त कक्ष/बालिका शौचालय/शाला मरम्मत	11406800	11406800	शाला प्रबंधन समिति
6	बस्तर	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	10413000	9135436	एस.एम.डी.सी.
		लघु निर्माण कार्य	8200000	7578000	आर.ई.एस. एवं एस.एम.डी.सी.
		अतिरिक्त कक्ष	7630000	4578000	
		शौचालय निर्माण/मरम्मत एवं शाला भवन मरम्मत	14195870	1094000	एस.एम.डी.सी.
7	कोण्डागांव	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	7438000	7438000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कोण्डागांव
		शौचालय निर्माण/मरम्मत	8667798	8667798	जनभागीदारी विकास समिति जिला कोण्डागांव
योग			162076687	143700663	
वर्ष 2025-26 (30 नवम्बर 2025 तक)					
1	दन्तेवाड़ा	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	6640000	0.00	-
2	नारायणपुर	अति आवश्यक कार्य	3378824	0.00	-
		शौचालय निर्माण/मरम्मत	6102784	6102784	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति
3	बीजापुर	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	6757647	0.00	-
4	सुकमा	अति आवश्यक मरम्मत कार्य/ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	8584234	3960000	बी.ई.ओ./बी.आर.सी.

क्र	जिला	मद/कार्य	आंबंटित राशि रु.	व्यय राशि रु.	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
5	कांकेर	अति आवश्यक मरम्मत कार्य	16525882	-	-
		समग्र शिक्षा अंतर्गत सिविल वर्क शाला मरम्मत कार्य/बालक बालिका शौचालय	7390374	7390374	जिला निर्माण समिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बीईओ, शाला प्रबंधन समिति
6	बस्तर	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना	7187000	7187000	आर.ई.एस., एस.एम.डी.सी., सहायक आयुक्त, हाउसिंग बोर्ड
		अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	11825882	0.00	एस.एम.डी.सी.
7	कोण्डागांव	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य	8447058	24400000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोण्डागांव विकास खण्ड कोण्डागांव
				2040000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत माकडी विकास खण्ड माकडी
				1280000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसगांव विकास खण्ड फरसगांव
		अतिआवश्यक मरम्मत कार्य		1360000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केशकाल विकास खण्ड केशकाल
				1320000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ेराजपुर विकास खण्ड बड़ेराजपुर
		प्रार्थना सेड	6000000	6000000	जनभागीदारी विकास समिति जिला कोण्डागांव
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6867000	6867000	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव जिला कोण्डागांव
		अहाता निर्माण	6400000	3200000	ग्राम पंचायत बेतबेड़ा
				1600000	ग्राम पंचायत मूलनार
				1600000	ग्राम पंचायत गगनतराई
भवन निर्माण	4700000	0.00	-		
योग			106806685	74307158	

Alca m
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

en
उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"


क्र	जिला	भवन निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या			भवन निर्माण स्वीकृत शालाओं की संख्या		
		प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	योग	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2023-24							
1	दंतेवाड़ा	31	8	39	0	0	0
2	नारायणपुर	5	3	8	0	0	0
3	बीजापुर	55	0	55	0	0	0
4	सुकमा	2	0	2	71	12	83
5	कांकेर	28	10	38	0	0	0
6	बस्तर	25	11	36	0	0	0
7	कोण्डागांव	31	6	37	5	2	7
योग		177	38	215	76	14	90
वर्ष 2024-25							
8	दंतेवाड़ा	31	8	39	20	5	25
9	नारायणपुर	2	3	5	0	0	0
10	बीजापुर	55	0	55	55	0	55
11	सुकमा	1	0	1	13	0	13
12	कांकेर	38	23	61	0	1	1
13	बस्तर	32	16	48	0	0	0
14	कोण्डागांव	21	2	23	2	0	2
योग		180	52	232	90	6	96
वर्ष 2025 - 26 (30 नवम्बर 2025 तक)							
1	दंतेवाड़ा	11	3	14	0	0	0
2	नारायणपुर	6	5	11	0	0	0
3	बीजापुर	21	7	28	0	0	0
4	सुकमा	29	12	41	18	6	24
5	कांकेर	23	10	33	1	0	1
6	बस्तर	44	10	54	15	7	22
7	कोण्डागांव	32	23	55	1	3	4
योग		166	70	236	35	16	51
महायोग		523	160	683	201	36	237


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उप संचालक
क्षेत्रीय शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रपत्र "स"

क्र	जिला	शाला उन्नयन हेतु प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव की संख्या				शाला उन्नयन की संख्या		
		प्राथमिक से पूर्व माध्यमिक	पूर्व माध्यमिक से हाई स्कूल	हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राथमिक से पूर्व माध्यमिक	पूर्व माध्यमिक से हाई स्कूल	हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023 - 24								
1	नारायणपुर	0	3	1	4	0	3	1
2	बीजापुर	1	2	3	6	1	2	3
3	सुकमा	0	3	1	4	0	3	1
4	कांकेर	10	4	2	16	0	1	2
5	बस्तर	1	1	38	40	0	1	6
6	कोण्डागांव	0	2	1	3	0	0	0
योग		12	15	46	73	1	10	13
2024 -25								
7	कांकेर	25	18	5	48	0	0	0
8	बस्तर	4	28	30	62	0	0	0
9	कोण्डागांव	13	3	6	22	0	0	0
योग		42	49	41	132	0	0	0
2025 - 26 (30 नवम्बर 2025 तक)								
10	दन्तेवाड़ा	0	2	8	10	0	0	0
11	बीजापुर	0	2	2	4	0	0	0
12	सुकमा	0	1	1	2	0	0	0
13	कांकेर	8	3	0	11	0	0	0
14	बस्तर	4	28	30	62	0	0	0
15	कोण्डागांव	8	2	18	28	0	0	0
योग		20	38	59	117	0	0	0
कुल योग		74	102	146	322	1	10	13


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर


उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रपत्र "द"

क्र	जिला	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजनांतर्गत प्राप्त राशि रु.	कार्य का नाम
1	2	3	4
वर्ष 2023 - 24			
1	दन्तेवाड़ा	66748000	शाला भवन मरम्मत/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
2	नारायणपुर	29570000	शाला भवन मरम्मत/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
3	बीजापुर	225719000	शाला भवन मरम्मत/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
4	सुकमा	344375000	मुख्यमंत्री शाला जतन योजनान्तर्गत शाला भवन मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
5	कांकेर	367152000	मुख्यमंत्री शाला जतन योजनान्तर्गत शाला भवन मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
6	कोण्डागांव	300110100	मुख्यमंत्री शाला जतन योजनान्तर्गत शाला भवन मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
7	बस्तर	347127600	शाला भवन मरम्मत/ अतिरिक्त कक्ष निर्माण
योग		1680801700	—
वर्ष 2024 -25			
8			निरंक
वर्ष 2025 - 26 (30 नवम्बर 2025 तक)			
9	बस्तर	7187000	शाला भवन मरम्मत/ अतिरिक्त कक्ष निर्माण
योग		7187000	—
महायोग		1687988700	

M. S. W. M.
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

[Signature]
उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

परिशेष - पच्चासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क्र. 595) की जानकारी

प्रपत्र-

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	जिला	प्रश्नांश 'क' की जानकारी		प्रश्नांश 'ख' की जानकारी	प्रश्नांश 'ग' की जानकारी
		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26 में धान विक्रय हेतु कुल पंजीकृत किसानों की संख्या	24 नवम्बर, 2025 की स्थिति में किसानों से खरीदे गये धान की मात्रा
		कुल धान खरीदी	कुल उठाव		
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	2760817.6	2760817.6	49623	17524
2	बीजापुर	1197888	1165608.79	20191	489.6
3	दन्तेवाड़ा	334315.6	334315.6	13860	338.8
4	कांकेर	5314290.4	5257264.94	99731	46450.8
5	कोंडागांव	3124810	3075466.66	53604	78843.6
6	नारायणपुर	380758.4	378491.03	11708	36.8
7	सुकमा	929389.6	914061.81	18641	24.4
8	बिलासपुर	6919834.8	6908427.75	131601	124386.8
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	1405797.6	1392194.75	22674	61102.4
10	जांजगीर चाम्पा	6328029.2	6328029.2	125112	14098.8
11	कोरबा	2915548.8	2914046	51267	10434.8
12	मुंगेली	5561496.4	5559398.76	110705	157856
13	रायगढ़	5087976.4	5066789.67	83318	51481.6
14	सक्ती	5137411.6	5137038	93221	1235.6
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	4656713.2	4651741.83	89104	113503.6
16	बालोद	7565598.8	7530464.52	154924	433442.4
17	बेमेतरा	9371070.4	9352344.85	164663	562206.4
18	दुर्ग	5761071.2	5757457.51	113327	359558.8

19	कवर्धा	6493622.4	6447253.29	126636	240181.6
20	राजनांदगांव	7014916	6942820.3	131411	405692
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	4037670.8	4003797.72	70817	235816.4
22	मोहला मानपुर अं. चौकी	2220426	2164836.47	43525	48836.4
23	बलौदाबाजार	8555138	8549361.51	166742	383432.4
24	धमतरी	6198686.8	6198686.8	128554	436662
25	गरियाबंद	5353499.6	5307536.43	88860	221162.8
26	महासमुंद	11042732.4	10953939.21	158736	354182
27	रायपुर	6997477.2	6980287.9	136495	419866
28	बलरामपुर	2970361.2	2970361.2	50612	36768
29	जशपुर	3739371.6	3699025.28	50050	8725.2
30	कोरिया	1284751.2	1284751.2	22982	40028
31	सरगुजा	3646903.6	3646903.6	59076	25516.4
32	सुरजपूर	3972044.8	3972044.8	65296	39742
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	969895.6	969895.6	19272	21822.2
योग		149250315.2	148575460.6	2726338	4951448.6


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेष्ट - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (क्र. 596) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर शाला भवन की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शाला भवन का नाम	जर्जर की स्थिति में वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4	5
1	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. मेटावाडा	प्रा.शा. मेटावाडा के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
2	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. मोहलई-1	हाई स्कूल मोहलई-1 में संचालित
3	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. मैलबेडा	प्रा.शा. मैलबेडा के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
4	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. बंगलाडोंगरी	प्रा.शा. बंगलाडोंगरी में के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
5	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. चोकनार	प्रा.शा. चोकनार के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
6	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. कुम्हरावण्ड	प्रा.शा. कुम्हरावण्ड की अतिरिक्त कक्ष में संचालित
7	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. नलपावण्ड	हाई स्कूल नलपावण्ड भवन में संचालित
8	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. बीजागुडा, करपावण्ड	प्रा.शा. करपावण्ड के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
9	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. सरगीगुडा	पंचायत के भवन में संचालित
10	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. कोदागुडा	आंगनबाड़ी में संचालित
11	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. मुण्डापारा राजनगर	सामुदायिक भवन में संचालित
12	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. पटेलपारा बेडाउमरगांव	प्रा.शा. भण्डारीपारा के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
13	बास्तानार	माध्यमिक	मा0शा0 काण्डकीपारा कापानार	प्राथमिक शाला भवन में
14	बास्तानार	माध्यमिक	मा0शा0 गायतापारा ईरपा	आश्रम शाला भवन में
15	बास्तानार	माध्यमिक	उ0प्रा0शा0 पुजारीपारा	प्राथमिक शाला भवन में
16	बास्तानार	प्राथमिक	प्रा0शा0 डोसलपारा	शाला भवन के बरामदे में
17	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 खोटलापाल	प्रा0शा0 खोटलापाल
18	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 बड़ेचकवा	महिला स्व सहायता समूह के भवन में संचालित
19	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 कावड़गांव	प्रा0शा0 कावड़गांव में दो पाली में संचालित
20	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 कोहकासिवनी	प्रा0शा0 कोहकासिवनी में संचालित
21	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 मुण्डापाल	पंचायत भवन में संचालित
22	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 भानपुरी	हाईस्कूल भानपुरी में संचालित
23	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 भट्टीपारा	पंचायत भवन में संचालित
24	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 डेंगगुडा रतेंगा	मा0शा0 रतेंगा में संचालित
25	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 चोकर	हायर सेकेण्डरी चोकर में संचालित
26	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 जनपद बस्तर	प्रा0शा0 जनपद बस्तर में संचालित
27	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 गोंदियापाल	पुराना बालक आश्रम भवन में संचालित
28	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 गुमगा	बालक आश्रम गुमगा में संचालित
29	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 गुड़ीपारा	सामुदायिक भवन में संचालित
30	बस्तर	माध्यमिक	माशा पटेलपारा राजपुर	शा.हाई स्कूल राजपुर में संचालित
31	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कोडरीपारा	निजी भवन में संचालित
32	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कन्या आश्रम बेसोली	निकटतम 250 सीटर पोस्ट मैट्रिक में संचालित
33	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 थानागुड़ीपारा	अति0कक्ष एवं पंचायत भवन में संचालित।
34	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 पुजारीपारा कोलचूर	सामुदायिक भवन में संचालित
35	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 जाटनपाल	आंगनबाड़ी केन्द्र में संचालित
36	बस्तर	प्राथमिक	प्राशा खरियापारा बड़ेआमाबाल	मा शा के अति0 कक्ष में संचालित
37	बस्तर	प्राथमिक	प्राशा पण्डरापारा बड़ेआमाबाल	प्रा0शा0 कक्ष में संचालित
38	बस्तर	प्राथमिक	प्राशा जुनावाही	आंगनबाड़ी केन्द्र में संचालित

J. S. Sam
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	विकास खण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शाला भवन का नाम	जर्जर की स्थिति में वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4	5
39	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. मुनगा	प्रधान अध्यापक कक्ष में संचालित
40	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोकररास	प्रधान अध्यापक कक्ष में संचालित
41	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. कांदानार	बंबु स्ट्रक्चर कक्ष में संचालित
42	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. काटाकांदा	एरीगेशन के कक्ष में संचालित
43	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. सल्कीपदर	आंगनवाड़ी के कक्ष में संचालित
44	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा.मामड़पाल	प्रधान अध्यापक कक्ष में संचालित
45	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. लिंगापारा पखनार	बंबु स्ट्रक्चर कक्ष में संचालित
46	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 कोयपाल	पंचायत भवन में संचालित
47	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 बारूपटा	हेडमास्टर कक्ष में संचालित
48	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 सूरीभाटा	प्रा0शा0 डिमरापाल के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
49	जगदलपुर	माध्यमिक	मा0शा0 उपनपाल	सामुदायक भवन में संचालित
50	जगदलपुर	माध्यमिक	मा0शा0 केवरामुण्डा	प्रा0शा0 रविन्द्रनाथ टैगोर में संचालित
51	जगदलपुर	माध्यमिक	मा0शा0 घाटपदमुर	प्रा0शा0 घाटपदमुर में संचालित
52	जगदलपुर	माध्यमिक	मा.शा. नवीन अधनपुर	प्रा0शा0 भवन में संचालित
53	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा0शा0 गांधीनगर	मा0शा0 गांधीनगर बंद होने के उपरांत उक्त भवन में प्रा0शा0 का संचालन किया जा रहा है
54	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा0शा0 भैसबांधा	मा0शा0 भौंसबांधा में संचालित
55	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा0शा0 डुरकीगुड़ा	सामुदायक भवन में संचालित
56	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा.शा. धरमुपरा	मा0शा0 भवन में संचालित
57	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा.शा. छेपडागुड़ा	पंचायत भवन में संचालित
58	जगदलपुर	प्राथमिक	प्रा.शा. हल्वाकोट	मा0शा0 हल्वाकोट के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
59	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा0शा0 मिचनार	आश्रम शाला मिचनार में संचालित
60	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 बड़ेधाराउर	प्रधान अध्यापक कक्ष में संचालित
61	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 कोरली	मा0शा0 कोरली अतिरिक्त कक्ष में संचालित
62	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 मिचनार	आश्रम शाला मिचनार में संचालित
63	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 पदरपारा मिचनार	आश्रम शाला मिचनार में संचालित
64	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 बोंजापारा मिचनार	मा0शा0 बोंजापारा मिचनार के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
65	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा0शा0 टांगरापारा मिचनार	पंचायत के भवन में संचालित

सहायक संचालक
लोक शिक्षण विभाग
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर शौचालय की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
1	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. गिरोला
2	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. दामागुडा
3	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. मोख्रागांव
4	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. मैलबेडा
5	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. चोकनार
6	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. बंगलाडोंगरी
7	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. डोंगरीगुडा
8	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. बेडाउमरगांव
9	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. बारदा
10	बकावण्ड	माध्यमिक	मा.शा. सोरागुडा
11	बास्तानार	माध्यमिक	शा0मा0शा0बरछेपाल कोडेनार
12	बास्तानार	माध्यमिक	शा0मा0शा0कुम्हारसाडरा
13	बास्तानार	माध्यमिक	शा0मा0शा0पटेलपारा काकलूर
14	बास्तानार	माध्यमिक	उ0प्रा0शा0 आयतुपारा
15	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 गोंदियापाल
16	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 मांझीपारा कावड़गांव
17	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 छेपड़ापारा मावलीगुडा
18	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 कावड़गांव
19	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 बागमोहलई
20	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 केरागुडा
21	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 नन्दपुरा
22	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 पाथरी
23	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 भाटापारा देवड़ा
24	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 भैंसगांव
25	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 मुण्डीगुडा बोरदा
26	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 बोडनपाल 2
27	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 डेंगगुडा रतेंगा
28	बस्तर	माध्यमिक	मा0शा0 बालक आश्रम भानपुरी
29	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. छिंदबहार
30	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. कोयनार
31	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. मावलीपदर
32	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. चितापुर
33	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. नीलेगोंदी बोदेनार
34	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. केलाउर
35	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. नेगानार

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
36	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. कामानार
37	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. कटेनार
38	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. गुमडपाल
39	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. चन्द्रगिरी
40	दरभा	माध्यमिक	मा.शा. धुरवापारा
41	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 बाघनपाल
42	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 राजूर
43	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 मटकोट
44	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 रायकोट
45	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 बड़ेमारेंगा
46	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 नैननार
47	तोकापाल	माध्यमिक	मा0शा0 डाबरीगुड़ा
48	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. छिन्दबहार
49	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. बडेधाराउर
50	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. बोंजापारा मिचनार
51	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. कोटवार पारा सुरगुड़ा
52	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. कोरली
53	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. सतसपुर
54	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. बरछेपाल
55	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. ककनार
56	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. कोरली
57	लोहण्डीगुड़ा	माध्यमिक	मा.शा. बडेधाराउर
58	बकावण्ड	हायर सेकेण्डरी	उ.मा.वि. कन्या बकावण्ड
59	बकावण्ड	हायर सेकेण्डरी	उ.मा.वि. नलपावण्ड
60	बकावण्ड	हाई स्कूल	हाई स्कूल कोसमी
61	बकावण्ड	हाई स्कूल	हाई स्कूल बडेदेवडा
62	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. साहुकारपारा
63	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. गिरोला
64	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. चोकनार
65	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. मोखागांव
66	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. मैलबेडा
67	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. कुटियारीगुडा
68	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. छिंदगांव
69	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. डोंगरीगुडा
70	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. बनियागांव
71	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. सौतपुर
72	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. मंगनार
73	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. कांदरागुडा
74	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. जौंदरीगुडा

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
75	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. झारउमरगांव
76	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. माहरापारा
77	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. बेडाउमरगांव
78	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. भण्डारीपारा
79	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. कौडावण्ड
80	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. भतरापारा
81	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. करहाभाटा
82	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. पाथरेयागुडा
83	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. दामागुडा
84	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. सुकुगुडा
85	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. डुरकाबेडा
86	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. बरफागुडा
87	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. बारदा
88	बकावण्ड	प्राथमिक	प्रा.शा. पथरलीपारा
89	बास्तानार	प्राथमिक	शा0कन्या आश्रम शाला बडेबोदनार
90	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0कोरंगाली
91	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0जंगलपारा बुरगुम
92	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0मालाडीपारा सांवगेल
93	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0कोलेगपारा सांवगेल
94	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0कापानार
95	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पिंजोपारा कापानार
96	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0हाथीखोदरा
97	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0कुम्मापारा कोडेनार
98	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0लालागुडा
99	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0नाकापारा लालागुडा
100	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0कोटवारपारा
101	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पटेलपारा साडराबोदेनार
102	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पटेलपारा कुम्हारसाडरा
103	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0रोडडापारा
104	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0गुडियापारा किलेपाल
105	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0लालीपारा लालागुडा
106	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पटेलपारा लालागुडा
107	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0करकापारा काकलूर
108	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0ललोडीपारा किलेपाल
109	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पुजारीपारा लालागुडा
110	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0पुजारीपारा सरगीगुडा
111	बास्तानार	प्राथमिक	शा0प्रा0शा0सरगीगुडा
112	बास्तानार	प्राथमिक	प्रा0शा0 आयतुपारा
113	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 खालेपारा कुडकानार


क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
114	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 पीकड़सोड़ा
115	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कविआसना
116	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बांसपानी
117	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 सोलगुड़ा
118	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 नयामुण्डा मान्दलापाल
119	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 खड़का
120	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 छेपड़ापारा मावलीगुड़ा
121	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 पुजारीगुड़ा
122	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 डोंगरीगुड़ा
123	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 सेमलनार
124	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 डोंगरीगुड़ा नन्दपुरा
125	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 ढाबामारी
126	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 सरपंचपारा कुदालगांव
127	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कुण्डगुड़ा मधोता
128	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 खैरगुड़ा मधोता
129	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 भालुगुड़ा
130	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कलीपारा
131	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 पुसगुड़ा गोंदियापाल
132	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 जनपद चपका
133	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कोचलीपारा
134	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 डेंगपारा खड़का
135	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 मारीपारा
136	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 जरईगुड़ा नदीसागर
137	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कोटगढ़
138	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 खड़का
139	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बोरगुड़ा गुनपुर
140	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 मुण्डापारा
141	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बोदरा
142	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बागमोहलई
143	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बालक आश्रम केरागुड़ा
144	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कोटेकामा
145	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 राजाडोंगरी
146	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 बंजारापारा
147	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 गुनपुर
148	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 सुकुलगुड़ा
149	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 कलारतरई
150	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 सरगीगुड़ा
151	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 गाड़ाघाट सुधापाल
152	बस्तर	प्राथमिक	प्रा0शा0 नारायणपाल


क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
153	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० मंदिरपारा नारायणपाल
154	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० मुरकुची
155	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० पाण्डूपारा
156	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० पूंजीगुड़ा
157	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० विश्रामपुरी
158	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० जनपद भानपुरी
159	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० बड़ेआमाबाल
160	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० बनियागांव
161	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० पटेलपारा
162	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० कुचीगुड़ा
163	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० ठोठियापारा
164	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० कोडरीपारा
165	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० सिरहापारा
166	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० मांझीपारा बस्तर
167	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० कोसराडोंगरी
168	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० कन्या आश्रम भानपुरी
169	बस्तर	प्राथमिक	प्रा०शा० बालक आश्रम भानुपुरी
170	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. मांझीपारा
171	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. धुरवापारा चन्द्रगिरी
172	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. कड़तीपारा
173	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. डोंगरीपारा
174	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. पनारामुड़ा
175	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. फुलपदर
176	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोदाभाटा
177	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. बोटीपारा
178	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. जौधरागुड़ा
179	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. टोपर
180	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. चितापुर भण्डाररास
181	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. भडरीमहु
182	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. बीरापारा
183	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. खुटापारा
184	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. देवापारा
185	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. पटेलपारा
186	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. पेदापारा
187	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. पाण्डेपारा
188	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. नेगानार
189	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. मंगनार
190	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. काण्डकीपारा
191	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. टिकरापारा

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
192	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. चिड़पाल
193	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. पुजारीपारा
194	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोयकीपारा
195	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. छेपड़ापारा
196	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. डिलमिली
197	दरभा	प्राथमिक	बालक आश्रम केलाउर
198	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. डोंगरीगुडा
199	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. मुसागुडा
200	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. मुण्डागढ काचिररास
201	दरभा	प्राथमिक	प्रा.शा. चन्द्रगिरी
202	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 रानसरगीपाल
203	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 डोंगरीगुडा
204	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 एर्राकोट (बालिका)
205	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 छोटेपाराकोट
206	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 ठोठापारा
207	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 बाघनपाल
208	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 गुण्डेरपारा
209	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 डेंगपारा
210	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 राजूर
211	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 तराईगुडा
212	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 मुसरीगुडा
213	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 झिटकागुडा
214	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 नैनमूर
215	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 पटेलपारा नैनमूर
216	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 बोधापारा
217	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 नंगापारा
218	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 चोण्डीमेटावाड़ा बालक
219	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 सिंघनपुर
220	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 मुण्डापारा
221	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 डोंगरीगुडा तेलीमारेंगा
222	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 डेंगगुडा, बालक
223	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 काण्डकीपारा, बालक
224	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 सूरीभाटा
225	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 दुधनपाल
226	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 गुडरापारा एरण्डवाल
227	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 देवापारा
228	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 टिकराधनोरा
229	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 घटसरगीपाल
230	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा0शा0 काकडीपदर मण्डवा

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
231	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० धुरवापारा मण्डवा
232	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० पुजारीपारा मावलीभाटा
233	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० पेदापारा मण्डवा
234	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० पटेलपारा मण्डवा
235	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० खोदरागुड़ा
236	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० डाबरीगुड़ा
237	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० गुमियापाल
238	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० बुरुंगपाल सरपंचपारा
239	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० पटेलपारा बुरुंगपाल
240	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० कानाकुषपाल
241	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० पदरगुड़ा
242	तोकापाल	प्राथमिक	प्रा०शा० बामनपारा
243	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. रामापारा बदरेगा
244	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कुथर
245	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोरली
246	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. मुण्डीगुड़ा भेजा
247	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कलारपारा पारापुर
248	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पारापुर
249	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बाघमारा पारापूर
250	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. उपरमुण्डा पारापुर
251	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बाण्डापारा पारापुर
252	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बोंजापारा मिचनार
253	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. भीठुपारा एरमु
254	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. गंगोपारा एरवार
255	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. फुलापारा बदरेगा
256	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पटेलपारा कस्तुरपाल
257	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. मिचनार
258	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पदर पारा मिचनार
259	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. करलागुटकुडी करेकोट
260	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पुजारी पारा गड़दा
261	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. काना पारा गड़दा
262	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. डोगरीगुड़ा सतसपुर
263	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. डोगरीगुड़ा गड़दा
264	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बरछेपाल
265	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. गंगोपारा एरवार
266	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. सीराहपारा तोयर
267	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. फुलापारा बदरेगा
268	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. डेगपारा दाबपाल
269	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पेदा पारा बेलर

क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	अत्यंत जर्जर शौचालय शाला का नाम
1	2	3	4
270	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. टोटा पार बेलर
271	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. सामुपारा बेलर
272	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बहारगड़ा ककनार
273	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोसमगुड़ा ककनार
274	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. रामापारा बदरेगा
275	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. डुरकीगुड़ा छिन्दगांव
276	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. ब्रम्हण पारा कुम्हली
277	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. राउत पारा कुथर
278	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. सोलापारा कस्तुरपाल
279	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कुथर
280	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. चालान पारा मटनार
281	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. मिचनार
282	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. पारापुर
283	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. टांगरापारा मिचनार
284	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. बोंजापारा मिचनार
285	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक	प्रा.शा. कोटवारा पारा सुरगुड़ा


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - सत्तासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 599) की जानकारी

ii =

प्रतिवेदन

छ.ग. शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 2-6/2024/रापुरे/गृह-दो, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21.02.2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के अखण्डित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की समीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. मातृशिक्षा पुलिस महानिदेशक(कल्याण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक योजना/संबंध, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | सदस्य |
| 3. पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | सदस्य |
| 4. वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | सदस्य |
| 5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, निशेप शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | सदस्य |
| 6. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर | - | सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी |

समिति द्वारा वेतन तथा भत्तों की समीक्षा एवं पुनरीक्षण के संबंध में दिनांक 25.02.2025, 24.03.2025, 09.04.2025, 06.05.2025 तथा 19.06.2025 को बैठकें आयोजित की गईं। समिति द्वारा विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदनों एवं अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का अध्ययन किया गया।

समिति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रकृति, अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन, भत्तों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता के अनुक्रम में मुद्रा विनियम दरों अंतर्गत सूक्ष्म परीक्षण कर पुनरीक्षण किया गया है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग में प्रचलित भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि की अनुशंसा की जाती है :-

क्र.सं.	भत्ता का विवरण	वर्तमान दर	अनुशंसित दर
01.	पौष्टिक आहार भत्ता	रु.100	रु.1000/-
02.	वर्दी धुलाई भत्ता	रु.60	रु.500/-
03.	रायफल भत्ता	रु.200 आरक्षक एवं रु.300 प्रधान आर.	रु.1000/-



04.	राशन भत्ता	रु. 2000 (2200/-एस.टी.एफ बल हेतु)	यथावत्
05.	निश्चित यात्रा भत्ता	रु.75 एवं रु.100	रु.1000/-
06.	वाहन भत्ता	रु.100	रु.1500/-
07.	वर्दी भत्ता	रु.800 (प्रत्येक 03 वर्ष में)	रु.4000/- (प्रत्येक 03 वर्ष में)


उपरोक्तानुसार यदि सहमत हों तो उक्त प्रचलित भत्तों में से सरल क्रमोंक 4 एवं 7 को छोड़कर शेष (सरल क्रमोंक 1 से 3 एवं 5-6) को समाप्त कर विशेष पुलिस रिस्पोन्स एलाउंसमेंस के रूप में एकमुश्त 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के समस्त संवर्ग के पुलिसकर्मी) को भुगतान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।



(एस.आर.पी.कल्कूरी)
अति.पुलिस महानिदेशक(कल्याण)



(अरविन्द कुजुर)
पुलिस उप महानिरीक्षक(छसबल)



(मनीष शर्मा)
उप पुलिस महानिरीक्षक(यो./प्र)



(शंकर झा)
वित्त नियंत्रक



(रोहित झा)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(विशेष शाखा)



(अंशुमान सिंह सिसोदिया)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(लेखा/कल्याण)

पॉरीशेष्ट - अट्टासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 (क्र. 601) की जानकारी

प्रपत्र

E- CHALLAN से प्राप्त राशि की जानकारी
01 अप्रैल, 2025 से दिनांक 24.11.2025 तक की स्थिति में

S. No.	District	ई-चालान से प्राप्त राशि
1	Raipur	77491700
2	Balodabazar	1873100
3	Mahasamund	21100
4	Gariya Band	202100
5	Dhamtari	3412.39
6	Durg	1821400
7	Kabirdham	4171950
8	Bilaspur	42665100
9	Raigarh	3396300
10	Sarguja	3149500
11	Jagadalpur	408700
12	Dantewada	0
कुल राशि-		135193762.39

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशिष्ट - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 (क्र. 602) की जानकारी

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्वा विकासखण्ड के थानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

प्रपत्र - "अ"

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	थाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
1	प्रेमचंद साहू	चंदनडीह	धरसीवा	आमानाका	2.160	335/2025, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915	-
2	किशन यादव	माना बस्ती	धरसीवा	माना	3.600	007/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
3	हेमलाल बंजारे	बनरसी	धरसीवा	माना	3.600	14/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
4	चेतन धीवर	माना बस्ती	धरसीवा	माना	3.600	16/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
5	चमेली डहरिया	बनरसी	धरसीवा	माना	3.960	17/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
6	मनीष वर्मा	माना बस्ती	धरसीवा	माना	3.060	20/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
7	अजीत सिंह	बनरसी	धरसीवा	माना	3.780	35/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
8	ओमप्रकाश ओगरे	बनरसी	धरसीवा	माना	3.600	42/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
9	देवेन्द्र टण्डन	बनरसी	धरसीवा	माना	3.240	73/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
10	मुकेश निर्मलकर	माना बस्ती	धरसीवा	माना	3.240	75/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
11	देवेन्द्र तारक	बनरसी	धरसीवा	माना	3.240	84/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
12	देवा नारंग	बनरसी	धरसीवा	माना	3.240	90/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
13	केशव साहू	माना बस्ती	धरसीवा	माना	1.800	281/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्दा विकासखण्ड के धानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	धाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
14	रविकांत वर्मा	पचेडा	धरसीवा	विधानसभा	3.24	14/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
15	खिलेश्वर धीवर	सकरी	धरसीवा	विधानसभा	6.48	63/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
16	हेमंत उर्फ बिजली	सकरी	धरसीवा	विधानसभा	5.4	64/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
17	विजय बंजारे	सेमारिया	धरसीवा	विधानसभा	6.48	65/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
18	आस्मिन खान	मांडर	धरसीवा	विधानसभा	5.76	85/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
19	एवन यादव	दोदकला	धरसीवा	विधानसभा	6.30	146/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
20	प्रमोद कुमार गायकवाड उर्फ मुकेश	नरदहा	धरसीवा	विधानसभा	21.06	408/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
21	सफीजन बेगम	छपोरा	धरसीवा	विधानसभा	2.7	423/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
22	नागेश्वर वर्मा उर्फ बंशी	दोदकला	धरसीवा	विधानसभा	1.8	436/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
23	महेश परमार	बरौदा	धरसीवा	विधानसभा	6.12	575/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
24	अजय बारले	खपरीकला	तिल्दा	नेवरा	3.780	17/2025, धारा 34(1)ख आबकारी अधिनियम 1915	-
25	लोकेश वर्मा	कोहका	तिल्दा	नेवरा	6.660	40/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
26	राकेश धृतलहरे	कोटा	तिल्दा	नेवरा	4.500	436/2025, धारा 34(1) आबकारी अधिनियम 1915	-
27	पंचराम यदु	कुंदरू	तिल्दा	नेवरा	5.580	156/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
28	श्रीमती गुलाब धीरज	बिलाडी	तिल्दा	नेवरा	4.320	457/2025, धारा 34(1)ख आबकारी अधिनियम 1915	-
29	संदीप पाण्डेय	फिरना	तिल्दा	नेवरा	4.680	526/2025, धारा 34(1)ख आबकारी अधिनियम 1915	-
30	अजय पारधी	भूमिया	तिल्दा	नेवरा	14.400	258/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
31	इंदु कुमार अनंत	भूमिया	तिल्दा	नेवरा	4.860	418/2025, धारा 34(1) आबकारी अधिनियम 1915	-
32	श्रीमती बैजवी पारधी	भूमिया	तिल्दा	नेवरा	4.300	522/2025, धारा 34(1) आबकारी अधिनियम 1915	-
33	कुमार निर्मलकर	सरोरा	तिल्दा	नेवरा	5.400	63/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
34	सुनील देवार	सरोरा	तिल्दा	नेवरा	14.400	378/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
35	एवन कुमार साहु	सासाहोली	तिल्दा	नेवरा	4.680	444/2025, धारा 34(1) ख आबकारी अधिनियम 1915	-
36	सोनू उर्फ हरिश कुमार नसानी	सासाहोली	तिल्दा	नेवरा	18.660	498/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
37	परदेशी चतुर्वेदी	तुलसी	तिल्दा	नेवरा	5.940	206/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-

69/

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्दा विकासखण्ड के धानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	धाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
38	श्रीमती चित्ररेखा	जोता	तिल्दा	नेवरा	4.500	417/2025, धारा 34(1) आबकारी अधिनियम 1915	-
39	पुरन लाल वर्मा	नकटी (कुंदरू)	तिल्दा	नेवरा	4.860	480/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
40	साहिबा ध्रुव	अल्दा	तिल्दा	नेवरा	4.680	443/2025, धारा 34(1) ख आबकारी अधिनियम 1915	-
41	श्रीमती सलमा बी	चरौदा	धरसीवा	धरसीवा	4.500	47/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
42	जितेन्द्र वर्मा	सिलतरा	धरसीवा	धरसीवा	2.700	54/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
43	भागीरथी देवांगन	कुंरा	धरसीवा	धरसीवा	4.500	181/2025, धारा 34(1)बआबकारी अधिनियम 1915	-
44	01. जितेन्द्र सायतौड़े 02. शनि संत	सिलतरा	धरसीवा	धरसीवा	11.160	241/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
45	गजेन्द्र धृतलहरे	सिलयारी	धरसीवा	धरसीवा	11.700	249/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
46	अब्दुल बशीर खान	सिलतरा	धरसीवा	धरसीवा	18.900	255/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
47	हरक्यूलिस बघेल	कुथरेल	धरसीवा	धरसीवा	6.300	260/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
48	कुलेश्वर निषाद	सोण्ड्रा	धरसीवा	धरसीवा	3.600	286/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
49	गिरीश देवांगन	तरपोगी	धरसीवा	धरसीवा	4.500	348/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
50	संजय चौहान	देवरी	धरसीवा	धरसीवा	2.700	356/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
51	रोहित कुमार चेलक	रैता	धरसीवा	धरसीवा	2.280	380/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
52	जीवराखन लाल मिरी	सांकरा सांकरा	धरसीवा धरसीवा	धरसीवा धरसीवा	1.800 8.640	395/2025, धारा 34(1) ब आबकारी अधिनियम 1915 565/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
53	बालाराम यदु	मलौद	धरसीवा	धरसीवा	0.720	414/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
54	पवन पारधी	सिलतरा	धरसीवा	धरसीवा	8.640	417/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
55	राधेश्याम बिजौर	पथरी	धरसीवा	धरसीवा	2.340	524/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
56	योगेश वागडे	सांकरा	धरसीवा	धरसीवा	8.640	564/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
57	राम सिंह	सांकरा	धरसीवा	धरसीवा	8.640	566/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
58	हरभजन	ग्राम बहेराडीह	तिल्दा	खरोरा	5.580	9/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
59	कमलेश	ग्राम मुडुपार	तिल्दा	खरोरा	2.700	21/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
60	कुंवर लाल	ग्राम देवांग	तिल्दा	खरोरा	6.600	60/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
61	धनेश्वर	ग्राम छडिया	तिल्दा	खरोरा	9.000	99/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
62	अमरपाल सिंह	ग्राम चिचोली	तिल्दा	खरोरा	10.290	148/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-

91

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्दा विकासखण्ड के थानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	थाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
63	समीर रात्रे	ग्राम मुडुपार	तिल्दा	खरोरा	1.980	178/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
64	प्रताप	ग्राम चिचोली	तिल्दा	खरोरा	3.960	183/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
65	मनीष	ग्राम भड्हा	तिल्दा	खरोरा	1.080	193/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
66	राकेश	ग्राम बिटिया	तिल्दा	खरोरा	2.880	215/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
67	गणेश	ग्राम बुड़ेरा	तिल्दा	खरोरा	2.880	217/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
68	रमेश	ग्राम सारागांव	तिल्दा	खरोरा	2.880	239/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
69	मनीष	ग्राम सारागांव	तिल्दा	खरोरा	3.420	240/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
70	प्रतीण	ग्राम सारागांव	तिल्दा	खरोरा	3.780	241/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
71	सतोष	ग्राम गनियारी	तिल्दा	खरोरा	4.500	264/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
72	अमीर	ग्राम मांठ	तिल्दा	खरोरा	2.700	280/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
73	जगमोहन	ग्राम सिरी	तिल्दा	खरोरा	2.520	296/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
74	जितू	ग्राम सिरी	तिल्दा	खरोरा	3.060	305/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
75	समीर	ग्राम अइसेना	तिल्दा	खरोरा	2.340	307/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
76	सचिन	ग्राम खरोरा	तिल्दा	खरोरा	3.780	312/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
77	लक्ष्मीनारायण उर्फ नातू	ग्राम छडिया	तिल्दा	खरोरा	4.500	315/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
78	दुर्गेश	ग्राम पचरी	तिल्दा	खरोरा	2.700	325/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
79	श्रीमती शशि	ग्राम भड्हा	तिल्दा	खरोरा	2.880	333/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
80	धन्तू विश्वकर्मा	ग्राम पीकरीडीह	तिल्दा	खरोरा	2.7	341/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915,	-
					6.3	579/2025, धारा धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	-
81	मीना	ग्राम खरोरा	तिल्दा	खरोरा	3.240	392/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
82	01. सागर	ग्राम मोहरेंगा	तिल्दा	खरोरा	9.000	408/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	-
83	01. आर्यन 02. हरिश	ग्राम मांठ	तिल्दा	खरोरा	9.000	409/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	-
84	समीर	ग्राम मांठ	तिल्दा	खरोरा	8.640	438/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
85	विजय उर्फ विक्की	ग्राम कटिया	तिल्दा	खरोरा	2.880	451/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
86	विक्रम	ग्राम बुड़ेरा	तिल्दा	खरोरा	2.880	456/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
87	सुनील	ग्राम बरोण्डा	तिल्दा	खरोरा	3.240	479/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
88	जितेंद्र	ग्राम मुरा	तिल्दा	खरोरा	5.220	480/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	-

69

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्दा विकासखण्ड के धानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	धाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
89	राकेश	ग्राम भड़हा	तिल्दा	खोरा	2.880	496/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
90	रामसिंग	ग्राम मांठ	तिल्दा	खोरा	7.200	497/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
91	गौतम	ग्राम खौली	तिल्दा	खोरा	2.340	500/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
92	समीर	ग्राम मांठ	तिल्दा	खोरा	5.760	503/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
93	माखन लाल	ग्राम नहरडीह	तिल्दा	खोरा	3.420	505/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
94	01. पुल्पोल्लम 02. गोलू उर्फ लक्की	ग्राम रायखेड़ा	तिल्दा	खोरा	5.850	506/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
95	रामकुमार	ग्राम सिरी	तिल्दा	खोरा	8.100	513/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
96	श्रीमती मंजू	ग्राम अइसेना	तिल्दा	खोरा	3.600	514/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
97	आशाराम	ग्राम छड़िया	तिल्दा	खोरा	3.420	518/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
98	जितेन्द्र	ग्राम छड़िया	तिल्दा	खोरा	3.240	519/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
99	गिरवर	ग्राम छड़िया	तिल्दा	खोरा	2.880	558/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
100	कपिल	ग्राम पचरी	तिल्दा	खोरा	3.240	564/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
101	सूरज	ग्राम पिकरीडीह	तिल्दा	खोरा	1.620	582/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
102	रामअवतार	ग्राम सारागांव	तिल्दा	खोरा	7.200	584/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
103	1. अजय 2. धनेन्द्र पिता श्रवण भोई	ग्राम केशला	तिल्दा	खोरा	32.200	608/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
104	भारत	ग्राम धिवरा	तिल्दा	खोरा	2.700	655/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
105	खूबचंद	ग्राम चिचोली	तिल्दा	खोरा	7.200	676/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
106	राजू	ग्राम छड़िया	तिल्दा	खोरा	3.060	679/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
107	जितेन्द्र	ग्राम नैतरा	तिल्दा	खोरा	7.200	692/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
108	असवंत	ग्राम पचरी	तिल्दा	खोरा	2.880	709/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
109	सुखविंदर सिंग	ग्राम बुड़ेरा	तिल्दा	खोरा	3.240	723/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
110	दानी राम	ग्राम मूरा	तिल्दा	खोरा	6.300	778/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
111	संजय	ग्राम मूरा	तिल्दा	खोरा	3.060	779/2025, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915	-
112	गोपाल सिंह जईके	ग्राम खोरा	तिल्दा	खोरा	5.760	485/2025 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-
113	प्रहलाद निषाद	बेंद्री	धरसीवा	उरला	5.760	88/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915	-

60/

जिला रायपुर के धरसीवा एवं तिल्ला विकासखण्ड के धानों में अवैध शराब की बिक्री संबंधी प्रकरणों की जानकारी 01.01.2025 से 24.11.2025 तक

क्रमांक	नाम आरोपी	गांव का नाम	विकासखण्ड	धाना	जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	प्रकरण क्रमांक, धारा	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
114	अर्जुन नेताम	ब्रेदी	धरसीवा	उरला	5.760	122/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	
115	युवराज निषाद	ब्रेदी	धरसीवा	उरला	9	125/2025 धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	
116	श्रीमति रामबाई टंडन	सरोरा	धरसीवा	उरला	5.760	348/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	
117	करन सिंह गौड	जरवाय	धरसीवा	कबीर नगर	2.16	14/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
118	मनीश यादव	जरवाय	धरसीवा	कबीरनगर	3.6	214/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
119	जागेश्वर ध्रुव	अटारी	धरसीवा	कबीरनगर	5.58	242/2025, धारा 34(2) आवकारी अधिनियम 1915	-
120	सुमित यादव	अटारी	धरसीवा	कबीरनगर	3.42	243/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
121	अरुण कुमार पवार	सोनडोंगरी	धरसीवा	कबीरनगर	1.44	244/2025, धारा 34(1)ब आवकारी अधिनियम 1915	-
122	अश्वनी पटेल	कचना	धरसीवा	खम्हारडीह	3.240	238/2025, धारा 34(1) आवकारी अधिनियम 1915	-

अनुभाषा अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "ब"

01.01.2025 से 24.11.2025 तक एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक बार दर्ज प्रकरणों की नाम एवं गांववार जानकारी

क्रमांक	थाना	कुल दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम	ग्राम का नाम	अपराध क्रमांक धारा
1	धरसीवा	2	जीवराखन लाल मिरी	सांकरा	395/25, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915 565/2025, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915
2	खरोरा	2	धनू विश्वकर्मा	भड़हा	341/25, धारा 34(1)ब आबकारी अधिनियम 1915 579/2025, धारा धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

6/

परिशेष - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्र. 605) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर एवं कक्ष की कमी वाले शाला भवन की जानकारी

क्र.	विधानसभा का नाम	शाला का स्तर	शाला का नाम	भवन की स्थिति (जर्जर / कक्ष की कमी)
1	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला लाभांडी	जर्जर शाला भवन
2	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला दलदल सिवनी	जर्जर शाला भवन
3	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला सड्डू	जर्जर शाला भवन
4	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला लाभांडी	कक्ष की कमी
5	रायपुर ग्रामीण	पूर्व माध्यमिक	शास.पूर्व माध्य.शाला गोंदवारा	कक्ष की कमी
6	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला लालपुर	कक्ष की कमी
7	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला पुरैना	कक्ष की कमी
8	रायपुर ग्रामीण	हायर सेकेण्डरी	शास.उ.मा.वि.गोगांव	कक्ष की कमी
9	रायपुर ग्रामीण	पूर्व माध्यमिक	शास.पूर्व माध्य.शाला अमलीडीह	कक्ष की कमी
10	रायपुर ग्रामीण	हायर सेकेण्डरी	शास.हायर सेकेण्डरी स्कूल अमलीडीह	कक्ष की कमी
11	रायपुर ग्रामीण	हाई स्कूल	शास.हाईस्कूल पुरैना	कक्ष की कमी
12	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास.प्राथ.शाला सड्डू	कक्ष की कमी
13	रायपुर ग्रामीण	पूर्व माध्यमिक	शास.पूर्व माध्य.शाला सड्डू	कक्ष की कमी
14	रायपुर ग्रामीण	हायर सेकेण्डरी	शास.हायर सेकेण्डरी स्कूल दलदल सिवनी	कक्ष की कमी
15	रायपुर ग्रामीण	पूर्व माध्यमिक	शास.पूर्व माध्य.शाला लाभांडी	कक्ष की कमी
16	रायपुर ग्रामीण	प्राथमिक	शास. नवीन प्राथ.शाला अवंती विहार	कक्ष की कमी

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छ.ग.

परिशेष - इनक्यानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क. 612) की जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक एफ 6-78/2016/20-01

अटल नगर रायपुर दिनांक 30/02/2019

प्रति,

1. संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इंद्रावती भवन, अटल नगर,
रायपुर
2. समस्त कलेक्टर,
छत्ता
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्ता

विषय:- छत्ता राज्य में नवीन प्राथमिक शाला/विभिन्न स्तर की शालाओं का उन्नयन किये जाने के लिए निर्धारित मापदंड/दिशा-निर्देश जारी किये जाने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक योजना/शाला उन्नयन/खौलना/ मापदंड/ 2018/ 195 दिनांक 06.08.2018

.....0.....

छत्ता राज्य में नवीन प्राथमिक शाला/विभिन्न स्तर की शालाओं (नवीन प्राथमिक शाला, शासकीय प्राथमिक शाला से पूर्व माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक से हाईस्कूल तथा हाईस्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल) का उन्नयन एवं नवीन शाला प्रारंभ किये जाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए मापदंड/दिशा-निर्देश तय किये गये हैं। जो निम्नानुसार है:-

ग्रामीण क्षेत्रों में शालाओं को खोलने/शाला उन्नयन किये जाने हेतु प्राथमिक शाला हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
01 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 500	1 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	-	-

पूर्व माध्यमिक शाला हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
03 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 1000	2 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	-	-

हाईस्कूल हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
05 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 3000	3 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	सामान्य क्षेत्र में पोषक विद्यालय सहित पूर्व मा०शालाओं की कक्षा 8 वीं में 20 तथा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 35 एव अनुसूचित क्षेत्रों में 30 कक्षा होना आवश्यक है।	स्थानीय ग्राम पंचायत/सदस्यों द्वारा शाला उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। किन्तु मामों को विद्यालय हेतु 20 लाख तक विधायक/सांसद निधि से सहयोग प्राप्त होने पर वरियता के आधार पर शाला उन्नयन की कार्यवाही की जावेगी।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

Dr. S. K. (A. A.)

88

7486/19
14/02/19

1 / 2 / 1

हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
07 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 4000	3 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	सामान्य क्षेत्र में पोषक विद्यालय सहित हाईस्कूल की कक्षा 10 वीं में 100 तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु 35 एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 30 बच्चे होना आवश्यक हैं।	स्थानीय ग्राम पंचायत/ सदस्यों द्वारा शाला उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। जिन ग्रामों को विद्यालय हेतु 25 लाख तक विधायक/संसद निधि से सहयोग प्राप्त होने पर करियता के आधार पर शाला उन्नयन की कार्यवाही की जायेगी।

शहरी क्षेत्रों में शालाओं को खोलने/शाला उन्नयन किये जाने हेतु

प्राथमिक शाला हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
01 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 2000	1 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	01 कि०मी० की पहुंच पर सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज हो	-

पूर्व माध्यमिक शाला हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
02 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 3000	2 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	02 कि०मी० की पहुंच पर सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज हो	-

हाईस्कूल हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
03 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 5000	3 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	सामान्य क्षेत्र में पोषक विद्यालय सहित पूर्व मा०शालाओं की कक्षा 8वीं में 80 तथा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 35 एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 30 बच्चे होना आवश्यक हैं।	स्थानीय ग्राम पंचायत/ सदस्यों द्वारा शाला उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। जिन ग्रामों को विद्यालय हेतु 20 लाख तक विधायक/संसद निधि से सहयोग प्राप्त होने पर करियता के आधार पर शाला उन्नयन की कार्यवाही की जायेगी।

हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु

दूरी	जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार	उपलब्ध भूमि	पोषक शालाओं की संभावित छात्र संख्या	जन सहयोग
03 कि०मी०	सामान्य क्षेत्रों में 5000	3 एकड़ शास०/निजी दान स्वरूप	सामान्य क्षेत्र में पोषक विद्यालय सहित हाईस्कूल की कक्षा 10वीं में 100 तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु 35 एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 30 बच्चे होना आवश्यक हैं।	स्थानीय ग्राम पंचायत/ सदस्यों द्वारा शाला उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। जिन ग्रामों को विद्यालय हेतु 25 लाख तक विधायक/संसद निधि से सहयोग प्राप्त होने पर करियता के आधार पर शाला उन्नयन की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया, उपरोक्तानुसार शालाओं का उन्नयन एवं नवीन शाला प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

(ए०आर०खान)

अवर सचिव

प्रवर्तनीयकृत उन्नयन

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

पॉरीशेष्ट - बयानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 (क्र. 620) को जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं अन्तर्गत अनुदान राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	भवन का प्रकार	
		कमजोर आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
1.	राज्य प्रवर्तित अटल विहार योजना (राज्य शासन द्वारा अनुदान)	कमजोर आय वर्ग - रु. 80,000/- प्रति परिवार/प्रति आवास	निम्न आय वर्ग - रु. 40,000/- प्रति परिवार/प्रति आवास
2.	राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री आवास योजना नवा रायपुर (राज्य शासन द्वारा अनुदान)	कमजोर आय वर्ग - रु. 1,00,000/- प्रति परिवार/प्रति आवास,	निम्न आय वर्ग - रु. 50,000/- प्रति परिवार/प्रति आवास
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केंद्र शासन द्वारा अनुदान	कमजोर आय वर्ग - रु. 1,50,000/- प्रति परिवार/प्रति आवास,	-

• मध्यम परिवारों, जिनकी वार्षिक आय सीमा रु. 6.00 लाख से अधिक है, उन्हें राज्य शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है, परन्तु किफायती आवास हेतु अटल विहार योजना अंतर्गत रु 1/- प्रति वर्गफुट पर उपलब्ध भूमि में निर्माण कर इसका लाभ दिया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अन्तर्गत प्रति आवास अनुदान राशि का विवरण

क्र.	घटक	विवरण	वित्तीय संरचना (राशि रु. लाख में)			
			केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंशदान	योग
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
1	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	-	1.50	1.39	1.00	3.89
2	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	स्लम	1.50	2.80	1.45	5.75
		नॉन-स्लम	1.50	1.00	3.25	5.75
		हाउसिंग वाउचर	1.50	1.00	-	2.50
3	किफायती किराया आवास (एआरएच)	सिंगल बेडरूम	0.90	2.98	-	3.88
		डॉरमेट्री	0.30	0.99	-	1.29
		डबल बेडरूम	1.80	5.95	-	7.75


 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तेरानबे
अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्र. 625) की जानकारी

प्रश्न

वर्ष 2022-2023 से 30 नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों, राशि, कुल लंबाई एवं सड़कों के मध्य में निर्मित किये जाने वाले पुल-पुलिया की संख्या की जानकारी वर्षवार।

स.क्र.	वर्ष	स्वीकृत सड़कों की संख्या	राशि (लाख में)	लंबाई (कि.मी.)	पुल- पुलियों की संख्या
1	2022-23	0	0.00	0.00	4
2	2023-24	398	105810.10	1462.71	1462
3	2024-25	317	66286.77	996.43	765
4	30 नवम्बर 2025 तक	13	16886.58	89.20	152
	योग	728	188983.45	2548.34	2383




अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेह - चोरानबे

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 93 (क्र. 626) की जानकारी

प्रपत्र-अ

II

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान की राशि (करोड़ में)	प्रावधानित राशि में से व्यय राशि (करोड़ में)
			4	5
1	2	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (सड़क निर्माण)	120.00	66.75
1	2023-24	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (अनुरक्षण मद)	200.00	200.00
		मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	50.00	41.08
2	2024-25	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (सड़क निर्माण)	92.00	41.18
		मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (अनुरक्षण मद)	10.00	10.00
		मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	50.00	5.90
3	2025-26	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (सड़क निर्माण)	92.70	21.38
		मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (अनुरक्षण मद)	11.00	0.00
		मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	100.00	11.40


(एल.एस. पैकरा)
कार्यपालन अभियंता,
मु.मं.ग्रा.स.वि.यो. प्रकोष्ठ,
रायपुर (छ.ग.)


A. C. S.


अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	योजना/मद का नाम	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	विकासखण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति	अपूर्ण होने का कारण	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2023-24	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (अनुरक्षण मद)	जीरा गांव से कुम्हली तक सड़क निर्माण	नदीनीकरण कार्य	जगदलपुर	35.70	पूर्ण	-	-
2			कुम्हरावड से बिरिगपाल तक सड़क निर्माण			53.16	पूर्ण	-	-
3			शिवनंद आश्रम से डुरकीगुड़ा, बड़ेपारा, माटापारा तक			66.73	पूर्ण	-	-
4			कुम्हरावण्ड मुख्यमार्ग से इन्द्रावती स्टाप डेम तक			12.47	पूर्ण	-	-
4			योग (2023-24)			168.06			
1	2024-25	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (अनुरक्षण मद)	बड़े बादाम बाण्डापारा से संपत घर पहुंच मार्ग	पेच रिपेयर कार्य	जगदलपुर	3.88	पूर्ण	-	-
2			नकटीसेमरा माता गुड़ी होते हुए कुरन्दी रोड तक			3.09	पूर्ण	-	-
3			श्यामोघर से बेसरागुड़ा तक			2.47	पूर्ण	-	-
4			सरस्वती घर चौक से नया गीदम नाका रेल्वे गेट तक			4.12	पूर्ण	-	-
5			सिरहागुड़ा कांजी हाउस से पोड़सागुड़ा कचला			3.83	पूर्ण	-	-
6			चिलकूटी नवागुड़ापारा से कुरंदी			4.92	पूर्ण	-	-
7			माध्यमिक शाला बाबूसेमरा से गरावण्डखुर्द तक			2.37	पूर्ण	-	-
7			योग			24.68			
1			सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य टोटापारा चौक से घोटियापाल चौक तक-ग्राम पोटियापारा		जगदलपुर	42.00	अपूर्ण		30.01.2026
2			सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग पुजारीपारा तक, ग्राम का नाम-तेण्ड्रा			दरमा	26.42	अपूर्ण	


Anuraj

Aeg
S/E

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	स्वीकृत वर्ष	योजना/मद का नाम	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	विकासखण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति	अपूर्ण होने का कारण	कार्य पूर्णता की समाप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2024-25	मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य आसना छेपड़ागुड़ा मोहन सिंह ठाकुर घर से प्रधानमंत्री सड़क तक-ग्राम आसना	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य	जगदलपुर	28.25	अपूर्ण	अतिवृष्टि एवं स्थल की अनुपलब्धता होने के कारण विलंब	30.01.2026
4			सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य अशोक देवांगन घर से बण्डकू बघेल घर तक सिरहागुड़ा में-ग्राम कलया			42.00	अपूर्ण		30.01.2026
5			सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य खम्हारगांव आदेश्वर स्कूल रोड से गुरु बघेल घर तक-ग्राम खम्हारगांव			24.13	अपूर्ण		30.01.2026
6			सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य मुगलूकचौरा चमेली जीराम घर के पास पीएनजीएसवाय सड़क से मानक घर तक-ग्राम हलबाकचौरा			20.92	अपूर्ण		30.01.2026
6			योग			183.72			
13			कुलयोग (2024-25)			208.40			
1	2025-26	मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पदर चेंगनी प्रा.शा. छिन्दबहार तक (750 मी.) -ग्राम डूरीकला	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य	दरसा	68.96	अपूर्ण	कार्य अनुबंध अवधि के अंतर्गत है।	19.05.2026
2			सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से जोधरागुड़ा आंगनबाड़ी चौक से मंगनराम नाग घर तक, मावलीपदर-2 (700 मी.)-ग्राम मावलीपदर			64.33	अपूर्ण		19.05.2026
2			योग (2025-26)			133.29			


(एल.एस.पैकरा)
कार्यपालन अभियंता,
मु.मं.ग्रा.स.वि.यो. प्रकोष्ठ,
रायपुर (छ.ग.)


Anurag
S.E.



अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्य - पंचानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 (क्र. 628) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 628 द्वारा श्री पुरंदर मिश्रा, सदस्य विधानसभा (रायगढ़, धरमजयगढ़ में वनभूमि से संबंधित) वनमंडल रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमंडल में वनभूमि की जानकारी

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	आरक्षित वन (रकबा हे.)	संरक्षित वन (रकबा हे.)	नारंगी वनक्षेत्र योग (रकबा हे.)	कुल योग (रकबा हे.)
		3	4	5	6	7
1	रायगढ़	रायगढ़	22249.688	4400.811	950.234	27600.733
2	रायगढ़	खरसिया	11488.871	1710.499	517.723	13717.093
3	रायगढ़	घरघोड़ा	12626.466	5562.455	1017.642	19206.563
4	रायगढ़	तमनार	15951.729	4203.255	484.994	20639.978
		योग -	62316.754	15877.020	2970.593	81164.367
1	धरमजयगढ़	बोरो	13919.097	5757.420	34.694	19711.211
2	धरमजयगढ़	कापू	14192.359	2442.723	-	16635.082
3	धरमजयगढ़	बाकारूमा	10139.549	2499.191	542.591	13181.331
4	धरमजयगढ़	छाल	10127.500	5483.310	1707.466	17318.276
5	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	12090.897	6790.740	648.399	19530.036
6	धरमजयगढ़	लैलूंगा	16280.370	5083.313	348.160	21711.843
		योग -	76749.772	28056.697	3281.310	108087.779
		कुल योग -	139066.526	43933.717	6251.903	189252.146

अनुक्रम अधिकारी
वन एवं जलसंधु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर